सरस्वती-पुस्तक-माला का १८ वाँ पुष्प

व्याकरण-मयंक

लेखक
श्री० सुरेश्वर पाठक विद्यालंकार, विशारद

भूमिका लेखक
साहित्याचार्य पं० चन्द्रशेखर शास्त्री

पटना तथा पंजाब विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत

प्रकाशक
अखौरी सच्चिदानन्द सिंह
अध्यक्ष
सरस्वती-भण्डार, पटना

द्वितीय संस्करण } १९३७ { मूल्य १)

प्रकाशक
अखौरी सच्चिदानन्द सिंह
अध्यक्ष
सरस्वती भण्डार, पटना

मुद्रक
दी युनाइटेड प्रेस लि०, बाकरगंज, पटना

विषय-सूची

दो शब्द

प्राचीन पण्डित कहते हैं—"भाषा का व्यवहार करनेवालों को वैयाकरणों का अनुवर्त्तन करना चाहिए" अर्थात वैयाकरण जैसी भाषा का प्रयोग शुद्ध बतलावें वैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। व्याकरण विरुद्ध भाषा का व्यवहार अनादरणीय होता है। संस्कृत व्याकरण के महाभाष्यकार ने अशुद्ध शब्द का प्रयोग करना पाप-जनक बतलाया है। उनका कहना है कि वैयाकरणों के बनाये शब्दों का ही साहित्य में प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा है—"कुम्हार के घर जाकर कोई यह नहीं कहता कि घड़े बनाओ, मैं उनका उपयोग करूँगा"। किन्तु वह स्वयं घड़े बनाता है और उपयोग करनेवाले उपयोग करते हैं। वैयाकरणों के यहाँ भी फर्माइश नहीं जाती, व शब्दों के नियम बना देते हैं, ऐसा बोलना शुद्ध है और ऐसा अशुद्ध। लोग व्यवहार करते हैं।

कुछ लोग समझते हैं कि व्याकरण बनने के बाद भाषा का निर्माण होता है। पर यह बात ठीक नहीं है। बोल-चाल की भाषा के लिए व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती, वह पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। व्याकरण की आवश्यकता है साहित्य की भाषा के लिए। बोलचाल की भाषा को व्याकरण की सहायता से एक व्यापक रूप मिल जाता है, उसका दूर तक प्रसार हो जाता है और बहुत काल के लिए स्थायिनी हो जाती है। एक ही हिन्दी कई प्रान्तों में बोली जाती है और एक प्रान्तवाले के लिए दूसरे प्रान्त की बोली दुर्बोध्य होती है। पर साहित्य की हिन्दी सभी

समझते हैं, जिन्हें हिन्दी के वाक्य विन्यास के नियमों का ज्ञान है। संस्कृत भाषा चाहे कोई लिखे वह संस्कृत जाननेवालों के लिए दुर्बोध्य नहीं है। साहित्यिक बङ्गला दूसरे प्रान्त के बङ्गला जाननेवाले समझ लेते हैं पर बोल चाल में आने वाली बङ्गला उनके लिए दुर्बोध्य ही होती है।

बोल-चाल की भाषा को नियमों में कसकर साहित्यिक भाषा बनाने के लिए ही व्याकरण की आवश्यकता है। अतएव व्याकरण की उत्पत्तिका समय भाषा का मध्य काल है। बोल-चाल की भाषा जब प्रौढ़ होने लगती है जब उसे साहित्यिक रूप मिलने लगता है तभी व्याकरण की आवश्यकता होती है, तभी भाषा में कर्ता, कर्म, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा आदि का भेद होता है। इनके चिह्न कायम किये जाते हैं, जिससे उसी भाषा को एक सार्वजनिक रूप मिल जाता है, वह भाषा व्यापक होजाती है और उसे बड़ी उमर मिल जाती है।

कुछ लोग व्याकरण को अनावश्यक समझते हैं। एक प्राचीन पण्डित ने पाणिनी व्याकरण की हँसी इसलिए उड़ायी है कि वह छोटा है। आज कल के कई लोग कहते हैं कि "जीवित भाषा का व्याकरण क्या होगा। जिस भाषा में प्रतिदिन नये-नये भाव भरे जाते हैं, उनके लिए नये नये शब्द गढ़े जाते हैं वह भाषा भला नियम में कैसे कसी जा सकती है?" यह बात सब के लिए नहीं कही जा सकती। सब के पास भावों का भाण्डार नहीं होता और न सभी भाषा के नये नये शब्द ही गढ़ सकते हैं। ऐसी दशा में उनकी बात सच्ची मान लेने पर भी व्याकरण की आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता।

ख्यातकीर्ति प्रतिभावान् व्यक्ति को अधिकार होता है कि वे अपने भाव प्रकाशन के लिए भाषा का उपयोग अपनी इच्छानुसार करें। यह

अधिकार उनका स्वयमर्जित है, किसी का दिया हुआ नहीं। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि अब कोई व्याकरण माने ही गा नहीं। व्याकरण के नियमों के विरुद्ध भाषा लिखी जायगी। कालिदास, तुलसीदास आदि व्याकरण क कतिपय नियम तोड भी दें तो इसका यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि हम आप सभी अब से व्याकरण को निकाल बाहर करें।

अतएव भाषा-शिक्षा के साथ ही साथ व्याकरण की भी शिक्षा देने की परिपाटी है। यह परिपाटी कैसी है इस पर हम इस समय कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि यह अनावश्यक है। हमें तो इसी प्रणाली क अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। अतएव हिन्दी के लेखक व्याकरण पर पुस्तकें तैयार करते है। "व्याकरण मयक" भी इसी विचार और उद्देश्य से लिखा एक व्याकरण का ग्रन्थ है। इसके लेखक हिन्दी-ससार के अपरिचित होने पर भी हिन्दी के विशेषज्ञ मालूम होते हैं। विद्वान् लेखक ने बडी सावधानी से विषयों का प्रतिपादन किया है, सरलता पूर्वक उन्होंने नियम समझाए हैं। मै समझता हूँ कि ग्रन्थकार ने अपने उद्देश्य में सफलता पायी है।

इस पुस्तक में व्याकरण के सभी आवश्यक विषय आ गये हैं और वे सरलतापूर्वक समझाये गए है। ग्रन्थकार की विवेचनशैली ने ग्रन्थ को महत्वपूर्ण बना दिया है। मेरा विश्वास है कि इस पुस्तक के पढनेवाले बालक व्याकरण का बोध आसानी से पा सकेंगे।

चन्द्रशेखर

व्याकरण-मयंक

प्रस्तावना

—◌*◌—

१—भाषा

जिसके द्वारा मनुष्य अपने मनोगत भाव दूसरों पर स्पष्ट रूप से प्रगट कर सकता है और दूसरों के मनोगत भावों को समझ सकता है उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य के हृदय में जिन भावों या विचारों का प्रादुर्भाव होता है उन्हें कार्यरूप में परिणत करने के लिए दूसरों की सहायता या सम्मति की आवश्यकता पड़ती है और इसलिए उन भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रगट करना पड़ता है जो भाषा के ही द्वारा प्रगट किये जा सकते हैं। संसार का सारा व्यापार भाषा के ही सहारे चलता है, भाषा सांसारिक-व्यवहार की जड़ है। यही समाज विशेष को एक सूत्र में आबद्ध रखती है।

किसी भी भाषा का स्वरूप सब दिन एकसा नहीं रहता। यह भी अन्य, चीजों की नाईं परिवर्तनशील है। जिस

भाषा का परिवर्तन या विकास रुक जाता है, वह जीवित भाषा नहीं कहला सकती। भाषा तत्ववेत्ताओं के कथनानुसार कोई भी प्रचलित भाषा सैकड़ों वर्षों तक एक रूप में रह नहीं सकती। आज जिस हिन्दी भाषा का हम लोग व्यवहार करते हैं वह पहले इस रूप में न थी। इस भाषा का इतिहास बता रहा है कि पहले इस मुल्क में पुरानी प्राकृत भाषा बोली जाती थी, फिर उसमें रूपान्तर हो जाने से वह नयी प्राकृत भाषा कहलाने लगी और उस प्राकृत में भी समयानुसार फेर बदल होते होते हिन्दी भाषा की उत्पत्ति हुई। इतना ही नहीं, आज की हिन्दी और पुरानी हिन्दी में भी जमीन आसमान का भेद पड़ गया है। इस भाषा के सूत्रपात के समय से, अर्थात चन्द्बरदाई के काल से ही आज तक न जाने इसमें कितने परिवर्तन हुए और भविष्य में कितने परिवर्तन होने वाले हैं। पर हाँ, भाषा में परिवर्तन इतनी मन्द गति से होता है कि हम को कुछ पता नहीं लगता और इन परिवर्तनों के फल स्वरूप अन्त में नयी नयी भाषाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। भाषा के परिवर्तन में स्थान, जलवायु और सभ्यता का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक स्थान में जो भाषा बोली जाती है वही भाषा दूसरे स्थान में उसी रूप में नहीं बोली जा सकती। जल वायु के परिवर्तन से एक ही भाषा के शब्दों के उच्चारण में फर्क पड़ जाता है। इसी प्रकार सभ्यता के विकास के साथ-साथ भाषा का भी विकास होने ... क्योंकि सभ्यता के विकास के साथ-साथ नये नये विचार ...ने लगते हैं और उन विचारों को स्पष्ट करने के लिये

लोग नये-नये शब्दो को बनाकर शब्द-भण्डार की वृद्धि करते हैं जिससे भाषा क्रमानुसार परिवर्तित होने लगती है

२—भाषा और व्याकरण

भाषा द्वारा विचार प्रगट करने मे बोलनेवाले को सर्वदा यह ध्यान मे रखना होता है कि इस ढङ्ग से बातें कही जायँ कि सुनने-वाले समझ सकें। इसके लिए एक विचार के कई अंश प्रगट करने पडते हैं, कई बातें कहनी पडती हैं। अतएव पूरा-पूरा मतलब प्रगट करने वाली प्रत्येक बात को वाक्य कहते हैं, जो कई शब्दो के मेल से बनता है। शब्द, अर्थ प्रगट करनेवाली ध्वनि है जिसे सार्थक ध्वनि कहते हैं। इन्हीं शब्दो को सङ्गठित कर हम इनका व्यवहार इस ढङ्ग से करते हैं जिससे हमारी भाषा मे गडबडी पैदा न हो और जो कुछ हम बोलें वा लिखें उसे दूसरा ठीक-ठीक समझ सके।

हम अपने विचारो को दो तरह से प्रगट करते हैं। उपस्थित लोगों के सामने अगर विचार प्रगट करना होता है तो कथित भाषा का उपयोग कर अर्थात बोलकर अपना काम निकाल लेते हैं, पर अगर हमें अपने विचार, दूर रहनेवाले मनुष्यो तक पहुँचाने की अथवा भविष्य के लिये सग्रह करने की ज़रूरत पडती है तो हमें लिखी हुई भाषा का उपयोग करना पडता है। लिखी हुई भाषा मे शब्दो को [illegible] को पहचानने के लिये प्रत्येक भाषा [illegible] नियत किये रहते हैं जिन्हें वर्ण वा

हैं। कहने का तात्पर्य्य यह है कि बोलना ध्वनियों से और लिखना अक्षरों या वर्णों से होता है। ध्वनियाँ और अक्षरों से शब्द, शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा बनती है।

यह सब तो है, पर हमें इस बात पर विचार करना है कि भाषा और व्याकरण में क्या सम्बन्ध है और भाषा के लिए व्याकरण की क्या आवश्यकता पड़ती है। जब किसी भी भाषा की रचना को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमें जान पड़ता है कि उसमें जितने शब्द प्रयुक्त होते हैं वे सभी भिन्न-भिन्न तरह के भाव प्रगट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही विचार को अनेक रूपों में प्रगट करने के लिए शब्दों के रूप में भी अनेक भेद पड़ जाते हैं। फिर, शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किसी खास क्रम से होता है और रूप तथा अर्थ के अनुसार उनमें परस्पर सम्बन्ध भी रहता है। ऐसी दशा में स्पष्ट रूप से विचार प्रगट करने के लिए शब्दों के रूपों और प्रयोग में किसी निश्चित नियम का रहना आवश्यक हो जाता है और यह निश्चय करना व्याकरण का काम है, अतः इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्याकरण की आवश्यकता हुई है।

व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें शब्दों के शुद्ध रूपों और प्रयोगों के नियमों का निरूपण हो। व्याकरण शब्द का अर्थ भी 'भलीभाँति समझना' है। इस शास्त्र के द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलने और लिखने की रीति सीख सकते हैं।

भाषा और व्याकरण में घनिष्ट सम्बन्ध है, अथवा यों कहिये

कि व्याकरण भाषा के अधीन है, क्योंकि व्याकरण मे नये नियमो को गढ कर भाषा की गति को बदल देने की क्षमता नहीं है। साथ ही व्याकरण के द्वारा भाषा नियमबद्ध भी नहीं की जा सकती। साराश यह है कि बोली जानेवाली भाषा की गति के अनुसार उसीके आधार पर व्याकरण की रचना होती है। क्योंकि व्याकरण की रचना के बहुत पहले से ही भाषा बोली जाती है। पहले बताया जा चुका है कि भाषा एक रूप में रह नहीं सकती, समयानुसार उसमे परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसी अवस्था में भाषा के पीछे-पीछे ही व्याकरण का चलना आवश्यक है। व्याकरण के जटिल नियमो से भाषा को सीमित करने से फल यह होता है कि भाषा का प्रवाह रुक जाता है और वह भाषा मृत भाषा कहलाने लगती है। अतएव भाषा के परिवर्तन होते रहने से उसी के अनुसार उसके व्याकरण में भी आवश्यक परिवर्तन होता रहना चाहिये। व्याकरण का काम भाषा के नियमो का पता लगा कर एक सिद्धान्त स्थिर करना है। उसमें भाषा की रचना, शब्दो की व्युत्पत्ति और स्पष्ट रूप से विचार प्रगट करने के लिए शुद्ध प्रयोग बताया जाता है और उसे जानकर हम प्रचलित भाषा के नियम जान लेते हैं, जिससे शुद्ध-शुद्ध बोलने और लिखने में बडी सहायता मिलती है।

३—हिन्दी व्याकरण के आधार

हिन्दी व्याकरण में हिन्दी के उन साहित्यिक शब्दो के

रूपान्तर, रचना-विधियों और भाषा सम्बन्धी अन्य नियमों का क्रमबद्ध संग्रह रहता है जो आजकल प्रचलित हैं।

हिन्दी प्राकृत भाषा से निकली है* और प्राकृत पुरानी प्राकृत से—वैदिक संस्कृत से। इसके अतिरिक्त प्रचलित हिन्दी में फारसी और अरबी भाषा का भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। इधर से अंगरेजी भाषा का भी प्रभाव थोड़ा-बहुत पड़ता जाता है। अतएव इसके व्याकरण पर उक्त नवीन और प्राचीन भाषाओं का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। संस्कृत और प्राकृत के व्याकरण तो इसके व्याकरण के आधार हैं ही साथ ही फारसी और अंगरेजी व्याकरण की छाप भी पड़ती जा रही है। यहाँ पर कुछ उदाहरणों द्वारा उपर्युक्त कथन की पुष्टि करना आवश्यक है।

हिन्दी में संधि प्रकरण, समास-प्रकरण, उपसर्ग आदि प्रायः संस्कृत व्याकरण से ले लिये गये हैं। हाँ, उपसर्ग के विषय में यह कहा जा सकता है कि कुछ उर्दू के और कुछ खास हिन्दी के उपसर्ग भी प्रयुक्त होते हैं। संधि तो संस्कृत की अपनी चीज है। इधर कुछ लेखक हिन्दी शब्दों में (हिन्दी के शब्दों से मेरा मतलब इस जगह यह है कि हिन्दी के वे शब्द जो संस्कृत तत्सम न हों) भी संधि करने लगे हैं। कुछ लोग हिन्दी में संस्कृत के कुछ शब्दों का संधि संस्कृत के नियमों के अनुसार न कर हिन्दी के सरल नियमों के अनुसार करते हैं। लाला भगवानदीन ने 'जगत + ईश' को जगतेश

* हिन्दी की उत्पत्ति के विषय में जानने के लिये लेखक का 'रचना-मयङ्क' पढ़ें।

लिखा है। कुछ अन्य विदेशी शब्दों के साथ संस्कृत शब्दों को युक्त कर संधि करने का प्रयत्न भी देखा जा रहा है। जैसे—जिला + अधीश = जिलाधीश आदि। कारक भी संस्कृत व्याकरण से लिये गये हैं पर इसमें भी फेर-बदल कर दिये गये हैं। संस्कृत में सम्बोधन कारक नहीं होता है। कारकों की विभक्तियाँ संस्कृत तथा प्राकृत भाषा से ली गयी हैं। संस्कृत में तीन लिङ्ग और तीन वचन होते हैं पर हिन्दी में दो ही लिङ्ग और दो वचन माने गये हैं, जिसका आधार प्राकृत भाषा है। इसी प्रकार फारसी के मुहावरे, अंगरेजी के चिन्ह विचार और व्याकरण लिखने की शैली आदि भी ली गयी हैं।

४—हिन्दी में व्याकरण का विकास

हिन्दी भाषा में ज्यों-ज्यों गद्य-भाग का विकास होता गया है त्यों त्यों इसके व्याकरण में भी विकास आता गया है। यों तो पद्य लिखने के लिए भी व्याकरण-शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है परन्तु उतनी नहीं जितनी गद्य के लिए। पद्यों अथवा छन्दों के सम्बन्ध में शुद्धाशुद्ध के निरूपण के लिए तो छन्द शास्त्र की ही अधिक आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम पद्य का व्याकरण कह सकते हैं। अब तो अंगरेजी आदि भाषाओं की देखा-देखी हिन्दी व्याकरण में भी छन्द विचार व्याकरण का एक भाग मान लिया गया है। परन्तु संस्कृत और प्राकृत भाषा में छन्द शास्त्र व्याकरण से भिन्न है। यद्यपि हिन्दी भाषा का उत्पत्तिकाल क़रीब-क़रीब बारहवीं

शताब्दी या चन्दनरदाईकाल कहा जाता है तथापि गद्य की उत्पत्ति उसके कई शताब्दी बाद हुई। गद्य लिखने की प्रणाली का सूत्रपात तो अठारहवीं शताब्दी में हुआ है। हाँ, इसके पहले के ब्रजभाषा के कुछ गद्यक नमूने—जैसे नाभादास का भक्तमाल' आदि—मिलते हैं, पर वे नहीं के बराबर ही कहे जा सकते हैं। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भकाल से गद्य की उन्नति प्रारम्भ हुई है। इसी काल में लल्लू लाल जी ने प्रेमसागर' लिखकर वर्तमान गद्य प्रणाली को जन्म दिया। उसके बाद तो भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द' आदि गद्य-लेखकों द्वारा हिन्दी में गद्य का क्रमशः विकास ही होता गया।

जब हम देखते हैं कि उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ काल से गद्य लिखने की प्रणाली चल निकली है तब उसके पहले हिन्दी में व्याकरण कहाँ से आया? पद्य के लिए तो अलङ्कार, रस और पिङ्गलादि के बहुत से ग्रन्थ मौजूद थे परन्तु व्याकरण का बिल्कुल अभाव था। हाँ, जब गद्य भाग की उन्नति होने लगी तो व्याकरण लिखने की भी आवश्यकता प्रतीत हुई। हम कह आये हैं कि पहले भाषा का विकास होता है उसके पीछे व्याकरण की रचना की जाती है। हिन्दी में भी यही नियम लागू हुआ है। जहाँ तक हमें मालूम है अंगरेजी विद्वानों ने ही हिन्दी में व्याकरण लिखने के लिए हमें प्रोत्साहित किया है। यही क्यों, पहले पहल अंगरेजी भाषा में ही हिन्दी के व्याकरण अंगरेजी भाषा-तत्ववेत्ताओं द्वारा लिखे गये हैं। जिस समय हिन्दी में एक भी व्याकरण नहीं था, और जो एकाध छोटी-

मोटी पुस्तिका थी भी वह भी उपयोगी नहीं थी, उसी समय अगरजी मे हिन्दी के बड़े ही उपयोगी और अच्छे-अच्छे व्याकरण निकल चुके थे। मि० वोम्स का 'कम्परेटिव ग्रामर आफ दी ऐरियन लैंगवेजेज आफ इण्डिया', पादरी एथरिङ्गटन का 'हिन्द॰ ग्रामर', मिस्टर के० छौग का 'ए ग्रामर आफ दी हिन्दी लैंगवेज' आदि कई अगरेजी मे लिखे हिन्दी व्याकरण सन् १८७५ के पहले तक प्रकाशित हो चुके थे। पादरी एथरिङ्गटन ने तो हिन्दी मे भी भाषा-भास्कर' नामक एक व्याकरण लिखा है। इस प्रकार हमारी हिन्दी भाषा का व्याकरण पहले अगरेजी भाषा मे लिखा जाना शुरू हुआ। जिन अगरज विद्वानो ने सस्कृत प्राकृत तथा हिन्दी भाषा का पूर्ण अध्ययन कर हिन्दी ग्रामरो की रचना की, हिन्दी उन महापुरुषो का चिरऋणी बनी रहेगी। आज उन्हीं विद्वानो क लिखे ग्रन्थो का ही फल है कि हम हिन्दी मे श्रीयुत कामताप्रसाद गुरु, श्रीयुत अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, श्रीयुत रामलोचन शरण आदि के लिखे उत्तमोत्तम व्याकरण ग्रन्थो को देख रहे हैं। पर सच तो यह है कि हमारी भाषा विकास द्वारा अभी इस तीव्र गति से प्रवाहित हो रही है कि कोई सर्वाङ्ग-पूर्ण व्याकरण अभी बन ही नहीं सकता। जो व्याकरण आज बनेगा कल उसमे बताये नियम पुराने और अप्रचलित हो जायँगे। यहाँ तो नये विचारो की क्रान्ति के कारण दिन दिन नये शब्दो, नये-नये ढङ्ग की रचना शैलियो, नये-नये मुहावरो आदि का प्रयोग बढता जा रहा है। अतएव इसी तीव्र गति के साथ हमे इसके व्याकरण को भी प्रवाहित करना

पड़ेगा। भाषा के प्रबल वेग को रोकने के लिए नहीं बल्कि उसे और भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमें व्याकरण का सहारा देना पड़ेगा। साराश यह है कि ज्यों-ज्यो हमारे गद्य-साहित्य का विकास होता जायगा त्यों-त्यो व्याकरण का भी रूप बदलता जायगा और नये-नये ढङ्ग के व्याकरण लिखने की जरूरत पड़ती जायगी।

५—हिन्दी व्याकरण के विभाग

पहले कहा जा चुका है कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें शब्दों के शुद्ध रूपो और प्रयोगो के नियमों का निरूपण हो अर्थात जिसके द्वारा हम शुद्ध भाषा बोलने और लिखने की रीति सीख सकें।

भाषा का मुख्य अग वाक्य है। वाक्य शब्दों द्वारा और शब्द मूल ध्वनियों द्वारा बनते हैं। फिर जब हमें भाषा को लिखने की आवश्यकता पड़ती है तब एक एक मूल ध्वनि के लिए एक-एक चिह्न नियत कर लेते हैं जिसे वर्ण कहते हैं। चूंकि भाषा के मुख्य भाग वाक्य, शब्द, और वर्ण हैं इसलिये व्याकरण के मुख्य भाग भी ये ही तीनो हैं। अथवा यो कहिये कि वर्ण शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण तीन भागो मे विभक्त रहता है— (१) वर्ण-विचार, (२) शब्द विचार या शब्द साधन और (३) वाक्य विचार या वाक्य विन्यास।

(१) वर्ण विचार (Orthography)—जिस विभाग में वर्ण

अथवा अक्षरो के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्दो के बनाने की बातें रहती हैं उसे वर्ण विचार कहते हैं।

(२) शब्द साधन (Etymology)—जिस विभाग मे शब्दो की अवस्था, रूपान्तर, बनावट तथा व्युत्पत्ति आदि के नियम दिये रहते हैं उसे शब्द-साधन कहते हैं।

(३) वाक्य विन्यास (Syntax)—जिस भाग मे अक्षरो के द्वारा वाक्य बनाने के नियम रहते हैं तथा जिसमें वाक्यों के प्रत्येक अग का परस्पर सम्बध बताया जाता है उसे वाकय विन्यास कहते हैं।

उपर्युक्त तीन विभागो क अतिरिक्त दो और विभाग भी हिन्दी व्याकरण में माने गये हैं—(१) चिह्न-विचार, और (२) छन्द-विचार।

(१) चिह्न-विचार (Punctuation)—जिसमें विरामादि चिह्नो का निरूपण किया जाता है उसे चिह्न विचार कहते हैं। यह विभाग अगरजी व्याकरण से लिया गया है। हिन्दी व्याकरण के जो मुख्य आधार सस्कृत और प्राकृत के व्याकरण हैं उनमे चिह्नो का महत्त्व बहुत कम है। इसका कारण यह है कि इन दोनों भाषाओ मे चिह्न के सूक्ष्म प्रयोगों—कॉमा, कोलन, सेमीकोलन, डैश अर्द्ध विरामादि—पर कोई विशेष ध्यान ही नहीं दिया गया है। परन्तु हिन्दी मे तो—खास कर वर्तमान प्रचलित हिन्दी मे तो—ठीक अगरेजी भाषा की नाईं बहुत से नये-नये चिह्न प्रयुक्त होने लगे हैं। अतएव हिन्दी व्याकरण में इन

लिपियों में भी हिन्दी लिखी जाती है परन्तु छापे की लिपि देवनागरी होने के कारण उन लिपियों का उतना अधिक महत्त्व नहीं रह गया है। कैथी लिपि पहले कुछ दिनों तक छापी जाती थी पर अब उसका भी चलन नहीं रहा।

✓वर्णों के समुदाय को वर्णमाला (Alphabet) कहते हैं। देवनागरी लिपि में लिखी जानेवाली वर्णमाला में ४९ वर्ण हैं —
अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ ॡ ए ऐ ओ औ।
क ख ग घ ङ। च छ ज झ ञ। ट ठ ड ढ
ण। त थ द ध न। प फ ब भ म। य र ल
व श ष स ह (अनुस्वार) और (विसर्ग)।

ऊपर के ४९ वर्णों में ऌ ॡ और ॠ का प्रयोग हिन्दी में नहीं होता है। ऋ भी हिन्दी में आनेवाले केवल तत्सम शब्दों में ही प्रयुक्त होता है। इस प्रकार हिन्दी में केवल ४६ वर्ण होते हैं।

ऊपर के वर्णों के अतिरिक्त ड ढ क ख ग ज फ इन सातों वर्णों के नीचे बिन्दी लगा कर ड़ ढ़ क़ ख़ ग़ ज़ फ़ वर्ण बनाये जाते हैं, जिनमें ड़ और ढ़ का प्रचार तो हिन्दी में सर्वत्र पाया जाता है पर बाक़ी का प्रचार सब जगह नहीं है, क्योंकि ये बाक़ी वर्ण केवल फ़ारसी और अंगरेज़ी आदि विदेशी भाषाओं के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए ही गढ़े गये हैं। कुछ लेखकों का तो मत है कि केवल ड़ और ढ़ को छोड़कर शेष वर्णों के नीचे बिन्दी लगायी ही न जाय क्योंकि इससे वर्णों में जटिलता बढ़ जाती है।

कुल वर्ण या अक्षर दो भागों में बँटे हैं—एक स्वर (Vowel) और दूसरा व्यञ्जन (Consonant)।

(१) स्वर उन वर्णों का नाम है जिनका उच्चारण आप से आप हो और जो व्यञ्जनों के उच्चारण में सहायक हों। जैसे—

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ

(२) व्यञ्जन उन वर्णों का नाम है जो स्वर की सहायता से बोले जायँ। जैसे—

क ख ग घ ङ। च छ ज झ ञ। ट ठ ड ढ ण।
त थ द ध न। प फ ब भ म। य र ल व श ष स ह।

उपर्युक्त व्यञ्जनों को सुगमता से उच्चरित होने के लिए स्वर 'अ' युक्त कर दिया गया है। अगर उन व्यञ्जनों में कोई स्वर नहीं मिला रहता तो उनका उच्चारण स्पष्ट करने के लिये उनके नीचे एक तीरछी रेखा (्) लगा देनी पड़ती है। इस रेखा को हिन्दी में हल् कहते हैं। जैसे—क् ख् घ् छ् इत्यादि। संस्कृत में हल् व्यञ्जन को कहते हैं।

अनुस्वार और विसर्ग की गणना भी व्यञ्जनों में ही होती है क्योंकि व्यञ्जन के ऐसा इनके उच्चारण में भी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, पर इनमें दूसरे व्यञ्जनों से इतना भेद पड़ता है कि स्वर इनके पहले और दूसरे व्यञ्जनों के पीछे आता है। फिर प्राय देखा जाता है कि अनुस्वार ङ्, ञ्, ण्, न्, म्, इन व्यञ्जनों का और विसर्ग श, स, ष, और र् का रूप धारण कर

इसलिए ये दोनों व्यञ्जन ही माने जाते हैं। जैसे—मुङ्गेर को मुगेर, दुःसाहस को दुस्साहस भी लिखते हैं।

क्ष, ज्ञ और त्र ये तीन अक्षर भी व्यञ्जन के अन्तर्गत आते हैं और ये हैं संयुक्त व्यञ्जन, क्योंकि दो व्यञ्जनों के योग से बने हैं। जैसे—क्+ष=क्ष, ज्+ञ=ज्ञ और त्+र=त्र।

अभ्यास

(१) अक्षर किसे कहते हैं? (२) देवनागरी वर्णमाला के कितने अक्षर हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं? (३) क्ष, त्र, और ज्ञ किन किन अक्षरों के मेल से बने हैं? (४) हल् किसे कहते हैं?

२—स्वर और उसके भेद

उत्पत्ति की दृष्टि से स्वर के दो भेद किये जा सकते हैं (१) मूल या ह्रस्व स्वर, (२) संधि स्वर।

(१) मूल या ह्रस्व स्वर वे सब स्वर कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं है। जैसे—अ, इ, उ, ऋ, और ऌ।

(२) संधि स्वर वे सब स्वर हैं जो मूल स्वरों के संयोग से बने हैं। जैसे—आ, ई, ऊ, ॠ, ॡ, ए, ऐ, ओ और औ।

जितने संधि स्वर हैं वे सभी दो भागों में विभक्त किये जा सकते हैं—(१) दीर्घ, (२) संयुक्त।

किसी मूल स्वर को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर

बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं और भिन्न-भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे—

(क) दीर्घ स्वर—अ+अ=आ | उ+उ=ऊ
इ+इ=ई | ऋ+ऋ=ॠ
ऌ+ऌ=ॡ

(ख) संयुक्त स्वर—अ+इ=ए | आ+ए=ऐ
अ+उ=ओ | आ+ओ=औ

एक ह्रस्व स्वर के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसके मान या परिमाण को मात्रा कहते हैं। मात्रा का अर्थ काल का मान है। अतएव जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है (अर्थात् ह्रस्व स्वर) उसे एकमात्रिक या लघु कहते हैं और जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएँ लगती हैं (अर्थात् संधि स्वर) उसे गुरु कहते हैं। जैसे—अ, इ उ आदि लघु और आ, ई, ऊ आदि गुरु हैं। पद्य रचने के समय मात्रिक छन्दों में मात्रा की गणना पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त स्वर का एक और भेद है जिसे प्लुत कहते हैं, पर इसका उपयोग संस्कृत में पाया जाता है। कभी-कभी हिन्दी में भी उपयोग में आ जाता है। चिल्लाने वा पुकारने में शब्द पर जोर देने के लिए शब्द के अन्तिम स्वर के बोलने में तीन मात्राएँ लग जाती हैं उसे ही 'प्लुत' कहते हैं। दीर्घ स्वर के आगे '३' लिख देना इसका चिह्न समझा जाता है। जैसे—रे रामा ३। दैवा ३।

इसलिए ये दोनों व्यञ्जन ही माने जाते हैं। जैसे—मुङ्गेर को मुंगेर, दुःसाहस को दुस्साहस भी लिखते हैं।

क्ष, ज्ञ और त्र ये तीन अक्षर भी व्यञ्जन के अन्तर्गत आते हैं और ये हैं संयुक्त व्यञ्जन, क्योंकि दो व्यञ्जनों के योग से बने हैं। जैसे—क्+ष=क्ष, ज्+ञ=ज्ञ और त्+र=त्र।

अभ्यास

(१) अक्षर किसे कहते हैं? (२) देवनागरी वर्णमाला के कितने अक्षर हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं? (३) क्ष, त्र, और ज्ञ किन किन अक्षरों के मेल से बने हैं? (४) हल् किसे कहते हैं?

२—स्वर और उसके भेद

उत्पत्ति की दृष्टि से स्वर के दो भेद किये जा सकते हैं (१) मूल या ह्रस्व स्वर, (२) संधि स्वर।

(१) मूल या ह्रस्व स्वर वे सब स्वर कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं है। जैसे—अ इ, उ, ऋ, और लृ।

(२) संधि स्वर वे सब स्वर हैं जो मूल स्वरों के संयोग से बने हैं। जैसे—आ ई, ऊ ॠ, ॡ, ए ऐ, ओ और औ।

जितने संधि स्वर हैं वे सभी दो भागों में विभक्त किये जा सकते हैं—(१) दीर्घ, (२) संयुक्त।

किसी मूल स्वर को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर

बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं और भिन्न-भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे—

(क) दीर्घ स्वर—अ+अ=आ | उ+उ=ऊ
इ+इ=ई | ऋ+ऋ=ॠ
लृ+लृ=ॡ

(ख) संयुक्त स्वर—अ+इ=ए | आ+ए=ऐ
अ+उ=ओ | आ+ओ=औ

एक ह्रस्व स्वर के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसके मान या परिमाण को मात्रा कहते हैं। मात्रा का अर्थ काल का मान है। अतएव जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है (अर्थात् ह्रस्व स्वर) उसे एकमात्रिक वा लघु कहते हैं और जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएँ लगती हैं (अर्थात् संधि स्वर) उसे गुरु कहते हैं। जैसे—अ इ, उ आदि लघु और आ, ई, ऊ आदि गुरु हैं। पद्य रचने के समय मात्रिक छन्दों में मात्रा की गणना पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

इनके अतिरिक्त स्वर का एक और भेद है जिसे प्लुत कहते हैं, पर इसका उपयोग संस्कृत में पाया जाता है। कभी-कभी हिन्दी में भी उपयोग में आ जाता है। चिल्लाने वा पुकारने में शब्द पर जोर देने के लिए शब्द के अन्तिम स्वर के बोलने में तीन मात्राएँ लग जाती हैं उसे ही 'प्लुत' कहते हैं। दीर्घ स्वर के आगे '३' लिख देना इसका चिह्न समझा जाता है। जैसे—रे रामा ३। हाय रे ३। दैया ३।

व्यञ्जनों के अनेक तरह के उच्चारण दिखाने के अभिप्राय से उनके साथ जब स्वर मिलाया जाता है तब स्वर का असल रूप बदल कर जो रूप हो जाता है उसे मात्रा कहते हैं (काल मान वाली मात्रा नहीं)। जैसे—

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ए ऐ ओ औ
ा ि ी ु ू ृ ॄ े ै ो ौ

अ के लिए कोई मात्रा निर्धारित नहीं है। जब यह किसी व्यञ्जन के साथ मिलता है तो व्यञ्जन का हल् चिह्न (्) लुप्त हो जाता है। जैसे—त्+अ=त।

आ ई, ओ और औ की मात्राएँ व्यञ्जन के आगे इ की मात्रा व्यञ्जन के पहले ए और ऐ की मात्राएँ ऊपर एवं उ, ऊ, ऋ और ॠ की मात्राएँ नीचे लगायी जाती हैं। जैसे—का, की, को और कौ, कि, के, कै, तथा कु, कू, कृ और कॄ।

नोट—र के साथ उ और ऊ की मात्राएँ मिलाने से र का रूप एक विचित्र ढंग का हो जाता है। जैसे—रु, रू।

अभ्यास

(१) स्वर किसे कहते हैं? (२) मात्रा किसे कहते हैं? (३) अ, ऋ और औ की मात्रा क्या है? (४) र के साथ ऊ की मात्रा मिलाने से र का रूप कैसा हो जायगा?

३—व्यञ्जन के भेद

व्यञ्जनों के उच्चारण पर विचार करते हुए पहले उनके तीन भेद किये गये हैं —स्पर्श, अन्तस्थ और ऊष्म ।

जो व्यञ्जन कंठ, तालु आदि स्थानों को स्पर्श कर बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श कहते हैं । इनके उच्चारण में वागेन्द्रिय का द्वार बन्द रहता है । क से म तक २५ व्यञ्जन स्पर्श वर्ण कहलाते हैं ।

जिन व्यञ्जनों के उच्चारण में एक तरह के घर्षण के साथ गर्म वायु निकलती है उन्हें ऊष्म कहते हैं । इनके उच्चारण करते समय वागेन्द्रिय का द्वार कुछ बंद रहता है । श, ष स और ह ये चार व्यञ्जन ऊष्म कहलाते हैं ।

स्पर्श और ऊष्म के बीचवाले व्यञ्जन अर्थात् वे व्यञ्जन जिनके उच्चारण में वागेन्द्रिय का द्वार कुछ खुला रहता है, अन्तस्थ कहलाते हैं । य, र, ल और व अन्तस्थ वर्ण हैं ।

अनुस्वार (ं) और विसर्ग (ः) में से अनुस्वार स्पर्श वर्ण और विसर्ग ऊष्म वर्ण के अन्तर्गत आता है ।

स्पर्श व्यञ्जनों के ५ वर्ग किये गये हैं और प्रत्येक वर्ग में पाँच-पाँच वर्ण हैं । प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है । जैसे—

क ख ग घ ङ—कवर्ग । च छ ज झ ञ—चवर्ग ।
ट ठ ड ढ ण—टवर्ग । त थ द ध न—तवर्ग ।
प फ ब भ म—पवर्ग ।

[illegible] के दो भेद किये गये हैं—महाप्राण

अल्पप्राण । जिन व्यञ्जनों में 'ह' की ध्वनि का कुछ-कुछ मिश्रण रहता है उन्हें महाप्राण और शेष को अल्पप्राण कहते हैं। प्राय देखा जाता है कि प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्णों में 'ह' की ध्वनि का समावेश रहता है। 'ढ' में भी ह की ध्वनि विशेष रूप से है। अतएव ये सभी वर्ण महाप्राण हैं और शेष सभी अल्पप्राण। सभी स्वर भी अल्पप्राण हैं।

अल्पप्राण	महाप्राण
क, ग, ङ	ख घ
च ज ञ	छ झ
ट ड ण	ठ ढ (ढ़)
त द न	थ ध
प ब म	फ भ—अन्तस्थ और ऊष्म

नोट—अंग्रेजी और फारसी में महाप्राण वर्ण 'ह' जोड़ कर बनाये जाते हैं। उन भाषाओं में महाप्राण को निर्देश करनेवाला कोई खास अक्षर वा वर्ण नहीं है। जैसे—

ख (kh) के लिए क (k) और ह (h) जोड़ना पड़ता है।

घोष और अघोष—व्यञ्जनों के और भी दो भेद हैं—(१) घोष, (२) अघोष। जिनके बोलने में नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष और जिनसे केवल श्वास का काम पड़ता है उन्हें अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे और श, ष तथा स को अघोष और बाकी वर्णों को घोष वर्ण कहते हैं।

प्रत्येक वर्ण को जब निर्देश करने की ज़रूरत होती है तब उसके बाद 'कार' जोड़ते हैं। जैसे—

अकार, मकार, सकार इत्यादि।

अभ्यास

(१) व्यञ्जन किसे कहते हैं? (२) उच्चारण की दृष्टि से व्यञ्जनों के कितने भेद हो सकते हैं? (३) अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहते हैं? (४) कौन-कौन व्यञ्जन अल्पप्राण और कौन-कौन महाप्राण हैं। (५) घोष और अघोष किसे कहते हैं? (६) अनुस्वार और विसर्ग स्वर हैं या व्यञ्जन?

४—उचारण-स्थान (Seats of Utterance)

मुख के जिस भाग से जिस अक्षर की ध्वनि निकलती है वह भाग उस अक्षर का उच्चारण स्थान कहलाता है। नीचे उच्चारण-स्थान को दिखाते हुए सब वर्णों का विभाग कर दिखलाया जाता है—

कण्ठ्य—जो कंठ से बोला जाय अर्थात् अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ और ह।

तालव्य—जो तालु द्वारा उच्चरित हो अर्थात् इ, ई, च, छ, ज, झ, ञ, य और श।

मूर्द्धन्य—जिनका उच्चारण मूर्द्धा से होता है अर्थात् ट, ठ, ड, ढ, ण, र और ष।

दन्त्य—जिन वर्णों का उच्चारण ऊपर के दाँतों पर जीभ लगाने से होता है अर्थात् त, थ द, ध, न ल और स।

ओष्ठ्य—जिनका उच्चारण ओठों से होता है अर्थात् उ ऊ, प, फ, ब, भ और म।

कुछ ऐसे वर्ण हैं जो दो उच्चारण-स्थानों द्वारा उच्चरित होते हैं। जैसे—

कण्ठ-तालव्य—जिन वर्णों का उच्चारण कण्ठ और तालु दोनों स्थानों से एक साथ हो, अर्थात् ए, ऐ।

कण्ठोष्ठ्य—जो कण्ठ और ओठों से बोले जायँ, अर्थात् ओ, औ

दन्त्योष्ठ्य—जो दाँत और ओठों से बोले जायँ, अर्थात् व।

अनुनासिक—कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण अपने अपने स्थान के अतिरिक्त मुँह और नासिका से होता है। ऐसे वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग के पञ्चम वर्ण (ङ, ञ, ण, न, म) और अनुस्वार अनुनासिक वर्णों के अन्तर्गत आ जाते हैं।

ऊपर के अनुनासिक वर्णों के उच्चारण में निश्चित स्थान से श्वास उत्पन्न कर उसे नाक के द्वारा निकालना पड़ता है। केवल स्पर्श व्यञ्जनों के एक एक वर्ग के लिए एक एक अनुनासिक (प्रत्येक वर्ग का पाँचवाँ वर्ण) व्यञ्जन है, अन्तस्थ और ऊष्म के साथ अनुनासिक व्यञ्जन का काम अनुस्वार से निकल जाता है। अनुनासिक व्यञ्जनों के बदले भी कभी कभी अनुस्वार का प्रयोग देते हैं। जैसे—मुद्गर—मुगर, वेदान्त—वदात, अश, ह इत्यादि।

अनुस्वार के आगे कोई अन्तस्थ वर्ण वा ह हो तो उसका उच्चारण वँ के समान होता है, परन्तु श, ष, स के साथ उसका उच्चारण प्राय म के ही समान होता है। जैसे—सवाद, समार इत्यादि।

संस्कृत शब्दों में अत में आये हुए अनुस्वार का उच्चारण म् के समान होता है। जैसे—दूत (दूतम्) वर (वरम्) इत्यादि।

अनुनासिक स्वर—जिस प्रकार कुछ व्यञ्जनों का उच्चारण अपने अपने स्थान और नाक से होने से वे अनुनासिक व्यञ्जन कहलाते हैं उसी प्रकार जब स्वर भी मुँह और नाक के द्वारा उच्चरित होते हैं तब वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। इसीलिए किसी किसी व्याकरण में उच्चारण के ख्याल से स्वर के दो भेद माने गये हैं—पहला निरनुनासिक, दूसरा अनुनासिक।

जब स्वरों के उच्चारण में मुँह से पूरा-पूरा श्वास निकला जाय तब निरनुनासिक स्वर कहलाता है, परन्तु जब श्वास का कुछ भी भाग नाक के द्वारा निकाला जाय तब अनुनासिक स्वर कहलाता है। अनुनासिक स्वर का चिन्ह चन्द्रविन्दु (ँ) कहलाता है। जैसे—साँढ आदि। चन्द्रविन्दु कोई स्वतन्त्र वर्ण नहीं है। जिस प्रकार अनुनासिक व्यञ्जनों का चिन्ह अनुस्वार है उसी प्रकार अनुनासिक स्वरों का चिन्ह चन्द्रविन्दु है।

अनुनासिक व्यञ्जन अथवा अनुस्वार तथा अनुनासिक स्वर अथवा चन्द्रविन्दु के उच्चारण में केवल इतना ही अन्तर है कि अनुस्वार के उच्चारण में श्वास केवल नाक से निकलता है और

चन्द्रविन्दु क उच्चारण में वह मुँह और नासिका स एक ही साथ निकाला जाता है। अनुस्वार तीव्र और चन्द्रबिन्दु धीमी ध्वनि हैं। हाँ, दोनों के उच्चारण के लिए पहले स्वर की आवश्यकता पड़ती ही है। जैसे—'हस, हँसना आदि।

यों तो उच्चारण करने मे अनुस्वार और चन्द्रविन्दु का अन्तर साफ झलक जाता है परन्तु लिखने मे लोग विशेष कर अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं। अब तो ऐसा देखा जाता है कि हिन्दी में चन्द्र-विन्दु लिखने का प्रयोग धीरे-धीरे उठता जा रहा है।

विसर्ग ( )—विसर्ग ... उच्चारण मे ह के उच्चारण को एक झटका ... मुँह से एक ब-एक छोड देते हैं।

ड और ... ढ का उच्चारण मूर्द्धा म हो ... हिस्सा उल्टा कर ... झटके में ... प्राय शब्द ... से होता है।

ष — ... महाराष्ट्री ... नियमानुसार ... ञ और ण ... उच्चारण

इनके स्वाभाविक उच्चारण मे भी भेद डाल दिया जाता है। ज का उच्चारण दाँत और तालु से करते हैं और फ का दाँत और ओष्ठ से। जैसे फ़ानूस, ज़रूरत आदि।

महाप्राण व्यञ्जन—दो महाप्राण व्यञ्जनो का एक साथ उच्चारण करना कठिन है, इसलिए जहाँ ऐसा सयोग होता है वहाँ पूर्व वर्ण अल्पप्राण ही रहता है। जैसे—अच्छा, रक्खा इत्यादि।

✓'अ' का उच्चारण—(१) हिन्दी के शब्दो मे अन्त्य अ का उच्चारण प्राय नहीं होता है। जैसे—मन, जन, बाद आदि। लेकिन अगर अकारात शब्द के अत का अक्षर सयुक्त रहे, इ, ई या ऊ के आगे य रहे अथवा यदि एक ही अक्षर का शब्द रहे तो अन्त्य अ का उच्चारण पूरा पूरा होता है। जैसे—सत्य, कृत्य, प्रिय, राजसूय, क, रव इत्यादि।

(२) तीन अक्षरो के दीर्घ-स्वरान्त शब्दो मे अगर दूसरा अक्षर अकारान्त हो तो उसका उच्चारण प्राय नहीं होता है। जैसे—देखना, मोहना।

(३) चार अक्षरवाले ह्रस्व स्वरान्त शब्दो मे यदि दूसरा अक्षर अ युत हो तो अ का उच्चारण प्राय नहीं होता है। जैसे—देवलोक, बलवान, शिवधाम आदि। पर हाँ, यदि दूसरा अक्षर सयुक्त हो अथवा उसका पहला अक्षर कोई उपसर्ग रहे तो अ का पूरा-पूरा उच्चारण होता है। जैसे—कर्मवीर, विचलित आदि।

(४) चार अक्षरवाले दीर्घ स्वरान्त शब्दो मे यदि तीसरा

अक्षर अकारान्त हो तो अ का उच्चारण अपूर्ण रहता है। जैसे—लिखापढ़ी निकलना इत्यादि।

(५) शब्दों के आदि अक्षर य व सदा पूर्ण उच्चरित होते हैं। जैसे—रमण, शताब्दी आदि।

अभ्यास

(१) शब्दों में कहीं-कहीं 'अ' का उच्चारण नहीं होता है और कहीं-कहीं होता है? (२) कौन-कौन अक्षर दाँत और ओष्ठ से उच्चरित होते हैं? (३) ड ढ, ज, फ और श का उच्चारण स्थान बताओ? (४) विसर्ग का उच्चारणस्थान बताओ? ( ) अनुस्वार और चन्द्रबिन्दु के उच्चारण करने में क्या अन्तर है?

५—संयुक्त व्यञ्जन (Compound Consonants)

संयुक्त व्यञ्जन—जब दो या दो से अधिक व्यञ्जनों के बीच स्वर न रह कर वे मिला कर लिखे जाते हैं और उन्हें संयुक्त व्यञ्जन कहते हैं। हिन्दी में तीन से अधिक व्यञ्जनों का संयोग नहीं देखा जाता है। जब दो समान व्यञ्जनों का संयोग होता है तो वह संयोग द्वित्व कहलाता है। जैसे—स्व, प्र, स्त्री, छन्न, द्वित्व।

संयुक्त व्यञ्जनों में जिस व्यञ्जन का उच्चारण पहले होता है वह पहले रखा जाता है। जैसे—स्थान, यन्त्र इत्यादि।

प्रायः सभी संयुक्त व्यञ्जनों में जिस-जिस व्यञ्जन का मेल होता है वह किसी न किसी रूप से मिला दीख पड़ता है। लेकिन क्ष, ज्ञ और त्र जिन व्यञ्जनों के मेल से बने हैं उनका रूप संयोग में नहीं दीख पड़ता है। इसलिए कोई कोई उन्हें स्वतन्त्र व्यञ्जन समझ कर

वर्णमाला के अंत में लिखते हैं। क्+ष=क्ष त्+र=त्र और ज्+ञ=ज्ञ होता है।

अगर किसी संयुक्त व्यञ्जन में 'र' कार के पीछे कोई व्यञ्जन हो तो रकार उस व्यञ्जन के ऊपर इस रूप ( ) में लिखा जाता है। इसे रेफ कहते हैं। जैसे—मर्म, धर्म। लेकिन जब रकार हो किसी व्यञ्जन के पीछे आता है तब इसका रूप यह ( ) अथवा ( ) हो जाता है। जैसे—वक्र, पद्म, राष्ट्र आदि।

ङ, ञ्, ण्, न्, म् का संयोग अपने ही वर्ग के व्यञ्जनों के साथ हो सकता है और उनके बदले में विकल्प से अनुस्वार भी लिख सकते हैं। ञ और ङ तो प्रायः अकेले हिन्दी में व्यवहृत भी नहीं होते। जैसे—अञ्चल—अंचल, मुङ्गेर-मुंगेर, पण्डित—पंडित, सन्त—संत इत्यादि।

अपवाद - वाङ्मय, मृण्मय, सम्राट, तुम्हें, उन्हें, जिन्हें, धन्वन्तरि इत्यादि।

कभी कभी भूल से हकार से मिलनेवाले व्यञ्जन उसके पहले लिख दिये जाते हैं—जैसे चिह्न को चिन्ह, अह्लाद को अल्हाद इत्यादि।

अभ्यास

(१) संयुक्त व्यञ्जन किसे कहते हैं? (२) क्ष, त्र और ज्ञ इन तीनों संयुक्त अक्षरों में किन किन अक्षरों का मेल है? (३) चिन्ह और अल्हाद का शुद्ध रूप क्या होगा? (४) रकार के पीछे कोई व्यञ्जन हो तो दोनों के मेल से र का क्या रूप होगा?

६—स्वराघात (Accentration of Vowels)

शब्दों के उच्चारण के समय स्वरों पर जो जोर पड़ता है, उसे स्वराघात कहते हैं। इस सम्बन्ध के दो चार नियम नीचे दिये जाते हैं —

(१) यदि शब्द के अन्त या बीच में अ आवे और उसका उच्चारण स्पष्ट न होता हो तो पूर्ववर्ती अक्षर पर जोर पड़ता है। जैसे—शर साफ़ शाम, समझ इत्यादि, अर्थात् शर में श पर, साफ़ में सा पर, शाम में शा पर और समझ मे स पर उच्चारण के समय विशेष ज़ोर देना पड़ता है।

(२) संयुक्त व्यञ्जनों के पूर्व के अक्षर पर धक्का लगता है। जैसे—धक्का, यत्न, चिन्ता इत्यादि, अर्थात् धक्का मे ध पर, यत्न में य पर और चिन्ता मे चि पर विशेष जोर देना पड़ता है। इसी आघात के कारण छन्दों में मात्रा-गणना के समय संयुक्त व्यञ्जन के पूर्ववर्ती अक्षरों के ह्रस्व या लघु रहने पर भी दीर्घ वा गुरु वा दो मात्राओं की गणना की जाती है। कहीं कहीं ऐसा नहीं भी होता है। जैसे—तुम्हारा में तु पर विशेष जोर नहीं पड़ता है।

(३) विसर्गयुत अक्षर में झटका देकर उच्चारण करना पड़ता है। जैसे दुःख, अः इत्यादि।

(४) यौगिक शब्दों के मूल शब्द के अक्षरों का ज़ोर ज्यों का त्यों रहता है। जैसे—गृहदान सुखसागर, जलजान इत्यादि।

(५) कभी कभी प्रायः ऐसा देखा जाता है कि एक ही शब्द के एक ही रूप से कई अर्थ निकलते हैं। जहाँ ऐसा होता है वहाँ अर्थों

का भेद केवल स्वराघात से जाना जाता है। जैसे—'जला' शब्द विधि और सामान्यभूत क्रिया दोनो मे आता है इसलिए विधिक्रिया के अर्थ मे जब इसे उच्चारण करते हैं तो इसके अंत के 'आ' पर ज़ोर देते हैं। इसी प्रकार पढा, बढा आदि बहुत से शब्द हैं। 'की' जब सम्बध कारक की स्त्रीलिंग विभक्ति के अर्थ मे प्रयुक्त होता है तब उसका उच्चारण स्वाभाविक रूप मे होता है लेकिन जब यह सामान्यभूत स्त्रीलिंग एक वचन के रूप मे व्यवहृत होता है तब इसके उच्चारण मे जोर देना पडता है।

(६) इ, उ या ऋ के पूर्व के स्वर का उच्चारण भी ज़ोर देकर या तानकर करना पडता है। जैसे—मुनि, हरि, साधु, गुरु, मातृ आदि।

अभ्यास

(१) स्वराघात किसे कहते हैं ? (२) बोलने के समय स्वर को कहाँ-कहाँ तानना पडता है ? (३) यौगिक शब्दों के उच्चारण में मूल शब्द के अक्षरो की क्या अवस्था रहती है ?

—o—

७—संधि (Conjunction of Letters)

दो अक्षरो के पास-पास आने के कारण उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संयोग और संधि मे यही अंतर है कि संयोग केवल व्यञ्जनो में होता है और दो व्यञ्जनो के संयुक्त होने से अक्षर ज्यो के त्यो रहते हैं, उनमे कोई विकार

उत्पन्न नहीं होता है, मगर संधि में उच्चारण के नियमानुसार दो अक्षरों के परस्पर मिलने से उनकी जगह कोई दूसरा ही अक्षर हो जाता है अर्थात् दोनों मिलनेवाले अक्षरों में विकार उत्पन्न होकर उनका रूप ही भिन्न हो जाता है। जैसे—त् और न् का संयोग होने से त्न होता है लेकिन त् और न की संधि से न्न हो जाता है। इसका नियम आगे मालूम होगा।

नोट—संधि संस्कृत व्याकरण का एक मुख्य भाग है। संस्कृत भाषा में वाक्यों तथा समासादि में संधि की पग-पग पर आवश्यकता पड़ती है। परन्तु हिन्दी में, संस्कृत के जो सामासिक शब्द व्यवहृत होने लगे हैं उन्हीं के नियमों को जानने और उन्हें ठीक ठीक व्यवहार में लाने के लिए संधि का प्रयोजन होता है। इसीलिए हिन्दी व्याकरण में संधि के उतने अधिक नियमों के विवेचन की आवश्यकता नहीं जितने नियम संस्कृत व्याकरण में दिये गये हैं। आजकल लोग संस्कृत से भिन्न भाषा के हिन्दी में व्यवहृत शब्दों में भी संधि करते पाये जाते हैं। जैसे—जिलाधीश, आदि। कुछ ऐसे शब्द व्यवहृत होने लगे हैं जिनमें हिन्दी और संस्कृत दोनों भाषाओं की खिचड़ी पकायी जा रही है। पर सच तो यह है कि 'संधि' संस्कृत व्याकरण की चीज़ है। उसके नियमों को हम सब भाषाओं के शब्दों के साथ समान रूप से व्यर्थ घसीट कर हिन्दी भाषा के सौष्ठव को क्यों नष्ट करें।

भेद—संधि के तीन भेद हैं —(१) स्वर-संधि, (२) व्यञ्जन संधि और (३) विसर्ग-संधि।

(१) स्वर के साथ स्वर के संयोग से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे—परम+आत्मा=परम्+अ+आ+त्मा=परम्+आ+त्मा = परमात्मा।

(२) व्यञ्जन के साथ स्वर अथवा व्यञ्जन के संयोग से जो विकार होता है उसे व्यञ्जन संधि कहते हैं। जैसे दिक्+गज = दिग्गज। दिक्+अन्त = दिगन्त।

(३) विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यञ्जन के संयोग से जो विकार होता है उसे विसर्ग-संधि कहते हैं। जैसे—मनः+हर = मनोहर।

स्वर-संधि (Conjunction of Vowel)

✓स्वर संधि के ५ भेद हैं—(१) दीर्घ (२) गुण, (३) वृद्धि, (४) यण और (५) अयादि।

(१) दीर्घ—जब समान दो स्वर ह्रस्व अथवा दीर्घ, पास पास आते हैं तब दोनो के बदले एक समान दीर्घ स्वर होता है। जैसे—

(क) अ और आ की संधि—

अ+अ = आ—दुःख+अंत = दुःखान्त, परम+अर्थी = परमार्थी।

अ + आ = आ—परम+आत्मा = परमात्मा, रत्न+आकर = रत्नाकर।

आ+अ = आ—विद्या+अर्थी = विद्यार्थी, रेखा+अंकित = रेखाङ्कित।

आ+आ = आ—महा+आत्मा = महात्मा, विद्या+आलय = विद्यालय।

(ख) इ और ई—

इ + इ = ई—रवि+इन्द्र = रवीन्द्र, मणि+इन्द्र = मणीन्द्र।

इ + ई = ई—मुनि+ईश्वर = मुनीश्वर, वारि+ईश = वारीश।

ई + इ = ई—मही+इन्द्र = महीन्द्र।

ई + ई = ई – मही+ईश्वर = महीश्वर, जानकी+ईश=जानकीश।

(ग) उ और ऊ—

उ + उ=ऊ—विधु+उदय=विधूदय।

उ + ऊ=ऊ—लघु+ऊर्मि=लघूर्मि।

ऊ + उ=ऊ—वधू+उत्सव=वधूत्सव।

ऊ+ऊ = ऊ—भू + ऊर्द्ध = भूर्द्ध।

(घ) ऋ और ॠ—

मातृ+ऋण = मातॄण। परन्तु मातृण भी लिखा जाता है। इससे मालूम होता है कि दीर्घ ॠ की आवश्यकता नहीं पड़ती। हिन्दी में तो ऋ के सन्धियुत शब्द बहुत कम ही व्यवहृत होते हैं।

(२) यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ अकार से पर ह्रस्व या दीर्घ इ उ या ऋ रहे तो ह्रस्व अथवा दीर्घ अ इ मिलकर ए, अ, उ मिलकर ओ और अ ऋ मिलकर अर् हो जाता है। इस विकार को गुण विकार कहते हैं। जैसे—

अ + इ=ए—देव+इन्द्र=देवेन्द्र।

अ + ई = ए—सुर + ईश्वर = सुरेश्वर।

आ + इ = ए—महा + इन्द्र = महेन्द्र।

आ + ई = ए—गुडाका + ईश = गुडाकेश।

अ + उ = ओ—सूर्य + उदय = सूर्योदय।

अ+उ=ओ —जल + ऊर्मि=जलोर्मि।
आ+उ=ओ—महा + उदय=महोदय।
आ+ऊ=ओ—गंगा + ऊर्मि=गंगोर्मि।
अ+ऋ=अर्—देव + ऋषि=देवर्षि।
आ+ऋ=अर्—महा + ऋषि=महर्षि।

(३) यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ अकार से परे ए, ऐ, ओ अथवा औ रहे तो अ, ए या अ, ऐ मिलकर ऐ और अ, ओ या अ, औ मिलकर औ हो जाता है। जैसे—

अ+ ए = ऐ—एक + एक = एकैक।
अ+ऐ = ऐ—मत + ऐक्य = मतैक्य।
आ+ए =ऐ—तथा + एव = तथैव
आ+ऐ =ऐ—महा + ऐश्वर्य = महैश्वर्य।
अ+ओ=औ—जल + ओघ = जलौघ।
अ +औ=औ—परम + औषध = परमौषध।
आ+ओ=औ—महा + ओषधि = महौषधि।
आ+औ=औ—महा + औदार्य = महौदार्य इत्यादि

अपवाद अ या आ से परे ओष्ठ शब्द आवे तो अ या आ से ओष्ठ के मिल जाने से औष्ठ नहीं होता है। जैसे बिम्ब+ओष्ठ= बिम्बौष्ठ नहीं, बल्कि बिम्बोष्ठ होता है।

(४) यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ इकार, उकार या ऋकार के परे कोई भिन्न स्वर रहे तो ह्रस्व अथवा दीर्घ इकार, उकार या ऋकार

के पहले क्रम से य्, व् या र् होता है। इस विकार को यण विकार कहते हैं। जैसे—

(क) इ वा ई + अ = य—यदि+अपि = यद्यपि, गोपी + अर्थ = गोप्यर्थ।

इ वा ई + आ = या—इति + आदि = इत्यादि, देवी + आगम = देव्यागम।

इ वा ई + उ = यु—प्रति + उपकार = प्रत्युपकार, देवी + उक्त = देव्युक्त।

इ वा ई + ऊ = यू—नि + ऊन = न्यून, नदी + ऊर्मि = नद्यूर्मि।

इ वा ई + ए = ये—प्रति+एक = प्रत्येक।

इ वा ई+ऐ = यै—अति+ऐश्वर्य = अत्यैश्वर्य।

(ख) उ+अ = व—अनु+अय = अन्वय।

उ+आ = वा—सु+आगत = स्वागत।

उ+इ = वि—अनु+इत = अन्वित।

उ+ए = वे - अनु+एषण = अन्वेषण।

उ+ऐ = वै—बहु+ऐश्वर्य = बह्वैश्वर्य।

(ग) ऋ + अ = र—पितृ + अनुमति = पित्रनुमति।

ऋ + आ = रा—मातृ + आनन्द = मात्रानन्द।

(५) ए, ऐ, ओ या औ से परे कोई भिन्न स्वर रहे तो इनके स्थान में क्रम से अय् आय्, अव् या आव् हो जाता है। इस विकार को अयादि संधि कहते हैं। जैसे—

ने+अन = नयन ।

गै+अन = गायन ।

पो+इत्र = पवित्र ।

गो+ईश = गवीश ।

नौ+इक = नाविक ।

भौ+उक = भावुक ।

पौ+अन = पवन ।

पौ + अक = पावक इत्यादि ।

नोट—यदि ए या ओ से परे अ आवे तो अ का लोप होकर उसके स्थान में लुप्त अकार (ऽ) का चिह्न लगता है । पर हिन्दी में इसका चलन नहीं है, संस्कृत व्याकरण में ही यह नियम लागू है ।

अभ्यास

(१) नीचे लिखे शब्दों की संधि करो और नियम लिखो —
गुडाका + ईश । प्रति + एक । अनु + एषण । सु + आगत ।

(२) नीचे लिखे शब्दों का संधि-विच्छेद करो—
मात्रानन्द । नायक । पावक । अन्वय । प्राणेश्वर ।

(३) संधि किसे कहते हैं ?

व्यञ्जन-संधि (Conjunction of Consonants)

(१) यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण रहे तो प्रथम वर्ण क स्थान में उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे—

वाक् + मय = वाङ्मय
चित् + मय = चिन्मय
तत् + मय = तन्मय
षट् + मास = षण्मास

(२) यदि क्, च्, ट् या प् के परे घोष अन्तस्थ वा स्वर वर्ण रहे तो क् के स्थान मे ग्, च् क स्थान मे ज्, ट् के स्थान मे ड् या प् के स्थान में ब् हो जाता है। जैसे—

दिक् + गज = दिग्गज
अच् + अत = अजत
षट् + दर्शन = षड्दर्शन
अप् + जा = अब्जा

(३) यदि त् से परे ग, घ द, ध, ब, भ, य, र, व अथवा स्वर वर्ण रहे तो त् क स्थान में द् होता है। जैसे—

जगत् + ईश = जगदीश
सत् + गति = सद्गति
उत् + घाटन = उद्घाटन
भगवत् + भजन = भगवद्भजन

भविष्यत् + वाणी = भविष्यद्वाणी
उत् + अय = उदय
तत् + रूप = तद्रूप इत्यादि

(४) यदि छ के पहले ह्रस्व स्वर रहे तो छ के स्थान मे च्छ होता है अगर दीर्घ स्वर रहे तो विकल्प से आता है। जैसे—

परि + छेद = परिच्छेद। गृह + छिद्र = गृहच्छिद्र
लक्ष्मी + छाया = लक्ष्मीच्छाया वा लक्ष्मीछाया।

(५) (क) यदि त् वा द् के परे च या छ रहे तो त् या द् का च्, ज या झ रहे तो ज्, ट या ठ रहे तो ट्, ड या ढ रहे तो ड् हो जाता है।

(ख) यदि त् या द् से परे ल हो तो त् या द् के स्थान में ल् होता है।

(ग) यदि त् या द् से परे श हो तो त् या द् के स्थान में च् हो कर श के बदले छ हो जाता है।

(घ) यदि त् या द् से परे ह रहे तो त् या द् का द् होकर ह का घ हो जाता है। जैसे—

(क) शरत् + चन्द्र = शरच्चन्द्र
सत् + जाति = सज्जाति
सत् + जन = सज्जन
तत् + टीका = तट्टीका
विपद् + जाल = विपज्जाल

व्यञ्जन-सन्धि (Conjunction of Consonants)

(१) यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण रहे तो प्रथम वर्ण के स्थान में उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे—

वाक् + मय = वाङ्मय
चित् + मय = चिन्मय
तत् + मय = तन्मय
षट् + मास = षण्मास

(२) यदि क्, च्, ट् या प् के परे घोष अन्तस्थ वा स्वर वर्ण रहे तो क् के स्थान में ग्, च् के स्थान में ज्, ट् के स्थान में ड् या प् के स्थान में ब् हो जाता है। जैसे—

दिक् + गज = दिग्गज
अच् + अत = अजत
षट् + दर्शन = षड्दर्शन
अप् + जा = अब्जा

(३) यदि त् से परे ग, घ द, ध, ब, भ, य, र व अथवा स्वर वर्ण रहे तो त् के स्थान में द् होता है। जैसे—

जगत् + ईश = जगदीश
सत् + गति = सद्गति
उत् + घाटन = उद्घाटन
भगवन् + भजन = भगवद्भजन

भविष्यत् + वाणी = भविष्यद्वाणी
सत् + अय = सदय
तत् + रूप = तद्रूप इत्यादि

(४) यदि छ के पहले ह्रस्व स्वर रहे तो छ के स्थान में च्छ होता है अगर दीर्घ स्वर रहे तो विकल्प से आता है। जैसे—

परि + छेद = परिच्छेद। गृह + छिद्र = गृहच्छिद्र
लक्ष्मी + छाया = लक्ष्मीच्छाया वा लक्ष्मीछाया।

(५) (क) यदि त् या द् के पर च या छ रहे तो त् या द् का च्, ज या झ रहे तो ज्, ट या ठ रहे तो ट्, ड या ढ रहे तो ड् हो जाता है।

(ख) यदि त् या द् से परे ल हो तो त् या द् के स्थान में ल् होता है।

(ग) यदि त् या द् से परे श हो तो त् या द् के स्थान में च् हो कर श के बदले छ हो जाता है।

(घ) यदि त् या द् से परे ह रहे तो त् या द् का द् होकर ह का ध हो जाता है। जैसे—

(क) शरत् + चन्द्र = शरच्चन्द्र
सत् + जाति = सज्जाति
सत् + जन = सज्जन
तत् + टीका = तट्टीका
विपद् + जाल = विपज्जाल

व्यञ्जन-संधि (Conjunction of Consonants)

(१) यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण रहे तो प्रथम वर्ण के स्थान में उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे—

वाक्+मय = वाङ्मय
चित्+मय = चिन्मय
तत् + मय = तन्मय
षट् + मास = षण्मास

(२) यदि क्, च्, ट् या प् के परे घोष, अन्तस्थ या स्वर वर्ण रहे तो क् के स्थान में ग्, च् के स्थान में ज्, ट् के स्थान में ड् या प् के स्थान में ब् हो जाता है। जैसे—

दिक् + गज = दिग्गज
अच् + अंत = अजंत
षट् + दर्शन = षड्दर्शन
अप् + जा = अब्जा

(३) यदि त् से परे ग, घ द, ध, ब, भ, य, र, व अथवा स्वर वर्ण रहे तो त् के स्थान में द् होता है। जैसे—

जगत् + ईश = जगदीश
सत् + गति = सद्गति
उत् + घाटन = उद्घाटन
भगवत् + भजन = भगवद्भजन

भविष्यत् + वाणी = भविष्यद्वाणी

उत् + अय = उदय

तत् + रूप = तद्रूप इत्यादि

(४) यदि छ के पहले ह्रस्व स्वर रहे तो छ के स्थान में च्छ होता है अगर दीर्घ स्वर रहे तो विकल्प से आता है। जैसे—

परि + छेद = परिच्छेद। गृह + छिद्र = गृहच्छिद्र

लक्ष्मी + छाया = लक्ष्मीच्छाया वा लक्ष्मीछाया।

(५) (क) यदि त् वा द् के पर च या छ रहे तो त् या द् का च्, ज या झ रहे तो ज्, ट या ठ रहे तो ट्, ड या ढ रहे तो ड् हो जाता है।

(ख) यदि त् या द् से परे ल हो तो त् या द् के स्थान में ल् होता है।

(ग) यदि त् या द् से परे श हो तो त् या द् के स्थान में च् हो कर श के बदले छ हो जाता है।

(घ) यदि त् या द् से परे ह रहे तो त् या द् का द् होकर ह का ध हो जाता है। जैसे—

(क) शरत् + चन्द्र = शरच्चन्द्र

सत् + जाति = सज्जाति

सत् + जन = सज्जन

तत् + टीका = तट्टीका

[illegible] = विपड्ड्‌ज

(ख) उत् + लघन = उल्लंघन

तत् + लीन = तल्लीन

(ग) उत् + शिष्ट = उच्छिष्ट

(घ) उत् + हार = उद्धार

तत् + हित = तद्धित

(६) यदि म् के आगे अन्तस्थ या उष्म को छोड़कर को[ई]
अन्य वर्ण रहे तो म् के बदले विकल्प से अनुस्वार अथवा उस[के]
वर्ण का अनुनासिक या पंचम वर्ण आता है। जैसे—

अहम् + कार = अहंकार या अहङ्कार

सम् + गम = संगम या सङ्गम

सम् + कल्प = संकल्प या सङ्कल्प

सम् + पूर्ण = संपूर्ण या सम्पूर्ण

(७) यदि म् से परे अन्तस्थ या उष्म वर्ण रहे तो म् अनुस्व[ार]
मे बदल जाता है। जैसे—

सम् + यम = संयम। सम् + हार = संहार

सम् + वाद = संवाद। सम् + योग = संयोग

(८) यदि ऋ र या ष से परे न हो और इनके बीच में य[दि]
तो कोई स्वर, कवर्ग, पवर्ग अनुस्वार या य व अथवा ह र[हे]
तो न का ण हो जाता है। जैसे—

भूष् + अन = भूषण

राम + अयन = रामायण

प्र + मान = प्रमाण इत्यादि

(६) यदि किसी शब्द में स रहे और उसके पहले अ या आ को छोड़ कर कोई भिन्न स्वर हो तो स का ष हो जाता है। जैसे—वि + सम = विषम। अभि + सेक = अभिषेक आदि

अभ्यास

(१) व्यञ्जन-संधि किसे कहते हैं? नीचे लिखे शब्दों का संधि-विच्छेद कर नियम लिखो—जगन्नाथ, उद्योग, जगदीश तल्लीन, उद्धार।

(२) नीचे लिखे शब्दों की संधि करो—

उत् + चारण । सत् + आचार । वाक् + ईश ।
पशुवत् + गामी ।

विसर्ग-संधि (Conjunction of Visargas)

(१) यदि विसर्ग के पूर्व इ या उ और आगे क, ख, या प, फ रहे तो विसर्ग के बदले ष् होता है।

नोट—लेकिन विसर्ग के पूर्व इ या उ को छोड़ कर कोई भिन्न स्वर हो और आगे ऊपर के वर्ण हों भी तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है।

उदाहरण—नि + कपट = निष्कपट। दु + कर्म = दुष्कर्म।
नि + पाप = निष्पाप। नि + फल = निष्फल।
दु + प्रकृति = दुष्प्रकृति। अन्त + पुर = अन्त पुर।
रज + कण = रज कण।

अपवाद—नम + कार = नमस्कार। दु + ख = दुख।
पुर + कृत = पुरस्कृत इत्यादि।

(२) यदि विसर्ग से परे च, छ रहे तो विसर्ग के स्थान में श, ट, ठ रहे तो ष और त थ रहे तो स हो जाता है। जैसे —
नि + चिन्त = निश्चिन्त। नि + छल = निश्छल।
धनु + टकार = धनुष्टकार। नि + तार = निस्तार इत्यादि।

(३) यदि विसर्ग के पर श, ष या स् रहे तो विसर्ग के स्थान में श ष या स होता है अथवा नहीं भी होता। जैसे—
नि + शेष = निश्शेष या नि शेष।
बहि + षट = बहिष्षट या बहि षट्।
दु + साहस = दुस्साहस या दु साहस।

(४) यदि विसर्ग के पूर्व अ ~~या आ~~ हो और आगे किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय या तृतीय वर्ण अथवा य, र, ल, व या ह हो तो विसर्ग के स्थान में ओ हो जाता है।

नोट—लेकिन अगर विसर्ग के पूर्व अ या आ और परे अ रहे तो विसर्ग का तो ओ हो जाता है और विसर्ग से पर अ के बदले में लुप्ताकार (ऽ) लिखा जाता है। जैसे—
मन + गत = मनोगत। मन + भव = मनोभव।
मन + ज = मनोज। मन + योग = मनोयोग।
मन + हर = मनोहर। मन + रथ = मनोरथ।
+ नीत = मनोनीत। मन + वाञ्छित = मनोवाञ्छित।
अनुसार = मनोऽनुसार इत्यादि।

(५) (क) यदि विसर्ग के पूर्व अ या आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर रहे और पश्चात् किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय या तृतीय अथवा य, र, ल, व या ह वर्ण रहे तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है।

(ख) यदि विसर्ग के पूर्व अ या आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर रहे और पश्चात् कोई स्वर रहे तो विसर्ग का र् हो जाता है। जैसे --

नि + गुण = निर्गुण। नि + धन = निर्धन।
नि + झर = निर्झर। नि + देश = निर्देश।
नि + जन = निर्जन। नि + बल = निर्बल।
नि + मल = निर्मल। नि + विकार = निर्विकार।
नि + अर्थक = निरर्थक। नि + आधार = निराधार।
नि + उपाय = निरुपाय। दु + उपयोग = दुरुपयोग।

(६) कभी कभी ऐसा होता है कि विसर्ग के बदले र का प्रयोग किया जाता है। अतएव यदि ऐसे र् के परे र रहे तो र् का लोप हो जाता है और उसके पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे--

नि या निर् + रस = नीरस। नि या निर् + रोग = नीरोग
निर् + रेफ = नीरेफ।

(७) कभी-कभी विसर्ग के बदले स् का भी प्रयोग किया जाता है। अत [illegible]-संधि का चौथा नियम स् के साथ भी लगता है।

मनस् + योग =मनोयोग। तेजस + राशि=तजोराशि

नोट--सस्कृत व्याकरण के नियमानुमार विसर्ग के बदले कहीं कहीं र् और कहीं कहीं स् आता है।

अभ्यास

(१) नीचे लिखे शब्दों का सधि विच्छेद करो—

मनोरथ। निधन। नीरोग। नीरस।

(२) नीच लिखे शब्दों की सधि का नियम लिखो—

मन + हर। पुन + जन्म। अन्त + करण। प्रथम + अध्याय।

--- ० ---

द्वितीय खण्ड

शब्द-साधन (Etymology)

शब्द-विचार (Words)

शब्द-साधन—व्याकरण के जिस विभाग में शब्दो की अवस्था, रूपान्तर, बनावट, तथा व्युत्पत्ति आदि के नियमो का निरूपण किया जाता है उसे शब्द साधन कहते हैं।

शब्द—जो ध्वनि कान मे सुनाई पडे उसे शब्द कहते हैं। सब प्रकार के शब्द दो प्रकार के होते हैं—एक ध्वन्यात्मक दूसरा वर्णात्मक। जिन शब्दो के अक्षर स्पष्ट रूप से सुनाई न पडें उन्हें ध्वन्यात्मक और जिनके अक्षर अलग-अलग सुनाई पडें उन्हें वर्णात्मक कहते हैं। भाषा मे ध्वन्यात्मक शब्द कोई विशेष महत्व नहीं रखता इसलिए इसमे केवल वर्णात्मक शब्दो का ही विवेचन किया जाता है। अतएव व्याकरण मे 'शब्द' का तात्पर्य्य केवल वर्णात्मक शब्द से लिया जाता है। ऐसे शब्द के दो भेद हैं—एक सार्थक दूसरा निरर्थक। जिस शब्द का कुछ अर्थ निकले उसे सार्थ शब्द कहते हैं जैसे—राम, मोहन आदि। जिस शब्द का कोई अर्थ न हो उसे [illegible] कहते हैं। जैसे—ढब ढब, खटखट आदि

शब्द-भाण्डार—पहले कहा जा चुका है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मनोगत भावों को प्रगट कर सकता है उसे भाषा कहते हैं। और चूँकि भाषा को अभिव्यक्त करने के लिये अथवा यों कहिये कि सृष्टि के सभी प्राणियो पदार्थों धर्मों और उनके सब प्रकार के सम्बन्धो को व्यक्त करने के लिए शब्दो का ही उपयोग करना पडता है इसलिए शब्द भाषा का एक मुख्य आधार है। इसीलिए व्याकरण में शब्द एक प्रधान विषय माना जाता है। जिस भाषा का शब्द भाण्डार जितना ही भरापूरा रहेगा वह भाषा उतनी ही सर्वाङ्ग सुन्दर कहलायेगी, क्योंकि जबतक किसी भाषा का शब्द भाण्डार खूब विस्तृत नहीं होगा तबतक ससार की सभी वस्तुओं तथा उनके सम्बन्ध मे अपने भावों को स्पष्टत व्यक्त करने में कठिनाई का पग-पग पर अनुभव करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी सार्थक ध्वनि को शब्द का रूप देने के लिए जिस भाषा में साधन मौजूद रहेगा वह भाषा सर्वाङ्ग पूरित होगी। हिन्दी में शब्द भाण्डार अभी बिल्कुल भरापूरा तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन ज्यों ज्यों नये-नये विचारो को अभिव्यक्त करने की जरूरत पडती है त्यो त्यों इसके शब्द भाण्डार की वृद्धि होती है। हिन्दी के शब्द भाण्डार मे कई भाषा के शब्द घुस गये हैं। इन दिनो निम्न लिखित प्रकार के शब्द हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं -

(१) प्राकृत के शब्द – पेट, बाप ऊँघना, कोठ आदि।

(२) सस्कृत के शब्द—मनुष्य, देव माता, पिता आदि

(३) अरबी के शब्द—गरीब, फ़कीर, माफ़, नक़ल आदि।

(४) फारसी के शब्द—बन्दोबस्त, दस्तावज़, खरीद आदि।

(५) अन्य विदेशी शब्द कातल, तोप (तुर्की), कमरा, गिरजा, आलमारी (पुर्तगीज़), कलक्टर, रेल, टिकट (अंगरेज़ी) इत्यादि।

(६) प्रान्तीय भाषाओं के शब्द—चालू, लागू (मराठी), उपन्यास, गल्प (बङ्गला) इत्यादि।

(७) देशज—डोंगी, डाभ, खटखट, चटपट इत्यादि। इनमें अनुकरण वाचक शब्द भी सम्मिलित हैं।

✓तद्भव और तत्सम—संस्कृत के वे शब्द जो वास्तविक रूप में हिन्दी में आये हैं तत्सम और जो विकृत रूप में आये हैं तद्भव कहलाते हैं। जैसे—अग्नि, वायु, देव आदि तत्सम और गहरा (गम्भीर), माय (माता), हाथ (हस्त) आदि तद्भव शब्द हैं।

अरबी, फारसी और अंगरेज़ी के शब्द भी तत्सम और तद्भव दोनों रूप में आते हैं। जैसे—

तत्सम	तद्भव
दारोगा	दरोगा
उज्र	उजर
मैजिस्ट्रेट	मजिस्टर
पैसिन्जर	पसिंजर आदि।

शब्दांश, वाक्य और वाक्यांश—शब्द अक्षरों के मेल से बनते हैं। जैसे—ग और ज के मेल से गज और जग दो शब्द बन सकते हैं। भाषा में कुछ ऐसी वर्णात्मक ध्वनियाँ भी हैं जो स्वयं

मागा में बाँट सकते हैं। जिस संज्ञा से किसी खास चीज़ या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कह सकते हैं। जिस से पदार्थों की जाति मालूम हो उसे जातिवाचक कह सकते हैं। इसी प्रकार जिससे किसी जाति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक और जिससे द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक कह सकते हैं। इनके अतिरिक्त भी और कई भेद हो सकते हैं। अंगरेज़ी व्याकरण में पदार्थवाचक संज्ञा (Concrete Noun) के चार भेद बताये गये हैं—जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। पर हिन्दी के व्याकरणों में अक्सर दो ही भेद पाये जाते हैं—जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। कुछ नये ढंग के हिन्दी के व्याकरणों में अंगरेज़ी व्याकरण के अनुसार चारों भेद माने गये हैं। हम भी अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के अभिप्राय से चारों भेदों को लेते हैं। इस प्रकार सब मिलाकर अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के ५ भेद हुए —

पदार्थवाचक (Concrete Noun)
- (१) व्यक्तिवाचक (Proper Noun)
- (२) जातिवाचक (Common Noun)
- (३) समूहवाचक (Collective Noun)
- (४) द्रव्यवाचक (Material Noun)

(५) भाववाचक (Abstract Noun)

(१) व्यक्तिवाचक—जिस संज्ञा से एक ही पदार्थ या पदार्थों के एक ही समूह का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, जैसे—, प्रयाग, यमुना साहित्य-सम्मेलन नागरी प्रचारिणी इत्यादि।

'मोहन' कहने से इस नाम के किसी एक ही व्यक्ति का बोध होता है। प्रत्येक मनुष्य को 'मोहन' नहीं कह सकते। इसी प्रकार प्रयाग एक ही शहर का यमुना एक ही नदी या एक ही स्त्री का, साहित्य-सम्मेलन या नागरी-प्रचारिणी किसी एक ही संस्था का नाम है। अतएव मोहन, प्रयाग, यमुना, साहित्य सम्मेलन, नागरी-प्रचारिणी व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ हैं। इस प्रकार की संज्ञा किसी व्यक्ति की पहचान या सूचना के लिए केवल संकेत मात्र है। यह प्राय अर्थहीन होता है। इच्छानुसार इसे बदल भी सकते हैं। जैसे किसी आदमी को सब मोहन के नाम से पुकारते हैं, परन्तु अगर वह यह घोषित कर दे कि मुझे मोहन नहीं राम के नाम से पुकारा करो तो लोग राम के ही नाम से पुकारने लगेंगे। इस संज्ञा से सूचित होने वाली वस्तु के नाम में कोई स्वाभाविक धर्म नहीं रहता है और इसीलिए यह अर्थहीन होता है। हाँ कुछ ऐसी संज्ञाएँ अवश्य हैं जो व्यक्तिवाचक होने पर भी अर्थयुत हैं, जैसे—प्रकृति, पुरुष (ईश्वर के अर्थ में) परमात्मा, विश्व, ब्रह्माण्ड, ब्रह्म, ईश्वर आदि।

(२) जातिवाचक—जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—मनुष्य, नदी, पहाड, इत्यादि। राम, मोहन, गणेश गदाधर और रमेश एक दूसरे से भिन्न हैं, परन्तु ये सभी एक मुख्य धर्म के समान हैं, अर्थात् सभी के दो [illegible] कान, दो आँख और एक मुँह हैं। इस [illegible] की गिनती एक ही जाति मे होती है

उस जाति को 'मनुष्य' कहते हैं। राम कहने से केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है पर मनुष्य कहने से राम, मोहन आदि सभी व्यक्तियों का एक जाति का बोध होता है। अत मनुष्य जातिवाचक सज्ञा है। इसी प्रकार गगा, यमुना, नील, राइन इन सब से अलग अलग नदी विशेष का बोध होता है पर नदी कहने से गंगा यमुना आदि सभी नदियों का बोध होता है। हिमालय अल्पस , नीलगिरि भी अलग-अलग व्यक्ति हैं परन्तु इन सबों मे एक धर्म है और वह यह है कि ये सभी धरातल से ऊँचे हैं अतएव ये सब एक जाति के अन्तर्गत हैं जिसे 'पहाड' कहते हैं। अत मनुष्य नदी, पहाड आदि जातिवाचक सज्ञाएँ हैं।

(३) समूहवाचक- जिस सज्ञा से बहुत से पदार्थों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक सज्ञा कहते हैं। जैसे—सभ्य मनुष्यों के समूह को सभा, फल आदि के समूह को गुच्छा, पशुओं के समूह को मवेशी कहते हैं। अतएव सभा, गुच्छा, मवेशी समूहवाचक सज्ञाएँ हैं। उसी प्रकार वर्ग समिति झुण्ड आदि को भी समझना चाहिये।

(४) द्रव्यवाचक—जिस सज्ञा से किसी द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक सज्ञा कहते हैं, जैसे—सोना, लोहा तेल घी आदि।

नोट—समूहवाचक और द्रव्यवाचक सज्ञाएँ जातिवाचक सज्ञा के अन्तर्गत आ जाती हैं। इसलिए जातिवाचक के भेदों में भी इनकी गणना हो सकती है।

(५) भाववाचक—जिस सज्ञा से पदार्थ में पाये जानेवाले

किसी धर्म (अवस्था, स्वभाव गुण, व्यापार, भावना आदि) का बोध हो उसे भाववाचक सज्ञा कहते हैं। जैसे—

अवस्थाबोधक – दासता, स्वतन्त्रता, लडकपन आदि।

व्यापारबोधक—पढाई लडाइ, दाट, पेशा आदि।

गुण वा स्वभावबोधक—सुन्दरता कोमलता, चतुराई, बल, बुद्धि आदि।

भावना बोधक – प्रसन्नता, आशा, डर भय आदि।

पहले कहा जा चुका है कि प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई धर्म अवश्य होता है जल मे शीतलता, आग मे उष्णता, भाप मे गर्मी, सोने में भारीपन, लडके मे लडकपन स्त्री में स्त्रीत्व आदि। प्रत्येक पदार्थ मे केवल एक ही नहीं बल्कि प्राय एक से अधिक धर्म्म भी पाये जाते हैं। जैसे—जल मे शीतलता, बहाव आदि, आग में चमक उष्णता, जलन आदि सोने में भारीपन चमक आदि। इसी प्रकार यह भी जरूरी नहीं है कि एक धर्म एक ही पदार्थ मे पाया जाय। एक धर्म कई पदार्थों मे पाया जा सकता है। जैसे—चमक सोने में है तो हीरे में भी तथा और भी अन्य वस्तुओं मे। इसी प्रकार, लम्बाई चौडाई शीतलता आदि अवस्था या गुण कई पदार्थों मे पाये जाते हैं। कहने का तात्पर्य्य यह है कि पदार्थ मानो कुछ विशेष धर्म्मों के मेल से बनी हुई एक मूर्ति के तुल्य है।

भाववाचक संज्ञाएँ प्राय तीन तरह से बनायी जाती हैं—

(१) विशेषण से—गोल—गोलाई, सर्द—सर्दी, गरम—गरमी लम्बा—लम्बाई, कठोर—कठोरता आदि।

(२) क्रिया से—(व्यापार को प्रदर्शित करते हुए) चुनना—चुनाव जन्मना—जन्म, मरना—मरण, मारना—मार, दौड़ना—दौड़, घबराना—घबराहट सजना—सजावट आदि।

(३) संज्ञा से—मित्र—मित्रता, शत्रु—शत्रुता, मनुष्य—मनुष्यत्व पुरुष—पुरुषत्व, स्त्री—स्त्रीत्व, चोर—चोरी इत्यादि।

जब कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ही नाम के कई व्यक्तियों के लिए प्रयोग में आवे अथवा किसी व्यक्ति का असाधारण धर्म सूचित करने के लिए प्रयुक्त हो तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक हो जाती है जैसे—हमारे क्लास मे पाँच 'मोहन' हैं। 'राम' तीन हैं। विमला हमारे घर की 'लक्ष्मी' है। राममूर्ति कलियुग के 'भीम' हैं। शेक्सपियर योरोप के 'कालिदास' थे। अल्पस योरोप का 'हिमालय' है। यहाँ पर मोहन, राम, लक्ष्मी, भीम, कालिदास, हिमालय जातिवाचक संज्ञाओं के समान प्रयुक्त हुए हैं।

कुछ ऐसी जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञाएँ हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के समान प्रयोग में आती हैं, जैसे—पुरी (जगन्नाथ पुरी) देवी (दुर्गा), दाऊ (बलदेव) काँग्रेस (अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस), पार्लमेण्ट (इङ्गलैण्ड की व्यवस्थापिका सभा), कुछ उपनाम वाचक शब्द जो बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं, जैसे—सितारे हिन्द (राजा शिवप्रसाद सिंह), भारतेन्दु (हरिश्चन्द्र) गुसाईं जी (गोस्वामी तुलसीदास), दक्षिण (दक्षिण भारत) इत्यादि।

जब द्रव्यवाचक संज्ञाओं से उनके विभिन्न भेद, उनके कुछ

हिस्से या उन द्रव्यो से बनी हुइ चीजों का बोध हो तब वे द्रव्य-वाचक सज्ञाएँ जातिवाचक सज्ञाएँ हो जाती हैं। जैस—विहार में आमन, आम्स, और बोरो तीन तरह के धान पाये जाते हैं, आस्ट्रेलिया का 'सोना', वा सोना' कहि काम को जासो टूटे कान, मर टीन' मे बहुत से कपड़े रखे हुए हैं, यहाँ पर धान, सोना, सोना, टान ये शब्द जातिवाचक सज्ञा हैं।

व्यक्तिवाचक की नाई भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक सज्ञाएँ भी सदा एक वचन मे प्रयुक्त होती हैं, पर जब ये बहुवचन मे प्रयुक्त होंगी तब व्यक्तिवाचक की नाई ये भा जातिवाचक का रूप धारण कर लेंगी। जैसे—पानीपत के मैदान मे तीन 'लडाइयाँ' हुई। मेरी कुछ "कोशिशे" व्यर्थ गयीं। कुल "आशाओं" पर पानी फिर गया। दोनों ओर की "सेनाओं" में घनघोर युद्ध छिड गया। ये सब कैसे अच्छे "पहिरावे" हैं।

अभ्यास

(१) सज्ञा क कितने भेद हैं ? (२) भाववाचक सज्ञा किसे कहते हैं ?

(३) भाववाचक किन-किन शब्द भेदों से बनते हैं ? (४) पाँच ऐसी जातिवाचक संज्ञाओं को बताओ जिनका प्रयोग व्यक्तिवाचक सज्ञा के समान होता हो।

(५) हमारे घर में पाँच 'मोहन' हैं। कमला हमारे घर की लक्ष्मी है। 'अल्प्स' योरोप का हिमालय है।—इन वाक्यों में मोहन, लक्ष्मी और अल्प्स कोन संज्ञा हैं ?

२—संज्ञाओं का रूपान्तर

(Declension of nouns)

लिंग (Gender)

अर्थ को अलग अलग सूचित करने के लिए शब्दों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे शब्दों का रूपान्तर कहते हैं। संज्ञा में लिंग वचन और कारक के कारण रूपान्तर होता है।

हिन्दी में केवल दो लिंग होते हैं—स्त्रीलिंग और पुलिंग। स्त्री-जाति बोधक शब्द स्त्रीलिंग और पुरुष-जाति-बोधक शब्द पुलिंग कहलाते हैं और जो शब्द न तो स्त्री जाति के बोधक हैं और न पुरुष-जाति के उनका लिंग निर्णय करने के लिए अंगरेजी, संस्कृत आदि भाषाओं में तो क्लीवलिंग के नाम से एक तीसरा लिंग भी माना गया है, पर हिन्दी में ऐसे संदिग्ध शब्द कुछ तो स्त्रीलिंग में व्यवहृत होते हैं और कुछ पुलिंग में। यही कारण है कि हिन्दी में लिंग विचार एक विशेष महत्त्व का विषय है। इसके विषय में बड़े बड़े लेखकों तक में मतभेद चला आता है। इसके निर्णय के लिए हिन्दी व्याकरण में न तो कोई खास नियम है और न विद्वानों का एक मत है। यही नहीं बल्कि यहाँ तक देखा गया है कि जो शब्द संस्कृत आदि भाषाओं में पुलिंग माने जाते हैं हिन्दी लेखक उन्हें स्त्रीलिंग लिख डालते हैं और जो शब्द संस्कृतादि भाषाओं में स्त्रीलिंग माने जाते हैं उन्हें पुलिंग में प्रयोग करते हैं। इस विचित्र गड़बड़झाला में पड़कर स्वभावतः असमंजस में पड़ जाना पड़ता है। कहा है

कि जहाँ कोई नियम लागू न हो सब वहाँ 'महाजनो येन गतः स पन्थाः' के अनुसार महापुरुष के पथ का अनुसरण करना मान्य है। परन्तु यहाँ बड़े बड़ों में ही जब एक मत नहीं है तो किस पथ का अनुसरण किया जाय, यह जटिल समस्या सामने आ खड़ी हो जाती है। हमारी समझ में ऐसी परिस्थिति में बहुमत पर ही मान लेने में बुद्धिमानी है। यहाँ पर हम संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द दिखलाते हैं जो संस्कृत में स्त्रीलिंग होने पर भी हिन्दी में पुल्लिंग और संस्कृत में पुल्लिंग होने पर भी हिन्दी में स्त्रीलिंग व्यवहृत होते चले आ रहे हैं और कुछ अब व्यवहृत होने लग गये हैं।

उदाहरण (१) देवता, तारा आदि शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग हैं पर हिन्दी में पुल्लिंग माने जाते हैं। कोई कोई देवता को स्त्रीलिंग लिखने लग गये हैं।

आती है स्वातन्त्र्य देवता' उसके चरण धुलाने में।

(एक भारतीय आत्मा)

(२) सन्तान, विधि, महिमा आदि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग हैं पर हिन्दी में स्त्रीलिंग में व्यवहृत हो रहे हैं।

(३) आत्मा, अग्नि वायु पवन, समीर, समाज विनय, विजय, कुशल आदि संस्कृत में पुल्लिंग हैं पर हिन्दी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं। प्राय देखा जाता है कि संयुक्तप्रान्त के अधिकांश लेखक अब इन शब्दों को स्त्रीलिंग में लिखने लग गये हैं। उर्दू का हवा शब्द स्त्रीलिंग है, पर संस्कृत के वायु, पवन आदि

पुलिंग। कुछ विद्वानों का मत है कि हवा के जितने पर्यायवाची शब्द हों सभी स्त्रीलिंग में व्यवहृत होने चाहिये।

वायु बहती है घटा उठती है जलती है अगिन। (हरिऔध)। पवन लागी बहन—(पूर्ण)।

विनय को हिन्दी शब्दार्थ-पारिजात के लेखक ने पुलिंग लिखा है।

'आत्मा' के सम्बन्ध में एक विचारशील लेखक और हिन्दी के प्रगाढ़ विद्वान का कथन है कि जहाँ 'आत्मा' का प्रयोग ईश्वर अर्थ में ऐसा हो वहाँ पुलिंग और जहाँ विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो स्त्रीलिंग रहे। जैसे पुलिंग प्रयोग—सब का आत्मा अमर है, आत्मा न तो जलता है न मरता है। स्त्रीलिंग प्रयोग—पानी पिला कर मेरी आत्मा को तुष्ट करो। मेरी आत्मा इस बात की गवाही नहीं देती।

हमारी समझ में संस्कृत या अन्य भाषा के जो शब्द, सर्वसम्मति से हिन्दी में लिंग के सम्बन्ध में, किसी निर्णय पर पहुँच चुके हैं उनके लिए माथा पच्ची करना व्यर्थ है। उन्हें उसी रूप में अब रहने दिया जाय जिस रूप में वे व्यवहृत हो रहे हैं परन्तु जिन शब्दों के सम्बन्ध में अब तक खींचातानी चली आ रही है—जिनके विषय में विद्वानों का एक मत नहीं है—वे शब्द संस्कृत या अन्य भाषाओं में जिस लिंग में हैं उसी लिंग में हिन्दी में भी रहने दिये जायँ। ऐसा करने से लिंग सम्बन्धी बखेड़ा बहुत कुछ मिट जायगा और सब शब्द अन्य भाषाओं के व्यवहृत नपुंसक या क्लीबलिंग

के शब्दो के लिंग-निर्णय की समस्या रह जायगी।

पुंलिंग शब्द

(१) जिन शब्दो क अत में आव, त्व, पन, पा और य प्रत्यय हो वे प्राय पुलिंग होते हैं। जैसे—चढाव उतराव, चुनाव मनुष्यत्व, लडकपन, बचपन, बुढापा गज्य आदि।

(२) ये थोड़े से प्राणिवाचक शब्द पुलिंग हैं। जैसे—तीतर, चीलर, काग, गिद्ध, बेंग, सारस, गरुड, बाज लाल, प्राणी, जीव पक्षी, पछी इत्यादि।

नोट—नीचे लिखे शब्द हैं तो दोनो लिंगो के (Common Gender) परन्तु पुलिंग के रूप में व्यवहृत होते हैं। जैसे—शिशु, मित्र, दम्पति, परिवार, कुनरू पठरू वठरू, शत्रु आदि।

(३) ये थोडे से अन्न या फलवाची शब्द पुलिंग हैं। जैसे—जौ, मटर, चना, उर्द, गेहूँ गन्ना, धनिया, तिल, नीम्बू आदि।

(४) सस्कृत के पुलिंग और नपुसक लिंग के शब्द, कुछ अपवादो को छोडकर प्राय पुलिंग मे व्यवहृत होते हैं —

अपवाद—जय, देह सन्तान शपथ विधि, ऋतु, मृत्यु, वस्तु, पुस्तक, ओषध, उपाधि, आय आदि स्त्रीलिंग मे और विजय विनय, समाज, तरग, कुशल वायु अग्नि, सामर्थ्य आदि दोनो लिंगो में प्रयुक्त होते हैं। इन वैकल्पिक शब्दो में हमारे विचार से विनय, विजय कुशल, तरग आदि को स्त्रीलिंग में और वायु, अग्नि, समाज, सामर्थ्य आदि को पुलिंग में प्रयोग करना उचित है।

(५) कुछ अकारान्त और आकारान्त शब्द पुलिंग हैं। दाँत, कान, बल, यश, मुँह, कीचड़, पहिया आदि।

अपवाद (क) आँच, बाँह, आँख, नाक, साँस, लहर, सड़क, ओस, ईंट, भौंह, कोच, मूँछ इत्यादि स्त्रीलिंग हैं।

(ख) इया प्रत्ययान्त ऊनवाचक अर्थात् न्यूनतासूचक शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे—डिबिया, खटिया आदि।

(६) उर्दू के वे शब्द जिनके अंत में ब, आब और श रहे, पुलिंग होते हैं। जैसे—गुलाब, जुलाब, हिसाब, गिलाब, कबाब, जवाब, नसीब, ताश, होश, जोश, मतलब आदि।

अपवाद—किताब, तहब, शब, दाब, तर्कीब, किमखाब, सुरखाब, ख्वाब, मिहराब, शराब, आदि स्त्रीलिंग हैं।

(७) पहाड़ों, ग्रहों, दिनों, महीनों, नगों, धातुओं और देशों के नाम पुलिंग होते हैं। जैसे—हिमालय, चन्द्र, गुरु, शुक्र, चैत, फागुन, सप्ताह, हीरा, मोती, सोना, जापान, इङ्गलैण्ड, भारतवर्ष आदि।

अपवाद—चाँदी और पीतल स्त्रीलिंग हैं। देशों में टर्की को लोग स्त्रीलिंग लिखते हैं। ब्रिटेन का रूप जब ब्रिटेनिया होता है तब लोग इसे भी स्त्रीलिंग मानते हैं। भारत के अंत में 'माता' शब्द जोड़ देने से *भारतमाता स्त्रीलिंग में लिखा जायगा।*

(८) जिन संज्ञाओं के अंत में त्र हो वे पुलिंग होती हैं। जैसे—चित्र, क्षेत्र, पात्र, नेत्र, गोत्र, चरित्र आदि।

(६) वर्णमाला के अक्षरो में इ, ई और ऋ को छोड़कर शेष सभी पुलिंग हैं।

नोट— स्त्रीलिंग नियमो के अपवादवाले शब्द पुलिंग होंगे और पुलिंग नियमो के अपवादवाले शब्द स्त्रीलिंग ।

स्त्रीलिंग

(१) जिन शब्दो के अत मे आइ, ता, वट, हट और न प्रत्यय रह वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैस—लम्बाई, चौडाई, मित्रता, शत्रुता स्वार्थपरता, चिकनाहट, बनावट, सजावट चलन आदि।

नोट—चालचलन को लोग पुलिंग कहते हैं।

(२) ये थोडे से प्राणिवाचक शब्द—स्त्रीलिंग हैं।

ढॅडोस चील, कोयल, बटेर, मैना, श्यामा चिडिया, जोक कचबचिया, तूती, मुनिया, सारिका आदि।

कोकिल शब्द पुलिंग है जिसका स्त्रीलिंग प्रयोग कोकिला है।

(३) ये थोड़े से अन्न और फलवाची शब्द स्त्रीलिंग हैं—

मूँग, मसूर, अरहर, गाजर, दाख इत्यादि।

(४) सस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द प्राय हिन्दी में भी स्त्रीलिंग होते हैं—

दया, माया, प्रकृति आशा, कृपा आदि।

(५) अरबी के वे शब्द जिनके अन्त में आ, ता, क, अ ई और ल रहे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे—दगा दवा, मज़ा, दुआ, जगा, बला, दुआ रज़ा, फज़ा वफा तमन्ना, गर्माट नर्जीब, तमीज इलाज दुनिया, तफसील, फसल आदि।

तावीज शब्द पुलिंग है।

(६) जिन शब्दों क अत में ई त, आस और इश रहे ये प्राय स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होत हैं। जैसे—चिट्ठी रोटी, साड़ी धोती, चोटी, रात, घात, घान, गत, नौवत प्यास, आस, उच्छ्वास, मिठास, कोशिश पुरशिश इत्यादि।

अपवाद—घी, दही मोती, हाथी, पानी भात, दाँत, गोत, पत, सूत भूत, प्रेत शर्वत बन्दोवस्त दस्त, दस्तखत, निकास, विकास, इजलास इत्यादि।

नालिश शब्द दोनों लिंगों में व्यवहृत होता है।

(७) तिथियों, नक्षत्रों और नदियों क नाम प्राय. स्त्रीलिंग होत हैं।

द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी तीज, अश्वनी, भरणी, रोहिणी, कृत्तिका, गगा यमुना, सोन गंडक, नील इत्यादि।

अपवाद—पुष्य, पुनर्वसु हस्त, मूल, पूर्वाषाढ और उत्तराषाढ ये नक्षत्र पुलिंग हैं। सिन्धु और ब्रह्मपुत्र पुलिंग में व्यवहृत होते हैं पर ये नदी न कहलाकर नद कहलाते हैं।

यौगिक शब्दों का लिंग निर्णय

यौगिक या सामासिक शब्दों का लिंग उन शब्दों के अन्तिम खंड क अनुसार होता है। जैसे माता-पिता, कृपा सिन्धु, गङ्गा-सागर, आदि पुलिंग हैं और जयश्री, वसन्तश्री हेमलता आदि स्त्रीलिंग हैं। स्त्रीलिंग और पुलिंग ये दोनों शब्द भी पुलिंग हैं।

नोट—आजकल के लेखकों में प्रायः यह बात पायी जाती है कि अगर यौगिक शब्दों के आगे अव्यय-सूचक शब्द हों तो प्रथम खंड के लिंगानुसार उनके लिंग का प्रयोग करते हैं, परन्तु हमारी समझ में यह प्रयोग उचित नहीं है—व्यर्थ का व्याकरण के नियमों को जटिल बनाकर लोगों को संशय में डालना है। जैसे—इच्छानुसार, आज्ञानुसार आदि शब्द नियम के अनुसार पुंलिंग हैं, पर शब्द के प्रथमखंड में स्त्रीवाची शब्द रहने से कोई-कोई इन्हें स्त्रीलिंग लिखने लग गये हैं।

हिन्दी में प्रयुक्त अंग्रेजी या अंगरेजी के अपभ्रंश शब्दों में से निम्नलिखित शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं—कान्फ्रेन्स, गवर्नमेन्ट, लालटेन, अपील, पेंसिल, डेस्क, इञ्जिन, बोतल, कमिटी लिस्ट, एक्सप्रेस, पैसिञ्जर, पार्टी, रिपोर्ट, मिल कांग्रेस काउन्सिल, एसेम्बली, फीस, रेल लौरी लौटरी मिलिटरी, पुलिस इत्यादि।

नोट—'नोटिस' शब्द को लोग दोनों लिंगों में लिखते हैं।

सभा पत्रपत्रिका पुस्तक और स्थान के मुख्य नामों का लिंग बहुधा शब्द के रूप के अनुसार होता है। जैसे—'महासभा' (स्त्री०), 'महामंडल' (पु०), 'मर्य्यादा' (स्त्री०), 'चाँद' (पु०), 'प्रताप' (पु०), 'शिक्षा' (स्त्री०), 'देश' (पु०), 'सरस्वती' (स्त्री०), 'रघुवंश' (पु०), आगरा (पु०), दिल्ली (स्त्री०) इत्यादि।

पुंलिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम

हिन्दी में पुंलिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नीचे लिखे प्रत्यय

सायोज शब्द पुल्लिंग है।

(६) जिन शब्दों के अंत में ई त, आस और इश रहे वे प्राय स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे—चिट्ठी रोटी, साडी धोती, चोटी, रात बात घात, गत, नौबत, प्यास, आस, उच्छ्वास, मिठास, कोशिश पुरशिश इत्यादि।

अपवाद—घी दही मोती, हाथी, पानी भात, दाँत, गीत, पत, सूत भूत, प्रेत शर्बत बन्दोबस्त दस्त, दस्तखत, निकास, विकास, इजलास इत्यादि।

नालिश शब्द दोनों लिंगो में व्यवहृत होता है।

(७) तिथियों, नक्षत्रों और नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं।

द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी तीज, अश्वनी, भरणी, रोहिणी, कृत्तिका, गंगा यमुना, सोन गंडक, नील इत्यादि।

अपवाद—पुष्य, पुनर्वसु हस्त, मूल, पूर्वाषाढ और उत्तराषाढ ये नक्षत्र पुल्लिंग हैं। सिन्धु और ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग में व्यवहृत होते हैं पर ये नदी न कहलाकर नद कहलाते हैं।

यौगिक शब्दों का लिंग निर्णय

यौगिक या सामासिक शब्दों का लिंग उन शब्दों के अन्तिम खंड के अनुसार होता है। जैसे माता-पिता, कृपा सिन्धु, गङ्गा-सागर, आदि पुल्लिंग हैं और जयश्री, वसन्तश्री इमलता आदि स्त्रीलिंग हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दोनों शब्द भी पुल्लिंग हैं।

नोट—आजकल के लेखकों में प्रायः यह बात पायी जाती है कि अगर यौगिक शब्दों के आगे अव्यय-सूचक शब्द हो तो प्रथम खंड के लिंगानुसार उनके लिंग का प्रयोग करते हैं, परन्तु हमारी समझ में यह प्रयोग उचित नहीं है—व्यर्थ का व्याकरण के नियमों को जटिल बनाकर लोगों को संशय में डालना है। जैसे—इच्छानुसार, आज्ञानुसार आदि शब्द नियम के अनुसार पुलिंग हैं, पर शब्द के प्रथमखंड में स्त्रीवाची शब्द रहने से कोई-कोई इन्हें स्त्रीलिंग लिखने लग गये हैं।

हिन्दी में प्रयुक्त अंग्रेजी या अंगरजी के अपभ्रंश शब्दों में से निम्नलिखित शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं—कान्फ्रेन्स, गवर्नमेन्ट, लालटेन, अपील, पेंसिल, डेस्क, इञ्जिन, बोतल, कमिटी लिस्ट, एक्सप्रेस, पैसिञ्जर, पार्टी, रिपोर्ट, मिल कांग्रेस काउन्सिल, एसेम्बली, फीस, रेल लौरी, लौटरी मिलिटरी, पुलिस इत्यादि।

नोट—'नोटिस' शब्द को लोग दोनों लिंगों में लिखते हैं।

सभा, पत्रपत्रिका पुस्तक और स्थान के मुख्य नामों का लिंग बहुधा शब्द के रूप के अनुसार होता है। जैसे—'महासभा' (स्त्री०), 'महामंडल' (पु०), 'मर्य्यादा' (स्त्री०), 'चाँद' (पु०), 'प्रताप' (पु०), 'शिक्षा' (स्त्री०), 'देश' (पु०), 'सरस्वती' (स्त्री०), 'रघुवंश' (पु०), आगरा (पु०), दिल्ली (स्त्री०) इत्यादि।

पुंलिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम

हिन्दी में पुंलिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नीचे

'नी' प्रत्यय

कुछ शब्दों में नी लगा कर पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे—हाथी—हथिनी। ऊँट—ऊँटनी। सर्प—सर्पिणी। मोर—मोरनी इत्यादि।

'आनी' प्रत्यय

कुछ उपनामवाची थोड़े से अन्य पुलिंग तथा कुछ देवतावाची शब्दों के आगे 'आनी' प्रत्यय लगाया जाता है—

खत्री—खत्रानी। क्षत्री—क्षत्राणी। देवर—देवरानी। जेठ—जेठानी। मेहतर—मेहतरानी। चौधरी—चौधरानी। भव—भवानी। इन्द्र—इन्द्राणी आदि।

'आइन' प्रत्यय

प्राय उपनामवाची पुलिंग शब्दों के आगे 'आइन' प्रत्यय लगा कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे—

ओझा—ओझाइन। पाठक—पाठकाइन। मिसिर—मिसिराइन। लाला—ललाइन। दूबे—दुबाइन। ठाकुर—ठकुराइन इत्यादि।

'आ' प्रत्यय

संस्कृत के तथा अरबी के भी कुछ पुलिंग शब्दों में 'आ' प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनते हैं—

पाठक—पाठिका। कोकिल—कोकिला। शूद्र—शूद्रा। छात्र—छात्रा। विशारद—विशारदा। सुत—सुता। बाल—बाला। प्रियतम—प्रियतमा। नायक—नायिका। बालक—बालिका। साहब—साहबा। वालिद—वालिदा इत्यादि।

अनियमित

कुछ पुंलिंग शब्दो के स्त्रीलिंग शब्द एकदम उलट जाते हैं। जैसे - राजा—रानी। गाय—साँड (बैल)। पिता—माता। पुरुष—स्त्री। मर्द—औरत। पुत्र—कन्या, पतोहू। बेटा—बहू, पतोहू। भाई—बहन, भौजाई, भाभी। ससुर—सास। साला—सरहज, साली। नर—मादा। साहब—मेम। मियाँ—बीबी। दामाद—बेटी इत्यादि।

नोट—(१) आजकल अंग्रेजी भाषा की देखा देखी हिन्दी मे भी विवाहिता स्त्रियो के नामो के साथ कभी-कभी पुरुष के उप नाम लगाये जाते हैं। जैसे—श्रीमती उमादेवी नेहरू। कभी कभी स्त्रियो के साथ उपनाम का स्त्रीलिंग रूप भी लिखते हैं। जैसे—श्रीमती सरलादेवी चौधरानी। उसी तरह स्त्रियो की उपाधि का स्त्रीलिंग रूप भी लिखा जाता । जैसे—श्रीमती विद्याधरी, 'विशारदा'। अब तो ऐसा भी देखा जाता है कि किसी पुरुषवाची नाम के पहले 'श्रीमती जोड कर उस पुरुष की स्त्री के अर्थ में लिखते हैं। जैसे—श्रीमती दीपनारायण सिंह अर्थात् दीपनारायण सिंह की स्त्री।

(२) एकलिंग प्राणिवाचक शब्दो मे पुरुष या स्त्री जाति मे विभिन्नता लाने के लिए उनके पूर्व पुरुष या स्त्री तथा मनुष्येतर प्राणिवाचक शब्दो के पहले क्रमशः 'नर' और 'मादा' लगाते हैं। जैसे—पुरुष-सदस्य, स्त्री सदस्य। पुरुष-छात्र, स्त्री-छात्र। नर-कपोत, मादा-कपोत। नर भेडिया इत्यादि।

(३) कुछ स्त्री प्रत्ययान्त या स्त्रीलिंग शब्द अर्थ की दृष्टि से केवल स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होते हैं इसलिए उनके जोड़े के पुलिंग शब्द नहीं हैं। जैसे—गर्भवती, सौत, सुहागिन, अहिवाती, धाय, सती, वेश्या इत्यादि।

(४) किसी किसी शब्द के एक से अधिक स्त्रीलिंग रूप हैं—क्षत्रिय—क्षत्रियी (उसकी स्त्री), क्षत्रिया, क्षत्रियाणी (उस जाति की स्त्री)।

(५) कुछ ऐसे स्त्रीलिंग शब्द भी हैं जिनमें प्रत्यय लगाकर पुलिंग बनाते हैं। जैसे—भैंस—भैंसा। बहिन—बहनोई। ननद—ननदोई। जीजी—जीजा इत्यादि।

अभ्यास

(१) हिन्दी में कितने लिंग हैं? (२) पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कौन-कौन साधारण नियम हैं? (३) पाँच तकारान्त पुलिंग शब्दों को बताओ। (४) नीचे लिखे शब्दों का लिंग निर्णय करो—किताब, इञ्जिन, टिकट, आग, उमीद, जुलूस, समझौता और स्वागत।

वचन (Number

वचन भी हिन्दी में दो हैं—

जहाँ एक का बोध हो वहाँ एकवचन और जहाँ दो या अनेक का बोध हो वहाँ बहुवचन होता है।

एकवचन में ए, एँ, ओं, यों और या आदि लगाकर बहुवचन बनाते हैं जिसके नियम आगे मिलेंगे। व्यक्तिवाचक, भाववाचक,

समूहवाचक और द्रव्यवाचक सज्ञाओ का बहुवचन नहीं होता। जहाँ कहीं ऐसी सज्ञाओ का प्रयोग बहुवचन में होता है वहाँ वे जातिवाचक के रूप मे व्यवहृत होती हैं।

कहीं कहीं जन, वर्ग, गण आदि शब्दो को एक वचन मे जोडने से बहुवचन हो जाता है। जैसे—प्रजाजन, ब्राह्मण लोग, बालवर्ग युनकगण आदि। अपने लिए और आदर के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे—आप कहाँ गये थे। हम आज नहीं खायेंगे।

कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो सदा बहुवचन मे प्रयुक्त होते हैं। जैसे—दाँत, प्राण, दर्शन आदि।

कारक (Case)

कारक सज्ञा या सर्वनाम का ही रूप है जो भिन्न भिन्न तरह से वाक्य मे प्रयुक्त होकर अपने सम्बध को किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित करता है और ऐसा करने से वह क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होता है। इसलिए कारक उसे कहते हैं जो क्रिया की उत्पत्ति मे सहायक हो। दूसरे शब्दो मे कारक सज्ञा (या सर्वनाम) का वह रूप है जिससे उसका सम्बध वाक्य क किसी दूसर शब्द के साथ प्रकाशित होता है। जैसे—राम ने आम खाया। यहाँ पर 'खाया' क्रिया की उत्पत्ति मे 'राम ने' और 'आम' ये दोनो सज्ञाओ क रूप में आये हैं जो कारक कहलात हैं।

कारक सूचित करने के लिए सज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय या चिह्न लगाए जाते हैं उन्हे विभक्तियाँ कहते हैं। विभक्ति-युक्त शब्द पद कहलाते हैं।

हिन्दी में आठ कारक हैं—कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान अपादान, सम्बध, अधिकरण और सम्बोधन। संस्कृत के वैयाकरण और कुछ हिन्दी क वैयाकरण भी सम्बध और सम्बोधन को कारक की श्रेणी मे नहीं गिनते।

(१) कर्त्ता—सज्ञा के उस रूप को, जो काम करे कर्त्ता कहत हैं। इसके चिह्न ने स और शून्य हैं। जैसे—राम न खाया, मैं सोता हूँ, मोहन से खाया गया। इन तीनो वाक्यों में 'राम ने,' 'मैं' और 'मोहन से' कर्त्ता कारक हैं।

(२) कर्म—सज्ञा क उस रूप को जिस पर क्रिया के व्यापार का असर या फल पडता है कर्म कहत हैं। इसके चिह्न को और शून्य हैं। जैस- राम को बुलाओ, वह घर गया। इन दोनों वाक्यो मे 'राम को' और 'घर' कर्म हैं।

(३) करण—सज्ञा क उस रूप को, जिसक द्वारा काम होना सूचित हो, करण कहत हैं। इसका चिह्न 'से' है। कहीं कहीं 'द्वारा', 'के द्वारा' आदि चिह्न भी इसक लिए आत हैं। जैसे—'छुरी से' कलम बनाओ, 'नौकर क द्वारा' चिट्ठी भेजवादी।

(४) सम्प्रदान—सज्ञा क उस रूप को, जिसके लिए कर्त्ता काम करे, सम्प्रदान कहत हैं। इसके चिह्न 'को' वा 'के लिए' हैं। कहीं-कहीं 'क निमित्त' 'के हितार्थ', 'के अर्थ', 'के वास्त' आदि भी इसक चिन्ह माने जाते हैं। जैस—ग़रीब को धन दो। लडक के लिए पुस्तक खरीदो, किसक अर्थ इतना दुःख सह रहे हो इत्यादि।

(५) अपादान—सज्ञा के उस रूप को, जिससे क्रिया के विभाग की अवधि सूचित होती है, अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह 'से' है। जैसे—'पेड़ से' पत्ते गिरे वह 'वृक्ष से' गिर पडा।

(६) सम्बन्ध—सज्ञा के उस रूप को जिससे किसी का सम्बध सूचित होना पाया जाय सम्बंध कारक कहते हैं। इसके चिन्ह का, के, की हैं। सर्वनाम मे रा रे, री, और ना, ने नी भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे—'राम की' गाय, 'मेरी' गाय, 'अपना' काम इत्यादि।

(७) अधिकरण—संज्ञा के उस रूप को जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, अधिकरण कहते हैं। इसके चिन्ह में, पै, पर, ऊपर हैं। जैसे—मैं 'चौकी पर' बैठा हूँ। वह 'घर मे' है, 'ईश्वर में' ध्यान लगाओ।

(८) सम्बोधन—सज्ञा के उस रूप को, जिससे किसी को चेताना या पुकारना सूचित होता है सम्बोधन कहते हैं। इसके चिन्ह हैं—हे, हो, अरे, रे, री इत्यादि। जैसे—'हे मोहन!' कहाँ हो? 'अरे नालायक', तुम कहाँ गया था? इत्यादि। (सम्बोधन कारक की विभक्तियाँ इस कारक के पूर्व ही रहती हैं।)

नोट—कारक के विषय मे अधिक जानने के लिए कारक प्रकरण देखो।

अभ्यास

(१) कारक किसे कहते हैं? (२) सम्प्रदान और अपादान कारक के लिये कौन कौन चिन्ह प्रयुक्त होते हैं? (३) एक ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें कम से कम ६ कारकों का प्रयोग रहे। (४) पेड़ से पत्ते गिरे, छुरी से कलम बनाओ—इनमें पेड़ और छुरी कौन कारक है?

संज्ञा के रूप

वचन और कारक के सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिए संज्ञाओं के रूपों में हेर फेर हो जाया करता है। रूपों के हेर फेर होने के कारण संज्ञाएँ दो भागों में बाँटी गयी हैं—विकृत और अविकृत।

जिस स्वरान्त संज्ञा का अन्त्य स्वर कारकादि के कारण बदल जाता है वह विकृत कहलाती है। जैसे- घोडा चरता है, वह घोड़े को चराता है। लेकिन जिस स्वरान्त संज्ञा का अन्त्य स्वर कारकादि के कारण नहीं बदलता वह अविकृत कहलाती है। जैसे—राजा आते हैं, राजा ने यात्रा शुरू कर दी।

यहाँ पर श्री एस० एम० कलौग एम० ए० के "ए ग्रामर आफ दि हिन्दी लैंगवेज" नामक सुप्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्थ के आधार पर कुछ ऐसे नियम दिये जाते हैं जिनमें यह दिखलाया गया है कि किन किन हालतों में इस तरह का परिवर्तन हुआ करता है—

(१) प्राय अधिकाश तद्भव* पुलिंग आकारान्त संज्ञाओं के एकवचन में, कारक के चिन्ह या विभक्तियों के लगाने से, अन्त्य स्वर का 'ए' हो जाता है, अत में आँ रहे तो ए या ए हो जाता है। इनके अतिरिक्त सभी पुलिंग या स्त्रीलिङ्ग संज्ञाएँ एकवचन में अविकृत रहती हैं।

जैसे विकृत संज्ञाए —कुत्ता—कुत्ते ने, घोड़े—घोडा ने, ताँबा—ताँबे ने, बनिया—बनियें वा बनिये ने धुआँ—धुएँ ने।

*हिन्दी में व्यवहृत संस्कृत के अपभ्रंश शब्द तद्भव कहलाते हैं।

अविकृत सज्ञाएँ —माली—माली ने, घर—घर ने, लड़की—लड़की ने, रात —रात ने इत्यादि । इसी प्रकार सभी आकारान्त तत्सम (शुद्ध सस्कृत) पुलिंग सज्ञाओ के एकवचन में किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। जैसे—राजा, पिता, माता, आत्मा चन्द्रमा वेधा।

नोट—(क) यह ख्याल रखना चाहिये कि सस्कृत के ऋ-कारान्त अन् प्रत्ययान्त और सकारान्त शब्द आकारान्त होकर हिन्दी मे व्यवहृत होते हैं। जैसे—राजन्—राजा पितृ—पिता, चन्द्रमस्—चन्द्रमा, वेधस्—वेधा।

(ख) सम्बन्धसूचक अधिकाश आकारान्त सज्ञाएँ एक वचन मे अविकृत रहती हैं। जैसे —राजा, चचा, लाला, बाबा, दादा, नाना, मामा आदि। बाप दादा मे विकार होता है। जैसे—वह बाप दादे की कमाई सब चट कर गया।

(ग) कुछ फारसी की हकारान्त सज्ञाओ में ह का ए हो जाता है। जैसे—बन्दह—बन्दे।

(घ) कभी कभी सम्बोधन कारक के एक वचन मे विकृत तद्भव पुलिंग सज्ञाओ का रूप अविकृत सा होता है। जैसे—हे बेटा, या बेटे।

(ङ) कुछ स्थानवाचक आकारान्त शब्द, जैसे—गया, एशिया, अफ्रिका, अमेरिका आदि तो अविकृत हैं पर कुछ, जैसे—पटना, दरभङ्गा, छपरा कलकत्ता आदि विकृत हैं। हमारी राय में जो स्थानवाचक शब्द सस्कृत अरबी, फ़ारसी या अगरेजी के तत्सम रूप मे व्यवहृत हैं उन्हे अविकृत और जो अपभ्रश या तद्भव रूप मे हैं अथवा शुद्ध हिन्दी के शब्द हैं वे विकृत समझे जायँ।

(२) ऊपर दिये हुए पहले नियम के अनुसार जो पुलिंग सज्ञाएँ, एकवचन में ए या ए द्वारा विकृत होती हैं, वे सभी वहुवचन में भी इसी प्रकार विकृत होती हैं और जो एकवचन मे विकृत नहीं होती हैं, वहुवचन में भी उसी तरह रह जाती हैं। जैसे—

एकवचन	विभक्तियुत एकवचन	बहुवचन
लडका	लडके ने	लडके
गढा	गढे ने	गढे
रुपया	रुपये या रुपए ने	रुपये या रुपए

एकवचन	विभक्तियुत एकवचन	बहुवचन
घर	घर ने	घर
योद्धा	योद्धा ने	योद्धा
भाई	भाई ने	भाई

(१) सभी इकारान्त या ईकारान्त स्त्रीलिंग सज्ञाओ के अत में आ और शेष स्त्रीलिंग सज्ञाओ के अत मे एँ जोड कर कर्त्ता कारक के वहुवचन रूप बनाये जाते हैं।

यहाँ पर यह ख्याल रखना चाहिये कि आकारान्त स्त्रीलिंग सज्ञाओ मे कभी कभी और इकारान्त या ईकारान्त मे सदा ही आ का या हो जाता है और दीर्घ स्वर ह्रस्व मे परिणत हो जाता है।

उदाहरण—लडकी—लडकियाँ, विधि—विधियाँ, बात—बातें, मेड—मेडें, वस्तु—वस्तुएँ।

नोट—(क) ऋचा और घटा के बहुवचन ऋचाएँ या ऋचायें तथा घटाएँ या घटायें दोनो होते हैं।

(ख) उन स्त्रीलिंग सज्ञाओ के, जिनके अत मे इया रहे (विशेषकर ऊनवाच सज्ञा) कर्त्ता कारक के बहुवचन बनाने मे केवल उनमें एक अनुस्वार जोडना पडता है। जैसे—चिडिया—चिडियाँ, डिबिया—डिबियाँ इत्यादि।

(४) सभी सज्ञाओ के चाहे वे पुलिंग हो या स्त्रीलिंग— विभक्तियुत बहुवचन के प्रत्यय ओ हैं। केवल सम्बोधन कारक मे अनुस्वार उड जाता है।

नोट—(क) विकृत सज्ञाओ मे ओ अन्त्यस्वर मे मिल जाता है। (ख) अगर ह्रस्व अथवा दीर्घ इकारान्त सज्ञा हो तो दीर्घ स्वर का ह्रस्व होकर ओ के बदले मे यो होता है। (ग) दीर्घ ऊकारान्त मे ऊ ह्रस्व हो जाता है। (घ) ओकारान्त शब्दो के अत मे केवल अनुस्वार आता है और अनुस्वार युत ओ या आकारान्त शब्दो मे कोई रूपान्तर नहीं होता। दूसरी हालतो मे प्रत्यय 'ओ' ज्यो का त्यों एकवचन कर्त्ता कारक के रूप मे जोड दिया जाता है।

उदाहरण

एकवचन	विभक्तियुक्त बहुवचन	सम्बोधनकारक का बहुवचन
घोडा	घोडो ने	हे घोडो।
कुत्ता	कुत्तो ने	हे कुत्तो।
बिल्ली	बिल्लियो ने	हे बिल्लियो।
धोबी	धोबियो ने	हे धोबियो।
पुस्तक	पुस्तको ने	हे पुस्तको।

नोट—यों तो सभी अविकृत पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार लिखे जाते हैं परन्तु राजा, महाराजा, देवता और तारा शब्दों के विकृत रूप भी मिलते हैं। 'तारा' शब्द के विकृत रूप प्राय अधिक पाये जाते हैं। जैसे—तारे टिमटिमा रहे हैं। बाप-दादा के भी विकृत रूप विकल्प से लिखे जाते हैं।

इकारान्त पुल्लिंग पति शब्द

	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	पति पति ने	पति पतियों ने
कर्म	पति, पति को	पति पतियों को
करण	पति से	पतियों से
सम्प्रदान	पति को	पतियों को
अपादान	पति से	पतियों से
सम्बन्ध	पति का की, के	पतियों का, की, के
अधिकरण	पति में, पर	पतियों में पर
सम्बोधन	हे पति	हे पतियो

ईकारान्त पुल्लिंग धोबी शब्द

कर्त्ता	धोबी धोबी ने	धोबी, धोबियों ने
कर्म	धोबी धोबी को	धोबी, धोबियों को
करण	धोबी से	धोबियों से
सम्प्रदान	धोबी को	धोबियों को
अपादान	धोबी से	धोबियों से
सम्बन्ध	धोबी का, की के	धोबियों का, की, के

	एकवचन	बहुवचन
अधिकरण	धोबी में पर	धोबियों में, पर
सम्बोधन	(हे) धोबी	(हे) धोबियो

उकारान्त पुलिंग गुरु शब्द

कर्त्ता	गुरु, गुरु ने	गुरु गुरुओं ने
कर्म	गुरु, गुरु को	गुरु, गुरुओं को
करण	गुरु से	गुरुओं से
सम्प्रदान	गुरु को	गुरुओं को
अपादान	गुरु से	गुरुओं से
सम्बन्ध	गुरु का, की, के	गुरुओं का, की, के
अधिकरण	गुरु में, पर	गुरुओं में, पर
सम्बोधन	(हे) गुरु	(हे) गुरुओ

ऊकारान्त पुलिंग डाकू शब्द

कर्त्ता	डाकू डाकू ने	डाकू, डाकुओं ने
कर्म	डाकू, डाकू को	डाकू, डाकुओं को
करण	डाकू से	डाकुओं से
सम्प्रदान	डाकू को	डाकुओं को
अपादान	डाकू से	डाकुओं से
सम्बन्ध	डाकू का, की, के	डाकुओं का, की, के
अधिकरण	डाकू में, पर	डाकुओं में, पर
	(हे) डाकू	(हे) डाकुओ

नोट—यों तो सभी अविकृत पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार लिखे जाते हैं परन्तु राजा, महाराजा, देवता और तारा शब्दों के विकृत रूप भी मिलते हैं। 'तारा' शब्द के विकृत रूप प्राय अधिक पाये जाते हैं। जैसे—तारे टिमटिमा रहे हैं। बाप-दादा के भी विकृत रूप विकल्प से लिखे जाते हैं।

इकारान्त पुल्लिंग पति शब्द

	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	पति पति ने	पति पतियों ने
कर्म	पति, पति को	पति पतियों को
करण	पति से	पतियों से
सम्प्रदान	पति को	पतियों को
अपादान	पति से	पतियों से
सम्बन्ध	पति का की, के	पतियों का, की, के
अधिकरण	पति में, पर	पतियों में पर
सम्बोधन	हे पति	हे पतियो

ईकारान्त पुल्लिंग धोबी शब्द

कर्त्ता	धोबी, धोबी ने	धोबी, धोबियों ने
कर्म	धोबी धोबी को	धोबी, धोबियों को
करण	धोबी से	धोबियों से
सम्प्रदान	धोबी को	धोबियों को
अपादान	धोबी से	धोबियों से
सम्बन्ध	धोबी का, की, के	धोबियों का, की, के

	एकवचन	बहुवचन
अधिकरण	धोबी में पर	धोबियों मे पर
सम्बोधन	(हे) धोबी	(हे) धोबियो

उकारान्त पुल्लिंग गुरु शब्द

कर्त्ता	गुरु, गुरु ने	गुरु, गुरुओं ने
कर्म	गुरु, गुरु को	गुरु, गुरुओं को
करण	गुरु से	गुरुओं से
सम्प्रदान	गुरु को	गुरुओं को
अपादान	गुरु से	गुरुओं से
सम्बन्ध	गुरु का, की, के	गुरुओं का, की, के
अधिकरण	गुरु मे, पर	गुरुओं मे, पर
सम्बोधन	(हे) गुरु	(हे) गुरुओ

ऊकारान्त पुल्लिंग डाकू शब्द

कर्त्ता	डाकू डाकू ने	डाकू, डाकुओं ने
कर्म	डाकू, डाकू को	डाकू, डाकुओं को
करण	डाकू से	डाकुओं से
सम्प्रदान	डाकू को	डाकुओं को
अपादान	डाकू से	डाकुओं से
सम्बन्ध	डाकू का, की, के	डाकुओं का, की, के
अधिकरण	डाकू मे पर	डाकुओं मे, पर
सम्बोधन	(हे) डाकू	(हे) डाकुओ

एकारान्त पुलिग चौवे शब्द

	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	चौव, चौने न	चौन, चौवओं ने
कर्म	चौवे, चौने को	चौने, चौवेओं को
करण	चौवे से	चौनेओ से
सम्प्रदान	चौने को	चौवेओं को
अपादान	चौव स	चौवेओ से
सम्बन्ध	चौवे का, की, के	चौवओ का की, के
अधिकरण	चौवे म, पर	चौनेआ में, पर
सम्बोधन	(हे) चौवे	(हे) चौनेओ (चौनो)

ओकारान्त पुलिग कोदो शब्द

कत्ता	कोदो, कोदो ने	कोदो, कोदों ने
कर्म	कोदो कोदो को	कोदो, कोदो को
करण	कोदो से	कोदो से
सम्प्रदान	कोदो को	कोदो को
अपादान	कोदो स	कोदो से
सम्बन्ध	कोदो का, की, के	कोदों का की, के
अधिकरण	कोदो मे पर	कोदों में, पर
सम्बोधन	(हे) कोदो	(हे) कोदो

औकारान्त पुलिग जौ शब्द

कर्त्ता	जौ जौ ने	जौ, जौओं न
कर्म	जौ, जौ को	जौ, जौओं को

	एकवचन	बहुवचन
करण	जौ से	जौओ से
सम्प्रदान	जौ को	जौओं को
अपादान	जौ से	जौओं से
सम्बन्ध	जौ का, की, के	जौओ का, की, के
अधिकरण	जौ में, पर	जौओ में, पर
सम्बोधन	(हे) जौ	(हे) जौओ

२—स्त्रीलिङ्ग शब्द

अकारान्त स्त्रीलिंग बहिन शब्द

कर्त्ता	बहिन बहिन ने	बहिनें, बहिनों ने
कर्म	बहिन, बहिन को	बहिनें, बहिनो को
करण	बहिन से	बहिनो से
सम्प्रदान	बहिन को	बहिनो को
अपादान	बहिन से	बहिनो से
सम्बन्ध	बहिन का, की, के	बहिनों का, की, के
अधिकरण	बहिन में पर	बहिनो में, पर
सम्बोधन	(हे) बहिन	(हे) बहिनो

विकृत आकारान्त चिडिया स्त्रीलिंग शब्द

कर्त्ता	चिडिया, चिडिये ने	चिडियाँ, चिडियों ने
कर्म	चिडिया, चिडिये को	चिडियाँ, चिडियों को
करण	चिडिये से	चिडियो से
सम्प्रदान	चिडिये को	चिडियो को

	एकवचन	बहुवचन
अपादान	चिड़िय स	चिड़ियों से
सम्बन्ध	चिड़िये का, की, क	चिड़ियों का की, क
अधिकरण	चिड़िये मे, पर	चिड़ियो में, पर
सम्बोधन	(हे) चिड़िये	(हे) चिड़ियो

अविकृत आकारान्त स्त्रीलिंग लता शब्द

कर्त्ता	लता लता ने	लताएँ, लताओ ने
कर्म	लता, लता को	लताएँ, लताओ को
करण	लता से	लताओं से
सम्प्रदान	लता को	लताओं को
अपादान	लता से	लताओं से
सम्बन्ध	लता का, की, क	लताओं का, की, के
अधिकरण	लता मे, पर	लताओं में पर
सम्बोधन	(हे) लता	(हे) लताओ

इकारान्त स्त्रीलिंग विधि शब्द

कर्त्ता	विधि, विधि ने	विधियाँ, विधियो ने
कर्म	विधि, विधि को	विधियाँ, विधियों को
करण	विधि से	विधियो से
सम्प्रदान	विधि को	विधियो को
अपादान	विधि से	विधियों स
सम्बन्ध	विधि का, की, क	विधियों का, की, क
अधिकरण	विधि म, पर	विधियों में, पर

	एकवचन	बहुवचन
सम्बोधन	(हे) विधि	(हे) विधियो

ईकारान्त स्त्रीलिंग देवी शब्द

कर्त्ता	देवी, देवी ने	देवियाँ देवियो ने
कर्म	देवी, देवी को	देवियाँ, देवियो को
करण	देवी से	देविया से
सम्प्रदान	दवी को	देवियो को
अपादान	देवो से	देवियो से
सम्बन्ध	देवो का, की, के	देवियो का, की, क
अधिकरण	देवी मे, पर	देवियो मे, पर
सम्बोधन	(हे) देवी	(हे) दवियो

उकारान्त स्त्रीलिंग धेनु शब्द

कर्त्ता	धेनु, धेनु ने	धेनुएँ, धेनुओं ने
कर्म	धेनु धेनु को	धेनुएँ, धेनुओ को
करण	धेनु से	धेनुओ से
सम्प्रदान	धेनु को	धेनुओ को
अपादान	धेनु से	धेनुओ से
सम्बन्ध	धेनु का, की, के	धेनुओं का, की क
अधिकरण	धेनु मे, पर	धेनुओ में, पर
सम्बोधन	(हे) धेनु	(हे) धेनुओ

ऊकारान्त स्त्रीलिंग बहू शब्द

कर्त्ता	बहू, बहू ने	बहुएँ, बहुओं ने

	एकवचन	बहुवचन
कर्म	बहू, बहू को	बहुएँ, बहुओं को
करण	बहू से	बहुओं से
सम्प्रदान	बहू को	बहुओं को
अपादान	बहू से	बहुओं से
सम्बन्ध	बहू का, की के	बहुओं का, की के
अधिकरण	बहू में पर	बहुओं में, पर
सम्बोधन	(हे) बहू	(हे) बहुओ

ओकारान्त स्त्रीलिंग गौ शब्द

कर्त्ता	गौ, गौ ने	गौएँ, गौओं ने
कर्म	गौ गौ को	गौएँ, गौओं को
करण	गौ से	गौओं से
सम्प्रदान	गौ को	गौओं को
अपादान	गौ से	गौओं से
सम्बन्ध	गौ का की, के	गौओं का, की के
अधिकरण	गौ में, पर	गौओं में, पर
सम्बोधन	(हे) गौ	(हे) गौओ

अनुस्वारयुत ओकारान्त स्त्रीलिंग सरसों शब्द

कर्त्ता	सरसों, सरसो ने	
कर्म	सरसों, सरसों को	
करण	सरसों से	
सम्प्रदान	सरसों को	
अपादान	सरसों से	
सम्बन्ध	सरसों का, की, के	
अधिकरण	सरसों में, पर	
सम्बोधन	(हे) सरसों	

बहुवचन एक वचन के ही समान

कुछ ज्ञातव्य बातें –

तत्सम संस्कृत संज्ञाओं का मूल सम्बोधन कारक (एकवचन) भी हिन्दी कविता और सौष्ठवयुत हिन्दी गद्य में आता है। जैसे—

व्यञ्जनान्त संज्ञाएँ राजन्, श्रीमन्, भगवन्, महात्मन् आदि

इकारान्त संज्ञाएँ—हरे, सीतापते, सखे, मुने इत्यादि

ईकारान्त संज्ञाएँ—देवि, जननि, पुत्रि इत्यादि

उकारान्त संज्ञाएँ—गुरो, प्रभो, बंधो आदि

अभ्यास

(१) आकारान्त संज्ञा-शब्दों के रूप किन-किन हालतों में परिवर्तित हो जाते हैं? (२) इन शब्दों के रूप लिखो—गौ, राजा, लड़का और वधु। (३) शुद्ध करो—

(क) मोहन पटना में पढता है।

(ख) मेरी कई पुस्तक छपरा ही में छूट गयीं।

(ग) दो आना में एक लाख।

(घ) तारा टिमटिमा रहा है।

(ङ) भारत के सब गाँव की दशा एक सी है।

(च) कुछ बालकें भाग गये।

३—सर्वनाम (Pronouns)

सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले उपयोग में आता है। संज्ञा के बदले उपयोग में आनेवाले शब्द प्रायः ये हैं—मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन और

कया। अतः ये बारहों शब्द सर्वनाम हैं। इनमें से कुछ को छोड़कर सबके बहुवचन रूप भी होते हैं।

सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य मँजा हुआ और सुन्दर हो जाता। अन्यथा बड़ा ही भद्दा मालूम पड़ता है। जैसे—राममूर्त्ति कल्युग भीम हैं। राममूर्त्ति हाथी को राममूर्त्ति के कलेजे पर चढ़ा लेते हैं राममूर्त्ति ने ब्रह्मचर्य्य से इतनी बड़ी शक्ति पायी है। इन तीन वाक्यों में कई बार राममूर्त्ति का प्रयोग होने से बड़ा ही बुरा मालूम पड़ता है। अगर सर्वनामों के प्रयोग द्वारा उन्हें इस तरह लिखें तो वाक्यों से भद्दापन जाता रहेगा—राममूर्त्ति कल्युग के भीम हैं। 'वे' हाथी को 'अपने' कलेजे पर चढ़ा लेते हैं। 'उन्होंने' ब्रह्मचर्य्य से इतनी बड़ी शक्ति पायी है।

कुल सर्वनाम प्रयोग की सुविधा के लिए ६ भागों में विभक्त कर दिये गये हैं (१) पुरुषवाचक (२) निजवाचक (३) निश्चयवाचक (४) सम्बन्धवाचक (५) प्रश्नवाचक और (६) अनिश्चयवाचक।

(१) पुरुषवाचक– जो सर्वनाम कहनेवाले सुननेवाले और जिसके विषय में कहा जाय उसका बोध कराता है उसे पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे—मैं, तू, आप, वह।

पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं– उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कहनेवाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष और जिसके विषय में कहा जाय वह अन्य पुरुष कहलाता है। इन तीनों पुरुषों में उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष ही प्रधान हैं, क्योंकि इनका अर्थ निश्चित है। अन्य पुरुष का अर्थ अनिश्चित

रहता है। उत्तम पुरुष का उदाहरण है—मैं, और मध्यम पुरुष का तू और आप। मैं और तू को छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं के नाम (संज्ञाएँ) और उनके बदले में प्रयोग में आये हुए शब्द अर्थात् शेष सभी सर्वनाम अन्य पुरुष के अन्तर्गत हैं, क्योंकि मैं कहनेवाला और तू सुननेवाला तो निश्चित अर्थ प्रगट करता है पर कहनेवाले किसी भी अनिश्चित वस्तु का वर्णन कर सकते हैं और सुननेवाले सुन सकते हैं परन्तु इस अनिश्चित वस्तु समूह को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए वह और यह सर्वनाम अन्य पुरुष के उदाहरण के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं।

अब यहाँ सभी सर्वनामों को स्पष्ट करने के लिए एक तालिका नीचे दी जाती है—

(१) पुरुषवाचक—

(क) उत्तम पुरुष—मैं (एकवचन,—हम (बहुवचन)

(ख) मध्यम पुरुष—तू („)—तुम („)

(ग) अन्य पुरुष—वह („)—वे („)

नोट—आप आदर-सूचक सर्वनाम के रूप में मध्यम पुरुष के अन्तर्गत आ जाता है और कभी-कभी आदर के अर्थ में ही इसका प्रयोग अन्य पुरुष के ऐसा भी होता है।

(२) निजवाचक—आप

(३) निश्चयवाचक—यह, वह, सो

(४) सम्बन्धवाचक—जो

(५) प्रश्नवाचक—कौन, क्या

(६) अनिश्चयवाचक—कोई, कुछ

क्या। अत ये बारहों शब्द सर्वनाम हैं। इनमें से कुछ को छोड़कर सबके बहुवचन रूप भी होते हैं।

सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य मँजा हुआ और सुन्दर हो जाता है अन्यथा बड़ा ही भद्दा मालूम पड़ता है। जैसे—राममूर्त्ति कलयुग के भीम हैं। राममूर्त्ति हाथी को राममूर्त्ति के कलेजे पर चढ़ा लेते हैं। राममूर्त्ति ने ब्रह्मचर्य्य से इतनी बड़ी शक्ति पायी है। इन तीनों वाक्यों में कई बार राममूर्त्ति का प्रयोग होने से बड़ा ही बुरा मालूम पड़ता है। अगर सर्वनामों के प्रयोग द्वारा उन्हें इस तरह लिखें तो वाक्यों से भद्दापन जाता रहेगा—राममूर्त्ति कलयुग के भीम हैं। 'वे' हाथी को 'अपने' कलेजे पर चढ़ा लेते हैं। 'उन्होंने' ब्रह्मचर्य्य से इतनी बड़ी शक्ति पायी है।

कुल सर्वनाम प्रयोग की सुविधा के लिए ६ भागों में विभक्त कर दिये गये हैं (१) पुरुषवाचक (२) निजवाचक (३) निश्चयवाचक (४) सम्बन्धवाचक (५) प्रश्नवाचक और (६) अनिश्चयवाचक।

(१) पुरुषवाचक – जो सर्वनाम कहनेवाले सुननेवाले और जिसके विषय में कहा जाय उसका बोध कराता है उसे पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे—मैं, तू, आप, वह।

पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं— उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कहनेवाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष और जिसके विषय में कहा जाय वह अन्य पुरुष कहलाता है। इन तीनों पुरुषों में उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष ही प्रधान हैं, क्योंकि इनका अर्थ निश्चित है। अन्य पुरुष का अर्थ अनिश्चित

रहता है। उत्तम पुरुष का उदाहरण है—मैं, और मध्यम पुरुष का तू और आप। मैं और तू को छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं के नाम (संज्ञाएँ) और उनके बदले में प्रयोग में आये हुए शब्द अर्थात् शेष सभी सर्वनाम अन्य पुरुष के अन्तर्गत हैं, क्योंकि मैं कहनेवाला और तू सुननेवाला तो निश्चित अर्थ प्रगट करता है पर कहनेवाले किसी भी अनिश्चित वस्तु का वर्णन कर सकते हैं और सुननेवाले सुन सकते हैं परन्तु इस अनिश्चित वस्तु समूह को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए वह और यह सर्वनाम अन्य पुरुष के उदाहरण के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं।

अब यहाँ सभी सर्वनामों को स्पष्ट करने के लिए एक तालिका नीचे दी जाती है—

(१) पुरुषवाचक—

(क) उत्तम पुरुष—मैं (एकवचन)—हम (बहुवचन)

(ख) मध्यम पुरुष—तू („)—तुम („)

(ग) अन्य पुरुष—वह („)—वे („)

नोट—आप आदर-सूचक सर्वनाम के रूप में मध्यम पुरुष के अन्तर्गत आ जाता है और कभी कभी आदर के अर्थ में ही इसका प्रयोग अन्य पुरुष के ऐसा भी होता है।

(२) निजवाचक—आप

(३) निश्चयवाचक—यह, वह, सो

(४) सम्बन्धवाचक—जो

(५) प्रश्नवाचक—कौन, क्या

(६) अनिश्चयवाचक—कोई, कुछ

नोट—उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को छोडकर शेष सभी सवनाम अन्य पुरुष के अन्तर्गत आ जाते हैं। इसीलिए किसी-किसी व्याकरण मे इन्हें अप्रधान पुरुषवाचक के भेद मान लिये हैं।

उत्तम पुरुष—मैं—हम

जब बोलनेवाला या लिखनेवाला अपने ही सम्बन्ध में विधान करता है अथवा वह अपने से बड़े लोगों के साथ बोलता या देवता से प्रार्थना करता है तो मैं सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे—मैं तो बहुत परीशान हो रहा हूँ, मैं ढूँढता तुझे था जब कुञ्ज और बन मे।

हम मैं का बहुवचन है। पर सज्ञा के बहुवचन से इस बहुवचन का अर्थ भिन्न है। किसी सज्ञा के बहुवचन से उसका एक से अधिक होना सूचित होता है परन्तु 'हम' शब्द से एक से अधिक मैं (बोलने वालों) का अर्थ सूचित नहीं होता। बोलनेवाला जब अपने साथियों की ओर से प्रतिनिधि होकर अपने तथा उनके विचार एक साथ प्रगट करता है तब हम का प्रयोग करता है। सम्पादक या लेखक बडे-बडे अधिकारी राजा महाराजा तथा बोलनेवाले दूसरे लोग देश या मानव जाति का बोध कराने के लिए भी हम का प्रयोग करते हैं। जैसे—हम पहले इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन कर चुके हैं। हमारी अवस्था गिरी हुई है। हवा के बिना हम जी नहीं सकते।

कभी-कभी अभिमान या क्रोध के आवेश में भी 'हम' का प्रयोग होता है। जैसे—हम इस अपमान को सह नहीं सकते।

'हम' से बहुत्व का अर्थ सूचित कराने के लिए इसके साथ [illegible] 'लोग' शब्द जोडना पडता है। जैसे—हम लोग कल तक [illegible] पहुँच जायँगे।

मध्यम पुरुष – तू तुम लोग, आप।

तू शब्द से तिरस्कार का भाव या हलकापन प्रगट होता है [illegible] लिये 'तू' के बदले एकवचन मे भी 'तुम' का ही अधिक [illegible] देखा जाता है। हाँ कुछ खास खास मौके पर जैसे—ईश्वर के लिए, अपने से छोटे अथवा शिष्य क लिए, अनन्य मित्र के [illegible] तिरस्कार या क्रोध मे किसी क लिए तू का [illegible] स्वाभाविक जान पडता है—ईश्वर, तू है [illegible] बराबर खेलने मे ही मस्त रहता है। मित्र तुझे [illegible] है ? तू ने मेरी नाक कटवा दी।

नोट—तू का ग्रामीण प्रयोग तैं है।

तुम यद्यपि तू का बहुवचन है पर अधिकतर [illegible] प्रयुक्त होता है। बहुत्व क लिए इसके साथ 'लोग' [illegible] जाता है। आदर क लिए तुम के बदले 'आप' [illegible] चाहिये। जैसे—भाई, तुम बड़े निष्ठुर हो। तुम [illegible] लिए तैयार होकर रहना चाहिये। आप क्यों [illegible] ?

अन्य पुरुष—वह वे, आप।

किसी एक सज्ञा के विषय में बोलने के लिए वह और एक [illegible] अधिक सज्ञाओ क विषय मे बोलने के लिए वे का प्रयोग होता [illegible] हिन्दी मे अक्सर [illegible] के लिए बहुवचन सर्वनामों का [illegible]

आता है इसलिए आदर का भाव सूचित करने के लिए एकवचन में वे का भी प्रयोग करते हैं। जैसे—मोहन बड़ा सुशील लड़का है, वह कभी समय का दुरुपयोग नहीं करता। वे कहाँ जा रहे थे? सत्यनारायण बाबू योग्य शिक्षक हैं उनसे इतिहास पढ़ाने का ढङ्ग बड़ा अच्छा है।

नोट—अब प्रायः देखा जाता है कि वे के बदले में वह भी लिखा जाने लगा है। जैसे—वह लिखते हैं। पर 'वह' का शुद्ध बहुवचन रूप वे ही है वह नहीं।

जिस प्रकार तुम के बदले आदर प्रदर्शित करने के लिए 'आप' का प्रयोग होता है उसी प्रकार वे के बदले आदर प्रदर्शनार्थ 'आप' प्रयोग किया जाता है। जैसे—लाला लाजपतराय की मृत्यु १७ नवम्बर १९२८ को हुई। 'आप' भारत के एक बड़े नेता थे।

निजवाचक—आप

निजवाचक आप और पुरुषवाचक आप में प्रयोग के विचार से बहुत अन्तर है। पुरुषवाचक आप का प्रयोग एकार्थक होने पर भी सदा बहुवचन में होता है पर निजवाचक आप एक ही रूप से का दोनों वचनों में आता है। पुरुषवाचक आप का प्रयोग केवल मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए होता है। पर निजवाचक आप तीनों पुरुषों में प्रयुक्त होता है। आप के दोनों प्रयोगों के रूपान्तर देखने से इनके भेद स्पष्ट हो जायँगे।

निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण के लिए होता है। इसके साथ कभी-कभी 'ही' भी जोड़ दिया

जाता है तथा कभी कभी इसका ही रूप 'अपना' भी इसके साथ लगा दिया जाता है। जैसे— मैं 'आप' जा रहा हूँ। मैं तो 'आप ही आ रहा था। पहले अपने आप को' तो पहचानो।

नोट—आप (निजवाचक) का प्रयोग स्वय, स्वन, खुद के अर्थ मे आता है। कभी कभी इन शब्दो क साथ भी आप का प्रयोग होता है।

निश्चयवाचक यह, ये वह वे, सो।

जो सर्वनाम निकट अथवा दूर के किसी निश्चित वस्तु का बोध करावे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके दो भेद हैं—एक निकटवर्त्ती, दूसरा दूरवर्त्ती। जो निकट की निश्चित वस्तु का बोध करावे वह निकटवर्त्ती और जो दूर की निश्चित वस्तु का बोध करावे उसे दूरवर्त्ती कहते हैं। निकटवर्त्ती के लिए यह, ये और दूरवर्त्ती के लिए वह, वे का प्रयोग किया जाता है। निकट की किसी वस्तु के विषय में बोलने के लिए, पहले कही हुई सज्ञा या वाक्याश के बदले में तथा पहले कहे हुए या बाद मे आनेवाले वाक्यों की जगह मे एकवचन में यह और बहुवचन में ये का प्रयोग होता है। जैसे—'यह' कैसा सुन्दर फूल है। सप्तरथियो से अकेले लड़ना, 'यह' अभिमन्यु जैसे वीर का ही काम था। मोहन ने वाटिका में प्रवेश कर गुलाब के कई फूल तोड़े उनकी मालाए बनायीं और उन्हें अपने गले में पहन लिया—'यह मैंने अपनी आँखों से देखा। मुझे 'यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने बी० ए० पास कर लिया।

य का प्रयोग यह के बहुवचन में, बहुत्व और आदर के अर्थ में होता है। आजकल कोइ यह का भी बहुवचन में प्रयोग कर देते हैं। जैसे--संसार के ये सभी फल फूल। यह लिखते हैं।

यह वे—पूर्व वर्णित किन्हीं दो वस्तुओं में से पहली के लिए वह या व और दूसरी के लिए यह या ये आता है।

सो—यह सर्वनाम सम्बंधवाचक सर्वनाम जो' का नित्य सम्बंधी है अतएव जो के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे - जो जाको गुण जानहीं, सो तहि आदर देत।

अनिश्चयवाचक—कोइ कुछ।

जो सर्वनाम अनिश्चित वस्तु के बदले में आवे उसे अनिश्चय वाचक कहते हैं। इस सर्वनाम से किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं होता। जैसे कोइ जाय या नहीं मैं तो जरूर जाऊँगा। इच्छा होती है कि कुछ पूँछ लूँ।

नोट—कोई का बहुवचन रूप नहीं होता है। प्रयोग के अनुसार इसके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। जब 'कोइ' शब्द वाक्य में दोहरा आता है या आदर के लिए व्यवहार में आता है तब इसकी क्रिया बहुवचन में आती है। जैसे--कोई कोई कहते हैं। क्या कोई आनेवाले हैं?

सम्बंधवाचक—जो

जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा का सम्बन्ध प्रगट हो उसे सम्बंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिन्दी में एक ही सम्बंधवाचक सर्वनाम है—जो। 'जो' प्राय अपने नित्य सम्बन्धी निश्चयवाचक

सर्वनाम 'सो' के साथ आता है। आजकल प्रायः 'वह' का 'जो' के नित्यसम्बन्धी के स्थान पर व्यवहार हो चला है। सो का प्रयोग उठता जा रहा है। जो का एक रूप जौन भी है जिसका नित्य-सम्बन्धी तौन है। जैसे—जो पहले बोले सो आगे चले। जो बोवेगा वह (सो) काटेगा।

प्रश्नवाचक—कौन, क्या।

जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये दो हैं - कौन, क्या। "कौन" प्राणियों के लिए और खासकर मनुष्यों के लिए आता है और क्या छोटे छोटे प्राणियों और जड वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे—मेरी वाटिका के फूल 'किसने चुराये ? तुम यह क्या कर रहे हो ?

४—सर्वनामों का रूपान्तर

(Declension of Pronouns)

संज्ञाओं के समान सर्वनामों में भी लिंग, वचन और कारक होते हैं परन्तु लिंग के कारण इनका रूप नहीं बदलता। केवल वचन और कारक के कारण इनके रूप में परिवर्तन होता है।

वचन के कारण रूपान्तर—केवल पुरुषवाचक (मैं, तू) और निश्चयवाचक (यह वह) के विभक्तिरहित कर्ता कारक में वचन के कारण विकार उत्पन्न होता है। शेष सर्वनामों का रूपान्तर नहीं होता। जैसे—मैं—हम। तू—तुम। यह—ये। वह—वे। जो—जो। कौन—कौन आदि।

कारक के कारण रूपान्तर—

(१) कारक के कारण अथवा विभक्ति क योग से अधिकाश सर्वनामो के दानों वचनों में रूपान्तर हो जाता है। 'कोई और निजवाचक आप' का बहुवचन होता ही नहीं। क्या और कुछ का रूपान्तर ही नहीं होता, ये केवल विभक्ति रहित कर्त्ता और कर्म में प्रयुक्त होते हैं।

(२) 'आप', 'कोई', क्या' और 'कुछ को छोडकर शेष सर्वनामों के कम और सम्प्रदान कारकों मे 'को' विभक्ति के अतिरिक्त एकवचन में ए और बहुवचन में एँ भी लगता है। जैसे—जिसको—जिसे, जिनको—जिन्हें इत्यादि।

(३) सर्वनामों मे सम्बोधन कारक होता ही नहीं।

(४) पुरुषवाचक सर्वनामो (मैं, तू) में कर्त्ता कारक को छोड़ कर शेष कारको क एकवचन मे मैं का मुझ और तू का तुझ हो जाता है। सम्बध कारक मे मैं का 'मे' 'हम' का हमा, तू का ते और तुम का तुम्हा होकर सम्बध कारक क का, की, के चिह्न न लग कर रा, री, र लगते हैं। विभक्तियुक्त कर्त्ता के दोनो वचनो मे और सम्बंध कारक को छोड अन्य कारकों के बहुवचन में इनके रूपों में कोइ विकार नहीं होता केवल कारक की विभक्तियाँ लगा दी जाती हैं।

(५) पुरुषवाचक 'आप' आदरसूचक है और इसका रूप निज वाचक आप के रूप से भिन्न है। इसके एकवचन मे विभक्ति लगने से भी कोइ विकार उत्पन्न नहीं होता, पर बहुवचन में, बहुत्व का बोध करने लिए इसके साथ 'लोग', या 'सब' शब्द जोड कर इसका

रूप घर जैसे अकारन्त शब्द के समान बना लेते हैं। सम्बध कारक क दोनो वचनो मे ग, री, रे नहीं आकर का, की, के विमक्तियाँ ही जोडी जाती हैं। इसक एकवचन की भी क्रिया आदर सूचित करने के लिए बहुवचन मे आती है।

(६) निजवाचक आप का रूप केवल एक वचन में होता है। इसका विकृत रूप अपना' सम्बंध कारक में आता है और जो 'आप' में सम्बंध कारक की 'ना' विमक्ति के योग से बना है। इसके साथ कर्त्ता कारक की ने' विभक्ति नहीं आती, हाँ दूसरी विमक्तियो के जोडने से इसका रूप विकृत आकारान्त सज्ञा क एकवचन क ऐसा होता है। केवल सम्प्रदान कारक मे 'के लिए' के बदले 'लिए' आता है। कर्त्ता और सम्बध कारक को छाड शेष कारकों में 'आप' विकल्प से विमक्तियो से युक्त होकर प्रयुक्त होता है।

(७) निश्चयवाचक सर्वनामो के दोनो वचनो की कारक रचना में विकार होता है। एकवचन में 'यह' का 'इस', 'वह' का 'उस' और 'सो' का 'तिस', तथा बहुवचन मे क्रमश इन, उन और तिन आते हैं। इनके 'ने' युत कर्त्ता कारक के बहुवचन मे न के पहलेवाले न मे 'हों' भी विकल्प से जोडा जाना है। कर्म और सम्प्रदान कारकों के बहुवचन मे एँ के पहले न के साथ ह का सयोग हो जाता है। जैसे—इन्होने, उन्हे, इन्हें इत्यादि।

(८) सम्बधवाचक 'जो' और प्रश्नवाचक कौन' का रूपान्तर निश्चयवाचक सर्वनाम के समान होता है। 'जो' के रूप एकवचन

में 'जिस' और बहुवचन में 'जिन' तथा 'कौन' के क्रमश: कि
और 'किन' हैं।

(६) अनिश्चयवाचक सर्वनाम 'कोई' का बहुवचन होता नहीं। इसकी कारक-रचना केवल एकवचन में होती है। इसका विकृत रूप 'किसी' है। कर्म और सम्प्रदान में इसका केवल एक ही रूप आता है—एकान्तर रूप नहीं होता।

मैं शब्द का रूप

	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	मैं, मैंने	हम, हमने
कर्म	मुझको, मुझे	हमको, हमें
करण	मुझसे	हमसे
सम्प्रदान	मुझको, मुझे	हमको, हमें
अपादान	मुझसे	हमसे
सम्बन्ध	मेरा, री, रे	हमारा री रे
अधिकरण	मुझमें, पर	हममें, पर

तू शब्द का रूप

कर्त्ता	तू, तूने	तुम, तुमने
कर्म	तुझको, तुझे	तुमको, तुम्हें
करण	तुझसे	तुमसे
सम्प्रदान	तुमको, तुझे	तुमको, तुम्हें
अपादान	तुझसे	तुमसे
सम्बंध	तेरा, री, रे	तुम्हारा, री रे

	एकवचन	बहुवचन
अधिकरण	तुझमें, पर	तुम में, पर

पुरुषवाचक आप

कर्त्ता	आप, आपने	आप लोग, आप लोगो ने
कर्म	आपको	आप लोगों को
करण	आपसे	आप लोगों से
सम्प्रदान	आपको	आप लोगो को
अपादान	आपसे	आप लोगो से
सम्बंध	आपका, की, के	आप लोगो का, की, क
अधिकरण	आप में, पर	आप लोगो में, पर

नोट—(क) पुरुषवाचक सर्वनामो (मैं तू) में कर्त्ता के एकवचन और सम्बंध कारक को छोड शेष कारको मे अवधारण क लिए एकवचन मे इ और बहुवचन में ई या हीं आदेश करते हैं। जैसे—मुझी को, हम्हीं या हमी को।

(ख) आप लोग ने, आप लोग को आदि भी कहीं-कहीं प्रयोग मे देखे जाते हैं पर ऐसा प्रयोग अच्छा नहीं जँचता। आप शब्द के कर्म और सम्प्रदान कारको मे दुहरे रूप नहीं होत हैं।

निजवाचक आप

कर्त्ता	आप
कर्म	अपने को, आपको
करण	अपने से, आप से
सम्प्रदान	अपने को, आप को

अपादान	अपने स, आप से
सम्बध	अपना नी ने
अधिकरण	अपने मे, आप मे

नोट—(क) सम्बध कारक को छोड शेप कारकों में, अपना आप य साथ मिलकर भी आता है। जैसे—अपने आपको, अपने आप स इत्यादि।

(ख) जब अपना संज्ञा क समान व्यवहृत हो तो इसका रूप घोडा या लडका जैसे आकारान्त शब्दों क समान दोनो वचनो में होता है। जैस—अपन ने, अपनो ने इत्यादि। पहले अपने में मेल हो तो ले।

(ग) आपस शब्द भी आप ही का एक रूप है, जो प्राय सम्बध सज्ञा की नाई कवल सम्बन्ध और अधिकरण कारक में प्रयुक्त होता है। जैसे—आपस की लडाई म कोई लाभ तो होगा नहीं।

यह शब्द का रूप

	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	यह, इसने	यह, ये, इनने, इन्होंने
कर्म	इसको, इसे	इनको, इन्हें
करण	इससे	इनसे
सम्प्रदान	इसको इसे	इनको इन्हें
अपादान	इससे	इनसे
सम्बन्ध	इसका, की, क	इनका, की, क
अधिकरण	इसमें, पर	इनमें, पर

	एकवचन	बहुवचन
	यह शब्द का रूप	
कर्ता	यह, इसने	ये, ए, इनने, इन्होंने
कर्म	इसको, इसे	इनको, इन्हें
करण	इससे	इनसे
सम्प्रदान	इसको, इसे	इनको, इन्हें
अपादान	इससे	इनसे
सम्बंध	इसका, की, के	इनका, की, के
अधिकरण	इसमें, पर	इनमें, पर
	सो शब्द का रूप	
कर्ता	सो, तिसने	सो, तिनने, तिन्होंने
कर्म	तिसको, तिसे	तिनको, तिन्हें
करण	तिससे	तिनसे
सम्प्रदान	तिसको, तिसे	तिनको, तिन्हें
अपादान	तिससे	तिनसे
सम्बंध	तिसका, की, के	तिनका, की, के
अधिकरण	तिसमें, पर	तिनमें, पर
	जो शब्द का रूप	
कर्ता	जो, जिसने	जो, जिनने, जिन्होंने
कर्म	जिसको, जिसे	जिनको, जिन्हें
करण	जिससे	जिनसे
सम्प्रदान	जिसको, जिसे	जिनको, जिन्हें

	एकवचन	बहुवचन
अपादान	जिससे	जिनसे
सम्बध	जिसका की, क	जिनका की, क
अधिकरण	जिसमे, पर	जिनमे, पर

कौन शब्द का रूप

कर्त्ता	कौन, किमन	कौन, किनन, किन्होन
कर्म	किसको, किम	किनको, किन्हें
करण	किसस	किनस
सम्प्रदान	किसको किस	किनका, किन्हें
अपादान	किमसे	किनसे
सम्बध	किसका, को क	किनका, की, क
अधिकरण	किसम, पर	किनमे, पर

नोट—यह, वह सो, जो और कौन इन सर्वनामो म कर्त्ता कारक क विभक्तियुत जो दो-दो रूप आये हैं उनमे से दूसरा रूप अधिक प्रयोग में आता है।

कोइ शब्द का रूप

कर्त्ता	कोइ, किसी ने	बहुवचन नहीं होता
कर्म	किसी को	
करण	किसी मे	
सम्प्रदान	किसी को	
अपादान	किसी से	
सम्बध	किसीका, की, क	
अधिकरण	किसी में, पर	

नोट—(क) कहीं कहीं कोई का बहुवचन 'किन्हींने,' 'किन्हीं को' आदि प्रयोग में पाया जाता है पर ऐसा प्रयोग ठीक नहीं है।

(ख) जब वाक्य मे 'कोई' दो बार एक ही साथ कर्त्ता के रूप मे प्रयुक्त होता है तब उसकी क्रिया साधारणतः बहुवचन होती है। जैसे—कोई कोई कहते हैं। आदर के लिए भी 'कोई' की क्रिया साधारण नियम के अनुसार बहुवचन मे आती है। जैसे—कोई तो जरूर आनेवाले हैं।

क्या और कुछ—क्या प्रश्नवाचक और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इन दोनो के रूपान्तर नहीं होते। ये दोनों केवल कर्त्ता और कर्म के एकवचन मे विभक्ति रहित होकर आते हैं। जैसे—तुझे क्या हुआ है ? तुम तो कुछ नहीं जानते हो।

नोट—कोई कोई विशेषकर उर्दूवाले काहे से, काहे को, काहे का, काहे में आदि क्या क रूप लिखत हैं पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे—काहे को=क्यो, काहे से=क्योंकि इत्यादि।

अभ्यास

(१) 'कोई' 'मैं' और 'कौन' इन तीनों शब्दों के रूप कुल कारकों और दोनों वचनों में लिखो। (२) 'कौन' और 'क्या' में क्या भेद है ? (३) सर्वनाम के कितने भेद हैं ? (४) पुरुषवाचक सर्वनाम कौन-कौन हैं ?

५—विशेषण (Adjectives)

परिभाषा—*संज्ञा* के *गुण* या किसी प्रकार की विशेषता प्रगट करनेवाले शब्दों को विशेषण कहते हैं।

नोट—किसी संज्ञा के साथ विशेषण को लगा देने से उसकी ापकता मर्यादित या सीमित हो जाती है। जैसे—'काला घोड़ा' हने से घोड़ा जाति के केवल उसी पशु का बोध होगा जो काला , अर्थात् 'काला' विशेषण 'घोड़ा' की व्यापकता को सीमित र देता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जो विशेषण प्रयुक्त ोता है वह संज्ञा की व्यापकता को सीमित नहीं करता क्योंकि यक्तिवाचक संज्ञा तो केवल एक व्यक्ति विशेष का द्योतक है, तः स्वयं मर्यादित है। ऐसी संज्ञाओं में तो विशेषणों को जोड़ कर केवल उनके अर्थ को स्पष्ट करना है। जैसे—सुशील मोहन प्रतापी रावण, दानी बलि आदि। इन उदाहरणों में मोहन, रावण और बलि जो अलग अलग व्यक्तियों के नाम के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं क्रमशः सुशील प्रतापी और दानी विशेषणों के साथ आने पर भी इसी अर्थ में रह जाते हैं।

जब जातिवाचक संज्ञा के साथ उसका स्वाभाविक धर्म सूचित करनेवाला विशेषण आता है तब विशेषण के कारण उसके अर्थ की व्यापकता ज्यों की त्यों रह जाती है सीमित नहीं होती। जैसे—गर्म आग, ठंढा बर्फ, काला कौआ, चालाक लोमड़ी इत्यादि।

समानाधिकरण—किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो शब्द आते हैं उसे 'समानाधिकरण' कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा की व्यापकता कम नहीं करता, केवल उसके अर्थ को स्पष्ट करता है वह भी समानाधिकरण शब्द है। (यह बात ऊपर

के नोट से भलीभाँति समझ मे आ जायगी)। जैसे—'ठढी' हवा, 'अयोध्या के राजा' दशरथ आदि।

विशेष्य—विशेषण के योग से जिस सज्ञा की व्यापकता कम होती है अर्थात् विशेषण जिस सज्ञा की विशेषता प्रगट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे—'काला घोडा' इसमे 'काला' विशेषण है और 'घोडा' विशेष्य।

विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है। एक प्रयोग को विशेष्य विशेषण और दूसरे को विधेय विशेषण कहते हैं। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग होने से विशेष्य विशेषण और क्रिया के साथ प्रयोग होने से विधेय विशेषण होता है। जैसे—'निर्धन' विद्यार्थी (विशेष्य-विशे०)। वह विद्यार्थी 'निधन' है, (विधेय विशे०) विधेय-विशेषण समानाधिकरण होता है।

(क) विशेषणो के भेद

विशेषण के मुख्य ३ भेद हैं—(१) गुणवाचक (२) सख्यावाचक, (३) सार्वनामिक।

(१) गुणवाचक—गुणवाचक से गुण, अवस्था, रङ्ग, आकार, दशा आदि का बोध होता है। जैसे—नया, पुराना, काला, लाल, लम्बा, चौडा, दुबला, पतला, भला, बुरा, अच्छा इत्यादि।

गुणवाचक विशेषणो में हीनता का अर्थ प्रदर्शित करने के लिए 'सा' प्रत्यय जोडा जाता है। जैसे—'छोटी सी कुटिया'। सज्ञा के साथ नामक, सम्बन्धी और रूपी जोडकर विशेषण

बनाया जाता है। जैसे—हीरा नामक हाथी, घर सम्बंधी काम धर्म्म रूपी रथ इत्यादि।

गुणवाचक विशेषण के बदल प्राय सज्ञा का सम्बध कारक आता है। जैसे—बनैला पशु—बन का पशु।

जब गुणवाचक विशेषण का विशेष्य लुप्त रहता है तब उसका प्रयोग सज्ञा के समान होता है। जैसे—गरीब को धन दो। 'बडो का' कहा मानो।

(२) सख्यावाचक—सख्यावाचक से सख्या, परिमाण आदि का बोध होता है। जैसे—एक दो थोडा, पहला आदि।

सख्यावाचक विशेषण के ३ भेद हैं—(क) निश्चित सख्या वाचक (ख) अनिश्चित सख्यावाचक और (ग) परिमाण वाचक।

(क) निश्चित सख्यावाचक से वस्तुओ की निश्चित सख्या का बोध होता है। जैसे—'एक' लडका। 'दश' मनुष्य 'पाव भर' आटा। 'पाँचों' अगुलियाँ इत्यादि।

नोट—(१) निश्चितवाचक विशेषण के पाँच भेद हैं—(१) गणना वाचक, जैसे—एक दो, ढाई, हजार लाख आदि। (२) (२) क्रमवाचक—पहला दूसरा तीसरा चौथा आदि, (३) आवृत्तिवाचक—दुगुना चौगुना सौगुना आदि। (४) समुदायवाचक—चारो दोनो आठों और (५) प्रत्येक बोधक—प्रत्येक हर हर-एक प्रति, फी आदि।

(२) गणनावाचक के दो भेद हैं—(१) पूर्णाक-बोधक—दो, चार, सात आदि पूर्णाक सख्या को कहते हैं। (२)

अपूर्णाकबोधक—पाव, आधा पौन, ढाई, साढेतीन आदि अपूर्णांक को सूचित करनवाली सख्या को कहते हैं। ये विशेषण शब्दो मे तथा अको में दोनो तरह से लिखे जाते हैं।

(ख) अनिश्चित सख्यावाचक—जिस सख्यावाचक विशेषण से किसी निश्चित सख्यावाचक का बोध नहीं हो। जैसे—'थोडा' आम 'बहुत' आदमी, अनक घोड़े, 'कितने' लोग इत्यादि।

(ग) परिमाणवाचक—जिम विशेषण से किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध होता है। जैसे—थोडा पूरा सारा सब इत्यादि।

नोट—प्राय सभी अनिश्चित सख्यावाचक विशेषणो से जब सख्या का बोध न होकर परिमाण या नाप का बोध होता है तब व परिमाणवाचक विशेषण हो जात हैं। परिमाणवाचक विशेषण प्राय एकवचन सज्ञा के साथ आता है। जैसे—सब लोग, सब धान, बहुत गाय बहुत घी, पूरा टुकडा, पूरा आनन्द इत्यादि। इसीलिए किसी-किसी व्याकरण में परिमाणवाचक विशेषण को सख्यावाचक विशेषण से भिन्न एक स्वतन्त्र भेद लिखा है।

(३) सार्वनामिक विशेषण—पुरुष वाचक और निज वाचक सर्वनामों को छोडकर शेष सर्वनाम कभी-कभी विशेषण के समान भी प्रयुक्त होते हैं। जब इनके साथ सज्ञा का प्रयोग होता है तब य विशेषण हो जाते हैं। ऐसे सार्वनामिक शब्द सार्वनामिक-विशेषण कहलात हैं। जैसे—राम बडा सुशील लडका है। 'वह' पाँचवें वर्ग में पढता है। इसमें वह 'राम' के बदले मे अकेले आया है इसलिए

सर्वनाम है। मगर 'वह' राम जो पाँचवें वर्ग में पढता है बडा सुशील है—इसमें 'वह' विशेषण के समान प्रयुक्त हुआ है इसलिए सार्वनामिक विशेषण है।

व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के दो भेद हैं—(१) मूल सर्वनाम और (२) यौगिक सर्वनाम।

मूल सर्वनाम—जो बिना किसी रूपान्तर के संज्ञा के साथ व्यवहृत होता है। जैसे—वह नौकर यह गाय, कोई मनुष्य।

यौगिक सर्वनाम—मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाने से जो विशेषण बनता है वह यौगिक सर्वनाम कहलाता है। जैसे—ऐसा लडका, इतना धन कैसा घर इत्यादि।

यह', 'वह', 'जो' 'सो' और 'कौन' के रूप, 'इस', 'उस' 'जिस', 'तिस' और 'किस' के अन्त्य 'स' की जगह 'तना' कर देने से अथवा उनके 'इ' को 'ए' और 'उ' को 'वै' कर अन्त्य 'स' का सा करने से सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं। जैसे—

यह—इस	इतना—ऐसा
वह—उस	उतना—वैसा
जो—जिस	जितना—जैसा
सो—तिस	तितना—तैसा
कौन—किस	कितना—कैसा

नोट—ऊपर दिखाये गये शब्दों में इतना, उतना, जितना तितना और कितना परिमाणवाचक सार्वनामिक विशेषण और ऐसा, वैसा जैसा तैसा और कैसा गुणवाचक सार्वनामिक

विशेषण हैं। इन शब्दों का प्रयोग अव्यय या क्रियाविशेषण के समान भी होता है।

(ख) विशेषण का रूपान्तर

हिन्दी में आकारान्त विशेषणों को छोड शेष विशेषणों के रूप में कोई विकार नहीं होता है। यहाँ पर यह ख्याल रखना चाहिए कि विशेषण के वही लिंग, वचन और कारकादि होते हैं जो उसके विशेष्य के होते हैं, इसलिए विकृत विशेषणों का विकार संज्ञाओं के ही समान उनके अंत के अनुसार होता है।

आकारांत विशेषण में विकार होने के वही नियम हैं जो सम्बंध कारक के 'का' विभक्ति के लिए हैं। अर्थात्—

(१) स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ आकारान्त विशेषण इकारान्त हो जाते हैं। जैसे—अच्छा लडका, अच्छी लडकी।

(२) पुलिंग विशेष्य बहुवचन अथवा विभक्तियुत पुलिंग के साथ विशेषण के अन्त्य 'आ' का 'ए' हो जाता है। जैसे—बडे वृक्ष, बडे वृक्ष पर, बड़े वृक्षों पर।

(३) पुलिंग एकवचन कर्ता कारक में विभक्ति रहित व्यवहृत विशेष्य के साथ आकारान्त विशेषण का रूप अपरिवर्तित रहता है। जैसे—छोटा लडका जाता है।

संस्कृत के तत्सम विशेषणों का रूप ज्यों का त्यों रहता है। कभी कभी शब्दमाधुर्य के लिये स्त्रीलिंग में विकार उत्पन्न कर दिया जाता है। जैसे—मनोहारिणी वाटिका खटकनेवाले संस्कृत

विशेषणों के स्त्रीलिङ्ग में विकृत रूप हो जाते हैं। जैसे—श्रीमान् —श्रीमती। गुणवान्—गुणवती आदि।

सार्वनामिक विशेषणों के रूपों में सर्वनाम ही के अनुसार विकार होता है। जैसे—यह बालक। इस बालक को इत्यादि।

हीनता या महत्ता प्रदर्शित करने के लिए कभी कभी गुण वाचक विशेषणों के साथ 'सा' प्रत्यय जोड़ा जाता है। इस प्रत्यय के रूप में भी आकारान्त विशेषण के समान परिवर्तन होता है। जैसे-नीली सी साड़ी, छोटी सी कुटिया, पीले से पत्ते इत्यादि।

विशेषणों के अतिरिक्त संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ भी 'सा' प्रत्यय नीचे लिखी अवस्थाओं में जोड़ा जाता है —

(क) समता का भाव प्रदर्शित करने के लिए किसी संज्ञा या सर्वनाम को विशेषण बनाने की अवस्था में। जैसे—खड्ग सा हथियार। मुझसा पापिनी, तुमसा मित्र इत्यादि।

(ख) सम्बन्ध कारक के साथ केवल उसी की नहीं बल्कि उसके सम्बन्धी की भी समता दिखाने के लिए उसे विशेषण बनाने की अवस्था में। जैसे—पण्डित की सी बोली। हाथी का सा मुँह। यहाँ पण्डित की सी बोली या हाथी का सा मुँह का मतलब है पण्डित की बोली सी बोली या हाथी के मुँह सा मुँह।

(ग) तुलना (Comparison)

दो या दो से अधिक वस्तुओं के गुणों में जब मिलान किया जाता है तब उस मिलान को तुलना कहते हैं। तुलना के विचार

से विशेषणो की तीन अवस्थाएं होती हैं—(१) मूलावस्था, (२) उत्तरावस्था और (३) उत्तमावस्था।

(१) मूलावस्था - जिस विशेषण से किसी वस्तु की तुलना न की जाय उसे मूलावस्था कहते हैं। जैसे—लाल गाय चरती है।

(२) उत्तरावस्था - विशेषण का वह रूप जिससे दो वस्तुओं मे से किसी एक के गुण की अधिकता या न्यूनता का बोध हो। जैसे—यह गाय उस गाय से अधिक लाल है।

(३) उत्तमावस्था—विशेषण का वह रूप जिसमें दो से अधिक वस्तुओं मे एक के गुण की अधिकता या न्यूनता का बोध हो। जैसे—वह पेड सभी पेडो से बडा है।

हिन्दी मे विशेषणो की तुलना करने से कोई नियमबद्ध विकार उत्पन्न नहीं होता, पर हाँ संस्कृत के कुछ तत्सम विशेषणों की मूलावस्था मे तर और तम को जोडकर क्रमश उत्तरावस्था और उत्तमावस्था का रूप दे देते हैं। जैसे—प्रिय-प्रियतर—प्रियतम। उच्च - उच्चतर—उच्चतम। कोमल—कोमलतर—कोमलतम आदि।

हिन्दी विशेषणो की अवस्था मे नीचे लिखे नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जाता है—

(क) दो वस्तुओं मे किसी के भी गुण की अधिकता या न्यूनता सूचित करने के लिए जिस वस्तु के साथ तुलना करते हैं उसका नाम अपादान कारक म लिखा जाता है और जिस वस्तु

(क) क्रिया के भेद

क्रिया के दो भेद हैं—(१) सकर्मक (२) अकर्मक। जिस क्रिया का फल कर्ता से निकल कर कर्म पर पड़े अर्थात् जिसमें कर्म लग सके उसे सकर्मक कहते हैं। जैसे—वह अन्न खाता है। राम ने रावण को मारा। इन दोनों वाक्यों में 'खाता है' और 'मारा' क्रियाओं के फल क्रमश: 'आम' और 'रावण' पर पड़ते हैं, अतएव ये दोनों सकर्मक क्रियाएं हैं। पहले वाक्य में राम के द्वारा खाने का काम तो होता है पर उस का फल 'आम' पर है इसलिए 'खाता' है सकर्मक है। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में भी कर्ता की क्रिया (मारा) का फल कर्म पर है।

जिस क्रिया का करना या होना और उसका फल दोनों कर्ता ही पर पड़े अर्थात् जिसमें कर्म न लग सके उसे अकर्मक कहते हैं, जैसे—गाड़ी चलती है। इस वाक्य में 'चलती है' क्रिया का व्यापार (गाड़ी का चलना) और उसका फल 'गाड़ी' पर ही पड़ता है इसलिए 'चलती है' क्रिया अकर्मक है। उसी प्रकार मैं सोता हूँ, राम जाग पड़ा, मोहन हँसता है—इन वाक्यों में 'सोता हूँ', 'जाग पड़ा' और 'हँसता है' क्रियाएं अकर्मक हैं।

प्राय: देखा जाता है कि लड़के सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को पहचानने में अक्सर भूल किया करते हैं। मोटे तरह में उन्हें पहचानने का तरीका यह है कि किसी भी क्रिया के पहले 'किसको' शब्द जोड़कर प्रश्न करने पर अगर उत्तर आवे तो उसे सकर्मक और उत्तर न आवे तो अकर्मक समझना

चाहिए। जैसे—'पढ़ता है' इसके पहले 'किसको' जोड़ देने से किसको पढ़ता है? होता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 'पोथी को पढ़ता है' या किताब पढ़ता है। अतएव 'पढ़ता है' क्रिया सकर्मक है। इसी प्रकार 'सोता है' के पहले किसको जोड़ने से 'किसको सोता है?' होता है। इस प्रश्न का उत्तर कुछ नहीं होगा अतएव 'सोता है' अकर्मक क्रिया है।

कुछ ऐसी भी क्रियाएँ हैं जो प्रयोग के अनुसार अकर्मक और सकर्मक दोनो होती हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं —

अकर्मक	सकर्मक
मेरा पैर 'खुजलाता है'	मै पैर खुजलाता हूँ
मेरा जी घबड़ाता है'	मुझे विपद् 'घबड़ाती है'।
बूँद-बूँद करके तालाब 'भरता है'।	शुक 'भर भर' आखें मौन को देखता है।
फिडल मे गाड़ी 'बदलेगी'।	जमाना रंग 'बदलता है'।
जी 'ललचाता' है।	राम सोहन को 'ललचाता' है।
वह शान मे 'ऐंठ रहा है'।	वह रस्सी 'ऐंठ रहा है'।

बहुत सी सकर्मक क्रियाएँ तो केवल एक ही कर्म लेती हैं पर किसी किसी सकर्मक क्रिया का अर्थ एक कर्म से पूरा नहीं होता, इसलिए वह अर्थ पूरा करने के लिए दो कर्म लेती है। ऐसी क्रियाएँ द्विकर्मक कहलाती हैं। जैसे—उसने गरीब को धन दिया। इस वाक्य में 'दिया' सकर्मक क्रिया के साथ 'गरीब को

और, 'धन' ये दोनों कर्म होकर प्रयुक्त हुए हैं। अत 'दिया' द्विकर्मक है। द्विकर्मक क्रिया का पहला कर्म वस्तु-सूचक होता है जिसे मुख्य कर्म कहते हैं और दूसरा प्राणिबोधक होता है जिसे गौण कर्म कहते हैं।

नोट—देना कहना, बतलाना, पढाना, सिखाना आदि द्विकर्मक सकर्मक हैं।

कुछ सकर्मक क्रियाएँ ऐसी हैं—जैसे, करना, बनाना, समझना पाना चुनना, मानना आदि—जिनका आशय कर्म के रहत भी कभी कभी पूरा नहीं होता है, इसलिए उनके साथ पूर्ति के रूप में कोई संज्ञा या विशेषण आता है जिसे कर्म-पूर्ति कहते हैं, और ऐसी क्रियाएँ अपूर्ण सकर्मक कहलाती हैं। जैसे—मैंने साँप को 'रस्सी' समझा था। अकबर ने मानसिंह को अपना 'सेनाध्यक्ष' बनाया। साहित्य परिषद् ने प्रभातजी को अपना 'प्रतिनिधि' चुना।

नोट—जब उपर्युक्त क्रियाओं की पूर्ति की आवश्यकता नहीं होती तब वे अपूर्ण नहीं कहलातीं हैं। जैसे—उसने एक पिंजरा बनाया।

जब कभी कभी अकर्मक क्रिया में उसी धातु से बनी हुई भाव वाचक संज्ञा कर्म के रूप मे आती है तब वह सकर्मक हो जाती है और कर्म 'सजातीय कर्म' (Cognate object) कहलाता है। जैसे—सब लडके एक मजेदार 'खेल' खेल रहे हैं। वह सौ गज की 'दौड' दौड रहा है। वह कई 'लडाइयाँ' लड चुकी इत्यादि।

सकर्मक क्रिया की भाँति अकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं—

(१) पूर्ण अकर्मक (२) अपूर्ण अकर्मक । जिसके कहने से पूरा अर्थ निकल आवे उसे पूर्ण अकर्मक कहते हैं । जैसे—मैं हँसता हूँ, वह सोता है इत्यादि । पर जो अकर्मक क्रिया अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी सहायक की अपेक्षा करे उसे अपूर्ण अकर्मक कहते हैं । जैसे—'वह भिखारी हो गया' ।

होना, बनना, रहना, दिखना, ठहरना, निकलना आदि अपूर्ण अकर्मक क्रियाएँ हैं । इन क्रियाओं की पूर्ति क लिए आये शब्दों को उद्देश्य-पूर्ति कहते हैं ।

अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं से बिना पूर्ति के भी कभी कभी साधारण अर्थ में पूरा आशय प्रगट हो जाता है । ऐसी अवस्था में वे अपूर्ण भी नहीं कहलातीं । जैसे—भोर हुआ, सूरज निकला । अब तारे नहीं दिखाई पड़ते, इत्यादि ।

जब सकर्मक क्रिया के व्यापार का फल किसी विशेष पदार्थ पर न पड़कर सब पदार्थों पर पड़ता है तब उसके कर्म की आवश्यकता नहीं रहती । जैसे—ईश्वर की कृपा से अंधा देखता है, बहरा सुनता है और गूंगा बोलता है ।

अभ्यास

(१) धातु किसे कहते हैं ? (२) क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं ? (३) सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं ? (४) कब-कब सकर्मक क्रिया अकर्मक और अकमक क्रिया सकर्मक हो जाती हैं ? उदाहरण सहित समझाओ । (५) द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं ? (६) अपूर्ण अकमक और अपूर्ण सकर्मक किसे कहते हैं ? सोदाहरण समझाओ ।

(ख) वाच्य (Voice)

क्रिया के तीन वाच्य होते हैं—(१) कर्तृ-वाच्य, (२) कर्म वाच्य और (३) भाववाच्य। किसी किसी व्याकरण में इन्हें क्रमश कर्तृप्रधान, कर्मप्रधान और भावप्रधान भी कहा है।

(१) जिस क्रिया से यह जाना जाय कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्त्ता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे—घोडा घास खाता है। वह मैदान में दौड़ता है इत्यादि।

(२) जिस क्रिया से यह जाना जाय कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे—रोटी खायी जाती है। गीत गाया जाता है इत्यादि।

(३) जिस क्रिया से यह जाना जाय कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्त्ता या कर्म कोई नहीं है, उसे भाव वाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया स्वयं प्रधान रहती है। जैसे—अब मुझसे बैठा नहीं जाता।

नोट—जब कर्म कर्त्ता की भाँति प्रयुक्त हो तब उसकी क्रिया कर्मवाच्य कहलाती है। जैसे—तलवार चलने लगी। कलम चलती नहीं है। पानी बरस रहा है इत्यादि।

कर्तृवाच्य क्रियाए सकर्मक और अकर्मक दोनो होती हैं, कर्मवाच्य केवल सकर्मक और भाववाच्य केवल अकर्मक होता है।

कर्तृवाच्य और भाववाच्य में कर्त्ता, करण कारक के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे—'मुझ से' रोटी खायी गयी। अब 'मुझ से' बैठा भी नहीं जाता इत्यादि।

जनना, भूलना, खोना आदि कुछ सकर्मक क्रियाएँ प्राय कर्मवाच्य मे प्रयुक्त नहीं होतीं।

अभ्यास

(१) वाच्य किसे कहते हैं ? सब के सोदाहरण लक्षण लिखो । (२) "तलवार चलने लगी" और "पानी बरस रहा है"—इन दोनों वाक्यों की क्रियाएँ किस वाच्य में हैं ? (३) कौन-कौन सकर्मक क्रियाएँ कर्मवाच्य में प्रयुक्त नहीं होती हैं ?

(ग) काल (Tense)

क्रिया के करने वा होने मे जो समय व्यतीत होता है वह काल कहलाता है। इसके तीन भेद हैं—(१) भूत (२) वर्त्तमान और (३) भविष्यन् ।

जिस क्रिया से बीता हुआ समय जाना जाय उसे भूत-काल, जिसका आरम्भ तो हो गया पर समाप्ति नहीं हुई है उसे वर्तमानकाल और आनेवाले समय को भविष्यत्काल कहते हैं। जैसे—

भूतकाल	वर्तमानकाल	भविष्यत्काल
मैंने खाया	मैं खाता हूँ	मैं खाऊँगा
वह जाता था	वह जाता है	वह जायगा
वह चला गया	वह चलता है	वह चलेगा इत्यादि।

भूतकाल के ६ भेद हैं—(१) सामान्यभूत, (२) आसन्न भूत, (३) पूर्णभूत, (४) अपूर्णभूत, (५) सदिग्धभूत और (६) हेतुहेतुमद्भूत ।

(१) सामान्यभूत—जिससे भूतकाल की सामान्यता समझी जाय विशेषता नहीं। जैसे—वह आया, मैं गया आदि।

(२) आसन्नभूत—जिससे यह बोध हो कि काम भूतकाल से आरम्भ होकर अभी समाप्त हुआ हो। जैसे—मैंने खाया है। वह अभी सोया है। उसने खेल देखा है इत्यादि।

नोट—आसन्नभूत को किसी किसी व्याकरण में पूर्ण वर्तमान भी लिखा है।

(३) पूर्णभूत—जिससे यह ज्ञात हो कि काम हुए बहुत समय बीत चुका। जैसे—मैं गया था, उसने खाया था आदि।

(४) अपूर्णभूत—जिससे यह जाना जाय कि काम गतकाल में पूरा नहीं हुआ किन्तु जारी रहा। जैसे—वह देखता था मैं सोता था।

नोट—जिस अपूर्णभूत का होता रहना तत्काल ही जान पड़े उसे तात्कालिक अपूर्णभूत कहते हैं। जैसे—वह देख रहा था। मैं सो रहा था।

(५) सदिग्धभूत—जिसके होने में सन्देह रहे। जैसे—मैंने देखा होगा। वह सोया होगा।

(६) हेतुहेतुमद्भूत—जिस क्रिया में व्यापार और उसके कारण का फल भूतकाल में कहा जाय। जैसे—अगर मैं पढ़ा होता तो यह कष्ट नहीं भोगना पड़ता। मरता क्या न 'करता'।

वर्तमानफाल के तीन भेद हैं—(१) सामान्य वर्तमान, (२) सदिग्ध वर्तमान और (३) तात्कालिक वर्तमान।

(१) सामान्य या साधारण वर्तमान—जिससे वर्तमानकाल की सामान्यता जानी जाय। जैसे—वह पढ़ता है। मैं खाता हूँ। लड़का खेलता है।

(२) संदिग्ध वर्तमान—जिस वर्तमान की क्रिया से सन्देह सूचित हो। जैसे—वह पढ़ता होगा। राम सोता होगा।

(३) तात्कालिक वर्तमान—जिस वर्तमानकाल की क्रिया का होना उसी क्षण ज्ञात पड़े। जैसे—वह खा रहा है। राम घर जा रहा है। कृष्ण वंशी बजा रहे हैं।

नोट—तात्कालिक वर्तमान को कहीं कहीं अपूर्ण वर्तमान काल लिखा है।

भविष्यत्काल के दो भेद हैं—(१) सामान्य या साधारण भविष्यत् (२) सम्भाव्य भविष्यत्।

(१) सामान्य भविष्यत्—जिससे भविष्यत् कालिक क्रिया की केवल सामान्यता सूचित हो। जैसे—मैं जाऊँगा। वह खायगा। राम बैठेगा।

(२) सम्भाव्य भविष्यत्—जिस क्रिया से भविष्य में काम करने या होने की केवल इच्छा मात्र प्रगट हो चाहे वह काम पीछे जाकर हो या न हो। जैसे मैं जाऊ, राम खावे।

नोट—इसे सम्भावना भविष्यत् भी कहते हैं। इस काल की क्रिया कभी साधारण रूप में भी आती हैं जैसे—यदि चलना तो मुझे भी साथ ले चलना।

अन्य भेद

(१) विधि क्रिया—जिस क्रिया मे आज्ञा या अनुरोध पाया जाय उसे विधि क्रिया कहते हैं। जैसे, जरा बाजार तो 'जाओ'। इधर सुन तो 'लीजिए'।

विधि क्रिया के चार भेद हैं —

(१) साधारण— आओ, जाओ, खाओ।
(२) आदर विधि— आइये, जाइये, खाइये।
(३) प्रार्थना विधि— आइयेगा जाइयेगा, खाइयेगा।
(४) परोक्ष विधि— आइयो, जाइयो, खाइयो।

नोट—कभी-कभी क्रिया का साधारण रूप ही विधि क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे—भाई जरा पानी तो 'लाना'।

(२) पूर्वकालिक क्रिया—जब कर्त्ता एक क्रिया कर के दूसरी क्रिया किसी भी काल में करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे—वह 'खाकर' सो रहा । मैंने वहाँ 'जाकर' नाटक देखा।

नोट—यह क्रिया कभी अकेली नहीं आती। दूसरी क्रिया के साथ आती है, इसलिए इसे असमापिका क्रिया भी कहते हैं। इसके चिह्न 'कर' और 'कर के' हैं। कभी कभी यह चिह्नरहित भी प्रयुक्त होती है। जैसे—तुझे 'छोड़' कैसे जाऊ।

(घ) क्रियाओं का रूपान्तर

विकारी शब्दों के अन्तर्गत रहने के कारण सञ्ज्ञा आदि विकारी शब्दो की नाईं क्रिया मे लिंग, वचन और पुरुष होते हैं

और इनके कारण इसमें विकार उत्पन्न होता है। जैसे—मैं गया। लड़की गयी। वे जाते हैं।

नोट—(क) यहाँ पर यह ध्यान मे रखना आवश्यक है कि बकना, बोलना, लाना, ले जाना, खाजाना आदि कुछ क्रियाओं को छोड़कर शेष सकर्मक क्रियाओं के सामान्यभूत, आसन्नभूत, पूर्णभूत और संदिग्धभूत काल की क्रियाओं मे कर्त्ता का ने चिह्न आता है। (पूरा विवरण कारक-प्रकरण में देखो)।

(ख) 'ने' चिह्नयुत कर्त्ता की क्रिया के साथ अगर कर्म न आवे तो क्रिया तीनों पुरुषों और दोनो वचनो मे एक वचन पुलिंग और अन्य पुरुष होगी। (वाक्य प्रकरण मे देखो)।

काल-रचना के नियम

यों तो सभी काल की क्रियाएँ धातु से ही बनती हैं पर सामान्यभूत, हेतुहेतुमद्भूत, भविष्यत् विधि और पूर्वकालिक क्रियाएँ धातु में नाममात्र के हेर फेर करने से बन जाती हैं और शेष क्रियाएँ इन्हीं क्रियाओं मे थोड़ा-बहुत फेर-बदल करने से बनती हैं।

सामान्यभूत से आसन्नभूत, पूर्णभूत और संदिग्धभूत काल की क्रियाएँ बनती हैं।

हेतुहेतुमद्भूत से अपूर्णभूत, सामान्य वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएँ बनती हैं। नीचे सब क्रियाओं के बनने का तरीका स्पष्ट कर दिया जाता है।

(क) धातु से बननेवाली क्रियाएँ

(१) हेतुहेतुमद्भूत—इस काल की क्रिया का चिह्न है 'ता'। धातु के आगे लिंग वचन के अनुसार ता—ते—ती—तीं लगाने से इस काल की क्रिया बनती है।

(२) सामान्यभूत—इस काल की क्रिया का चिह्न है 'आ' अथवा 'या'। धातुओं का अन्त्य स्वर अगर अ या ऊ रहे तो उसके आगे एक वचन में आ तथा बहुवचन में ए कर देने से और अगर अ या ऊ से भिन्न रहे तो उन स्वरों के आगे एक वचन में या और बहुवचन में ये लाने से पुलिंग और सभी के लिए एकवचन में ई और बहुवचन में ईं लगाने से स्त्रीलिंग सामान्यभूत की क्रियाएँ बनती हैं। प्रत्यय जोडने के पहले धातुओं के अन्त्य स्वरों में ई और ए का इ एव ऊ का उ हो जाता है। जैसे—

धातु	सामान्यभूत एकवचन	सा० भू० बहुवचन	सा० भू० स्त्रीलिंग
देख	देखा (आ)	देखे (ए)	देखी (ई)
छू	छुआ (आ)	छुए (ए)	छुई (ई)
खा	खाया (या)	खाये (ये)	खाई (ई)
दे	दिया (या)	दिये (ये)	दी (ई)

नोट—(क) होना, जाना और करना इन क्रियाओं के सामान्यभूत ऊपर के नियमों से भिन्न तरीके से बनाये जाते हैं। जैसे—हो—हुआ, हुए हुई। जा—गया, गये, गई। कर—किया किये की।

(ख) कोई-कोई ऐसी सामान्यभूत क्रियाओं का, जिनके आगे 'या' रहता है स्त्रीलिंग 'या' का 'यी' आदेश कर बनाते हैं। यद्यपि पुलिंग स स्त्रीलिंग बनाने के नियमानुसार यही नियम अधिक दुरुस्त है फिर भी बहुत लोग 'यी' न लिखकर 'ई' ही लिखते हैं। जैसे—खाया—खाई। रोया—रोई। पिया—पी।

(ग) अब 'ये' की जगह सामान्यभूत काल की क्रियाओं में 'ए' लिखने की प्रथा चल पड़ी है। अगर लोग 'या' का स्त्रीलिंग रूप 'यी' लिखना अनुचित समझते हैं तो मेरी समझ में इसका बहुवचन रूप 'ये' लिखना भी उतना ही अनुचित समझा जाना चाहिए। इसलिए 'ये' के बदले 'ए' लिखना ही ठीक है। जैसे—खाया—खाये—खाए। गया—गये—गए।

(घ) कुछ लोग हुआ को हुवा, हुया और हुए को हुवे, हुये लिखते हैं—पर ऐसा लिखना न नियमानुसार ही ठीक कहा जायगा और न श्रुति माधुर्य्य की दृष्टि से ही।

(३) सम्भाव्य भविष्यत्—धातुओं क अन्त्य स्वर अ के स्थान पर वचन और पुरुष के अनुसार ऊँ—एँ, ए—ओ और ए—एँ आदेश कर देने से तथा अ से भिन्न स्वर के आगे ऊँ तथा व् या य् जोड देने से सम्भाव्य भविष्यत् काल की क्रियाएँ बनती हैं। जैसे—देख - देखूँ, देखें, देखे, देखो। जा—जाऊँ, जावें जावो, इत्यादि।

नोट—सम्भाव्य भविष्यत् क स्त्रीलिंग रूप में कोई रूपान्तर नहीं होता।

(४) सामान्य भविष्यत्—सम्भाव्य भविष्यत् क्रियाओं क आगे लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार गा—गे—गी आदेश करने से सामान्य भविष्यत् काल की क्रियाएँ बनती हैं। जैसे—देखूँगा—देखेंगे।

(५) विधि—साधारण तरीक से विधि क्रियाओं के रूप ठीक सम्भाव्य भविष्यत् काल के समान होते हैं केवल एक वचन मध्यम पुरुष में धातुमात्र ही रूप होता है, इस क्रिया में भी स्त्रीलिंग के कारण रूपान्तर नहीं होता। जैसे—देख—देखूँ देखें देख, देखो इत्यादि।

नोट—(क) स्वराघात स ही विधि और सम्भाव्य भविष्यत् क प्रयोग में भेद मालूम पड़ता है।

(ख) धातु क आगे 'इये' लगाने से आदर विधि 'इयो' से परोक्ष विधि और आदर विधि क आगे 'गा' आदेश करने से प्रार्थना विधि की क्रियाएँ बनती हैं। जैसे—देखिये—देखियो—देखियेगा। ये विधि क्रियाएँ केवल मध्यम पुरुष म आती हैं। करना, लेना देना होना आदि के रूप अनियमित हैं। जैसे—करना—कीजिए, कीजियो, किजियेगा।

(६) पूर्वकालिक क्रिया—इससे लिंग वचन और पुरुष का भेद नहीं है। धातु के आगे क, कर, करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। कभी कभी केवल धातुमात्र का ही इस क्रिया क लिए प्रयोग करते हैं। जैसे—वह 'खाक' या 'खाकर' सो गया। वह कुल चीज़ यहीं 'छोड़' कहाँ चला गया?

(ख) हेतुहेतुमद्भूत से

(१) अपूर्णभूत—हेतुहेतुमद्भूत क्रिया क आगे लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार था, थे, थी, थीं, लगाने से अपूर्णभूत काल की क्रियाएँ बनती हैं। जैसे –जाता—जाता था, जाते थे, जाती थी।

(२) सामान्य वर्तमान—हेतुहेतुमद्भूत क्रिया के आगे लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हूँ, हैं, है, हो, है, हैं जोड देने से सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएँ होती हैं। जैसे—जाता हूँ, जाते हैं, जाते हो, जाती है आदि।

(३) सदिग्ध वर्तमान—हेतुहेतुमद्भूत क्रिया के आगे लिंग, वचन और पुरुष क अनुसार होगा होंगे होगी, होंगी क जोड देन से सदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएँ बनती हैं। मध्यम पुरुष के बहुवचन में अनुस्वार नहीं होता। जैसे—देखता होगा, देखते होगे, देखती होगी आदि।

नोट—(क) केवल हूँ है, हैं आदि सामान्य वर्तमान के चिह्नो का जब अकेले प्रयोग होता है तब भी ये सामान्य वर्तमान ही होते हैं और 'होना' क्रिया के रूपान्तर समझे जाते हैं।

(ख) केवल 'था', 'थी', 'थे' अपूर्णभूत काल की क्रिया मानी जाती हैं। ये 'होना' क्रिया से बने 'हूँ', है' आदि के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार अपूर्णभूत कालिक रूप हैं।

(ग) सामान्यभूत से

...ान्यभूत कालिक

लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हूँ, हैं, है, हो के जोड देने से सामान्यभूत काल की क्रियाएँ बन जाती हैं। जैसे—देखा हूँ, देखा है, देखे हैं, देखी है इत्यादि।

(२) पूर्णभूत—सामान्यभूत काल की क्रियाओं के आगे लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार था, थे, थी, थीं के लगाने से पूर्णभूतकालिक क्रियाएँ बनती हैं। जैसे—देखा था, देखी थी, देखे थे इत्यादि।

(३) सन्दिग्धभूत—सामान्यभूत काल की क्रियाओं के आगे लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगा, होगे, होगी, होगीं के लगाने से सन्दिग्धभूत काल की क्रियाएँ बनती हैं। मध्यम पुरुष बहुवचन में अनुस्वार उड़ जाता है। जैसे—देखा होगा, देखे होंगे, देखी होगी आदि।

रूपावली

अकर्मक क्रिया

सोना क्रिया (सो धातु)

(क) सामान्यभूत

	कर्त्ता पुंलिंग		कर्त्ता स्त्रीलिंग	
	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०	मैं सोया	हम सोये (ए)	मैं सोई (यी)	हम सोईं (यीं)
म०	तू सोया	तुम सोये (ए)	तू सोई	तुम सोईं
अ०	वह सोया	वे सोये (ए)	वह सोई	वे सोईं

सामान्यभूत से बनी क्रियाएँ

कर्त्ता पुलिंग		कर्त्ता स्त्रीलिंग	
एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन

(१) आसन्नभूत

उ० मैं सोया हूँ	हम सोये हैं	मैं सोई हूँ	हम सोई हैं
म० तू सोया है	तुम सोये हो	तू सोई है	तुम सोई हो
अ० वह सोया है	वे सोये हैं	वह सोई है	वे सोई हैं।

(२) पूर्णभूत

उ० मैं सोया था	हम सोये थे	मैं सोई था	हम सोई थीं
म० तू सोया था	तुम सोने थे	तू सोई थी	तुम सोई थीं
अ० वह सोया था	वे सोये थे	वह सोई थी	वे सोई थीं।

(३) सन्दिग्धभूत

उ० मैं सोया होगा	हम सोये होंगे	मैं सोई होगी	हम सोई होंगी
म० तू सोया होगा	तुम सोये होगे	तू सोई होगी	तुम सोई होगी
अ० वह सोया होगा	वे सोये होंग	वह सोई होगी	वे सोई होंगी

(४) हेतुहेतुमद्भूत

उ० मैं सोता	हम सोते	मैं सोती	हम सोतीं
म० तू सोता	तुम सोते	तू सोती	तुम सोतीं
अ० वह सोता	वे सोते	वह सोती	वे सोतीं

हेतुहेतुमद्भूत काल से बनी क्रियाएँ

(१) अपूर्णभूत

उ० मैं सोता था	हम सोते थे	मैं सोती थी	हम [illegible]
म० तू सोता था	तुम सोते थे	तू सोती थी	तु[illegible]

फर्त्ता पुल्लिंग		फर्त्ता स्त्रीलिंग	
एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
अ० वह सोता था	वे सोते थे	वह सोती थी	वे सोती थीं

(२) सामान्य वर्तमान

उ० मैं सोता हूँ	हम सोते हैं	मैं सोती हूँ	हम सोती हैं
म० तू सोता है	तुम सोते हो	तू सोती है	तुम सोती हो
अ० वह सोता है	वे सोते हैं	वह सोती है	वे सोती हैं।

(३) सन्दिग्ध वर्तमान

उ० मैं सोता होगा	हम सोते होंगे	मैं सोती होगी	हम सोती होंगी
म० तू सोता होगा	तुम सोते होगे	तू सोती होगी	तुम सोती होंगी
अ० वह सोता होगा	वे सोते होंगे।	वह सोती होगी	वे सोती होंगी

धातु से बनी शेष क्रियाएँ

(१) सम्भाव्य भविष्यत्

उ० मैं सोऊँ	हम सोवें	स्त्रीलिंग में रूपान्तर नहीं होता।
म० तू सोवे	तुम सोओ	
अ० वह सोवे	वे सोवें	

(२) विधि

उ० मैं सोऊँ	हम सोवें	आदर विधि	सोइये
म० तू सोवे	तुम सोओ	प्रार्थना विधि	सोइयेगा
अ० वह सोवे	वे सोवें	परोक्ष विधि	सोइयो

नोट—आदर विधि, प्रार्थना विधि और परोक्ष विधि क्रियाएँ केवल मध्यम पुरुष में आती हैं।

(३) सामान्य भविष्यत्

उ० मैं सोऊँगा	हम सोवेंगे	मैं सोऊँगी	हम सोवेंगी
म० तू सोवेगा	तुम सोओगे	तू सोवेगी	तुम सोओगी
अ० वह सोवेगा	वे सोवेंगे	वह सोवेगी	वे सोवेंगी।

नोट—(क) सामान्य भविष्यत् काल की क्रियाओं के लिए ऊपर दिखाये गये रूपों के अतिरिक्त और भी बहुत से रूप प्रचलित हैं। जैसे—

सोवेंगे—सोएँगे, सोयँगे, सोयेंगे।
सोवेगा—सोएगा, सोयगा, सोयेगा।
सोवेंगी—सोयेंगी, सोयँगी, सोएँगी आदि।

(ख) होना, लेना और देना क्रियाओं के सामान्य भविष्यत् कालिक रूप ऊपर के नियम के अतिरिक्त एक और तरह से होते हैं। जैसे—

होना क्रिया

सामान्य भविष्यत्

कर्त्ता पुंलिंग		कर्त्ता स्त्रीलिंग	
एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ० मैं हूँगा	हम होंगे	उ० मैं हूँगी	हम होंगी
म० तू होगा	तुम होगे	म० तू होगी	तुम होगी
अ० वह होगा	वे होंगे	अ० वह होगी	वे होंगी

मध्यम पुरुष बहुवचन में सामान्य भविष्यत् को लोग सोवोगे,

सोवोगी आदि रूप भी लिखते हैं पर इस तरह लिखना अधिक मान्य नहीं है।

होना क्रिया का विधि में लोग हूजिए भी लिखते हैं।

होना क्रिया के सामान्य वर्तमान और पूर्णभूत में दो रूप होते हैं—

सामान्य वर्तमान

पुल्लिंग

(१) एकवचन	(१) बहुवचन	(२) एकवचन	(२) बहुवचन
उ० मैं हूँ	हम हैं	मैं होता हूँ	हम होते हैं
म० तू है	तुम हो	तू होता है	तुम होते हो
अ० वह है	वे हैं	वह होता है	वे होते हैं

स्त्रीलिंग

(१) एकवचन	(१) बहुवचन	(२) एकवचन	(२) बहुवचन
पुल्लिंग के समान		मैं होती हूँ	हम होती हैं
		तू होती है	तुम होती हो
		वह होती है	वे होती हैं

पूर्णभूत

पुल्लिंग

उ० मैं था	हम थे	मैं होता था	हम होते थे
म० तू था	तुम थे	तू होता था	तुम होते थे
अ० वह था	वे थे	वह होता था	वे होते थे

स्त्रीलिंग

उ० मैं थी	हम थीं	मैं होती थी	हम होती थीं
म० तू थी	तुम थीं	तू होती थी	तुम होती थीं
अ० वह थी	वे थीं	वह होती थी	वे होती थीं

नोट—होना क्रिया क हूँ, है, हैं, था, थे थी थीं, होगा, होग, होगे, होगी आदि रूप जब भिन्न-भिन्न क्रियाओ के अश होकर प्रयुक्त होत हैं तो ये सहायक क्रियाएं कहलाती हें । जैस—जाता 'हूँ', देगा 'था', गया 'होगा' आदि मे हूँ, था, होगा सहायक क्रियाए हें जो होना क्रिया क ही रूप हैं। ये क्रियाए स्वतन्त्र रूप स भी प्रयोग मे आती हैं। जैसे—वे घर पर 'थे', मैं भागलपुर मे 'हूँ' इत्यादि

नोट—तात्कालिक वर्तमान और तात्कालिक अपूर्णभूत—धातु के आगे लिंग वचन और पुरुष क अनुसार 'रहना' क्रिया का आसन्नभूत कालिक रूप जोड देने से तात्कालिक वर्तमान और पूर्णभूत कालिक रूप जोड देने स तात्कालिक अपूर्णभूत काल की क्रियाए बनती हैं। जैसे—

(१) तात्कालिक वर्तमान

पुलिंग

एकवचन	बहुवचन
उ० मैं सो रहा हूँ	हम सो रहे हैं
म० तू सो रहा है	तुम सो रहे हो
अ० वह सो रहा है	वे सो रहे हैं

स्त्रीलिंग

उ० मैं सो रही हूँ	हम सो रही हैं
म० तू सो रही है	तुम सो रही हो
अ० वह सो रही है	वे सो रही हैं

(२) तात्कालिक अपूर्ण भूत

पुलिंग

उ० मैं सो रहा था	हम सो रहे थे
म० तू सो रहा था	तुम सो रहे थे
अ० वह सो रहा था	वे सो रहे थे

स्त्रीलिंग

उ० मैं सो रही थी	हम सो रही थीं
म० तू सो रही थी	तुम सो रही थीं
अ० वह सो रही थी	वे सो रही थीं

सकर्मक क्रिया

सकर्मक क्रियाओं की रूपावली भी ऊपर दिखायी गयी अकर्मक क्रिया की रूपावली के ही समान होती है। परन्तु सामान्यभूत, आसन्नभूत, पूर्णभूत और सदिग्धभूत काल की सकर्मक क्रियाओं में उनके कर्त्ता के साथ इस कारक का 'ने' चिह्न आने से, उनके लिंग, वचन और पुरुष में भेद पड जाता है। जब वाक्य में कर्त्ता और कर्म दोनों का क्रमश ने और को चिह्न मौजूद रहे तो ऊपर के चारों काल की सकर्मक क्रियाएँ सदा एकवचन, पुलिंग और अन्य पुरुष में आवेंगी। परन्तु जब कर्त्ता का चिन्ह 'ने' रहे और

(३) पूर्णभूत

उ० मैंने देखा था	हमने देखा था
म० तूने देखा था	तुमने देखा था
अ० उसने देखा था	उन्होंने देखा था

(४) सदिग्धभूत

उ० मैंने देखा होगा	हमने देखा होगा
म० तूने देखा होगा	तुमने देखा होगा
अ० उसने देखा होगा	उन्होंने देखा होगा

नोट—स्त्रीलिंग के रूप भी पुलिंग के रूपों के समान होंगे। 'ने' युत कर्ता और 'को' युत कर्म रहने पर भी ऊपर की भाँति रूप होंगे।

(२) कर्म चिन्ह-रहित रहने पर

(१) सामान्यभूत

(क) कर्म पुलिंग—

एकवचन—मैंने-हमने, तूने तुमने, उसने उन्होंने ग्रन्थ देखा।
बहुवचन - मैंने हमने तूने-तुमने, उसने-उन्होंने ग्रन्थ देखे।

(ख) कर्म स्त्रीलिंग—

एकवचन— मैंने, हमने, तूने तुमने, उसने उन्होंने पुस्तक देखी।
बहुवचन—मैंने हमने, तूने-तुमने, उसने उन्होंने पुस्तकें देखीं।

(२) आसन्नभूत

(क) कर्म पुलिंग—

एकवचन—मैंने-हमने, तूने-तुमने, उसने-उन्होंने ग्रन्थ देखा है।

बहुवचन — मैंने हमने, तूने-तुमने, उसने-उन्होंने ग्रन्थ देखे हैं।

(ख) कर्म स्त्रीलिंग—

एकवचन — मैंने हमने,तूने-तुमने, उसने उन्होंने पुस्तक देखी है।

बहुवचन — मैंने हमने,तूने-तुमने, उसने उन्होंने पुस्तकें देखी हैं।

(३) पूर्णभूत

(क) कर्म पुलिंग—

एकवचन — मैंने हमने, तूने तुमने, उसने-उन्होंने ग्रन्थ देखा था।

बहुवचन — मैंने हमने, तूने तुमने, उसने-उन्होंने ग्रन्थ देखे थे।

(ख) कर्म स्त्रीलिंग—

एकवचन—मैंने-हमने,तूने-तुमने,उसने उन्होंने पुस्तक देखी थी।

बहुवचन—मैंने हमने,तूने-तुमने, उसने उन्होंने पुस्तकें देखी थीं।

(४) संदिग्धभूत

(क) कर्म पुलिंग—

एकवचन—मैंने हमने, तूने तुमने, उसने उन्होंने ग्रंथ देखा होगा।

बहुवचन — मैंने हमने, तूने तुमने, उसने उन्होंने ग्रन्थ देखे होंगे।

(ख) कर्म स्त्रीलिंग—

एकवचन—मैंने-हमने तूने तुमने, उसने उन्होंने पुस्तक देखी होगी।

बहुवचन—मैंने हमने, तूने तुमने, उसने उन्होंने पुस्तकें देखी होंगी।

कर्मवाच्य क्रिया

पहले कहा जा चुका है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य क्रियाओं में कर्त्ता के स्थान में कर्म कारक आता है अत कर्त्ता का 'से' चिन्ह प्रयुक्त होता है। अतएव इन क्रियाओं के रूप भी भिन्न होते हैं।

नियम—सामान्यभूत कालिक क्रिया के रूपों के आगे जाना क्रिया के रूप काल, पुरुष लिंग और वचन के अनुसार जोड़ देने से किसी भी सकर्मक धातु की कर्मवाच्य क्रिया और किसी भी अकर्मक धातु को भाववाच्य क्रिया बन जाती है।

कर्मवाच्य क्रियाएं दो प्रकार से प्रयुक्त होती हैं। पहले प्रकार में कर्म उद्देश्य होकर अप्रत्यय या चिन्ह रहित कर्त्ता कारक के रूप में आता है और ऐसी हालत में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष उसी कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे—पुस्तक देखी गयी, ग्रन्थ देखे गये। दूसरे प्रकार के प्रयोग में कर्म चिन्ह सहित या सप्रत्यय आता है और क्रिया सदा एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में आती है। जैसे—पुस्तक को देखा गया, ग्रन्थ को देखा गया।

भाववाच्य अकर्मक क्रिया का रूप भी कर्मवाच्य के समान होता है। हाँ, इसमें कर्म नहीं रहता तथा क्रिया सदा एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में आती है। भाववाचक का प्रयोग प्रायः अशक्यता के अर्थ में न या नहीं के साथ होता है। प्राय सभी कालों में इस क्रिया के प्रयोग नहीं देखे जाते। जैसे—मुझ से चला नहीं जाता। लड़की से चला नहीं जाता।

यहाँ पर खाना सकर्मक क्रिया के कर्मवाच्य के पहले प्रकार के प्रयोग के नियमानुसार केवल पुलिंग रूप दिये जाते हैं। स्त्रीलिंग कर्तृवाच्य काल रचना के अनुकरण पर सहज में बना लिये जा सकते हैं।

कर्तृवाच्य 'देखना' क्रिया

कर्म पुलिंग

साधारण रूप देखा जाना—धातु देखा जा

(१) सामान्यभूत

एकवचन	बहुवचन
उ० मैं देखा गया	हम देखे गये
म० तू देखा गया	तुम देखे गये
अ० वह देखा गया	वे देखे गये

सामान्य भूतकाल की क्रिया से बनी हुई अन्य तीन भूतकालिक क्रियाओं अथवा आसन्नभूत, पूर्णभूत, और संदिग्धभूत काल की क्रियाओं के रूप भी इसी के अनुसार बना लिये जा सकते हैं।

(२) हेतुहेतुमद्भूत

उ० मैं देखा जाता	हम देखे जाते
म० तू देखा जाता	तुम देखे जाते
अ० वह देखा जाता	वे देखे जाते

हेतुहेतुमद्भूत काल की क्रिया से बननेवाली सामान्य वर्तमान, अपूर्णभूत और संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाओं के रूप भी इसी नियम के अनुसार बनाये जा सकते हैं।

(३) सामान्य भविष्यत् काल

उ० मैं देखा जाऊँगा हम देखे जाएँगे, जावेंगे, जायँगे
म० तू देखा जाएगा, जावेगा जायगा तुम देखे जाओगे
अ० वह देखा जायगा वे देखे जाएँगे, जावेंगे, जायँगे

(४) सम्भाव्य भविष्यत् काल

एकवचन	बहुवचन
उ० मैं देखा जाऊँ	हम देखे जाएँ, जावें, जायँ
म० तू देखा जाए, जाव, जाय	तुम देखे जाओ
अ० वह ,,	वे देखे जाएँ, जावें, जायँ

(५) प्रत्यक्ष विधि काल

उ० मैं देखा जाऊँ हम देखे जाएँ, जावें, जायँ
म० तू देखा जाय तुम देखे जाओ
अ० वह देखा जाए, जावे जाय वे देखे जाएँ, जावें, जायँ,

(६) परोक्षविधि काल

तू देखे जाना, जाइयो तुम देखे जाना या जाइयो

(७) पूर्वकालिक क्रिया

देखा जाकर, देखा जाकर के, देखा जाके।

नोट—(क) कर्मवाच्य बहुधा आदर सूचक विधि के रूप में प्रयुक्त नहीं होते।

(ख) भाववाच्य क्रिया के रूप तो कर्मवाच्य क्रिया के दूसरे प्रकार के प्रयोग में बताये नियम के अनुसार बनाये जायँगे पर 'जाना' क्रिया में आना क्रिया को काल, लिंग, वचन और पुरुष के

अनुसार जोड़ने में इस बात का ध्यान रखना होगा कि भाववाच्य क्रिया बनाने में 'जाना' क्रिया का रूप काल, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जाना के सामान्यभूत कालिक रूप 'गाया' के आगे नहीं बल्कि जाया' के आगे जोड़ना होगा। जैसे—मुझ से नहीं जाया जायगा। उससे नहीं जाया जाता है इत्यादि।

प्रयोग

ऊपर दिखाये गये सभी कालों के रूपों को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि क्रियाओं के प्रयोग इस प्रकार से किये जा सकते हैं—(१) कर्तरि प्रयोग (२) कर्मणि प्रयोग और (३) भावे प्रयोग।

(१) जब कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का रूपान्तर होता है तो उसे कर्तरि प्रयोग कहते हैं; जैसे— मैं (पु०) जाता हूँ, वह (स्त्री०) जाती है। लड़कियाँ पढ़ती हैं इत्यादि।

(२) जब कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का रूपान्तर होता है तो उसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं। जैसे—मैंने पुस्तक पढ़ी, उसने ग्रन्थ पढ़ा।

(३) जब क्रिया के लिंग वचन और पुरुष न तो कर्ता के अनुसार रहते न कर्म के अनुसार बल्कि सदा एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहते हैं तो उसे भावे प्रयोग कहते हैं। जैसे—रानी ने कहा। राम ने स्त्री को देखा इत्यादि।

अन्य आवश्यक बातें

(१) कभी कभी भूतकाल के लिए वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है जिसे ऐतिहासिक वर्तमान कहते हैं

तुलसी दास जी 'कहते हैं'—पर उपदेश कुशल बहुतर।

(२) कभीकभी धमकी के अर्थ में भविष्यत् के लिए भूतकाल की क्रियाएँ प्रयुक्त होती हैं। जैसे—अगर कहीं पोल 'खुली' तो सारा बना बनाया खेल बिगड जायगा।

(३) कभी कभी क्रोध के आवेश में या उदासी के कारण कहनेवाला जब कुछ कहता है तब क्रिया लुप्त रहती है। जैसे—आप कहनेवाले कौन ?

(४) आसन्नभूत और भविष्यत्काल के लिए कभी कभी वर्तमानकाल का भी प्रयोग हो जाता है। जैसे—

आप कब आये ? अभी आ रहा हूँ।

आप खायँगे कब ? अभी अभी खाता हूँ।

अभ्यास

(१) काल किसे कहते हैं ? (२) खाना क्रिया का रूप कर्म वाच्य के सामान्यभूत और सामान्य वर्तमानकाल में लिखो। (३) दो ऐसे वाक्य लिखो जिनमें अन्तिम क्रियाएँ रहें तो वर्तमानकाल में पर वे भूतकाल की क्रियाओं के लिए प्रयुक्त हुई हों। (४) तात्कालिक वर्तमान और तात्कालिक अपूर्णभूत काल की क्रियाओं के बनाने की क्या विधि है ? सोदाहरण समझाओ। (५) शुद्ध करो—रानी ने कही। रानी ने सहेलियों को बुलायी। मैं खाया। हमने खाय। हमने पाँच आम खाया। (६) 'सोना' क्रिया का रूप सब भूतकालिक क्रियाओं में लिखो।

७—यौगिक क्रिया (Derivative Verbs)

व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातुओं के दो भेद हैं—(१) मूल धातु

और (२) यौगिक धातु। जो किसी दूसरे शब्द से न बने हो वे मूल धातु कहलाते हैं, जैसे—लेना, करना। और जो धातु किसी दूसरे शब्द से बनाए जाते हैं वे यौगिक धातु कहलाते हैं। जैसे—खाना से 'खिलाना,' हँसना से 'हँसाना' इत्यादि।

यौगिक धातु तीन तरह से बनते हैं—(१) धातु में ही प्रत्यय लगा देने से सकर्मक तथा प्रेरणार्थक धातु बनते हैं, (२) एक धातु में एक या दो धातु जोड देने से सयुक्त धातु बनते हैं और (३) सज्ञाओं या दूसरे शब्द-भेदों में प्रत्यय जोडकर 'नाम-धातु' बनाये जाते हैं।

(१) धातु में प्रत्यय लगाकर

प्रेरणार्थक और सकर्मक क्रिया

जिस क्रिया के व्यापार में कर्त्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यह क्रिया मूल धातु को विकृत कर बनायी जाती है। जैसे—"मोहन अपने माली से फूल लगवाता है।" इस वाक्य में मालूम होता है कि माली फूल लगाने का व्यापार अपने मालिक की प्रेरणा से करता है, इसलिए "लगवाता है" प्रेरणार्थक क्रिया है। साथ ही इस वाक्य में 'मोहन' प्रेरक तथा 'माली' प्रेरित कर्त्ता है।

जाना, सकना, होना, रुचना, पाना आदि कुछ ऐसे धातु हैं जिनसे प्रेरणार्थक क्रिया नहीं बनती। शेष प्राय सभी धातुओं से दो दो प्रकार के प्रेरणार्थक रूप बन सकते हैं जिनमे पहला रूप तो प्राय सकर्मक क्रिया के ही अर्थ में आता है, और

तुलसी दास जी 'कहत हैं'—पर उपदेश कुशल बहुतेरे।

(२) कभी-कभी धमकी के अर्थ में भविष्यत् के लिए भूतकाल की क्रियाएँ प्रयुक्त होती हैं। जैसे—अगर कहीं पोल 'खुली' तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जायगा।

(३) कभी-कभी क्रोध के आवेश में या उदासी के कारण कहनेवाला जब कुछ कहता है तब क्रिया लुप्त रहती है। जैसे—आप कहनेवाले कौन ?

(४) आसन्नभूत और भविष्यत्काल के लिए कभी कभी वर्तमानकाल का भी प्रयोग हो जाता है। जैसे—

आप कब आये ? अभी आ रहा हूँ।

आप खायेंगे कब ? अभी अभी खाता हूँ।

अभ्यास

(१) काल किसे कहते हैं ? (२) खाना क्रिया का रूप कर्म वाच्य के सामान्यभूत और सामान्य वर्तमानकाल में लिखो। (३) दो ऐसे वाक्य लिखो जिनमें अन्तिम क्रियाएँ रह तो वर्तमानकाल में पर वे भूतकाल की क्रियाओं के लिए प्रयुक्त हुई हों। (४) तात्कालिक वर्तमान और तात्कालिक अपूर्णभूत काल की क्रियाओं के बनाने की क्या विधि है ? सोदाहरण समझाओ। (५) शुद्ध करो—रानी ने कही। रानी ने सहेलियों को बुलायी। मैं खाया। हमने खाये। हमने पाँच आम खाया। (६) 'सोना' क्रिया का रूप सब भूतकालिक क्रियाओं में लिखो।

७—यौगिक क्रिया (Derivative Verbs)

व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातुओं के दो भेद हैं—(१) मूल धातु

और (२) यौगिक धातु। जो किसी दूसरे शब्द से न बने हो वे मूल धातु कहलाते हैं, जैसे—लेना, करना। और जो धातु किसी दूसरे शब्द से बनाए जाते हैं वे यौगिक धातु कहलाते हैं। जैसे—खाना से 'खिलाना,' हँसना से 'हँसाना' इत्यादि।

यौगिक धातु तीन तरह से बनते हैं—(१) धातु में ही प्रत्यय लगा देने से सकर्मक तथा प्रेरणार्थक धातु बनते हैं, (२) एक धातु में एक या दो धातु जोड़ देने से संयुक्त धातु बनते हैं और (३) संज्ञाओं या दूसरे शब्द-भेदों में प्रत्यय जोड़कर 'नाम-धातु' बनाये जाते हैं।

(१) धातु में प्रत्यय लगाकर

प्रेरणार्थक और सकर्मक क्रिया

जिस क्रिया के व्यापार में कर्त्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यह क्रिया मूल धातु को विकृत कर बनायी जाती है। जैसे—"मोहन अपने माली से फूल लगवाता है।" इस वाक्य में मालूम होता है कि माली फूल लगाने का व्यापार अपने मालिक की प्रेरणा से करता है, इसलिए "लगवाता है" प्रेरणार्थक क्रिया है। साथ ही इस वाक्य में 'मोहन' प्रेरक तथा 'माली' प्रेरित कर्त्ता है।

जाना, सकना, होना, रुचना, पाना आदि कुछ ऐसे धातु हैं जिनसे प्रेरणार्थक क्रिया नहीं बनती। शेष प्रायः सभी धातुओं से दो दो प्रकार के प्रेरणार्थक रूप बन सकते हैं जिनमें पहला रूप तो प्रायः सकर्मक क्रिया के ही अर्थ में [illegible] और

दूसरे रूप में वास्तव में प्रेरणा समझी जाती है। जैसे—बाजा बजता है—वह बाजा बजाता है—उससे राम बाजा बजवाता है।

नोट—प्रायः सभी प्रेरणार्थक क्रियाएँ सकर्मक होती हैं। पीना, देखना, खाना, समझना, देना, सुनना, पढ़ना आदि क्रियाओं के दोनों प्रेरणार्थक रूप द्विकर्मक ही होते हैं। जैसे—पंडित लोगों को पोथी सुनाते हैं—पण्डित अपने शिष्य से लोगों को कथा सुनवाते हैं।

प्रेरणार्थक क्रियाओं के बनाने के कुछ नियम

(१) साधारणतः मूल धातु के अंत में 'आ' जोड़ने से पहला प्रेरणार्थक और 'वा' जोड़ने से दूसरा प्रेरणार्थक बनता है—

	पहला प्रेरणार्थक	दूसरा प्रेरणार्थक
उड़ना	उड़ाना	उड़वाना
गिरना	गिराना	गिरवाना
चढ़ना	चढ़ाना	चढ़वाना
दबना	दबाना	दबवाना
लगना	लगाना	लगवाना
पढ़ना	पढ़ाना	पढ़वाना इत्यादि

(२) कहीं कहीं दो अक्षरों के धातु में अगर पहला अक्षर दीर्घ हो तो उसे ह्रस्व में परिणत कर देना पड़ता है पर अगर ऐकारान्त ओकारान्त हो तो ज्यों का त्यों रह जाता है—

	पहला प्रेरणार्थक	दूसरा प्रेरणार्थक
ओढ़ना	ओढ़ाना	ओढ़वाना
जागना	जगाना	जगवाना
जीतना	जिताना	जितवाना
डूबना	डुबाना	डुबवाना
भींगना	भिंगाना	भिंगवाना
घूमना	घुमाना	घुमवाना
लेटना	लिटाना	लिटवाना इत्यादि

नोट—डूबना और भींगना का पहला रूप क्रमश डुबोना और भिगोना भी होता है।

(३) तीन अक्षरों के धातु में पहले प्रेरणार्थक के दूसरे अक्षर का 'अ' अनुच्चरित रहता है जैसे—

चमकना	चमकाना	चमकवाना
पिघलना	पिघलाना	पिघलवाना
लटकना	लटकाना	लटकवाना
समझना	समझाना	समझवाना
भटकना	भटकाना	भटकवाना

(४) एकाक्षरी धातु के दीर्घस्वर को ह्रस्व कर के 'ला' और 'लवा' जोड़ देने से क्रमश पहला और दूसरा प्रेरणार्थक बनता है। जैसे—

पीना	पिलाना	पिलवाना
खाना	खिलाना	खिलवाना

	पहला प्रेरणार्थक	दूसरा प्रेरणार्थक
देना	दिलाना	दिलवाना
सीना	सिलाना	सिलवाना
जीना	जिलाना	जिलवाना

नोट—(क) कुछ एकाक्षरी सकर्मक धातुओं से केवल दूसरे प्रेरणार्थक रूप बनते हैं और वह भी चौथे नहीं बल्कि पहले नियम के अनुसार। जैसे—गाना—गवाना। खेना—खिवाना। लेना—लिवाना। धोना—धोआना। खोना—खोआना।

(ख) 'खाना' का आद्यस्वर 'इ' हो जाता है। जैसे—खाना खिलाना—खिलवाना। इसका एक प्रेरणार्थक 'खवाना' भी है पर इसका प्रयोग भद्दा मालूम पड़ता है।

(५) कुछ ऐसे भी धातु हैं जिनके पहले प्रेरणार्थक रूप 'ला' अथवा 'आ' लगाने से बनते हैं परन्तु दूसरे प्रेरणार्थक में 'वा' लगाया जाता है जैसे—

कहना	कहाना वा	कहलाना	कहवाना
सीखना	सिखाना वा	सिखलाना	सिखवाना
बैठना	बिठाना वा	बिठलाना	बिठवाना
दिखना	दिखाना वा	दिखलाना	दिखवाना

नोट—(क) 'कहना' का रूप 'कहलवाना' भी होता है। कहलाना का प्रयोग कभी-कभी अकर्मक जैसा भी होता है। जैसे—विभक्ति सहित शब्द पद 'कहलाता' है।

(ख) बैठना के कई प्रेरणार्थक रूप प्रयोग में आते हैं। जैसे— बैठाना, बैठलाना, बिठलाना, बैठवाना।

(ग) कुछ धातुओं से बने हुए दोनों प्रेरणार्थक रूप एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे—

फटना	फटाना	या	फटवाना
खुलना	खुलाना	या	खुलवाना
देना	दिलाना	या	दिलवाना
सीना	सिलाना	या	सिलवाना
गड़ना	गड़ाना	या	गड़वाना

(घ) कुछ ऐसे भी धातु हैं जो स्वरूप मे प्रेरणार्थक हैं पर हैं ये मूल अकर्मक या सकर्मक। जैसे—घबड़ाना, घड़बड़ाना, कुम्हलाना, इठलाना, मचलाना आदि।

(ङ) कुछ ऐसे प्रेरणार्थक धातु हैं जिनके मूल रूप का प्रयोग देखने में नहीं आता। जैसे—जताना, बताना, फुसलाना, गँवाना आदि।

अकर्मक से सकर्मक बनाने के नियम

(१) धातु के आद्यस्वर को दीर्घ करने से

कटना	काटना	पिसना	पीसना
गड़ना	गाड़ना	लुटना	लूटना
दबना	दाबना	मरना	मारना
पिटना	पीटना	लदना	लादना
पलना	पालना	पटना	पाटना

(२) तीन अक्षरों के धातु में दूसरे अक्षर को दीर्घ करने से—
उखड़ना—उखाड़ना। बिगड़ना—बिगाड़ना। निकलना—निकालना।

(३) किसी-किसी धातु के प्रारम्भ के इ और उ को क्रमशः ए, और ओ कर देने से—

फिरना	फेरना	छिदना	छेदना
खुलना	खोलना	दिखना	देखना
घुलना	घोलना	मुड़ना	मोड़ना

(४) किसी किसी धातु में, जिनमें ट हो 'ट' को ड कर देने से—

छूटना—छोड़ना। जुटना—जोड़ना। फूटना—फोड़ना। फटना—फाड़ना।

(५) कुछ अकर्मक धातु नियम-विरुद्ध सकर्मक बनते हैं। जैसे—टूटना-तोड़ना। बिकना—बेंचना। रहना—रखना।

नोट—कुछ अकर्मक धातुओं के सकर्मक और पहले प्रेरणार्थक दोनों का अलग-अलग रूप होता है और साथ ही दोनों के अर्थ में भी अन्तर पड़ जाता है। जैसे, गड़ना—सकर्मक रूप गाड़ना (धरती के भीतर रखना)—पहला प्रेरणार्थक रूप गड़ाना (चुभाना)। इसी प्रकार दबना—दबाना, चलना—चलाना आदि भी हैं।

(२) कई धातुओं को संयुक्त कर

संयुक्त क्रियाएं (Compound Verbs)

दो या अधिक धातुओं के मेल से जो क्रियाएँ बनती हैं और

मिलकर एक नवीन अर्थ का बोध कराती हैं उन्हे सयुक्त क्रिया कहते हैं। सयुक्त क्रियाओं म मुख्यत दो धातु होते हैं पर कभी-कभी तीन-तीन हो जात है। जैसे मार डालना, कहे जाना, आया-जाया करना आदि।

सयुक्त क्रिया मे आदि की क्रिया मुख्य होती है जो या तो धातु रूप मे या सामान्यभूत काल की क्रिया क रूप में अथवा अपने साधारण रूप में आती है। मगर काल, लिंग, वचन और पुरुष क कारण ऐसी क्रियाओं के अन्तिम खड मे ही रूपान्तर होता है। अतिम खंड की क्रिया 'सहायक क्रिया' कहलाती है।

अर्थ की दृष्टि म सयुक्त क्रिया के ६ भेद हैं —

(१) अवधारण-बोधक -धातु के आगे उठना, चलना, डालना, पड़ना, लेना, दना, आना, बैठना, रहना, जाना आदि को जोड देने से अवधारण-बोधक संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं। जैसे—बोल उठना। ले-चलना। दे-डालना। कह आना। खा लेना। कह दना। दे आना। मार बैठना। सो-रहना। गिर-पडना आदि।

(२) शक्ति बोधक—धातु के आगे 'सकना' क्रिया लगाने से। जैसे—चल सकना। दख सकना। लिख सकना इत्यादि।

(३) पूर्णता बोधक या समाप्ति बोधक—धातु क आगे 'चुकना' क्रिया को जोडने से। जैसे—मार चुकना। देख चुकना। खा चुकना।

(४) नित्यता बोधक - सामान्यभूत काल की क्रिया के आगे 'करना' क्रिया जोडने से। जैसे -देखा करना, कहा करना, [illegible] दि।

(५) इच्छा बोधक—सामान्यभूत काल की क्रिया क आगे 'चाहना' लगाने से। जैसे—लिखा चाहना। देखा चाहना आदि।

(६) तत्काल बोधक - सामान्यभूत कालिक क्रियाओं क अन्त्य अ' को 'ए' कर उसके आगे डालना या 'देना लगाने से। जैसे—कहे डालना। दिये डालना। कहे देना आदि।

नोट—(क) 'जा' धातु का सामान्यभूत कालिक रूप 'गया' है परन्तु सयुक्त क्रियाओं में 'जाया' आता है।

(ख) तत्काल बोधक सयुक्त क्रियाएँ अवधारण-बोधक क्रियाओं क अन्तर्गत आ जाती हैं।

(७) आरम्भ-बोधक—क्रिया के साधारण रूप में अन्त्य 'ना' को 'ने' आदेश कर उसक आगे 'लगना' लगाने से आरम्भ बोधक क्रिया बनती है। जैसे - देखने लगना। करने लगना आदि।

(८) अवकाश-बोधक—क्रिया क साधारण रूप मे अन्त्य 'ना' को 'ने' आदेशकर देना या 'पाना' जोड देने से। जैसे—बोलने देना। बोलने पाना। सोने दना। चलने पाना इत्यादि।

(९) परतन्त्रता बोधक—क्रिया के साधारण रूप के आगे 'पडना' जोड देने से। जैसे लिखना पडना। कहना पडना आदि।

नोट (क) जब समान अर्थवाली क्रियाओं का सयोग होता है तब उन्हें पुनरुक्त क्रियाएँ कहते हैं। जैसे करना धरना। समझना-बूझना। देखना भालना इत्यादि।

(ख) कुछ संयुक्त क्रियाओं में दो से अधिक क्रियाए आ मिलती हैं। जैसे—कर लेना चाहिए। उठा ले-जा सकना इत्यादि।

(ग) कुछ शब्द भेदों के साथ भी धातु मिलाये जाते हैं, जिनके मिलने से बनी हुई क्रियाएं नाम-बोधक संयुक्त क्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे—स्वीकार करना। श्रवण करना आदि।

(घ) कुछ सकर्मक संयुक्त क्रियाए कर्मवाच्य में भी आती हैं। जैसे—समझा जाने लगा। कर लिया जाना इत्यादि। (ङ) कुछ धातुओं को द्वित्व कर देने से अतिशायक धातु बनते हैं। पर ऐसे धातुओं की क्रियाएँ संयुक्त क्रियाओं के अन्तर्गत नहीं आ सकती हैं। जैसे—गुदगुदाना (गोदना), जलजलाना (जलना)।

(३) शब्द-भेदों में प्रत्यय जोडकर

नाम-धातु

धातु, सज्ञा या दूसर शब्दो मे प्रत्यय जोडने से जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। विशेष कर सज्ञा या विशेषण के अन्त मे 'ना' जोडने से इस तरह के धातु बनते हैं। ऐसे धातु कुछ तो संस्कृत शब्दों से, कुछ फारसी से, कुछ हिन्दी से तथा कुछ अनुकरण पर बनाए जाते हैं। जैसे—

(क) संस्कृत से—स्वीकार—स्वीकारना। उद्धार—उद्धारना। धिक्कार—धिकारना। मोह—मोहना। परितोष—परितोषना आदि।

नोट—ऐसी क्रियाएँ प्राय कविताओं में व्यवहृत होती हैं।

(ख) फारसी से—

खरीद—खरीदना। दाग—दागना खर्च—खर्चना। गुजर—गुजरना आदि।

(ग) हिन्दी से—बात—बतियाना। लात—लतियाना। हाथ—हथियाना। अपना—अपनाना। चिकना—चिकनाना। दुख—दुखना इत्यादि।

(घ) अनुकरण धातु—बड़बड़—बड़बड़ाना । अनमन—अनमनाना । खटखट—खटखटाना आदि ।

अविकारी शब्द

अव्यय (Indeclinables)

पहले कहा जा चुका है कि जिस प्रकार विकारी शब्द के चार भेद हैं उसी प्रकार अविकारी शब्द के भी चार भेद माने जाते हैं—(१) क्रियाविशेषण (२) सम्बंध-सूचक (३) समुच्चय-बोधक और (४) विस्मयादि-बोधक इस प्रकरण में इन्हीं चारों शब्द-भेदों के ऊपर थोड़ा-बहुत प्रकाश डालने का यत्न किया जाता है।

(१) क्रियाविशेषण (Adverbs)

जो अव्यय या अविकारी शब्द क्रिया की कोई विशेषता बतावे उसे क्रियाविशेषण कहते हैं। इस अव्यय का वर्गीकरण तीन तरह से किया जा सकता है—(१) प्रयोग, (२) रूप और (३) अनुबद्ध ।

१—प्रयोग के अनुसार क्रियाविशेषण के तीन भेद हैं—साधारण संयोजक और अनुबद्ध। (१) जिन क्रियाविशेषणों का प्रयोग स्वतन्त्र रूप से होता है उन्हें साधारण कहते हैं। जैसे—आप 'कब' जा रहे हैं ? मोहन 'कहाँ' चला गया ? इत्यादि। (२) जिनका सम्बंध किसी खंड वाक्य या उपवाक्य से होता है उसे संयोजक कहते हैं। जैसे—'जहाँ' बड़े-बड़े वृक्ष नहीं वहाँ पर रेंड

ही प्रधान है। 'जब वहाँ जाना ही नहीं है तब क्या परेशान हो रहे हो ?' इत्यादि। (३) जिनका प्रयोग किसी भी शब्द-भेद के साथ अवधारण के लिए होता है उन्हें अनुबद्ध कहते हैं। जैसे—मैं 'तो' जरूर जाऊँगा। मैंने भी यह बात सुनी 'तक' न थी।

२—रूप के अनुसार भी क्रियाविशेषण तीन तरह के होते हैं—(१) मूल, (२) यौगिक और (३) स्थानीय।

(१) मूल—जो किसी दूसरे शब्द से नहीं बनते। जैसे—फिर, नहीं, दूर, ठीक आदि।

(२) यौगिक—जो दूसरे शब्दों या प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं। जैसे संज्ञा से—मन से, क्रमशः, रात को, आगे सुखपूर्वक, रात-भर। सर्वनाम से—यहाँ, वहाँ, अब, जब, तब, तिस पर, इसलिए, जिससे इत्यादि। विशेषण से—चुपके, इतने में, धीरे, ऐसे वैसे, पहले, दूसरे। धातु से—लिए, आते, देखते हुए, करते, चाहे। अव्यय से—कब के, यहाँ पर, ऊपर को। क्रियाविशेषणों में ही निश्चय बताने के लिए ई या ही लगाने से—अब—अभी, यहाँ—यहीं। वहाँ—वहीं। पहले—पहले ही।

(३) स्थानीय—दूसरे शब्द जो बिना किसी रूपान्तर के क्रियाविशेषण के समान प्रयोग में आते हैं। तुम क्या 'खाक' पढ़ोगे। आप मेरी मदद 'पत्थर' करेंगे। लीजिये, 'यह' मैं 'चलता' बना। कहो यार, 'कैसी' रही ? वह 'उदास' बैठा है इत्यादि।

अर्थ की दृष्टि से क्रियाविशेषण के चार मुख्य भेद हैं —

(१) स्थानवाचक (२) कालवाचक (३) परिमाणवाचक और (४) रीतिवाचक।

(१) स्थानवाचक—जिन क्रियाविशेषणों से स्थान की स्थिति अथवा दिशा का पता लगे। जैसे- यहाँ वहाँ, जहाँ, कहाँ, तहाँ, आगे पीछे ऊपर, नीचे सामने, तले, भीतर, पास, नजदीक निकट, समीप, दूर, सर्वत्र, इधर, किधर, जिधर, तिधर, परे, अलग बाएँ दाहिने, उस जगह, आरपार इत्यादि।

(२) कालवाचक—जिन क्रियाविशेषणों से काल या समय की सूचना मिले। जैसे- आज कल, आज-कल, परसों, तरसों अब, कब, जब, तब, अभी, कभी, जभी, तभी, फिर, तुरंत, शीघ्र, सवेर, अवेर सवेर, पहले, पीछे, निदान, नित्य, सदा, सर्वदा अबतक कभी कभी, लगातार, प्रतिदिन, हररोज, घड़ी घड़ी, अक्सर, बहुधा, बार बार, फिर-फिर इत्यादि।

(३) परिमाणवाचक—जिन क्रियाविशेषणों से अधिक, न्यून, पर्याप्त, तुलनात्मक, श्रेणीबद्ध आदि किसी भी अनिश्चित संख्या या परिमाण का बोध होता है। जैसे—बहुत अति अत्यन्त, बड़ा, भारी बिलकुल सर्वथा, निरा, खूब, पूर्णतया, निपट कुछ, करीब-करीब, थोड़ा टुक, प्राय, जरा, केवल, बस, काफी यथेष्ट, पर्याप्त, चाहे, अस्तु, इति, इतना, उतना, जितना कितना, क्रमश, क्रम क्रम से, बारी बारी से, यथाक्रम आदि।

(४) रीतिवाचक—वे सभी क्रियाविशेषण जिनका समावेश

ऊपर के तीन भेदों में अन्तर्गत न हो, रीतिवाचक के अन्तर्गत आ जाते हैं। जैसे—ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, तैसे, मानो, यथा, धीरे, अचानक, सहसा, अनायास, वृथा, होले, एकाएक, ध्यानपूर्वक, सदेह, (प्रकार वाचक)। अवश्य, जरूर, सही, सचमुच, यथार्थ में, वस्तुतः, अलबत्ता (निश्चयवाचक)। शायद, कदाचित्, यथासम्भव (अनिश्चयवाचक)। हाँ, ठीक, जो, (स्वीकार-वाचक)। इसलिए, क्योंकि, (कारणवाचक)। न, नहीं, मत (निषेधार्थक)। तो, ही, मात्र, तक, भर (अवधारण बोधक)।

यौगिक और संयुक्त क्रियाविशेषण

यौगिक क्रियाविशेषण दूसरे शब्दों में नीचे लिखे शब्द अथवा प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं—

(१) संस्कृत-शब्दों से

पूर्वक—ध्यानपूर्वक, सुखपूर्वक। वश—परवश, विधिवश। इन (आ)—येनकेनप्रकारेण, मनसा-वाचा कर्मणा। या—कृपया विशेषतया। अनुसार—नियमानुसार, फर्मानुसार। त—वस्तुत सम्भवत, स्वभावत। दा—यदा, कदा, सदा। धा—शतधा, सहस्रधा, नवधा, बहुधा। श—अक्षरश, क्रमश। था—अन्यथा, सर्वथा। मात्र—क्षणमात्र, लेशमात्र इत्यादि।

(२) हिन्दी शब्दों से

तक—आज तक, रात तक, यहाँ तक। का—कब का, कहाँ का। में—अन्त में, संक्षेप में, इतने में। से—तबसे, कबसे, इधर से। को—अन्त को, इधर को। आ, ए—भागा, उठाए, बैठे। ता.

त—चलत दौड़ता। भर—रातभर, दिनभर, पलभर, क्षणभर। कर, करके—काम करके, धर्म कर, क्योंकर, छठकर, दौड़कर।

(३) उर्दू शब्दों से

अन—जबरन्, फौरन् आदि।

(क) नीचे लिखे प्रत्यय या शब्द केवल सर्वनामों में जोड़े जाते हैं और इनसे बने शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं—ए—ऐसे, कैसे, जैसे, थोड़े। हाँ—यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ। धर—इधर, उधर, जिधर। यों—ज्यों, त्यों क्यों। लिए—इस लिए, किस लिए। ब—अब कब, जब तब।

संयुक्त क्रियाविशेषण नीचे लिखे शब्दों के मेल से बनते हैं—

(१) संज्ञा की द्विरुक्ति से या दो भिन्न भिन्न संज्ञाओं के मेल से, जैसे—घड़ी घड़ी पल पल, घण्टा घण्टा, घर-घर, बीचो-बीच। साँझ सवेर, घर-बाहर। रात-दिन, देश विदेश।

(२) विशेषणों की द्विरुक्ति से—साफ-साफ एकाएक, ठीक ठीक।

(३) क्रियाविशेषणों की द्विरुक्ति से—धीरे-धीरे, बैठे-बैठे, कब कब।

(४) दो भिन्न क्रियाविशेषणों के मेल से—जहाँ तहाँ, जब-तब, कल-परसों। नीचे ऊपर।

(५) अनुकरणवाचक शब्दों की द्विरुक्ति से—धड़ाधड़, तड़तड़।

(६) संज्ञा और विशेषण के मेल से—हर घड़ी, एक साथ, [illegible] बार।

(७) अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से—प्रतिदिन अनजाने, बेफायदा, सदेह, यथाक्रम।

(८) विशेषण और 'करके' के मेल से—बहुत करके, एक-एक करके। मुख्य करके इत्यादि।

अभ्यास

(१) अर्थ की दृष्टि से क्रियाविशेषण के कितने भेद हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखो। (२) रूप की दृष्टि से क्रियाविशेषण के कितने भेद हैं? प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दो। (३) प्रयोग के अनुसार क्रियाविशेषण के कितने भेद हैं? सोदाहरण लक्षण लिखो। (४) किन-किन शब्दों के मेल से संयुक्त क्रियाविशेषण बनते हैं? उदाहरण सहित समझाओ। (५) नीचे लिखे शब्दों से क्रियाविशेषण बनाकर उन्हें वाक्य में व्यवहृत करो—

घर, बीच, साँझ, दिन कृपा, जन्म, देह और मुख्य।

---

(२) सम्बन्धबोधक (Prepositions)

जो अव्यय संज्ञा या संज्ञा के समान उपयोग में आनेवाले शब्दों के आगे आकर उसका सम्बन्ध किसी दूसरे शब्द के साथ मिलावे उसे सम्बन्ध-सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे—उस घरमें क 'बिना' सूझना ही नहीं। यहाँ 'बिना' सम्बन्ध बोधक अव्यय है।

कुछ क्रिया विशेषण भी सम्बन्ध बोधक अव्यय होते हैं। ऐसे अव्यय जब स्वतन्त्ररूप से क्रिया की विशेषता बताते हैं, तब क्रियाविशेषण कहलाते हैं पर जब संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं तब

सम्बन्ध-बोधक अव्यय हो जाते हैं। जैसे—मोहन 'यहाँ' रहता है (क्रिया-विशेषण)। मोहन अपनी मौसी के 'यहाँ' रहता है (सम्बन्ध बोधक)।

प्रयोग की दृष्टि से सम्बन्ध बोधक के दो भेद हैं—(१) सम्बद्ध और (२) अनुबद्ध। सम्बद्ध सम्बन्ध बोधक संज्ञाओं की विभक्तियों के आगे आते हैं। जैसे—धर्म के 'बिना'। जाने के 'पहले'। और अनुबद्ध सम्बन्ध बोधक संज्ञा के केवल विकृत रूप के साथ आते हैं। जैसे—सखियों सहित। घाट 'तक'। कटोरे 'भर' इत्यादि।

सम्बद्ध सम्बन्ध बोधक के पहले प्रायः 'के' विभक्ति आती है। परन्तु कुछ ऐसे भी अव्यय हैं यथा—अपेक्षा, ओर, नाई, जगह, खातिर, तरह, मारफत, तरफ आदि जिनके पहले स्त्रीलिंग शब्द रहने के कारण 'के' के बदले 'की' का प्रयोग होता है। जैसे—धन के बिना, क्रोध के मारे, मोहन की ओर, देश की खातिर, वीर की तरह, ज्ञान की अपेक्षा आदि।

नोट—(क) जब 'ओर' या 'तरफ' के साथ संख्यावाचक विशेषण आता है, तब 'की' के बदले 'के' का प्रयोग होता है। जैसे—पटने के चारों ओर।

(ख) पुरुषवाचक सर्वनामों में 'के, की' के बदले 'रे, री' आता है। जैसे - तुम्हारी ओर, तुम्हारे बिना आदि।

(ग) आकारान्त सम्बन्ध-बोधकों का रूप विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार बदलता है। जैसे—शूर्पनखा 'जैसी' स्त्री। तुम्हारे 'जैसे' मूर्ख इत्यादि।

कुछ सम्बन्धबोधक, यथा—आगे, पीछे, तले, बिना आदि कभी कभी बिना विभक्ति के भी आते हैं। जैसे—पाँव तले, कुछ दिन आगे, पीठ पीछे।

'परे' और 'रहित' के पहले 'के' के बदले 'से' आता है। पहले, पीछे, आगे और बाहर के साथ भी 'से' विकल्प से आता है। जैसे—धन से रहित, सबसे परे, समय से (के) पहले, देश से (के) बाहर इत्यादि।

नोट—(क) उर्दू की रचना में प्राय देखा जाता है कि सम्बन्ध बोधक अव्यय संज्ञा के पहले लिखे जाते हैं और उसीके संसर्ग से हिन्दी की रचना में भी कहीं कहीं ऐसे प्रयोग देखे जाते हैं। यथा—'सिवा' ईश्वर के कौन मेरे दुख को सुन सकता है। 'मारे' भूख के।

(ख) जब सम्बन्ध-बोधक अव्ययों के आगे कारक के चिन्ह आते हैं तब वे संज्ञा कहलाते हैं। जैसे—स्कूल के 'आगे में' मैदान है।

व्युत्पत्ति के अनुसार सम्बन्ध बोधक के दो भेद हैं—एक मूल दूसरा यौगिक। हिन्दी में मूल सम्बन्ध बोधक इने गिने ही हैं यथा—बिना, पर्यन्त, नाईं, समेत।

यौगिक सम्बन्धसूचक दूसरे शब्द भेदों से बनाये गये हैं—संज्ञा से—वास्ते, ओर, पलटे, अपेक्षा, नाम, लेखे मारफत, विषय। विशेषण से—तुल्य, समान, सरीखा, योग्य, जैसा, ऐसा। क्रिया विशेषण से—यहाँ, वहाँ, बाहर, भीतर। क्रिया से—लिए, मारे, करके, जान।

सम्बन्ध बोधक अव्यय हो जाते हैं। जैसे—मोहन 'यहाँ' रहता है (क्रिया-विशेषण)। मोहन अपनी मौसी के 'यहाँ' रहता है (सम्बन्ध बोधक)।

प्रयोग की दृष्टि से सम्बन्ध बोधक के दो भेद हैं—(१) सम्बद्ध और (२) अनुबद्ध। सम्बद्ध सम्बन्ध बोधक संज्ञाओं की विभक्तियों के आगे आते हैं। जैसे—चश्मे के 'बिना'। जाने के 'पहले'। और अनुबद्ध सम्बन्ध बोधक संज्ञा के केवल विकृत रूप के साथ आते हैं। जैसे—सखियों सहित। घाट 'तक'। कटोरे 'भर' इत्यादि।

सम्बद्ध सम्बन्ध-बोधक के पहले प्रायः 'के' विभक्ति आती है। परन्तु कुछ ऐसे भी अव्यय हैं, यथा—अपेक्षा, ओर, नाईं, जगह, खातिर, तरह, मारफत, तरफ आदि जिनके पहले स्त्रीलिंग शब्द रहने के कारण 'के' के बदले 'की' का प्रयोग होता है। जैसे—धन के बिना, क्रोध के मारे, मोहन की ओर, देश की खातिर, नीर की तरह, ज्ञान की अपेक्षा आदि।

नोट—(क) जब 'ओर' या 'तरफ' के साथ संख्यावाचक विशेषण आता है, तब 'की' के बदले 'के' का प्रयोग होता है। जैसे—पटने के चारों ओर।

(ख) पुरुषवाचक सर्वनामों में 'के, की' के बदले 'रे, री' आता है। जैसे—तुम्हारी ओर, तुम्हारे बिना आदि।

(ग) आकारान्त सम्बन्ध-बोधकों का रूप विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार बदलता है। जैसे—शूर्पनखा 'कैसी' स्त्री तुम्हारे 'कैसे' मूर्ख इत्यादि।

कुछ सम्बन्धबोधक, यथा—आगे, पीछे, तले, बिना आदि कभी-कभी बिना विभक्ति के भी आते हैं। जैसे—पाँव तले, कुछ दिन आगे, पीठ पीछे।

पर' और 'रहित' के पहले 'के' के बदले 'से' आता है। पहले, पीछे, आगे और बाहर के साथ भी 'से' विकल्प से आता है। जैसे -घर से रहित सबसे परे, समय से (के) पहले देश से (के) बाहर इत्यादि।

नोट—(क) उर्दू की रचना में प्राय देखा जाता है कि सम्बन्ध बोधक अव्यय संज्ञा के पहले लिखे जाते हैं और उसीके संसर्ग से हिन्दी की रचना में भी कहीं कहीं ऐसे प्रयोग देखे जाते हैं। यथा—'सिवा' ईश्वर के कौन मेरे दुख को सुन सकता है। 'मारे' भूख के।

(ख) जब सम्बन्ध-बोधक अव्ययों के आगे कारक के चिन्ह आते हैं तब ये संज्ञा कहलाते हैं। जैसे—स्कूल के 'आगे में' मैदान है।

व्युत्पत्ति के अनुसार सम्बन्ध बोधक के दो भेद हैं—एक मूल दूसरा यौगिक। हिन्दी में मूल सम्बन्ध-बोधक इने गिने ही हैं यथा—बिना, पर्यन्त, नाई, समेत।

यौगिक सम्बन्धसूचक दूसरे शब्द भेदों से बनाये गये हैं—संज्ञा से—वास्ते, ओर, पलट, अपेक्षा, नाम, लेखे, मारफत, विषय। विशेषण से—तुल्य, समान, सरीखा, योग्य, जैसा, ऐसा। क्रिया विशेषण से—यहाँ, वहाँ, बाहर, भीतर। क्रिया से—लिए, मारे, करके, जान।

नोट—'लिए' लेना क्रिया से बना है इसलिए अव्यय के रूप में 'लिये' को प्राय 'लिए' लिखते हैं। परन्तु अब तो 'ये' को 'ए' लिखने की ओर झुकाव सब जगह हो रहा है।

३—समुच्चयबोधक (Conjunction)

जो अव्यय क्रिया का विशेषता न बतलाकर केवल एक वाक्य का सम्बन्ध दूसरे वाक्य से मिलाता है उसे समुच्चय-बोधक कहते हैं। जैसे—और तथा, यदि तो, या क्योंकि आदि।

नोट—कभी कभी समुच्चयबोधक से जुटे हुए वाक्य पूर्णतया स्पष्ट नहीं रहते। जैसे—राम और श्याम खाते हैं। ऐसे वाक्य देखने में एक ही से जान पड़ते हैं पर वास्तव में दो वाक्यों को जोड़ देने से, दोनों की क्रिया एक ही रहने के कारण, ऐसे रूप हो जाते हैं। 'राम खाता है' और 'श्याम खाता है' को संयुक्त करने से 'राम और श्याम खाते हैं' होता है।

समुच्चयबोधक के मुख्य दो भेद हैं—(१) समानाधिकरण और (२) व्यधिकरण।

(१) समानाधिकरण—जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं। इनके चार भेद हैं—(क) संयोजक (ख) विभाजक (ग) विरोधदर्शक और (घ) परिणामदर्शक।

(क) संयोजक—जिनके द्वारा दो या दो से अधिक मुख्य वाक्यों का समूह होता है। जैसे—और, व तथा, एवं, भी।

नोट—और, व तथा एवं ये चारों पर्यायवाची शब्द हैं। 'व' उर्दू का शब्द है और इसका प्रयोग अच्छे लेखक नहीं करते।

'तथा' संस्कृत के 'यथा' का नित्य संबन्धी है और यथार्थ मे इसका अर्थ है 'वैसे'। लेकिन हिन्दी गद्य मे यह 'और' के अर्थ मे प्रयुक्त होता है। इसका अधिकतर प्रयोग 'और' शब्द की द्विरुक्ति का निवारण करने के लिए होता है। जैसे- बिहार में हजारीबाग और मुंगेर, तथा संथाल परगने के कुछ भागो की जलवायु बडी ही अच्छी है। 'एव' का भी अर्थ 'वैसे' या 'ऐसे' होता है पर यह भी 'तथा' शब्द की नाई 'और' के पर्याय में आता है। जैसे—राम एव श्याम एक ही साथ रहते हैं। 'भी' का प्रयोग पहले वाक्य का कुछ सादृश्य मिलाने के लिए आता है। जैसे—केवल श्याम ही नहीं राम भी इस काम मे सम्मिलित था।

(ख) विभाजक -जिनके द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यो या शब्दो मे से किसी एक या एक से अधिक का ग्रहण अथवा त्याग होता है। जैसे– या, वा, अथवा किंवा कि, या या, चाहे चाहे, क्या-क्या, न न न कि, नहीं तो।

नोट—या, वा अथवा, किंवा ये चारो शब्द प्राय एक ही अर्थ मे प्रयुक्त होते हैं। 'कि' जब विभाजक अव्यय के ऐसा व्यवहृत होता है तब इसका अर्थ या' हो जाता है। यह शब्द इस अर्थ मे केवल कविता में व्यवहृत होता है। जैसे—"कज्जल के कूट पर दीप शिखा सोती है 'कि' श्याम घनमडल मे दामिनी की धारा है।"—शंकर। अन्य अव्ययो के उदाहरण—या तो घर जाओ या यहीं रहो पटने तो नहीं जाने दूँगा। चाहे साथ चलो चाहे न चलो, मैं इसकी परवाह नहीं करता। क्या स्त्री क्या

पुरुष सब क सन दौड पड़े । न रहगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। मैं वहाँ अपने काम क लिए गया था न कि तुम्हारे काम क लिए । वह झटपट वहाँ स भागा नहीं तो उसके सिर आफ्त आ जाती ।

(ग) विरोधदर्शक – जिनक द्वारा दो वाक्यों में स पहले का निषेध या परिमिति सूचित हो । जैसे—पर, परन्तु लेकिन, मगर, वरन्, बल्कि ।

नोट—पर परन्तु, लेकिन और मगर पर्यायवाची शब्द हैं । किन्तु और वरन् का प्रयोग प्राय निषेधवाचक वाक्यों क बाद हुआ करता है ।

(घ) परिणामदर्शक—जिनसे यह प्रगट हो कि इनके आगे के वाक्य का अर्थ पिछले वाक्य क अर्थ का फल है । जैसे—अत इसलिए अतएव, सो ।

नोट—'सो' इसलिए क अर्थ में आता है । पर इसका प्रयोग धीरे-धीरे कम हो रहा है ।

(२) व्यधिकरण—जिनक योग स एक मुख्य वाक्य मे एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं । इनके चार भेद हैं—(क) कारणवाचक, (ख) उद्देश्यवाचक, (ग) सकेतवाचक और (घ) स्वरूपवाचक ।

(क) कारणवाचक—जिन अव्ययों से आरम्भ होनेवाले वाक्य पूर्ववाक्य का समर्थन करते हैं । जैसे—क्योंकि, जो कि, इस लिए कि ।

प्रयोग - पटने मे रहने से ही तुम्हारी भलाई है 'क्योंकि' यहाँ तुम्हारी उन्नति के अनेक साधन मौजूद हैं।

(ख) उद्देश्यवाचक—जिनके बाद आनेवाला वाक्य दूसरे वाक्य का उद्देश्य या हेतु सूचित करता है। जैसे कि, जो, ताकि, इसलिए कि। तुझे यहाँ से शीघ्र प्रस्थान कर देना चाहिये कि यहाँ किसी तरह की गडबडी पैदा न हो सके। कौन सा उपाय ढूँढ़ निकाला जाय जो सब का त्राण हो।

(ग) सकेतवाचक – इन अव्ययों के कारण पूर्ववाक्य में जिस घटना का वर्णन रहता है, उससे उत्तरवाक्य की घटना का सकेत पाया जाता है। जैसे—जो तो, यदि-तो, यद्यपि तद्यपि (तोभी), चाहे परन्तु।

नोट - सकेतवाचक अव्यय सम्बन्धवाचक और नित्यसम्बधी सर्वनामो के समान वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। जैसे—जो हरिश्चन्द्र को तेजोभ्रष्ट न किया तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं इत्यादि।

(घ) स्वरूपवाचक—जिन अव्ययो के द्वारा जुड़े हुए शब्दो या वाक्यो मे से पहले शब्द या वाक्य का स्वरूप पिछले शब्द या वाक्य से जाना जाता है। जैसे—कि, जो, अर्थात्, याने, मानो।

नोट—'कि' जब स्वरूपवाचक होता है तब इससे किसी बात का केवल आरम्भ सूचित होता है। जैसे—कवि कहता है 'कि' भाई जीवन और धन को पाकर चैन कर चला करो। 'जो' भी 'कि' के ही अर्थ मे स्वरूपवाचक होकर व्यवहृत होता है। 'मानो'

उत्प्रेक्षा में आता है। जैसे—यह चित्र कैसा भयकर है, 'मानो' किसी दैत्य की सजीव प्रतिमा खड़ी हो।

४—विस्मयादिबोधक (Interjection)

जिन अव्ययों से हर्ष, विषाद, आश्चर्य, क्षोभ आदि मनोविकार प्रदर्शित हों उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे—ओह! अब तो गजब हो गया। भिन्न भिन्न मनोविकार उत्पन्न करने के लिए भिन्न भिन्न विस्मयादिबोधक अव्यय प्रयुक्त होते हैं। जैसे—

हर्ष में—आह! वाह-वा! धन्य-धन्य! जय! शाबाश! इत्यादि।

विषाद में—हाय! आहा! ऊह! हा हा! बाप रे! हा राम!

आश्चर्य में—वाह! हैं! ऐं! ओहो! अरे! वाह वा! क्या!

अनुमोदन करने में—ठीक! वाह! अच्छा! शाबाश! सुनिये सुनिये (हियर हियर)!

तिरस्कार में—हट! अरे! छि! धिक्! दूर!

स्वीकृति में—हाँ! जी हाँ! अच्छा! जी! ठीक! बहुत खूब!

सम्बोधन—अरे! रे! अजी! हे! हो! क्या! क्यों!

नोट—स्त्रीलिंग में 'अरे' का रूप 'अरी' और 'रे' का 'री' होता है। कभी कभी क्रियाएँ, सज्ञाएँ, विशेषण आदि भी विस्मयादि-बोधक हो जाते हैं। जैसे—भगवन्! अच्छा! हट! इत्यादि। प्राय सभाओं में किसी वक्ता के भाषण से प्रसन्न होकर लोग सुनिये सुनिये (हियर, हियर) चिल्ला उठते हैं। यह भी विस्मयादि-बोधक अव्यय है।

अभ्यास

(१) सम्बंधबोधक अव्यय के कितने भेद हैं ? प्रत्येक का उदाहरण दो। (२) समुच्चयबोधक अव्यय के कितने प्रकार हैं ? प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखो। (३) नित्यसम्बंधी अव्यय किसे कहते हैं ? (४) पाँच ऐसे वाक्य बनाओ जिनमें नित्यसम्बंधी अव्यय हों। (५) विस्मयादि-बोधक अव्यय किन-किन हालतों में प्रयुक्त होते हैं ? (६) पाँच ऐसे वाक्य लिखो जिनमें विस्मयादि-बोधक अव्यय आये हों।

शब्दांश (Prefixes and Suffixes)

शब्दांश—कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जो स्वयं तो कोई अर्थ प्रदर्शित नहीं करतीं परन्तु जब वे शब्दों के साथ मिलायी जाती हैं, तब अर्थयुक्त हो जाती हैं। ऐसी ध्वनियों को शब्दांश कहते हैं। शब्दांश दो तरह से प्रयुक्त होते हैं। एक शब्दों के पूर्व में और दूसरे शब्दों के अंत में। पहली तरह से आनेवाले शब्दांश उपसर्ग और दूसरी तरह से आनेवाले प्रत्यय कहलाते हैं।

१—उपसर्ग (Prefixes)

कुछ अव्यय धातु के साथ मिलकर खास अर्थ प्रकाशित करते हैं ऐसे अव्यय उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्दों के पहले जोड़ा जाता है और जुट जाने पर मूल शब्दों के अर्थ में विशेषता पैदा कर देता है। शब्दों के पहले उपसर्ग जोड़ने से कहीं तो मूल शब्द के अर्थ में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, कहीं शब्द का अर्थ उल्टा हो जाता है और कहीं शब्दार्थ में विशेषता उत्पन्न

हो जाती है। जैसे—'भ्रमण' शब्द के पहले 'परि' उपसर्ग जोड़ने से 'परिभ्रमण' होता है जो मूल शब्द 'भ्रमण' के ही अर्थ में प्रयुक्त होता है। परन्तु 'गमन' शब्द के पहले 'आ' उपसर्ग लगाने से जहाँ 'गमन' का अर्थ जाना' होता है वहाँ 'आगमन' का अर्थ 'आना' हो जाता है। फिर 'पूर्ण' के पहले 'परि' उपसर्ग जोड़ने से 'परिपूर्ण' शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है।

संस्कृत में निम्नलिखित २० उपसर्ग होते हैं—

प्र—अतिशय, उत्कर्ष यश, उत्पत्ति और व्यवहार के अर्थ को प्रदर्शित करता है। जैसे—प्रबल, प्रताप, प्रमुख आदि।

परा विपरीत, नाश आदि का प्रकाशक है। जैसे—पराजय, पराभूत।

अप—विपरीत, हीनता आदि का द्योतक है। जैसे—अप-प्रयोग, अपकार।

सम्—सहित और उत्तमता आदि का द्योतक है। जैसे—सन्तुष्ट, संस्कृत आदि।

अनु—सादृश्य, क्रम और पश्चात् आदि का द्योतक है। जैसे—अनुताप अनुशीलन, अनुनय, अनुरूप आदि।

अव—अनादर, हीनता आदि का प्रकाशक है। जैसे—अवनति, अवशेष।

निर्—निषेधार्थक है। जैसे—निर्भय, निर्लेप, निर्गन्ध, निर्मल आदि।

अभि अधिकता और इच्छा को प्रदर्शित करता है। जैसे—अभिभावक, अभिशाप, अभिप्राय, अभियोग आदि।

अधि—प्रधानता, निकटता आदि के अर्थ में। जैसे—अधिनायक, अधिराज।

वि—हीनता, विभिन्नता, विशेषता, असमानता आदि अर्थों का द्योतक है। जैसे—विलाप, विकार, विनय वियोग, विशेष, विभिन्न आदि।

सु—उत्तमता और श्रेष्ठता के अर्थ में। जैसे—सुयश, सुयोग, सुभाषित।

उत्—उत्कर्ष का प्रकाशक है। जैसे—उद्दाम, उदय, उद्गार आदि।

अति—अतिशय, उत्कर्ष आदि का द्योतक है। जैसे—अतिशय, अतिशुभ्र आदि।

नि—अधिकता और निषेध के अर्थ में। जैसे—नियोग, निवारण आदि।

प्रति—प्रत्येक बराबरी, विरोध, परिवर्तन आदि अर्थों का द्योतक है। जैसे—प्रतिदिन प्रतिलोम, प्रतिशोध प्रतिहिंसा आदि।

परि—अतिशय, त्याग आदि का द्योतक है। जैसे—परिदोष, परिदर्शन आदि।

अपि—निश्चयार्थक है। जैसे—अपिधान।

आ—सीमा, विरोध, ग्रहण, चढ़ाव, उतराव, विपरीत आदि के अर्थों को प्रदर्शित करता है। जैसे—आगमन, आजीवन, आदान, आकर्षण आदि।

उप—हीनता, निकटता और सहायता के अर्थ में। जैसे—उप मन्त्री, उपसम्पादक, उपकूल, उपकार, उपवन आदि।

दुर्—क्लिष्टता, दुष्टता हीनता आदि के अर्थ में। जैसे—दुरवस्था, दुर्गम, दुर्गमनीय, दुर्जन इत्यादि।

उपर्युक्त उपसर्गों के अतिरिक्त नीचे लिखे अव्यय, विशेषण और अन्य शब्द भी उपसर्ग के रूप में व्यवहृत होते हैं—

अ (अन्) निषेधार्थक है। जैसे—अनन्त, अनादि, अज्ञान।

पुन—दुहराने के अर्थ में। जैसे—पुनर्जन्म, पुनरुक्ति आदि।

अधस्—पतन के अर्थ में। जैसे—अधःपतन, अधोमुख, अधोगति आदि।

कु—नीचता हीनता के अर्थ में। जैसे—कुअवसर, कुघडी, कुमार्ग आदि।

सह स—सयोग, साथ आदि के अर्थ में। जैसे—सहवास, सहगामी, सफल आदि।

सत्—सचाई का द्योतक है। जैसे—सद्भाव, सत्कर्म, सन्मार्ग आदि।

चिर—अधिकता के अर्थ में। जैसे—चिरजीव, चिरकाल, चिरदिन आदि।

धर्म्म—धर्म्मबुद्धि, धर्म्मभीरु, धर्म्मात्मा आदि।

अर्थ—अर्थकरी, अर्थशास्त्र, अर्थहीन आदि।

आत्म—आत्मसम्मान, आत्मरक्षा आत्मश्लाघा, आत्मसंयम आदि।

कर्म—कर्मनिष्ठ, कर्मशील कर्मयोग, कर्मवीर, कर्मनाशा आदि।

बल — बलशाली, बलहीन, बलप्रयोग।

वीर—वीरश्रेष्ठ वीरवाण आदि।

विश्व—विश्वप्रेम, विश्वव्यापी, विश्वनाथ आदि ।

राज—राजकर, राजदण्ड, राजस, राजद्रोह, राजधानी आदि।

लोक—लोकमत, लोक-सग्रह, लोकप्रिय, लोकनाथ आदि।

सर्व—सर्वनाम, सर्वसाधारण, सर्वसम्मति आदि ।

हिन्दी के कुछ उपसर्ग

अ (अन)—निषेधार्थक है । जैसे—अमोल, अनमोल, अनपढ़ अगाध अजान।

अध—आधा के अर्थ मे, जैसे—अधजल, अधपका अधमुआ।

नि—निषेधार्थक है। जैसे—निडर, निकम्मा आदि।

सु—उत्तमता के अर्थ मे, जैसे—सुडौल, सुजान, सुपथ।

कु (क)—बुराई, हीनता आदि के अर्थ में, जैसे—कुखेत कुकाठ कपूत।

मुँह (उपसर्गवत्)—मुँहझौंसी, मुँहजरा, मुँहमाँगा आदि।

उर्दू के उपसर्ग

खुश—खुशमिजाज खुशदिल, खुशबू खुशहाल आदि ।

गैर—गैरमुमकिन गैरहाजिर, गैरमुनासिब आदि।

ला—लापता, लाजवाब लाहिसाब लापरवाह आदि।

ब—बदस्तूर बमूजिब बजिन्स आदि।

बा—बाकलम, बावफा, बाइन्साफ बाकायदा आदि।

बे—बेलगान बेवफा बेकायदा आदि (बा का उलटा)

दर—दरअसल, दरहकीकत, दरपेशी दरकार आदि।

बद—बदनसीब, बददुआ बदमाश बदख्वाह, बदनाम आदि।

ना—नालायक नामञ्जूर नाचीज आदि।

हर—हररोज हरमाल, हरएक आदि।

सर—(उपसर्गवत्) सरताज, सरदार आदि।

नोट—यह रखना चाहिये कि संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत तत्सम शब्दों में हिन्दी के उपसर्ग तद्भव या शुद्ध हिन्दी के शब्दों में और उर्दू के उपसर्ग उर्दू के शब्दों में ही जोड़े जाते हैं।

एक ही शब्द में प्रयुक्त अनेक उपसर्ग

कृ धातु से कार—अकार, प्रकार, विकार, उपकार, साकार, प्रतिकार निराकार संस्कार आदि।

भू धातु से भव—सम्भव पराभव, उद्भव, अनुभव प्रभाव अभाव आदि।

हृ धातु से हार—आहार विहार, प्रहार, संहार, व्यवहार, उपहार आदि।

दिश् से देश—आदेश विदेश, प्रदेश, उपदेश।

चर से चार—आचार विचार प्रचार, संचार, व्यभिचार, उपचार आदि।

क्रम—अतिक्रम उपक्रम, पराक्रम विक्रम आदि।

मल—निर्मल विमल परिमल अमल आदि।

लोचन—त्रिलोचन सुलोचन आदि।

अभ्यास

(१) उपसर्ग किसे कहते हैं और इसका प्रयोग किस ढङ्ग से होता है ?

(२) पाँच ऐसे शब्द बताओ जिनके पहले उर्दू के उपसर्ग जोड़े गये हो।

(३) नीचे लिखे शब्दों में कोई उपसर्ग जोडकर उनके अर्थ बताओ। पात्र, शक, तोल, मोल, उत्तर, यश, जन, मन, काम, कार्य्य ।

(४) नीचे लिखे शब्दों का उपसर्ग के समान व्यवहार कर यौगिक शब्द बनाओ।

अन्त, श्री, जीवन, सर, मुँह, यथा ।

१—प्रत्यय

शब्द क अन्त मे प्रत्यय जोडकर उस शब्द के अर्थ और अवस्था में परिवर्तन किया जाता है । प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं—कृत् और तद्धित । क्रिया या धातु के अन्त मे जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं उन्हें कृत् प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द कृदन्त कहलाते हैं। उसी प्रकार सज्ञा तथा विशेषण शब्दों के अन्त मे जो प्रत्यय लगते हैं वे तद्धित कहलाते हैं और उनके मेल से बने शब्द तद्धितान्त कहलाते हैं।

कृदन्त

यों तो संस्कृत में सैकडो प्रत्यय व्यवहृत होते हैं, पर यहाँ पर सब का जिक्र करना मुश्किल है । केवल कुछ मुख्य प्रत्ययो का दिग्दर्शन मात्र करा दिया जाता है। कृत् प्रत्यय के मेल से क्रिया या धातु संज्ञा और विशेषण के रूप में परिणत हो जाते हैं। जिनके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

संज्ञा (Nouns derived from roots)

अक, अन, क्ति आदि प्रत्ययों के योग से बनी संज्ञा—

प्रत्यय	धातु	संज्ञा	प्रत्यय	धातु	संज्ञा
अक	कृ	कारक	अन	भू	भवन
,,	नी	नायक	,,	गम्	गमन
,,	गै	गायक	,,	भुज्	भोजन
,	नृत्	नर्तक	,,	पत्	पतन्
,,	दा	दायक	,,	तप्	तपन
अन	नी	नयन	क्ति	स्तु	स्तुति
,	गह्	गहन	,,	शक्	शक्ति
,,	साधि	साधन	,,	ख्या	ख्याति
,,	शी	शयन			

विशेषण (Adjectives derived from roots)

त (क्त), तव्य अनीय, इत् , णिन् इष्णु, आदि प्रत्ययो के योग से बने विशेषण—

प्रत्यय	धातु	विशेषण	प्रत्यय	धातु	विशेषण
क्ति (त)	जि	जित	तव्य	कृ	कर्तव्य
,	मद्	मत्त	,,	गम्	गन्तव्य
,	मृ	मृत	,,	दृश्	द्रष्टव्य
,	क्रम्	क्रान्त	,,	दा	दातव्य
,,	ऋ	अर्पित	,	भू	भवितव्य
,,	क्लृप्	कल्पित	,,	वच्	वक्तव्य

प्रत्यय	धातु	विशेषण	प्रत्यय	धातु	विशेषण
नीय (अनीय)	पूज	पूजनीय	इत	पत्	पतित
,,	रम्	रमणीय	,,	मूर्च्छा	मूर्च्छित
,,	सेव्	सेवनीय	य (यत,क्य, ण्यत्)	दा	देय
,,	ग्रह्	ग्रहणीय	,,	पा	पेय
,,	दृश	दर्शनीय	,,	सह्	सह्य
				रम्	रम्य

हिन्दी कृत् प्रत्यय

क्रिया के अन्त में हिन्दी के प्रत्ययो को जोडने से कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक और भाववाचक ये चार प्रकार की सज्ञाएँ और कर्तृवाचक, तथा क्रियाद्योतक ये दो प्रकार के विशेषण बनते हैं, इन छओ का पृथक् पृथक् उदाहरण नीचे दिया जाता है।

कृदन्तीय सज्ञा (Nouns derived from roots)

क) क्रिया के चिन्ह ना को लोपकर धातु (में) आ, री, का, र, इया आदि प्रत्ययों को जोड देने से कर्तृवाचक कृदन्तीय, (Agentives) सज्ञा हो जाती है। जैसे—भूँजा, कटारी, उचक्का, झालर घुनिया आदि।

(ख) क्रिया के चिन्ह ना का लोपकर ना नी, प्रत्ययों को जोड देने से कर्मवाचक (Accusative) बनाते हैं । जैसे—ओढनी, सैनी, पोनी।

(ग) धातु के चिन्ह ना का लोपकर आ इ ह और न ना, नी आदि प्रत्ययों को जोडकर करणवाचक (Instrumental

nouns) बनाते हैं । जैसे—झूला, ठेला, घेरा, जाँता, रेती, जोती, झाड, बुहारी, कसौटी ढकन, बेलन, झूलन, बेलना कतरनी सुमिरनी चलनी इत्यादि ।

(घ) केवल क्रिया के चिन्ह ना का लोपकर देने से तथा ना का लोप कर आ, आई, आन आप, आव, ई, त, ती, न्ती, न, नी, र, वट हट आदि प्रत्ययों को जोड़ देने से भाववाचक (Abstract nouns) कृदन्तीय संज्ञाएँ बनाते हैं । जैसे—मार, पीट दौड, डाँट, डपट मोच विचार रट धाटा, छापा, घेरा सोटा, लडाई चढाई, लिखाई लगान उठान मिमान, मिलान चलाव, उतराव चुनाव बोली हँसी बचत रपत लागत, चढती, घटती बढती, चलन्ती, बढ़न्ती, लगन लेन देन, कटनी, ठोकर दिखावट रुकावट मिलावट तरावट सजावट चिल्लाहट, रुलाहट इत्यादि ।

कृदन्तीय विशेषण (Adjectives derived from roots)

(क) कर्तृवाचक (Agentives used as Adjectives)— क्रिया के चिन्ह ना का लोपकर आऊ, आक, आका, आड़ी, आकू, आलू , इयाँ, इयल, ऐरा, ऐता ऐया, ओड, ओडा, क, कड वन वाला वेया, दार सार, हारा आदि प्रत्ययो को जोडने से कर्तृ वाचक विशेषण बनता है । जैसे—टिकाऊ, खाऊ बिकाऊ, दिखाऊ, जडाऊ तैराक लडाकू उडाकू खिलाड़ी सुखाडी, झगडालू, चालू , घटियाँ बढियाँ सडियल अडियल लुटेरा, फनैत, डकैत, बटैया हँसोड भगोडा बाचक, जापक, मारक, पालक भुलक्कड, लिखकड, हँसकड पियकड, सुभावन लुभावन देखनेवाला,

सुननेवाला, खवैया, खेवैया समझदार, मालदार, मिलनसार, चिकनमार, रातनहारी इत्यादि। (हारा का प्रयोग अक्सर पद्य में होता है)।

(ख) क्रियाद्योतक (Participial adjectives)—क्रियाद्योतक विशेषण दो प्रकार के होते हैं—एक भूतकालिक दूसरा वर्तमानकालिक। क्रियाद्योतक ना का लोपकर आ प्रत्यय जोड़ने से भूतकालिक क्रियाद्योतक विशेषण बनता है। कभी कभी अंत में हुआ भी जोड़ा जाता है। जैसे—पढ़ा लिखा धोया, खाया, पढ़ा हुआ, नहाया हुआ। इत्यादि।

प्रयोग—पढ़े ग्रन्थ को पढ़ने में मन नहीं लगता। पढ़ा-लिखा आदमी चतुर होता है। दूध का धोया लड़की। हाथी का खाया कैथ हो गया। पढ़ी हुई स्त्री गुणवती होती है। नहाया आदमी स्वच्छता लाभ करता है।

वर्तमानकालिक क्रियाद्योतक—'ना' का लोपकर ता प्रत्यय जोड़ने से बनता है। कभी कभी अंत में हुआ भी जोड़ते हैं। जैसे—मरता चलता, उड़ता, बहता, खाता हुआ, जाता हुआ इत्यादि।

प्रयोग—मरता क्या न करता। चलता खाता, चलती गाड़ी उलट गयी। मैं उड़ती चिड़िये को पहचाननेवाला हूँ। बहता पानी निर्मला। खाता हुआ आदमी। चलता हुआ घोड़ा। पहले वाक्य में मरता विशेषण है, पर विशेष्य के रूप में व्यवहृत हुआ है इसका अर्थ है—मरनेवाला आदमी।

nouns) बनाते हैं । जैसे—झूला, ठेला, घेरा, जाँता, रेती, जोती, झाड़, बुहारी, कसौटी ढक्कन, बेलन, झूलन, बेलना कतरनी सुमिरनी चलनी इत्यादि ।

(घ) केवल क्रिया के चिन्ह ना का लोपकर देने से तथा ना का लोप कर आ, आई, आन आप, आव, ई, त, ती, न्ती न नी, र, वट हट आदि प्रत्ययों को जोड़ देने से भाववाचक (Abstract nouns) कृदन्तीय संज्ञाएँ बनाते हैं । जैसे—मार, पीट, दौड़, डाँट, डपट सोच विचार रट, घाटा, छापा, घेरा, सोटा, लड़ाई चढ़ाई, लिखाई लगान उठान, मिलाप, मिलाव, चलाव, उतराव चुनाव बोली हँसी बचत खपत लागत, चढ़ती, घटती बढ़ती, चलन्ती, बढ़न्ती, लगन लेन देन कटनी ठोकर दिखावट रुकावट मिलावट तरावट सजावट चिल्लाहट, रुलाहट इत्यादि ।

कृदन्तीय विशेषण (Adjectives derived from roots)

(क) कर्तृवाचक (Agentives used as Adjectives)—क्रिया के चिन्ह ना का लोपकर आऊ, आक, आका, आडी, आकू, आलू, इयाँ इयल ऐरा ऐता ऐया, ओड, ओडा, क, कड वन वाला वैया दार, सार, हारा आदि प्रत्ययों को जोड़ने से कर्तृ वाचक विशेषण बनता है । जैसे—टिकाऊ, ग्याऊ, बिकाऊ, दिखाऊ, जड़ाऊ तैराक लड़ाकू उड़ाकू खिलाड़ी सुखाड़ी, झगड़ालू, चालू, घटियाँ बढ़ियाँ सड़ियल अड़ियल लुटेरा, फनैत, लकैत, बटैया हँसोड़, भगोड़ा वाचक जापक मारक, पालक भुलक्कड़, लिखक्कड़, हँसक्कड़, पियक्कड़ सुभावन लुभावन, देखनेवाला,

सुननेवाला, खवैया, खेवैया समझदार, मालदार, मिलनसार, चिकनमार, गावनहारी इत्यादि। (हारा का प्रयोग अक्सर पद्य में होता है)।

(ख) क्रियाद्योतक (Participial adjectives)—क्रियाद्योतक विशेषण दो प्रकार के होते हैं—एक भूतकालिक दूसरा वर्तमानकालिक। क्रियाद्योतक ना का लोपकर आ प्रत्यय जोड़ने से भूतकालिक क्रियाद्योतक विशेषण बनता है। कभी कभी अंत में हुआ भी जोड़ा जाता है। जैसे—पढ़ा, लिखा, धोया, खाया, पढ़ा हुआ, नहाया हुआ। इत्यादि।

प्रयोग—पढ़े ग्रन्थ को पढ़ने में मन नहीं लगता। पढ़ा-लिखा आदमी चतुर होता है। दूध का धोया लड़का। हाथी का खाया कैथ हो गया। पढ़ी हुई स्त्री गुणवती होती है। नहाया आदमी स्वच्छता लाभ करता है।

वर्तमानकालिक क्रियाद्योतक—'ना' का लोपकर ता प्रत्यय जोड़ने से बनता है। कभी कभी अंत में हुआ भी जोड़ते हैं। जैसे—मरता चलता, उड़ता, बहता, खाता हुआ, जाता हुआ इत्यादि।

प्रयोग—मरता क्या न करता। चलता खाता, चलती गाड़ी उलट गयी। मैं उड़ती चिड़िये को पहचाननेवाला हूं। बहते पानी निर्मला। खाता हुआ आदमी। चलता हुआ घोड़ा। इस वाक्य में मरता विशेषण है, पर विशेष्य के रूप में न है इसका अर्थ है—मरनेवाला आदमी।

नोट—कभी-कभी क्रियाद्योतक विशेषण क्रिया की विशेषता बतलाने के कारण क्रियाविशेषण अव्यय के रूप में भी व्यवहृत होता है। प्राय ऐसे अव्यय द्वित्व होकर आते हैं। जैसे—दौडते दौडते थक गया। बैठे बैठे जी अकड गया इत्यादि।

तद्धितान्त शब्द

सज्ञा या विशेषण के अत में प्रत्यय लगाकर सज्ञा या विशेषण के नये शब्द बनाये जाते हैं। यहाँ पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि सस्कृत के तत्सम शब्दों के अत में संस्कृत के ही प्रत्यय सस्कृत व्याकरण के नियमानुसार जोड़े जाते हैं तथा हिन्दी के शब्दो में हिन्दी के प्रत्यय और उर्दू के शब्दों में उर्दू के प्रत्यय अपनी अपनी भाषाओं के व्याकरण के अनुसार जोडे जाते हैं।

सस्कृत तद्धितान्त शब्द

सस्कृत तत्सम संज्ञाओं के अत में प्रत्यय लगाने से भाववाचक अपत्यवाचक (नामवाचक) और गुणवाचक (विशेषण) ये तीन प्रकार के शब्द बनते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगाने पर भी मूल शब्द के अर्थ में ही प्रत्ययान्त शब्द का भी प्रयोग होता है।

१—सज्ञाओं से बनी सज्ञाएँ और विशेषण

(Nouns and Adjectives derived from Nouns)

(क) भाववाचक—(Abstract Nouns)—

ता—मित्र से मित्रता, प्रभु से प्रभुता, मनुष्य से मनुष्यता, गुरु से गुरुता आदि।

त्व—प्रभुत्व, बन्धुत्व, मनुष्यत्व, दूतत्व आदि।

अ (अग)—सुहृद् से सौहार्द, मुनि से मौन।

य—पण्डित से पाण्डित्य, दूत से दौत्य चोर से चौर्य आदि।

(ख) अपत्यवाचक (Patronymic Nouns)—अपत्यवाचक संज्ञा किसी नाम या व्यक्तिवाचक मे प्रत्यय जोडने से दो अर्थों मे बनती है—एक सन्तान के अर्थ में दूसर किसी अन्य अर्थ म।

सन्तान के अर्थ मे—दशरथ से दाशरथि, वसुदेव से वासुदेव, सुमित्रा से सौमित्र, दिति से दैत्य, यदु से यादव मनु से मानव, अदिति से आदित्य, पृथा से पार्थ, पाण्डु से पाण्डव, कुन्ती से कौन्तेय, कुरु से कौरव।

अन्य अर्थों में—शिव से शैव, शक्ति से शाक्त, विष्णु से वैष्णव, रामानद से रामानदी, दयानद से दयानदी इत्यादि।

(ग) गुणवाचक (Adjectives derived from Nouns)
इक—तर्क—तार्किक, न्याय—नैयायिक, वेद—वैदिक, मानस—मानसिक सप्ताह—साप्ताहिक, नगर—नागरिक, लोक—लौकिक, दिन—दैनिक, उपनिवेश—औपनिवेशिक इत्यादि।

य (यत्)—तालु—तालव्य, प्राक्—प्राच्य, ग्राम—ग्राम्य इत्यादि।

मत, वत्—बुद्धि—बुद्धिमान (मती) श्री—श्रीमान् (मती), रूप—रूपवान (वती) इत्यादि।

विन् तेजस्—तेजस्वी, मेधा—मेधावी, मा—

मय (मयट्)—जलमय, स्वर्णमय, दयामय,

इन्—प्रणय - प्रणयी, ज्ञान—ज्ञानी, दु ख—

इत्—आनन्द—आनन्दित, दु ख—दु खित

इत्यादि ।

निष्ठ—कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ इत्यादि ।

मूल अर्थ में—

सेना से सैन्य चोर से चौर, त्रिलोक से त्रैलो

मारुत, भंडार से भाडार, कुतूहल से कौतूहल इत्यादि

ऊपर के शब्दों में प्रत्यय लगने पर भी अर्थ में

परिवर्तन नहीं दीखता ।

२—विशेषण से बनी संज्ञाएँ

(Nouns derived from Adjectives

संस्कृत तत्सम विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय

संस्कृत तत्सम संज्ञाएँ बनाई जाती हैं वे प्राय भा

होता है । जैसे—

ता त्व—मूर्खता गुरुता, लघुता, बुद्धिमत्ता, वीर

मधुरता, दरिद्रता (दारिद्रय), उदारता सहायता, महत्

अण् प्रत्यय—गुरु से गौरव, लघु से लाघव इ

हिन्दी में तद्धित

जिस प्रकार संस्कृत तत्सम शब्दों में तद्धित

जोड़ने से संज्ञाओं से संज्ञाएँ और विशेषण बनाते

तद्भव और हिन्दी के शब्दों में भी प्रत्ययों को जो

विशेषण आदि बनाते हैं। तद्धित प्रत्ययान्त से बने शब्द इस प्रकार विभाजित किये जा सकते हैं—भाववाचक, ऊनवाचक, कर्तृवाचक और सम्बन्धवाचक।

(क) भाववाचक (Abstract Nouns)—संज्ञाओं या विशेषणों के अंत में आई, ई, पा, पन, वट, हट, त, स, नी आदि प्रत्ययों के जोड़ने से भाववाचक तद्धितीय संज्ञा होती हैं। जैसे—लड़काई, भलाई, बुराई, लम्बाई, चतुराई बुढ़ापा, लड़कपन, छुटपन, बचपन कड़ुआहट, अमावट, रंगत, संगत, मिठास, खट्टास, चाँदनी इत्यादि।

(ख) ऊनवाचक (Diminutives)—आ, वा, क, डा, या, री, ली, ई इत्यादि प्रत्ययों को जोड़कर ऊनवाचक बनाते हैं, इस ढंग की संज्ञा से लघुता, ओछापन या छुटपन का बोध होता है। जैसे—बचवा, पिल्लुआ, ढोलक, टुकड़ा, मुखड़ा, लोटिया, खटिया डिबिया, कोठरी, छतरी, बटुली, रस्सी, डोरी, कटोरी इत्यादि।

(ग) कर्तृवाचक ((Agentives)—आर, इया, इ, रा, वाला, हारा इत्यादि प्रत्ययों को जोड़कर बनाते हैं। जैसे—लुहार, सोनार, कुम्हार, अढ़तिया, मखनिया, तेली, योगी, भोगी, विलासी, कसेरा, सँपेरा, कोतवाल, गोवाला, (ग्वाला), चुड़िहारा इत्यादि।

(घ) सम्बन्धवाचक (Relative Nouns)—आल, औति, जा आदि प्रत्ययों के योग से बनता है। जैसे—ससुराल, ननिहाल, कठौती, बपौती, भतीजा इत्यादि।

(ङ) विशेषण (Adjectives)—आ, आइन, आहा, ई,

मय (मयट्)—जलमय, स्वर्णमय, दयामय, धर्म्ममय।

इन्—प्रणय - प्रणयी ज्ञान—ज्ञानी, दुःख—दुःखी।

इत्—आनन्द—आनन्दित, दुःख—दुःखित, फल—फलित इत्यादि।

निष्ठ—कर्मनिष्ठ, धर्म्मनिष्ठ इत्यादि।

मूल अर्थ में—

सेना से सैन्य चोर से चौर, त्रिलोक से त्रैलोक्य, मरुत से मारुत, भंडार से भाडार, कुतूहल से कौतूहल इत्यादि।

ऊपर के शब्दों में प्रत्यय लगाने पर भी अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दीखता।

२—विशेषण से बनी संज्ञाएँ

(Nouns derived from Adjectives)

संस्कृत तत्सम विशेषण शब्दो के अंत में प्रत्यय लगाकर जो संस्कृत तत्सम संज्ञाएँ बनाई जाती हैं व प्रायः भाववाचक संज्ञा होती हैं। जैसे—

ता, त्व—मूर्खता गुरुता, लघुता, बुद्धिमत्ता, वीरता भीरुता, मधुरता, दरिद्रता (दारिद्रय), उदारता, सहायता, महत्त्व वीरत्व।

अण् प्रत्यय—गुरु से गौरव, लघु से लाघव इत्यादि।

हिन्दी में तद्धित

जिस प्रकार संस्कृत तत्सम शब्दों में तद्धित प्रत्ययों को जोड़ने से संज्ञाओं से संज्ञाएँ और विशेषण बनाते हैं उसी प्रकार तद्भव और हिन्दी के शब्दों में भी प्रत्ययों को जोडने से संज्ञा,

विशेषण आदि बनाते हैं । तद्धित प्रत्ययान्त से बने शब्द इस प्रकार विभाजित किये जा सकते हैं—भाववाचक, ऊनवाचक, कर्तृवाचक और सम्बन्धवाचक ।

(क) भाववाचक (Abstract Nouns)—संज्ञाओं या विशेषणों के अंत में आई, ई, पा, पन, वट, हट, त, स, नी आदि प्रत्ययों के जोडने से भाववाचक तद्धितीय संज्ञा होती हैं । जैसे—लड़काई, भलाई, बुराई, लम्बाई, चतुराई बुढ़ापा, लड़कपन, छुटपन, बचपन कड़ुवाहट, अमावट, रंगत, संगत, मिठास, खट्टास, चाँदनी इत्यादि ।

(ख) ऊनवाचक (Diminutives)—आ, वा, क, डा, या, री, ली, ई इत्यादि प्रत्ययों को जोडकर ऊनवाचक बनाते हैं, इस ढंग की संज्ञा से लघुता, ओछापन या छुटपन का बोध होता है। जैसे—बचवा, पिलुआ, ढोलक, टुकडा, मुखडा, लोटिया, खटिया डिबिया, कोठरी, छतरी, बटुली, रस्सी, डोरी, कटोरी इत्यादि ।

(ग) कर्तृवाचक ((Agentives)—आर, इया, इ, रा, वाला, हारा इत्यादि प्रत्ययों को जोडकर बनाते हैं । जैसे—लुहार, सोनार, कुम्हार, अढ़तिया, मखनिया, तेली, योगी, भोगी, विलासी, कसेरा, सँपेरा, कोतवाल, गोवाला, (ग्वाला), चुड़िहारा इत्यादि ।

(घ) सम्बन्धवाचक (Relative Nouns)—आल, औति, आ आदि प्रत्ययों के योग से बनता है। जैसे—ससुराल, ननिहाल, कठौती, बपौती, भतीजा इत्यादि ।

(ङ) विशेषण (Adjectives)—आ, आइन, आहा, ई,

ऊ, ऐरा, या, ऐत, ल, ला, ऐला, लु, लू, ड़ी, वाल, वाला, वत, वाँ, वान, हर हरा, हा आदि प्रत्ययों के योग से बनता है। जैसे—ठढा, प्यासा, भूखा, गोवराइन, कसाइन, उतराहा, पठौहा, अरबी, फारसी, अंगरजी, देशी, विदेशी, देहाती, बनारसी, घरू, बजारू, पेटू, चचेरा, मौसेरा, घरैया, बनैया, कलकतिया, पटनिया, मुँगेरिया लठैत, बिगरैल, खपरैल, बनैला, विषैला, घरलू, दयालु, कृपालु, पहला, सुनहला भंगेडी, गंजेड़ी, गयावाल, दिल्ली-वाल, मोहनवाला दयावत, धनवत, ग्यारहवाँ, तेरहवाँ, मति मान, धीमान, छुतहर, सुनहरा, मुतहा।

उर्दू के कुछ प्रत्यय (Urdu suffixes)

ऊपर लिखा जा चुका है कि उर्दू के जो शब्द हिन्दी भाषा मे व्यवहृत होते हैं उनमें उर्दू के ही प्रत्यय जोड़े जाते हैं। यहाँ पर उर्दू के ही प्रत्यय से बने शब्द के कुछ उदाहरण दिये जाते हैं—

भाववाचक—गी, ई, आई प्रत्यय के योग से—जिन्दगी, बन्दगी, मर्दानगी, ताजगी, खुदगर्जी, उस्तादी, बेवफाई, बेहयाई।

कर्तृवाचक—गर, गीर, ची, दार बीन आदि के योग से—कारीगर तमाशगीर, यादगार, खजाची, मशालची, जमींदार, वफादार, तमाशबीन।

सम्बन्धवाचक—आना, ई, दान आदि प्रत्ययों के योग से—जुर्माना, नजराना, हर्जाना, दस्ताना, आदमी, कलमदान, पिक-दान, शमादान इत्यादि।

विशेषण—आना, ई, गीन, नाक, बान, मन्द, वर, शाही, दार आदि प्रत्ययों के योग से—दोस्ताना, सालाना गमगीन,

खतरनाक, दर्दनाक मिहरबान, अक्लमन्द, दौलतमद ताकतवर, नादिरशाही, मजेदार, दगाबाज इत्यादि ।

तद्धितीय क्रिया

(Verbs derived from nouns)

कुछ ऐसे विशेष्य हैं जिनमें प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है। जैसे—लाज-लजाना, गर्म गर्माना, लात लतियाना, बात बतियाना, रंग रंगाना, जूता-जुतियाना इत्यादि ।

विशेष्य से विशेषण और विशेषण से विशेष्य

एक प्रत्यय को बदलकर दूसरा प्रत्यय जोडने से अथवा प्रत्ययों के जोडने से या निकाल देने से विशेषण से विशेष्य और विशेष्य से विशेषण बनाये जाते हैं।

कृदन्त से बने विशेष्य से विशेषण—भय से भीत, जय से जीत, खेल से खिलाडी इत्यादि ।

कृदन्त से बने विशेषण से विशेष्य—लडाकू से लडाई, लुटेरा से लूट, झगडालू से झगडा, डरू से डर इत्यादि ।

तद्धित से बने विशेष्य से विशेषण—समाज से सामाजिक, पेट से पट्टू, भारत से भारतीय, देश से देशीय इत्यादि ।

तद्धित से बने विशेषण से विशेष्य—धनी से धन, आनन्दित से आनन्द गरीबी से गरीब, ऐतिहासिक से इतिहास इत्यादि ।

अभ्यास

(१) निम्नलिखित विशेषणों से विशेष्य और विशेष्यों से विशेषण बनाओ—गौरव, मनोहर, स्वर्ग, नरक, छवि, विनय न्याय,

निर्दय, मूर्ख, मारी, प्यासा, दौलत, दान, कृपण, यत्न, विश्वास, ऐश्वर्य, सुखद, दुःख, पीला और लड़ाई।

(२) नीचे लिखे शब्दों से विशेषण बनाओ—खाना, हँसना, रूप, ज्ञान, हृदय, शोभा, अग्नि, चन्द्र, छवि और प्रीति।

(३) नीचे लिखे शब्दों से संज्ञा बनाओ—

बाँचना, घेरना, विस्मृत, संकुचित, भीषण, लाल, विमल, धार्मिक, हृदयहीन, चतुर।

(४) निम्नलिखित विशेषणों के साथ उपयुक्त संज्ञाओं को मिलाओ—

सायंकालीन अभूतपूर्व, दुर्लक्ष्य, लोमहर्षण, अपरिमिति, वीभत्स अनिर्वचनीय, हृदय-विदारक।

समास

(Compounds)

दो शब्दों को मिलाकर जो एक शब्द बनाया जाता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा में समास व्याकरण का एक मुख्य अंग माना जाता है। संस्कृत के बहुत से सामासिक शब्द हिन्दी में व्यवहृत होते हैं। समास द्वारा बने हिन्दी वा संस्कृत के तत्सम शब्द छः भागों में विभक्त किये जा सकते हैं।

१—तत्पुरुष

जिस सामासिक शब्द का अन्तिम खंड प्रधान हो उसमें तत्पुरुष समास रहता है। जैसे—जीवनधन अर्थात् जीवन का धन। इस प्रकार के सामासिक शब्द के पूर्व खंड में सम्बोधन और कर्त्ता को छोड़कर अन्य कारकों में से किसी एक का चिह्न गुप्त रूप से

रहता है। जैसे—गंगाजल (गंगा का जल), गुरूपदेश (गुरु का उपदेश), शोकाकुल (शोक मे आकुल) इत्यादि। इस हिसाब से तत्पुरुष के छ भेद होते हैं—पूर्व खड में कर्मकारक रहने से द्वितीया, सम्प्रदान रहने से चतुर्थी अपादान रहने से पचमी, सम्बन्ध रहने से षष्ठी और अधिकरण रहने से सप्तमी तत्पुरुष के सामासिक शब्द होते हैं।

उदाहरण—

कर्मकारक में (द्वितीया)—शरण को आगत, शरणागत, चिड़ियों को मारनेवाला, चिड़ीमार।

करण में (तृतीया)—शोक मे आकुल, शोकाकुल, धर्म से अधा, धर्मान्ध, जन्म से अधा, जन्माध।

सम्प्रदान मे (चतुर्थी)—ब्राह्मण के लिए देय, ब्राह्मणदेय।

अपादान में (पचमी)—जीवन से मुक्त, जीवनमुक्त देश से निकाला, देशनिकाला, पाप से भ्रष्ट, पापभ्रष्ट, धर्म से च्युत, धर्मच्युत।

सम्बन्ध में (षष्ठी)—गगा का जल, गंगाजल, आम का रस, आमरस, तिल की बड़ी, तिलौरी।

अधिकरण में (सप्तमी)—ध्यान मे मग्न, ध्यानमग्न, कर्म में निरत, कर्मनिरत, रथ में आरूढ रथारूढ इत्यादि।

२—कर्मधारय

जो शब्द विशेष्य और विशेषणो या उपमान और उपमेय के समानाधिकरण से बना हो उसमे कर्मधारय समास होता है,

जैसे नील है जो गाय नीलगाय, चन्द्र के समान है जो मुख, चन्द्रमुख, फूली हुई है जो बड़ी, फुलौड़ी।

३—बहुव्रीहि

जिस सामासिक शब्द का कोई खंड प्रधान न हो बल्कि समस्त पद का कोई विशेष अर्थ प्रदर्शित हो उसमें बहुव्रीहि समास रहता है। जैसे—

चन्द्र है भाल पर जिनके—चन्द्रभाल (महादेव)।
चक्र है हाथ में जिनके—चक्रपाणि (विष्णु)।
चार हैं भुजाएँ जिनकी—चतुर्भुज (विष्णु)।
चार हैं आनन जिनके—चतुरानन (ब्रह्मा)।

४—द्विगु

जिस सामासिक शब्द का पूर्वपद संख्यावाची हो उसमें द्विगु समास रहता है। इस संख्यावाचक कर्मधारय भी कह सकते हैं और जहाँ विशेष अर्थ प्रदर्शित करे वहाँ बहुव्रीहि भी हो जाता है। जैसे—त्रिकोण, चतुर्भुज (चार भुजावाले क्षेत्र के अर्थ में द्विगु और विष्णु के अर्थ में बहुव्रीहि है), चौपाई, षड्पद चौहट्ट, चौराहा इत्यादि।

५—द्वन्द्व

जिन सामासिक शब्दों में सभी खंड प्रधान हों और समास होने पर दोनों के बीच का योजक शब्द लुप्त रहे उनमें द्वन्द्व समास होते हैं। जैसे—

स्त्री और पुरुष—स्त्रीपुरुष। माता और पिता—मातापिता।

अहन् और निशा—अहर्निश। लोटा और डोरी—लोटाडोरी। तन, मन और धन—तन मन-धन।

६—अव्ययी भाव

जिस सामासिक शब्द मे पूर्वखड अव्यय हो और समस्त-शब्द क्रियाविशेषण अव्यय के रूप में आवे उसमे अव्यीभाव समास रहता है। जैसे—प्रतिदिन, रातोरात, यथाशक्ति, यथाविधि, यथासाध्य।

(७) इन छ समासों के अतिरिक्त नञ् समास भी होता है। निपेधार्थक के योग मे जो सामासिक शब्द बनते हैं उनमे प्राय नञ् समास रहता है। जैसे—अनन्त, अनाथ, अनभिज्ञ, अनादि इत्यादि।

पुनरुक्त शब्द

पुनरुक्त शब्द चार भागो मे विभक्त किये जा सकते हैं—(१) एक ही शब्द को दुहराना, (२) एक ही अर्थवाले शब्दो को मिलाना, (३) एक ही श्रेणी या विभाग के शब्दों को मिलाना और (४) विपरीत अर्थवाले शब्दो को मिलाना।

१—एक ही शब्द को दुहराना

बैठे-बैठे, रोज बरोज, दिन प्रति दिन, राम राम, छी-छी, देख देखकर, हरा-हरा, लाल-लाल, धीरे-धीरे, बन बन, घर घर, भाँति भाँति के, जब जब, तब तब इत्यादि।

२—प्राय एकार्थक शब्दों का योग

आमोद-प्रमोद, मणि-मुक्ता, मान मर्यादा, धन धान्य दीन-

दुखी, तर्क वितर्क, आकार-प्रकार, कथा वार्त्ता, काम काज, दया माया दौड धूप, बोल चाल, रीति रिवाज, सेवा शुश्रूषा, बन्धु बान्धव, रूखी सूखी, सखा मित्र, जीव-जन्तु, ओत प्रोत, मद-मत्सर इत्यादि।

३—एक ही विभाग के शब्दों का योग

आमोद प्रमोद, आहार विहार, भोग-विलास, फल-फूल, भूख-प्यास, अन्न वस्त्र खाना कपडा, रङ्ग-ढङ्ग हाथ पाँव, हँसी-खुशी, दूध-दही, वर-कन्या इत्यादि।

४—भिन्नार्थक शब्दो का योग

ऊँच नीच, छोटा बडा, बाल-वृद्ध, नया-पुराना संयोग वियोग, लेन देन, आय व्यय, जीवन मरण, धर्म्माधर्म्म, रात-दिन, हिता-हित, गुण-अवगुण, हर्ष विषाद, दु ख-सुख, जमा खर्च, साधु-असाधु सुजाति-कुजाति, लाभालाभ, जयाजय जय पराजय, सन्धि विग्रह आदि।

नोट—ऊपर दिखाये गये पुनरुक्त शब्दो क चार विभागो में से पहले विभाग में प्राय अव्ययीभाव समास रहता है और बाकी तीन विभागों में आये शब्दो में द्वन्द्व समास रहता है जिनका सयोजक शब्द 'और' गुप्त है।

कुछ सामासिक शब्दो के उदाहरण

बहुत से ऐसे शब्द हैं जो प्रत्यय के समान शब्दों के अन्त में जुट जान से सामासिक शब्द बन जाते हैं, ऐसे शब्दो क प्रयोग में कभी-कभी अच्छे अच्छे लेखक तक भूल कर बैठते हैं। जानकारी के लिये कुछ प्रयोग नीचे दिये जाते हैं—

अन्तर—अर्थान्तर, एकान्तर, द्वीपान्तर, कालान्तर, सीमान्तर, लोकान्तर, देहान्तर, देशान्तर, पाठान्तर, विषयान्तर, शोकान्तर आदि।

अनुसार—आज्ञानुसार, कथनानुसार, इच्छानुसार, आदेशानुसार, रीत्यनुसार (कोइ कोई ठीक प्रयोग न जानने के कारण रीत्यनुसार को रीत्यानुसार लिख देते हैं)।

अनन्तर—गमनानन्तर, तदनन्तर इत्यादि। अनन्तर शब्द को भी प्रत्यय के रूप में व्यवहार करने में अक्सर लोग भूल करते हैं। कोई कोई उपर्युक्त दोनों शब्दों को गमनान्तर और तदन्तर लिख देते हैं।

अर्थी—भोजनार्थी, परीक्षार्थी विद्यार्थी, कामार्थी, परमार्थी, स्वार्थी, दर्शनार्थी, विचारार्थी, धर्म्मार्थी इत्यादि।

अन्त—दिनान्त कर्मान्त, दिनान्त कुलान्त आदि।

ग्रहण—चन्द्रग्रहण, सूर्य्यग्रहण, धनग्रहण पाणिग्रहण, वस्त्रग्रहण, भावग्रहण इत्यादि।

निष्ठ—कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ न्यायनिष्ठ आदि।

पारायण—कर्त्तव्यपारायण, न्यायपारायण, धर्मपारायण आदि।

पटु—वाक्यपटु, ज्ञानपटु बुद्धिपटु कार्यपटु आदि।

रक्षा—अर्थरक्षा, कीर्तिरक्षा, धनरक्षा भानरक्षा, मानरक्षा आदि।

शील—उन्नतशील कर्त्तव्यशील, धर्मशील, परिवर्तनशील आदि।

साधन—कार्यसाधन, अर्थसाधन, मन्त्रसाधन आदि ।

निधान—गुणनिधान, वलनिधान कृपानिधान आदि ।

विशारद—राजनीतिविशारद, गुणविशारद, विद्या बुद्धि विशारद ।

ज्ञान—आत्मज्ञान प्रज्ञाज्ञान, तत्वज्ञान, शास्त्रज्ञान आदि ।

पति—नरपति, रमापति, प्राणपति, सेनापति आदि ।

अभ्यास

(१) नीचे लिखे सामासिक शब्दों में समास बताओ और विग्रह करो । धर्मात्मा, प्रजापति, गौरीशङ्कर, विद्यावारिधि ।

(प्रथमा परीक्षा १९७१ सं०)

(२) नीचे के प्रत्येक शब्द को लेकर जितना हो सके संयुक्त शब्द बनाओ—वत्सल, भाजन, मातृ, शाला ।

(३) नीचे लिखे शब्दों के सामासिक शब्द बनाओ ।

राम और कृष्ण, त्रि लोक, कमल के एसा है नयन जो, लक्ष्मी के पति, हृदय है उदार जो ।

कारक-प्रकरण

कारक के चिह्न

कर्त्ता—ने से, शून्य ।	अपादान—से ।
कर्म—शून्य को ।	सम्बंध—का के की ।
करण—से, द्वारा ।	ना ने नी । रा रे,री । सर्वनाम में
सम्प्रदान—को के लिए, के निमित्त ।	अधिकरण—में, पर, पै ।
	सम्बोधन—हो, हे, अरे, रे ।

एक वाक्य में आठों कारक

हे मोहन ! पिता ने पुत्र को विद्या से भूषित करने के लिए घर से गुरु के आश्रम में भेजा। (बा० व्या०)

१—कर्त्ता

ऊपर लिखा जा चुका है कि जो काम करे या क्रिया की उत्पत्ति में सहायता दे उसे कर्त्ता कहते हैं। जैसे—राम सोता है। यहाँ सोना क्रिया या सोने का काम रामद्वारा सम्पादित होता है, इसलिए राम कर्त्ता हुआ।

वाक्य में कर्त्ता दो प्रकार से प्रयुक्त होता है—एक प्रधान रूप से दूसरे अप्रधान रूप से। वाक्य में जहाँ क्रिया कर्त्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो वहाँ कर्त्ता प्रधान या उक्त कहलाता है पर जहाँ वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्त्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार हो वहाँ कर्त्ता अप्रधान या अनुक्त कहलाता है। जैसे—'राम सोता है,—इस वाक्य में कर्त्ता 'राम' के अनुसार क्रिया 'सोता है' है अत 'राम' प्रधान या उक्त कर्त्ता हुआ। फिर 'राम ने रोटी खायी' वाक्य में 'खायी' क्रिया क लिंग, वचन और पुरुष 'राम' (कर्त्ता) के अनुसार नहीं होकर 'रोटी' (कर्म) के अनुसार है, इसलिए यहाँ 'राम' अनुक्त या अप्रधान कर्त्ता है।

कर्त्ता में चिह्न-प्रयोग

कर्त्ता कारक के चिह्न हैं—ने, से और शून्य। कर्त्ता का 'ने' चिह्न—प्राय अनुक्त कर्त्ता में 'ने' चिह्न आता है। अर्थात—

(४) थूकना और खाँसना—इन दो अकर्मक क्रियाओं के सामान्य आसन्न पूर्ण और संदिग्ध भूतकालों में लोग कर्त्ता के साथ 'ने' चिह्न का प्रयोग करते हैं। जैसे—मैंने थूका। उसने खाँसा।

से चिह्न—दरअसल कारक का से चिह्न तो करण और अपादान कारक के लिए है पर कभी-कभी कर्त्ता कारक में भी प्रयुक्त हो जाता है। जहाँ कर्त्ता में 'से' चिह्न का प्रयोग होता है वहाँ कर्त्ता करण के रूप में बदल जाता है। जैसे—'मैंने भात खाया' में अगर 'मैं' के आगे 'से' को प्रयुक्त करना चाहें तो उसे करण में बदलकर क्रिया को भी, जो कर्तृप्रधान में है कर्मप्रधान के रूप में कर देना पड़ेगा अर्थात् मुझ से भात खाया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब क्रिया कर्म प्रधान या भाव प्रधान के रूप में व्यवहृत होती हो तब कर्त्ता का 'से' चिह्न आता है अथवा कर्त्ता का रूप करणकारक में बदल जाता है। जैसे—

मोहन पुस्तक पढ़ता है—मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है।
मैं ने रोटी खायी—मुझसे रोटी खायी गयी।
वह सोता है—उससे सोया जाता है।
वह फल तोड़ता है—उससे फल तोड़ा जाता है।
वह घर गया—उससे घर जाया गया।

शून्य चिह्न—शून्य चिह्न का तात्पर्य है कारक की कोई विभक्ति प्रगट रूप से नहीं रहना। कर्त्ता कारक में भी कभी-कभी प्रत्यक्ष-रूप से कोई विभक्ति नहीं आती है। ऊपर बतायी गयी जिन-जिन अवस्थाओं में कर्त्ता में 'ने' और 'से' चिह्न प्रयुक्त

होते हैं उन उन अवस्थाओ को छोडकर शेष अवस्थाओ में कर्त्ता के आगे कोई विभक्ति प्रगट-रूप से नहीं आती है अर्थात् कर्त्ता का शून्य चिह्न आता है। जहाँ-जहाँ कर्त्ता मे शून्य चिह्न आता है वहाँ वहाँ उसकी क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्त्ता क लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं। इसलिए केवल भाव-प्रधान क्रिया को छोडकर, जिसमे कर्त्ता का से चिह्न रहता है पर कर्त्ता उक्त-रूप में होता है शेष सभी उक्त कर्त्ताओ मे 'शून्य' चिह्न ही प्रयुक्त होता है।

(१) थूकना और खाँसना को छोडकर सभी अकर्मक क्रियाओ के किसी भी काल मे,

(२) वर्तमान, भविष्यत् और अपूर्ण तथा हेतुहेतुमद्भूत-काल मे आनेवाले कर्त्ताओ मे,

(३) सयुक्त क्रिया का कोई भो खड अगर अकर्मक हो तो उस हालत म

(४) नित्यता बोधक सकर्मक सयुक्त क्रिया मे,

और (५) बकना, भूलना, लाना, बोलना, आदि सकर्मक क्रियाओ के किसी भी काल मे कर्त्ताओ के शून्य चिह्न आते हैं।

इनके अतिरिक्त जहाँ-जहाँ 'ने' चिह्न के प्रयोग में अपवाद माना गया हैं वहाँ-वहाँ 'शून्य' चिह्न प्रयुक्त होता है और जहाँ-जहाँ 'ने' के विकल्प से आने की बात कही गयी है वहाँ-वहाँ 'शून्य' चिह्न भी विकल्प से ही आता है।

२—कर्म

कम कारक प्राय सकर्मक क्रियाओं के साथ आता है। कर्म भी कर्त्ता की नाइ दो प्रकार म वाक्य में प्रयुक्त होता है—एक प्रधान रूप म दूसरा अप्रधान रूप से। जहाँ वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म क लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो वहाँ कर्म प्रधान या उक्त कहलाता है परन्तु जहाँ वाक्य में क्रिया क लिंग वचन और पुरुष कर्म क लिंग वचन और पुरु के अनुसार न होकर कर्त्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हों वहाँ कर्म अप्रधान या अनुक्त कहलाता है। जैसे—स्त्री से कपडा सीया जाता है—यहाँ 'जाता है' (क्रिया) क लिंग वचन और पुरुष 'कपडा' (कर्म) के लिंग, वचन और पुरु के अनुसार आये हैं इसलिए कपडा प्रधान या उक्त कर्म है फिर 'स्त्री कपडा सीती है' वाक्य में सीती है' (क्रिया) के लिंग, वचन और पुरुष 'कपड़ा' (कर्म) के अनुसार न होक स्त्री (कर्त्ता) क अनुसार हैं इसलिए 'कपडा' अप्रधान या अनु कर्म है।

कोई कोई सकर्मक क्रिया दो कर्म लेती है। ऐसी क्रिया द्विकर्म्मक कहलाती हैं और दोनों कर्मों मे से एक कर्म मुख और दूसरा गौण कर्म कहलाता है। जैसे—उसने मुझे खे दिखाया। उसने मुझे हिसाब बनाया। इन वाक्यों में से प्रत्ये वाक्य में दो कर्म आये हैं। प्राय देखा जाता है कि ऐसे कर्म में से एक वस्तुबोधक और दूसरा प्राणिबोधक होता है। वस्तुबोध को मुख्य कर्म और प्राणिबोधक को गौण कर्म कहते हैं।

सजातीय कर्म (Cognate object)—यदि किसी अकर्मक क्रिया के साथ उसी के धातु से बना हुआ या मिलता जुलता कर्म आवे तो वह सजातीय कर्म कहलाता है। जैसे—मैं खेल खेला, वह दौड दौडा, सेना लडाई लडी इत्यादि।

कर्म के चिह्न

कर्म कारक के चिह्न शून्य और को हैं।

शून्य चिह्न—(१) जब वाक्य म क्रिया क लिंग वचन और पुरुष कर्म क अनुसार हो तो वहाँ कर्म कारक क आगे कोई विभक्ति प्रत्यक्ष होकर नहीं आती है अर्थात् उक्त कर्म में शून्य चिह्न आता है। जैसे—उसने भली बात कही। रानी से फल खाया गया इत्यादि।

(२) द्विकर्मक क्रिया में जब दोनों कर्म रहें तो मुख्य कर्म में शून्य चिह्न आता है। जैसे—मोहन मुझे गीता पढाते हैं। राम ने मुझे पूरियाँ खिलायीं इत्यादि।

(३) कर्म क रूप में आयी हुई अप्राणिवाचक सज्ञाओं और छोटे छोटे जीवों के लिए भी कर्म की कोई कोई विभक्ति प्रगट हो कर नहीं आती। जैसे—मैं भात खाता हूँ।

को विभक्ति—(१) जहाँ कर्म अनुक्त या अप्रधान रहे वहाँ उसके साथ कर्म का 'को' चिह्न आता है। जैसे—वह चन्द्रदेव को देख रहा है। कच्चे फलो को मत तोडो इत्यादि।

(२) जहाँ मुख्य और गौण दोनो कर्म रहें वहाँ गौण कर्म में प्राय 'को' चिह्न प्रयुक्त होता है। गौण कर्म प्राय सम्प्रदान कारक

को भी प्रतिध्वनित करता है। जैसे—भागवत ने मुझे एक फूल दिया। मास्टर साहब सतीश को रामायण पढ़ाते हैं इत्यादि।

नोट—कर्म अगर सर्वनाम रहे तो कहीं कहीं 'को' के बदले 'ए' चिह्न आता है। जैसे—मैंने उसे पुकारा। कमलाकान्त ने मुझे बुलाया था इत्यादि।

कहना पूछना जाँचना, पकाना' आदि क्रियाओं के साथ कभी कभी कर्म का 'को' चिह्न न प्रयुक्त होकर, अपादान कारक का 'से' चिह्न आता है। जैसे—आपने उसदिन मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। वह मुझ से बिना कुछ कहे चला गया। दरिद्र धनी से जाँचता है इत्यादि।

३—करण कारक

करण कारक का चिह्न 'से' है। कहीं-कहीं द्वारा, के द्वारा, आदि चिह्न भी करण के लिए आते हैं। यहाँ पर करण के कुछ उदाहरण दिये जाते हैं—

'हाथ से' खाते हैं। मुझे केवल 'आप से' सरोकार है। 'ईख से' शक्कर, 'शक्कर से' चीनी और 'चीनी से' अनेक मिठाइयाँ बनती हैं। विक्टोरिया 'जहाज के द्वारा' वह लंडन गया। 'उसी के द्वारा' मेरा काम हो सकता है। 'नौकर के द्वारा' चिट्ठी भेजवा दी, इत्यादि।

नोट—कहीं कहीं करण कारक में 'से' चिह्न लुप्त भी रहता है। जैसे—'न कानों सुनी न आँखों देखी'। मैं तुझे 'आँखों देखी' बात कह रहा हूँ इत्यादि।

४—सम्प्रदान

सम्प्रदान कारक के चिह्न हैं—को या के लिए। कहीं कहीं 'के निमित्त', 'के हितार्थ' 'के अर्थ' 'के वास्ते' आदि चिन्ह भी सम्प्रदान कारक के चिह्न मान जाते हैं। जैसे—'गरीब को' धन दो। 'भूखे को' भोजन और 'प्यासे को' पानी दो। राम ने अपने 'लड़के के लिए' एक पुस्तक खरीदी। यह 'आप को' शोभा नहीं देता। ये फूल 'पूजा के निमित्त' लाये गये हैं। 'युद्ध को' चल दिया। मेरे लिए यही उपाय बच गया है। दु:ख 'नाम का' भी न रहा। आप के वास्ते मैं सब कुछ 'करने को' तैयार हूँ। 'किसके अर्थ' इतना दु:ख सह रहे हो। कवीन्द्र रवीन्द्र 'योरप के लिए' रवाने हो गये इत्यादि।

५—अपादान

अपादान कारक का चिह्न 'से' है। इस कारक के उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं—'पेड़ से' पत्ते गिरे। 'विद्या से' हीन पुरुष पशु के समान है। पटने से' कल मैं रवाना हो जाऊँगा। 'पाप से' दूर भागना चाहिये। अरे, यह 'कहाँ से' टपक पड़ा। 'आसमान से' ओले बरसने लगे। गंगा नदी 'हिमालय पहाड़ से' निकली है। वे 'मुझ से' अलग रहते हैं। 'नशा से' हानि है इत्यादि।

६—सम्बन्ध

यों तो सम्बन्ध कारक के चिह्न 'का, के, की', है पर सर्वनाम मे रा, रे, री' और 'ना ने, नो' होते हैं। जैसे—'राम की' गाय, 'दूध का' दूध, 'पानी का' पानी, 'दूध का' धोया, 'पीने का

पानी, 'सारा का' सारा बरबाद हो गया, 'आफत का' मारा मैं, 'अपना' काम देखो, मैं यह भार 'अपने' ऊपर नहीं ले सकता, 'मेरी' 'आँखो क' तारे, 'मेरा' क्या लोगे, 'कहाँ की' आफ़त आयी इत्यादि।

७—अधिकरण

आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। आधार तीन प्रकार के होते हैं, पहला वह है जिसक किसी अवयव से संयोग हो, दूसरा वह है जिससे किसी विषय का बोध हो और तीसरा वह है जिसमे आधेय सम्पूर्ण रूप से व्याप्त हो। अधिकरण के चिन्ह 'में, पर, पै, ऊपर' आदि हैं। उदाहरण—(१) मैं चौकी पर बैठा हू। राम फुलवारी में टहल रहा है। सब शिक्षकों के ऊपर हेडमास्टर हैं। (२) ईश्वर मे ध्यान लगाओ। मुझमें वह अक्ल कहाँ? (३) तिल मे तेल है। सब के हृदय में ईश्वर वास करते हैं इत्यादि।

८—सम्बोधन

सम्बोधन कारक क चिह्न हैं—हे हो, अरे, अरी, री इत्यादि। अरी, री स्त्रीलिंग सम्बोधन में प्रयुक्त होते हैं। कभी-कभी सम्बोधन मे कोइ चिह्न नहीं आता है। जिस प्रकार अन्य कारकों क चिह्न उन कारक जतानेवाले शब्दों क अत में लगाये जाते हैं उसी प्रकार सम्बोधन क चिह्न शब्दों के अत में नहीं आत बल्कि पहले ही आत हैं। जैसे—

'अरे, राम'! यह तुमने क्या अनर्थ किया। हे ईश? गरीब की सुधि लो। मोहन! तुम रह रहकर क्या गुनगुना रहे हो?

अन्य ज्ञातव्य बातें

कारक की विभक्तियाँ संस्कृत विभक्तियों से बिल्कुल भिन्न हैं। प्राकृत में व्यवहृत विभक्तियों का अपभ्रंश होते-होते हिन्दी-कारक की विभक्तियाँ बनी हैं। इन विभक्तियों के लिखने के सम्बन्ध में भी हिन्दी के विद्वानों में मतभेद है। किसी-किसी का मत है कि हिन्दी में कारक की विभक्तियाँ जिन कारकों के लिए प्रयुक्त हों उनके साथ मिलाकर लिखना चाहिये और किसी-किसी का कथन है कि विभक्तियों को शब्द से अलग लिखना ही ठीक है, विभक्ति मिलाकर लिखने के पक्षवाले अपनी पुष्टि संस्कृत व्याकरण के आधार पर करते हैं। उनका कहना है कि विभक्तियाँ स्वतन्त्र नहीं हैं और न कभी स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त होती हैं इस-लिए जिस प्रकार संस्कृत में ये शब्द के साथ मिलाकर लिखी जाती हैं उसी प्रकार हिन्दी में भी मिलाकर लिखना ठीक है। दूसरे मत के पृष्ठ पोषकों का कहना है कि कारक की विभक्तियों के सम्बन्ध में संस्कृत व्याकरण के नियम लागू नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनका सम्बन्ध संस्कृत से बिल्कुल नहीं है। वे तो प्राकृत भाषा की विभक्तियों के अपभ्रंश रूप हैं।

जो हो हमारे विचार से ये दलीलें व्यर्थ हैं, चूँकि चाहे विभक्तियाँ मिलाकर लिखी जायँ या पृथक रूप से, शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन होता नहीं—'राम को' का वही अर्थ प्रतिध्वनित होता है जो 'रामको' का है—इसलिए इस बात के लिए सिर खपाना व्यर्थ है, तो भी हम नवसिखुए लेखकों के हितार्थ दोनों

मतों की अच्छाई और बुराई का थोड़ा-बहुत दिग्दर्शन करा देते हैं। इस विषय पर विचार करने के लिए हम न तो संस्कृत व्याकरण की शरण लेंगे और न प्राकृत व्याकरण की। किसी में इस विषय में कुछ रहे हम उससे मतलब नहीं। हिन्दी को एक स्वतन्त्र भाषा मानकर दूसरी भाषा के सहारे से इसे पृथक् करने के उद्देश्य से हम स्वतन्त्र रूप से इसपर विचार करेंगे।

(१) विभक्तियों को साथ लिखना—

(क) जब प्रत्यय जो एक खास अर्थ रखता है और विभक्ति की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र है किसी शब्द में साथ मिलाकर लिखा जाता है तो क्या कारण है कि विभक्ति जो अपना कोई खास अर्थ नहीं रखती और सर्वथा शब्दों के अधीन है, साथ मिलाकर नहीं लिखी जायगी ?

(ख) इसी प्रकार उपसर्ग भी जब शब्दों के साथ मिलाकर ही लिखे जाते हैं तो विभक्ति भी मिलाकर लिखने में क्या आपत्ति है ?

(ग) जब भिन्न-भिन्न अर्थ के दो शब्द भी सामासिक शब्द बनाने के लिए साथ मिलाकर प्रयुक्त होते हैं तो शब्द को पद बनाने की गरज़ से व्यवहार की जानेवाली विभक्ति क्या अलग लिखी जाय ?

(घ) लिंग वचन और क्रियादि को परिवर्तन करने के लिए जिन विभक्तियों का प्रयोग करते हैं वे भी शब्दों के साथ संयुक्त कर दी जाती हैं तो कारक की विभक्तियों को क्यों पृथक् कर दिया जाय ?

(ङ) हिन्दी के धुरन्धर विद्वान प्रो० रामदास गौड का कहना है कि विभक्तियों को साथ मिलाकर लिखने में आर्थिक दृष्टि से भी बहुत लाभ है। एक तो कागज की बचत होती है, दूसर जब हिन्दी में तार देना हो—और हिन्दी प्रेमियों को हिन्दी में ही तार देना उचित है—तो अगर विभक्ति को अलग लिखने की प्रथा चल जायगी तो वह भी एक अलग शब्द समझी जायगी और तार देने में शब्द बढ़ जाने से कीमत भी अधिक देनी पड़ेगी। जैसे—'राम को' को अगर Ramako लिखेंगे तो एक शब्द माना जायगा पर अगर Rama ko लिखेंगे तो दो शब्द मान लिया जायगा। कहते हैं गौड महाशय को ऐसा मौका भी मिला है और वे प्रमाण के साथ अपन निश्चय पर अटल रह कर पैसे की बचत कर पाये हैं।

(२) विभक्ति को अलग लिखना—

(क) अगर विभक्तियाँ अलग नहीं लिखी जायँगी तो जिन शब्दों क आगे 'जी' रहे उनमे विभक्तियाँ किस ढग से जोड़ी जायँगी ? अगर 'रामजीने' लिखा जाय तो देखने मे बिल्कुल भद्दा मालूम पडेगा और अगर रामने जी लिखा जाय तो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा।

(ग) जो 'ही को शब्दों क साथ मिला कर लिखने क पक्ष मे हैं उन्हें भी विभक्तियों को अलग लिखने मे विशेष सुविधा है। जैसे—'मैंहीने' लिखना भद्दा सा मालूम होता है। इसी तरह विभक्तियों को साथ मिलाकर लिखने मे अनेक कठिनाइयाँ हैं।

अस्तु । ऊपर दोनों मत व विषय में हम अपना स्वतन्त्र विचार प्रगट कर चुके। अब नव सिखुए लेखकों को उचित है कि उन्हें जो मत अधिक रुचिकर हो वही मानें। फिर भी उन्हें ख्याल रखना चाहिये कि सम्बन्ध कारक में आनेवाले सर्वनाम की विभक्तियों को उन्हें अलग नहीं करना पड़ेगा चाहे वे अन्य विभक्तियों को भले अलग कर दें। "तुम्हा रा" लिखना तो किसी भी हालत में उचित नहीं है। पर साथ ही सम्बोधन कारक के चिन्हों को जो विभक्ति नहीं मान गये हैं, साथ मिलाकर नहीं लिखना चाहिये चाहे अन्य विभक्तियों को साथ मिलाकर ही क्यों न लिखा जाय। 'हेमोहन' व बदले - हे मोहन' लिखना ठीक है।

अभ्यास

(१) सकर्मक और अकर्मक से बनी कैसी संयुक्त क्रियाओं में कर्ता का 'ने' चिह्न आता है ?

(२) 'ने' चिह्न का प्रयोग कहाँ होता है ? सोदाहरण लिखो।

(३) शुद्ध करो—

कैकई कही—अभिमन्युरे ! तू ही मेरी हितकारिणी है। मैं मोहन को अंकगणित को पढ़ाया था।

जिसका लाठी उसका भैंस। मैं हँस डाला। उसने रात भर नाटक देखा किया।

(४) का, के और की का व्यवहार करते हुए पाँच हिन्दी के वाक्य बनाओ।

(५) एक ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें आठो कारकों का प्रयोग हो।

(६) कर्त्ता के 'से' चिन्ह का प्रयोग कर चार वाक्य बनाओ।

(७) कारक की विभक्तियों को शब्दों के साथ मिलाकर लिखना अच्छा है या अलग कर—कारण सहित समझाओ।

एक ही शब्द का भिन्न-भिन्न रूप से प्रयोग

(The same word used as different parts of speech)

बहुत से शब्द वाक्य में भिन्न-भिन्न रूप से व्यवहृत होते हैं। एक ही शब्द कहीं संज्ञा, कहीं विशेषण, कहीं सर्वनाम, कहीं अव्यय और कहीं क्रिया के समान व्यवहृत होते हैं। नीचे उदाहरण देखो—

संज्ञा विशेषण-रूप में व्यवहृत

(१) व्यक्ति वाचक—भीष्म कृष्ण, भीम राम भगीरथ आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कभी-कभी विशेषण के रूप में भी व्यवहृत होती हैं। जैसे—भीष्मप्रतिज्ञा कृष्णसर्प, भीमकाय भगीरथ-प्रयत्न राम राज्य आदि।

(२) अन्य संज्ञाएं—स्वर्ण पाप, पुण्य, धर्म गो आदि संज्ञाएं भी विशेषण के रूप में व्यवहृत होती हैं। जैसे—स्वर्ण-युग, पाप वासना, पुण्य स्मृति, गो स्वाभाव।

विशेषण संज्ञा (विशेष्य) रूप में

दुष्ट, पण्डित, पापी, लाल, गोरा, काला आदि शब्द विशेष्य रूप में भी व्यवहृत होते हैं।

दुष्टों को दंड देना चाहिये। 'पण्डित जी' पढ़ा रहे हैं। 'पापियों' को स्वर्ग नहीं मिलता। 'लाल' बेशकीमती पदार्थ है।

अफ्रिका में 'गोरों' और 'कालों' में भेद भाव उठ गया।

नीचे कुछ ऐसे शब्द दिये जाते हैं जो भिन्न भिन्न रूप म प्रयुक्त हुए हैं—

अच्छा—संज्ञा- अच्छों की पूँछ सभी जगह है। अव्यय—अच्छा, तुम जाओ। विशेषण—मोहन अच्छा लडका है।

एक—विशेषण—एक न एक दिन सभी मरेंगे। सर्वनाम—एक का बना है सेहरा, एक कब्र पै पड़ा है। क्रिया विशेषण—एक तुम्हारे जाने से ही क्या होगा।

केवल—विशेषण—मैं केवल मोहन को जानता हू। क्रिया-विशेषण -वह केवल हँसता है। समुच्चयबोधक—मैं तो कब का गया रहता केवल तुम्हारे लिए ठहर गया।

और—विशेषण और लडके कहाँ गये? विशेष्य—मोहन औरों की अपेक्षा पढ़न मे अधिक तेज है। अव्यय—मोहन और सोहन स्कूल जाते हैं।

कोई सर्वनाम—कोई खाय या न खाय मैं तो जरूर खाऊँगा। विशेषण—इस मर्ज की कोई दवा नहीं। अव्यय—कोई दो साल हो गये अब तक उसका कुछ पता नहीं है।

खाक—अव्यय -तुम मेरी सहायता क्या खाक करोगे? संज्ञा—सब किया कराया खाक म मिल गया है।

हाँ—संज्ञा—हाँ में हाँ मिलाने से काम नहीं चलेगा। अव्यय—हाँ जी अब चलो। समुच्चयबोधक—तुम्हारा कहना तो सभी ठीक है, हाँ एक बात इसमे अवश्य खटकती है।

क्या—सर्वनाम—उसने कल क्या कहा था ?

क्रियाविशेषण—वह चलेगा क्या खाक, पैर मे तो घाव हो गया है।

विशेषण—क्या क्या चीजें लायी जायँ ? दूसरा—विशेषण—उसका दूसरा नम्बर है। विशेष्य—दूसरों को क्या गरज़ पड़ी है। क्रिया-विशेषण—वह क्या कोई दूसरा है ?

अभ्यास

(१) पाँच ऐसे शब्द बताओ जो भिन्न भिन्न रूप से व्यवहृत होते हों।

(२) निम्नलिखित शब्दों को विशेषण के रूप म वाक्य में व्यवहृत करो—तनु, लाल, चार, जो, और, यह।

तृतीय खण्ड

वाक्य-विन्यास

वाक्य रचना

(Construction of sentences)

वाक्य (Sentence)

वाक्य—ऐसे पद-समूह के योग को जिससे पूरा पूरा भाव प्रकाशित हो वाक्य कहते हैं। वाक्य भाषा का एक मुख्य अंग है। प्रत्येक वाक्य के अंत में समापिका क्रिया का होना आवश्यक है। जैसे—मोहन बाग में टहल रहा है। परन्तु कभी कभी समापिका क्रिया के न रहने पर भी वाक्य हो सकता है, जैसे—किसी ने पूछा 'आप कहाँ जा रहे हैं ?' उत्तर मिला—'कलकत्ते।' इस जगह 'कलकत्ते' कहने से ही कहनेवाले का स्पष्ट अभिप्राय समझ में आ जाता है इसलिए 'कलकत्ते' समापिका क्रिया के न रहते हुए भी वाक्य है। साराश यह है कि ऐसे पद वा पद-समूह को वाक्य कहते हैं जिससे पूरा पूरा अर्थ प्रकाशित हो चाहे अन्त में समापिका क्रिया रहे अथवा न रहे।

किसी भाव को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने के लिए प्रत्येक वाक्य में उसमें व्यवहृत पद समूह में परस्पर सम्बन्ध होना भी जरूरी है अन्यथा वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता है और वह वाक्य ऊटपटाँग सा हो जाता है। वाक्य के अन्तर्गत पदों

के सम्बन्ध को *आकांक्षा, योग्यता और क्रम* कहते हैं। इसी-लिए वाक्य की एक परिभाषा यह भी हो सकती है कि आकांक्षा योग्यता और क्रमयुत पद-समूह को वाक्य कहते हैं।

आकांक्षा—पूरा मतलब समझने के लिए एक पद को सुन-कर सुननेवाले के हृदय में दूसरे पद को सुनने की जो स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न होती है उसी इच्छा को आकांक्षा कहते हैं। जैसे—अगर किसी ने कह दिया, 'आकाश में' तो इसके बाद और कुछ सुनने की स्वाभाविक इच्छा होती है अर्थात् तारे टिमटिमा रहे हैं।

योग्यता—जब वाक्य में पदों के अन्वय करने के समय अर्थ सम्बन्धी बाधा अथवा अयोग्यता सिद्ध न हो तो उसे योग्यता कहते हैं। जैसे—'माली जल से पौधे सींचता है।' यहाँ जल में पौधे को सींचने का योग्यता विद्यमान है पर अगर कोई यह कहे कि 'माली आग से पौधे सींचता है' तो यहाँ योग्यता के अनु-सार पद का विन्यास नहीं हुआ, क्योंकि आग में पौधे को सींचने की योग्यता अथवा क्षमता कहाँ ? आग से सींचने से तो पौधे लहलहाने के बदले उल्टे सूख जाँयगे।

क्रम—योग्यता और आकांक्षायुत पदों को नियमानुकूल स्थापन करने की विधि को अथवा यों कहिये कि पद-स्थापन प्रणाली विधि को क्रम कहते हैं। जैसे—'तारे' लिखने के बाद ही 'टिमटिमाते हैं' लिखना चाहिये। नहीं तो क्रमभंग हो जायगा और वाक्य का असली भाव ही नष्ट हो जायगा। 'मालिक का

कर्त्तव्य है नौकर की सेवा करना' इस पद-समूह का भाव क्रम ठीक रहने से अच्छी तरह समझ में नहीं आता है, इस लिए इसे वाक्य नहीं कहेंगे। जब क्रम ठीक करने पर इसका रूप "मालिक की सेवा करना नौकर का कर्त्तव्य है"—हो जायगा और पूरा मतलब समझ में आ जायगा, तब यह वाक्य हो जायगा।

वाक्यांश और वाक्य खंड

(Phrase and clause)

वाक्यांश (Phrase)—वाक्य के एक एक अंश का नाम वाक्यांश है। जैसे—'दुःख भोग चुकने पर', 'इतना सुनते ही' इत्यादि।

वाक्य खंड (Clause)—पदों के समूह को जिससे पूरा नहीं केवल आंशिक भाव प्रगट हो, वाक्य-खंड कहते हैं। वाक्य-खंड से पूरा पूरा मतलब समझ में नहीं आता। एक वाक्य-खंड बराबर दूसरे वाक्य खंड की अपेक्षा रखता है। जैसे—हमने ज्योंही मेरी बात सुनी। जब वह मध्यमा परीक्षा में सम्मिलित हुआ आदि।

वाक्य-खण्ड के दो भेद हो सकते हैं—एक प्रधान खण्ड (Principal clause) दूसरा आश्रित या अप्रधान खण्ड (Subordinate clause)। जैसे—'जब उसने बी० ए० की परीक्षा पास की'—इतना कहने से पूरा अर्थ नहीं प्रगट होता है। पूरा अर्थ प्रदर्शित करने के लिए इस खण्ड में तो उसके जो म

जी आया। या इसी प्रकार का एक खण्ड वाक्य और जोडना पड़ेगा। इसमे पहले खण्ड का भाव दूसरे खण्ड की अपेक्षा करता है। अतएव पहला खण्ड अप्रधान या अधीन या आश्रित खण्ड और दूसरा प्रधान खड कहलावेगा।

गर्भित वाक्य—कभी कभी किसी वाक्य के अन्तर्गत छोट छोट वाक्य व्यवहार मे आत हैं जो गर्भितवाक्य (Parenthetical sentence) कहलात हैं। जैस—उसकी दु:ख भरी कहानी—ओह ! कैसी करुणा-जनक थी – सुनत-सुनते मेरी आँखों मे आँसू आ गये। इस वाक्य में 'ओह ! कैसी करुणा जनक थी' वाक्य गर्भितवाक्य है।

अभ्यास

(१)—वाक्य, वाक्याश और खण्ड-वाक्य किसे कहत हैं ? सोदाहरण समझाओ।

(२)—आकाक्षा, योग्यता और क्रम से क्या समझते हो ?

वाक्याग (Parts of sentences)

प्राय प्रत्येक वाक्य के दो अग होते हैं—उद्देश्य और विधेय।

वाक्य मे जिसके विषय मे कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य (Subject) और उद्देश्य के विषय मे जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय (Predicate) कहत हैं। जैसे—मोहन पढता है। इस वाक्य मे 'मोहन' के विषय मे कुछ कहा गया है इसलिए 'मोहन' उद्देश्य है और उद्देश्य 'मोहन' के विषय मे यह कहा

गया है कि वह 'पढता है' इसलिए 'पढता है' विधेय है। प्राय उद्देश्य और विधेय भिन्न भिन्न तरह के पदों के मिलने से बढ जाया करते हैं। किसी वाक्य में उद्देश्य और विधेय के अलावे अन्य जितने पद होते हैं उनमें से कुछ तो उद्देश्य के सहकारी होते हैं और कुछ विधेय के। सहकारी पद सहित मुख्य उद्देश्य, उद्देश्य के अन्तर्गत और सहकारी पद सहित मुख्य विधेय, विधेय के अन्तर्गत समझे जाते हैं।

उद्देश्य के भेद—वाक्य में उद्देश्य नीचे लिखे रूप में आते हैं, इसलिए साधारणतः उद्देश्य के निम्नलिखित शब्दभेद माने जाते हैं—

१—संज्ञा उद्देश्य—'मोहन' पढ़ता है।

२—सर्वनाम—'वह' देखता है।

३—विशेषण। (जब संज्ञा या विशेष्य के रूप में व्यवहृत होता है)—'गरीब' भूख मरते हैं।

४—क्रियार्थक संज्ञा—'टहलना' लाभप्रद है।

५—वाक्यांश (विशेष्य रूप में) { 'दैव के भरोसे बैठना' कायरों का काम है।

उद्देश्य का विस्तार—उद्देश्य के स्थान, रूप और गुण के स्वाभावादि को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए वाक्य में जो पद जोड़े जाते हैं वे ही उद्देश्य के परिवर्द्धित पद कहलाते हैं। उद्देश्य कई तरह से परिवर्द्धित किये जाते हैं। यहाँ थोड़े से उदाहरण दिये जाते हैं—

(१) विशेषण से—'चञ्चल' बालक दौड़ता है। यहाँ 'बालक' चञ्चल है और 'चञ्चल' विशेषण के द्वारा परिवर्द्धित किया गया है। उसी प्रकार सुगंधित पुष्प खिल रहे हैं, निर्मल चन्द्र हँस रहे हैं आदि। कभी कभी एक ही उद्देश्य कई विशेषणों द्वारा बढ़ाया जाता है। जैसे—शीतल, मंद सुगंध वायु बह रही है।

(२) सम्बन्ध कारक से—'मछुए का बालक दौड़ता है। यहाँ 'मछुए का' सम्बन्ध पद से उद्देश्य का विस्तार हुआ है। इसी प्रकार 'राम का' लड़का स्कूल में पढ़ता है। 'दशरथ के' पुत्र राम ने रावण को मारा इत्यादि।

(३) विशेषण के रूप में व्यवहृत विशेष्य से। जैसे—'सम्राट्' अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यहाँ सम्राट विशेष्य है पर विशेषण के रूप में व्यवहृत हुआ है।

(४) वाक्यांश के द्वारा—'परिवार के सहित' मोहन पटने से रवाना हो गये। यहाँ 'परिवार के सहित' वाक्यांश के द्वारा उद्देश्य का विस्तार किया गया है।

(५) क्रियाद्योतक से—'चलती हुई' ट्रेन उलट गयी। 'धोया' कपड़ा पहना करो। यहाँ 'चलती हुई' और 'धोया' क्रियाद्योतक पद के द्वारा उद्देश्य बढ़ाया गया है।

इसी प्रकार और भी कई प्रकार से उद्देश्य का विस्तार हो सकता है। फिर उद्देश्य के विस्तार के लिए व्यवहृत पद को भी उपर्युक्त ढंग से विशेषण आदि पदों के द्वारा बढ़ाया जाता है। जैसे—'पटने, के रहनेवाले सुप्रसिद्ध रईस प० वासुदेव नारायण

का चञ्चल और तीव्रबुद्धिसम्पन्न' बालक अपने वर्ग में प्रथम रहता है।

विधेय के भेद—मुख्यत विधेय के दो भेद हो सकते हैं—एक सरल विधेय दूसरा जटिल विधेय। जहाँ एक ही क्रियापद पूरा अर्थ प्रकाशित करे वहाँ सरल विधेय होता है। जैसे राम पुस्तक पढता है। यहाँ 'पढता है' एक ही क्रियापद से वाक्य का मतलब प्रगट हो जाता है इसलिए 'पढता है' सरल विधेय है।

परन्तु जब विधेय अपूर्ण अर्थ प्रकाशक क्रिया हो और उसके साथ पूर्ण अर्थ प्रकाश करनेवाला कोई पद हो तो उस विधेय को जटिल विधेय कहते हैं। जैसे—दशरथ अयोध्या के 'राजा थे। यहाँ पर केवल 'थे' क्रिया से वाक्य का पूरा मतलब प्रकाशित नहीं होता है और इसी हेतु मतलब पूरा करने के लिए 'थे' के पहले 'राजा' सहकारी पद जोड़ा गया है, अतएव उपर्युक्त वाक्य में केवल 'थे' नहीं बल्कि 'राजा थे' विधेय है। इस प्रकार का विधेय जटिल विधेय हुआ। जटिल विधेय की क्रिया के पहले पूर्ण अर्थ प्रकाशक सहकारी पद कई रूप में व्यवहार मे आते हैं। कभी यह सज्ञा, कभी विशेषण, कभी क्रियाविशेषण और कभी सम्बन्ध कारक के रूप में आते हैं।

उदाहरण—

सज्ञा के रूप में—लॉर्ड रीडिंग भारत के 'वायसराय' थे।

विशेषण के रूप में—ग्रियर्सन साहब भारती भाषाओं के प्रकाण्ड 'विद्वान' हैं।

क्रियाविशेषण के रूप में—मोहन 'वहाँ' है।

सम्बन्ध कारक क रूप मे—आज से यह घर 'मेरा' हुआ।

जब वाक्य मे विधेय सकर्मक क्रिया के रूप मे आता है तो उसका कर्म विधेयवाचक कहलाता है और विधेय का ही अश माना जाता है। जैसे—मोहन 'पुस्तक' पढ़ता है इसमे 'पुस्तक' सहित 'पढ़ता है' विधेय है।

कर्म क रूप मे—उद्देश्य की नाई कर्म (Object) भी विशेष्य (सज्ञा), सर्वनाम और विशेष्य क समान व्यवहृत वाक्याश, विशेषण तथा क्रियार्थक सज्ञा के रूप मे आते हैं।

उदाहरण—

सज्ञा (विशेष्य)—हरि 'नाटक' देखता है।

सर्वनाम—राम 'उसे' मारता है।

विशेषण—मोहन 'विद्वानो' को पूजता है।

क्रियार्थक सज्ञा—वह खाना खाता है।

वाक्याश—गणेश 'बहाना करना' बहुत सीख गया है।

कर्म का विस्तार (Adjunct to the object)—जिस प्रकार उद्देश्य का विस्तार किया जाता है उसी प्रकार विशेषण पद, सम्बन्ध पद, विशेषण के समान व्यवहृत विशेष्य पद, वाक्याश और क्रियाद्योतक से कर्म भी बढाया जा सकता है।

उदाहरण—

विशेषण से—वह 'शिक्षाप्रद' पुस्तक पढ़ता है।

सम्बन्ध पद से—सोहन 'पढ़ने का' लड्डू खाता है।

विशेष्य से—सम्राट चन्द्रगुप्त 'मन्त्री' चाणक्य को बहुत मानते थे।

वाक्यांश से—उसने दूर ही से 'ध्यान में मग्न' मोहन को देख लिया।

क्रियाद्योतक से—प्रोफेसर राममूर्त्ति 'चलती हुई' मोटर रोक लेते हैं।

विधेय का विस्तार (Adjunct to the predicate)—जिन पदों से विधेय की विशेषता प्रगट हो वे पद विधेय के विस्तार कहलाते हैं। साधारणतः क्रियाविशेषण, क्रियाविशेषण के समान भाववाले पद, वाक्यांश, पूर्वकालिक या असमापिका क्रिया, क्रियाद्योतक और कुछ कारकपदों के द्वारा विधेय का विस्तार किया जाता है।

उदाहरण—

क्रियाविशेषण द्वारा—वह 'धीरे धीरे' पढ़ रहा है। यहाँ 'धीरे धीरे' क्रियाविशेषण 'पढ़ रहा है' के विधेय की विशेषता प्रगट करने के कारण विधेय का विस्तार है।

पद वाक्यांश द्वारा—वह 'भोजन करने के बाद ही' सो गया।

पूर्वकालिक क्रिया द्वारा—वह खाकर सो गया।

क्रियाद्योतक द्वारा—रेलगाड़ी 'धक धक करती हुई' चली जा रही है।

कुछ कारक-पदों द्वारा—

(१) करण द्वारा—राम ने रावण को 'बाण से' मारा।

(२) सम्प्रदान द्वारा—उसने सब कुछ 'मेरे लिए' ही किया।

(३) अपादान द्वारा—वह 'छप्पर से' कूद पड़ा।

(४) अधिकरण द्वारा—उसने गुप्त रूप से 'किलेपर' धावा मारा।

अभ्यास

(१) नीचे लिखे वाक्यों में उद्देश्य और विधेय बताओ—

हृदय दुःख से परिपूर्ण है। सम्राट् अशोक बौद्धधर्म के अनुयायी थे। वह स्नान कर रहा है। उसका जीवन धन्य है।

(२) नीचे लिखे वाक्यों में उद्देश्य का विस्तार करो—

अकबर ने पचास वर्ष राज्य किया। घोड़ा चर रहा है। रेलगाड़ी जा रही है। मोहन गाता है। बिल्ली बोलती है।

(३) नीचे लिखे वाक्यों में विधेय का विस्तार करो—

मोहन खाता है। राम पढ़ता है। मुझे यह काम करना होगा। वह ज्ञानी है।

वाक्य-भेद (Division of sentences)

स्वरूप के अनुसार

स्वरूप के अनुसार वाक्य के तीन भेद माने गये हैं। सरल, जटिल या मिश्र, और संयुक्त या यौगिक वाक्य।

(१) सरल वाक्य—साधारणतः सरल वाक्य वह वाक्य है जिसमें एक कर्त्ता या उद्देश्य और एक समापिका क्रिया या विधेय रहता है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें 'घोड़ा' उद्देश्य या कर्त्ता और 'दौड़ रहा है' विधेय या समापिका क्रिया है। इसलिए उक्त वाक्य सरल वाक्य है।

(ग) जटिल या मिश्र वाक्य—जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय मुख्य हो अथवा एक सरल वाक्य हो और उसके आश्रित एक दूसरा अधीन या अंगवाक्य हो उसे जटिल या मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे—मैं देखता हूँ कि उसे रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इस वाक्य में 'मैं देखता हूँ' एक सरल वाक्य के आश्रित 'उसे रहने का कोई ठौर-ठिकाना नहीं है' अधीन वाक्य है।

मिश्र वाक्य में जो अंश प्रधान रहता है उसे प्रधान और जो अंश अप्रधान रहता है उसे आनुषंगिक अंग कहते हैं, जैसे—मैं जानता हूँ कि उसका लिखना अच्छा होता है। इस वाक्य में 'मैं जानता हूँ' प्रधान अंग है और 'उसका लिखना अच्छा होता है' आनुषंगिक अंग।

आनुषंगिक अंग—मिश्र वाक्य में प्रयुक्त आनुषंगिक अंग के तीन भेद हैं—एक विशेष्य वाक्य, दूसरा विशेषण वाक्य और तीसरा क्रियाविशेषण वाक्य।

(१) विशेष्य आनुषंगिक वाक्य—जो आनुषंगिक वाक्य प्रधान वाक्य के किसी संज्ञा या विशेष्य के बदले में व्यवहृत हो उसे विशेष्य वाक्य कहते हैं। जैसे उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि मैं निर्दोष हूँ। इस मिश्र वाक्य में 'मैं निर्दोष हूँ' मुख्य वाक्य के किसी संज्ञा के रूप में व्यवहृत हुआ है, क्योंकि अगर सारे वाक्य को सरल वाक्य में बदल दिया जाय तो इसका रूप यों हो जायगा—उन्होंने 'अपनी निर्दोषता' सिद्ध कर दिखायी। यहाँ आनुषंगिक वाक्य 'मैं निर्दोष हूँ' का परिवर्तित रूप 'अपनी निर्दोषता' संज्ञा है, इसलिये 'मैं निर्दोष हूँ' विशेष्य वाक्य है।

विशेष्य रूप में व्यवहृत आनुषंगिक वाक्य कभी कर्त्ता या उद्देश्य, कभी कर्म और कभी समानाधिकरण संज्ञा के बदले में आते हैं।

उदाहरण—

कर्त्ता रूप में विशेष्य वाक्य—मुझे मालूम है कि 'वह आज कौन कौन काम करेगा'। अर्थात् मुझे उसका 'आज का काम' मालूम है।

कर्म रूप में—उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि 'मैं निर्दोष हूँ'। अर्थात् उन्होंने अपना निर्दोषता' सिद्ध कर दिखायी।

समानाधिकरण संज्ञा के रूप में—'वैज्ञानिकों का यह कथन कि पृथ्वी गोल है' सभी मानने लग गये हैं। अर्थात् वैज्ञानिकों का 'पृथ्वी के गोल होने का कथन सभी मानने लग गये हैं।

विशेष्य वाक्य संयोजक 'कि' के द्वारा अपने प्रधान वाक्य के साथ अपेक्षित या मिले रहते हैं पर कहीं-कहीं 'कि' शब्द लुप्त भी रहता है। जैसे, यह सभी कहते हैं (कि)—फाँस के ऊपर बिजली गिरती है।

(२) विशेषण वाक्य—जो आनुषंगिक वाक्य प्रधान वाक्य के किसी विशेषण के रूप में व्यवहृत हो उसे विशेषण वाक्य कहते हैं। जैसे, 'जो मनुष्य सन्तोष धारण करता है' वह सदा सुखी रहता है। अर्थात् 'सन्तोषी मनुष्य' सदा सुखी रहता है। यहाँ पर आनुषंगिक अंग विशेषण के रूप में आया है।

विशेषण वाक्य भी कभी कर्ता और कभी कर्म के रूप मे आते हैं। ऊपर का विशेषण वाक्य कर्ता के रूप में व्यवहृत हुआ है। कर्म के रूप मे व्यवहृत विशेषण वाक्य—वह अपने कुत्ते को,' जो बडा स्वामिभक्त है' जी जान से मानता है। अर्थात् वह अपने 'स्वामिभक्त कुत्ते' को जी-जान से मानता है इत्यादि।

विशेषण रूप मे व्यवहृत आनुषंगिक वाक्य अपने प्रधान वाक्य से सम्बन्धवाचक सर्वनाम (जो-सो) के द्वारा संयुक्त होते हैं। कहीं कहीं ये लुप्त भी रहते हैं। आजकल 'सो' के बदले 'वह' लिखने की परिपाटी चल निकली है जैसा कि ऊपर के वाक्य में प्रदर्शित किया गया है।

क्रियाविशेषण वाक्य - जो आनुषंगिक वाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाने के अभिप्राय से प्रयुक्त हुआ हो उसे क्रियाविशेषण वाक्य कहते हैं। जैसे—जब विपत्ति पडे तब 'धीरज धरना चाहिये' अर्थात् 'विपत्ति पडने पर' धीरज धरना चाहिये।

क्रियाविशेषण अपने प्रधान वाक्य से जब तब, जहाँ-तहाँ यदि तो जैसे तैसे आदि प्रत्ययों के द्वारा संयुक्त रहते हैं।

(३) संयुक्त या यौगिक वाक्य

जिस वाक्य मे दो या अधिक सरल या जटिल वाक्य एक दूसरे पर अपेक्षित न होकर मिला रहता है उसे यौगिक या संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे, वह बूढा हो गया पर उसके केश काले ही हैं। राम कलकत्ते गया और मोहन पटना आया, इत्यादि।

यौगिक वाक्य में एक वाक्य दूसरे के आश्रित नहीं रहते

बल्कि दोनो स्वाधीन रहते हैं। इसलिए उन्हें समानाधिकरण वाक्य कहते हैं। ये वाक्य किन्तु परन्तु, अथवा, या एव, और, तथा आदि सयोजक अथवा विभाजक अव्ययो के द्वारा एक दूसरे से जुदे रहते हैं।

उद्देश्य अश के एक से ज्यादा विधेय और विधेय अश के एक से ज्यादा उद्देश्य रहने पर भी यौगिक वाक्य होता है। जैसे—रसोइया गाता है, रसोई करता है। अर्थात् रसोइया गाता है और रसोइया रसोइ करता है। मोहन और सोहन खेल देखने गये हैं। अर्थात् मोहन खेल देखने गया है और सोहन खेल देखने गया है। परन्तु वाक्य मे सयोजक अव्यय रहने से ही तब तक वह यौगिक वाक्य नहीं होता जब तक वाक्य को अलग अलग करने पर साफ अर्थ प्रगट नहीं होता। जैसे मोहन और सोहन दोनों मित्र हैं।

अभ्यास

[१] आकार की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते है ? उदाहरण सहित समझाओ।

[२] अधीन और गर्भित वाक्य किसे कहते हैं ? उदाहरण देकर समझाओ।

[३] निम्नलिखित वाक्यों में कौन किस प्रकार के वाक्य हैं ? कारण सहित समझाओ।

अफगानिस्तान, एक छोटा सा देश, भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम की ओर अवस्थित है। यह है तो ब्राह्मण पर आचरण शूद्रों के ऐसा है। स्वास्थ्य

ही धन है। जिसने देखा वही लुभाया। जिसकी लाठी उसकी भैंस। मोहन की टोपी माधो का सर।

क्रिया के अनुसार वाक्यभेद

क्रिया के अनुसार वाक्य के तीन भेद हैं (१) कर्तृवाच्य, (२) कर्मवाच्य और (३) भाववाच्य।

(१) कर्तृवाच्य—जिस वाक्य में कर्त्ता अपनी अवस्था में हो और कर्म अपनी अवस्था में तथा क्रिया पद स्वतन्त्र न हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे—मोहन गीत गाता है। राम टहलता है।

नोट—सभी कर्तृवाच्य में कर्म का होना ज़रूरी नहीं है।

(२) कर्मवाच्य—जिस वाक्य में कर्त्ता करण के रूप में और कर्म कर्त्ता के रूप में प्रयुक्त हो तथा क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे—मोहन से गीत गाया जाता है। मुझ से रोटी खायी जाती है, इत्यादि।

नोट—कर्मवाच्य में कर्म का रहना आवश्यक है।

(३) भाववाच्य—जब अकर्मक क्रियापद-युत कर्तृवाच्य के कर्त्ता का रूप करण के समान हो जाय तो वहाँ भाववाच्य होता है। भाववाच्य में क्रिया स्वयं प्रधान रहती है। जैसे—राम से टहला भी नहीं जाता।

नोट—(क) जिस वाक्य में कर्म ही कर्त्ता की भाँति प्रयुक्त हो वहाँ कर्तृ-कर्मवाच्य होता है। जैसे—चलती नहीं कलम है। पानी बरस रहा है। तलवार चलने लगी। तबला ठनकने लगा इत्यादि।

(ख) वाच्य के सम्बन्ध में विशेष ज्ञातव्य बातें वाच्य-परिवर्तनवाले परिच्छेद में विस्तार के साथ दी गयी हैं।

वाक्य के साधारण भेद

साधारण तरीके से सभी तरह के वाक्यों के निम्नलिखित आठ भेद होते हैं—

(१) विधिवाचक (Affirmative sentence)—जिससे किसी बात का विधान पाया जाय। जैसे—आकाश निर्मल हो गया। उपवन में पुष्प खिल रहे हैं इत्यादि।

(२) निषेधवाचक (Negative sentence)—जिससे किसी बात का न होना पाया जाय। जैसे—वह जातपाँत कुछ नहीं मानता। कोई काम सफल नहीं हुआ इत्यादि।

(३) आज्ञावाचक (Imperative sentence)—जिस वाक्य से आज्ञा उपदेश निवेदन आदि का बोध हो। जैसे, साँझ सुबह टहला करो। गुरु की आज्ञा मानो आदि।

(४) प्रश्नवाचक (Interrogative sentence)—जिसमें प्रश्न किया गया हो। जैसे—तुम्हारी पुस्तक कहाँ है ? आज कल तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है ? इत्यादि।

(५) विस्मयादिबोधक (Exclamatory sentence)—जिस से आश्चर्य कौतूहल, कौतुक आदि भाव प्रदर्शित हो। जैसे, अहा ! कैसा शीतल जल है ! क्या ही सुन्दर घोड़ा है।

(६) इच्छाबोधक (Optative sentence)—जिससे इच्छा प्रगट हो। जैसे—भगवान आपका भला करें। आप चिरायु हों।

(७) सन्देहसूचक—जिससे सन्देह हो या सम्भावना पायी जाय। जैसे—मुझे डर है कि यहीं अर्थ का अनर्थ न हो जाय। उस दिन कदाचित आप यहाँ होते, इत्यादि।

(८) सङ्केतार्थक—जिसमें सङ्केत या शर्त पायी जाय। जैसे—अगर वह पढ़ता रहता तो आज उसकी यह गति नहीं हो पाती।

एक ही वाक्य के आठ रूप

(१) ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है। (विधिवाचक)

(२) जिसे ज्ञान नहीं उसकी बुद्धि निर्मल नहीं होती है। (निषेधवाचक)

(३) ज्ञानी बनो बुद्धि निर्मल होगी। (आज्ञावाचक)

(४) क्या ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है ? (प्रश्नवाचक)

(५) (क्या कहा,) ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है ! (विस्मयादिबोधक)

(६) मैं ज्ञानी बनूँगा, बुद्धि निर्मल होगी। (इच्छाबोधक)

(७) हो सकता है कि ज्ञान से बुद्धि निर्मल हो। (सन्देहसूचक)

(८) यदि ज्ञान प्राप्त करोगे तो बुद्धि निर्मल होगी। (सङ्केतार्थक)

अभ्यास

(१) कर्मवाच्य और भाववाच्य वाक्य के भेद बतलाते हुए दोनों के एक-एक उदाहरण दो।

(२) नीचे लिखे वाक्य को बिना अर्थ बदले वाक्य व आठों साधारण वाक्यों में लिखो।

'परिश्रम से विद्या होती है।'

पद-निर्देश (Parsing)

पद-निर्देश—व्याकरण सम्बन्धी विशेषताओं का कथन करते हुए वाक्यों के पदों का जब पारस्परिक सम्बन्ध बताया जाय, तब उसे पद निर्देश कहते हैं। पद निर्देश को पद-परिचय, पदच्छेद, पदान्वय, पद-व्याख्या, वाक्य विवरण, पदनिर्णय, पदविन्यास आदि नामों से पुकारते हैं।

संज्ञापद—संज्ञा या विशेष्य का पद निर्देश करने में—जातिवाचक आदि भेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक और जिस पद के साथ उसका सम्बन्ध हो उसे दरसाया जाता है। क्रियार्थक संज्ञा (verbal noun) में लिङ्ग वचन, पुरुष नहीं लिखा जाता है।

सर्वनामपद—सर्वनाम का पद निर्देश करने में उसके भेद, लिंग, वचन, पुरुष कारक और अन्य पदों के साथ उसका सम्बन्ध लिखना पड़ता है। सर्वनाम जिस संज्ञा के बदले आता है उसी संज्ञा के लिंग, वचन आदि के अनुसार उसके भी लिंग वचन आदि होते हैं। हाँ, पुरुष और कारक में भेद हो सकता है।

विशेषणपद—विशेषण में भेद और जिस विशेष्य का वह विशेषण है वह विशेष्य लिखना होता है।

क्रियापद—क्रिया में पूर्वकालिक या समापिका, सकर्मक,

(७) सन्देहसूचक—जिससे सन्देह हो या सम्भावना पायी जाय। जैसे—मुझे डर है कि यहीं अर्थ का अनर्थ न हो जाय। उस दिन कदाचित आप यहाँ होते, इत्यादि।

(८) सङ्केतार्थक—जिसमें सङ्केत या शर्त पायी जाय। जैसे—अगर वह पढ़ता रहता तो आज उसकी यह गति नहीं हो पाती।

एक ही वाक्य के आठ रूप

(१) ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है। (विधिवाचक)

(२) जिसे ज्ञान नहीं उसकी बुद्धि निर्मल नहीं होती है। (निषेधवाचक)

(३) ज्ञानी बनो बुद्धि निर्मल होगी। (आज्ञावाचक)

(४) क्या ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है? (प्रश्नवाचक)

(५) (क्या कहा,) ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है! (विस्मयादिबोधक)

(६) मैं ज्ञानी बनूँगा, बुद्धि निर्मल होगी। (इच्छाबोधक)

(७) हो सकता है कि ज्ञान से बुद्धि निर्मल हो। (सन्देहसूचक)

(८) यदि ज्ञान प्राप्त करोगे तो बुद्धि निर्मल होगी। (सङ्केतार्थक)

अभ्यास

(१) कर्मवाच्य और भाववाच्य वाक्य के भेद बतलाते हुए दोनों के एक-एक उदाहरण दो।

(२) नीचे लिखे वाक्य को बिना अर्थ बदले वाक्य के आठों साधारण वाक्यों में लिखो।

'परिश्रम से विद्या होती है।'

पद-निर्देश (Parsing)

पद-निर्देश—व्याकरण सम्बन्धी विशेषताओं का कथन करते हुए वाक्यों के पदों का जब पारस्परिक सम्बन्ध बताया जाय, तब उसे पद निर्देश कहते हैं। पद निर्देश को पद-परिचय, पदच्छेद, पदान्वय, पद-व्याख्या, वाक्य विवरण, पदनिर्णय, पदविन्यास आदि नामों से पुकारते हैं।

सज्ञापद—सज्ञा या विशेष्य का पद निर्देश करने मे—जातिवाचक आदि भेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक और जिस पद के साथ उसका सम्बन्ध हो उसे दरसाया जाता है। क्रियार्थक सज्ञा (verbal noun) में लिङ्ग वचन, पुरुष नहीं लिखा जाता है।

सर्वनामपद—सर्वनाम का पद निर्देश करने मे उसके भेद, लिंग, वचन, पुरुष कारक और अन्य पदों के साथ उसका सम्बन्ध लिखना पड़ता है। सर्वनाम जिस सज्ञा के बदले आता है उसी सज्ञा के लिंग, वचन आदि के अनुसार उसके भी लिंग वचन आदि होते हैं। हाँ, पुरुष और कारक मे भेद हो सकता है।

विशेषणपद—विशेषण में भेद और जिस विशेष्य का वह विशेषण है वह विशेष्य लिखना होता है।

क्रियापद—क्रिया में पूर्वकालिक या समापिका, सकर्मक,

द्विकर्मक या अकर्मक, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य वा भाववाच्य—काल और उसके भेद, लिंग वचन और पुरुष किस कर्त्ता की क्रिया है यह, और अगर सकर्मक हो तो उसका कर्म लिखना पड़ता है।

अव्यय—अव्यय में उसके भेद और अगर किसी पद के साथ उसका सम्बन्ध हो तो वह पद दिखाना पड़ता है।

नोट—(१) जब विशेषण पद स्वतन्त्र रूप से विशेष्य की भाँति व्यवहृत होता है तो उसमें विशेष्य की भाँति लिंग, वचन पुरुष और कारकादि होते हैं। जैसे—विद्वानों की सभा हो रही है।

(२) कुछ गुणवाचक विशेष्य (संज्ञा) कभी विशेष्य और कभी विशेषण के रूप में आते हैं। जैसे- 'स्वर्ण युग' में स्वर्ण' विशेषण और युग' विशेष्य है।

(३) कभी-कभी जातिवाचक संज्ञा भी विशेषण के रूप में आती है। जैसे— क्षत्रिय' कुल में जन्म लेकर कायर क्यों बनते हो। यहाँ 'क्षत्रिय' विशेषण है।

(४) सर्वनाम भी कभी कभी विशेषण के रूप में व्यवहृत होता है ? जैसे—यह पुष्प सहसा मुरझा गया है। यहाँ 'यह' विशेषण है।

(५) पद निर्देश करते समय गद्य का एक एक पद लिया जाता है और पद्य का गद्य में रूपान्तर कर उसका पद निर्देश किया जाता है। कोई-कोई वैयाकरण कारक के चिह्न (विभक्ति) का अलग पद निर्देश करते हैं। उसे अव्यय का रूप देते हैं पर विभक्ति सहित शब्द का ही पद निर्देश करना ठीक है। क्योंकि पद निर्देश में शब्द का परिचय नहीं बल्कि पद का परिचय बताया जाता है।

(६) सम्बोधन पद और विधिक्रिया में मध्यम पुरुष होता है।

उदाहरण—मोहन ने गगा के तट पर जाकर देखा कि एक नौका गगा म जा रहा है। उसपर एक सुन्दर बालक बैठा है जिसके गले मे पुष्प की माला है।

मोहनन—सज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुलिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, कर्त्ता कारक जिसकी क्रिया 'देखा है' है।

गगा के- सज्ञा, व्यक्तिवाचक, स्त्रीलिंग एकवचन, अन्य-पुरुष, सम्बन्ध कारक, इसका सम्बन्धी 'तट पर' है।

तट पर —सज्ञा, जातिवाचक, पुलिंग, एकवचन, अन्यपुरुष, अधिकरण कारक।

जाकर—क्रिया, पूर्वकालिक।

देखा—क्रिया, सकर्मक, कर्त्तृप्रधान सामान्य भूत, पुलिंग, एकवचन, अन्यपुरुष, इसका कर्त्ता 'मोहन ने' और कर्म 'एक नौका गगा के तट पर जा रही है', आनुषगिक वाक्य है।

कि—सयोजक अव्यय 'मोहन ने गगा के तट पर जाकर देखा' और 'एक नौका गगा मे जा रही है' को मिलाता है।

एक—सख्यावाचक विशेषण। इसका विशेष्य 'नौका' है।

नौका—सज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, अन्यपुरुष, कर्त्ता कारक इसकी क्रिया है 'जा रही है।

गगा में—अधिकरण कारक।

जा रही है—क्रिया, अकर्मक कर्त्तृप्रधान, तात्कालिक वर्तमान स्त्रीलिंग, एकवचन, अन्य पुरुष। इसका कर्त्ता 'नौका' है।

उसपर—सर्वनाम, नौका के बदले में आया है निश्चयवाचक, स्त्रीलिंग एकवचन अन्य पुरुष, अधिकरण कारक।

सुन्दर—विशेषण। इसका विशेष्य 'बालक' है।

बालक—संज्ञा जातिवाचक, पुलिंग एकवचन, अन्य पुरुष, कर्त्ता कारक। इसकी क्रिया है 'बैठा है'।

बैठा है—क्रिया, अकर्मक कर्तृप्रधान, आसन्न भूत, पुलिंग, एकवचन अन्य पुरुष। इसका कर्त्ता 'बालक' है।

जिसके—सर्वनाम बालक के बदले में आया है सम्बन्धवाचक, पुलिंग एकवचन, सम्बन्ध कारक जिसका सम्बन्धी 'गले में' है।

गले में—संज्ञा, जातिवाचक, पुलिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, अधिकरण कारक।

पुष्प की—संज्ञा जातिवाचक पुलिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, सम्बन्ध कारक इसका सम्बन्धी 'माला' है।

माला—संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग एकवचन, अन्य पुरुष, कर्त्ता कारक, जिसकी क्रिया 'है' है।

है—क्रिया, अकर्मक, अपूर्ण अर्थ प्रकाशक क्रिया जिसका विधेय पूरक 'माला है', सामान्य वर्तमान, स्त्रीलिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, इसका कर्त्ता भी 'माला' ही है।

अभ्यास

१—बड़े अक्षरों में लिखे हुए पदों का पद निर्देश करो।

(क) विद्वानों की सभा हो रही है। (ख) सन्तोष से सुख मिलता है। (ग) पीड़ितों की पीड़ा हरो। (घ) वह मारा जा रहा है। (ङ) सब कोई एक न एक दिन अवश्य मरेंगे। (च) मरता क्या न करता।

२—नीचे लिखे वाक्यों का पद निर्देश करो।
(क) गया गया गया। (ख) जीवन एक संग्राम है।
(ग) जिन दिन देखे वे कुसुम, गयी सु बीति बहार।
अब अलि रही गुलाब की, अपत कटीली डार॥

वाक्य-विश्लेषण (Analysis of sentences)

वाक्य विश्लेषण—वाक्य के अंशों को अलग-अलग कर उनके पारस्परिक सम्बन्ध को प्रदर्शित करने की विधि को वाक्य विश्लेषण या वाक्य विग्रह कहते हैं।

सरल वाक्य का विश्लेषण—निम्नलिखित प्रकार से सरल वाक्य का विश्लेषण किया जाता है—

(१) पहले वाक्य के उस अंश को दरसाना होता है जिसे उद्देश्य कहते हैं।

(२) उसके बाद उन अंशों को रखना होता है जिनसे उद्देश्य पद विस्तृत किया जाता है।

(३) फिर विधेय को दिखाना पड़ता है।

(४) यदि विधेय पद पूर्ण अर्थ प्रकाश नहीं करता हो तो उसका पूरक अथवा वह अंश जिससे विधेय का पूर्ण अर्थ प्रकाशित हो, रखना पड़ता है।

(५) अगर विधेय सकर्मक हो तो उसका कर्म निर्देश करना पड़ता है।

(६) कर्म जिन अंशों के द्वारा बढ़ाया गया हो वे अंश कर्म के बाद रखने पड़ेंगे।

(७) अन्त में उन अंशों को दिखाना पड़ता है जो विधेय के विस्तार के रूप में व्यवहृत हुए हों।

साराश यह है कि सरल वाक्य विश्लेषण का क्रम इस प्रकार

रहता है—(१) उद्देश्य (२) उद्देश्य का विस्तार, (३) विधेय, (४) विधेय पूरक (५) कर्म (६) कर्म का विस्तार और (७) विधेय का विस्तार।

उदाहरण—

(१) सम्राट् अशोक ने भिन्न-भिन्न देशों में अपने धर्मप्रचारक भेजे।

(२) पागल कुत्ते ने राम के पुत्र सुबाहु को परसों काट लिया।

(३) बन्दर पेड़ की पत्तियाँ खाता है।

(४) गुण ही स्त्रियों के लिए सब से बढ़कर सौन्दर्य है।

(५) साहसी मनुष्य भय से नहीं घबड़ाता।

संख्या	उद्देश्य अंश		विधेय अंश				
	मुख्य उद्देश्य	उद्देश्य का विस्तार	विधेय	विधेय पूरक	कर्म		विधेय का विस्तार
					कर्म	विस्तार	
(१)	अशोक ने	सम्राट्	भेजे	×	धर्मप्रचारक	भिन्न भिन्न देशों में	×
(२)	कुत्ते ने	पागल	काट लिया	×	सुबाहु को	राम के पुत्र	परसों
(३)	बन्दर	×	खाता है	×	पत्तियाँ	पेड़ की	×
(४)	गुण ही	×	है	सौन्दर्य	×	×	स्त्रियों के लिए सब से बढ़कर
(५)	मनुष्य	साहसी	घबड़ाता है	नहीं	×	×	भय से

जटिल वाक्य का विश्लेषण—

जटिल वाक्य का विश्लेषण करते समय सबसे पहले यह ध्यान में रखना होता है कि वाक्य मे कौन अग प्रधान और कौन अंग आनुषगिक या अप्रधान है। फिर आनुषगिक अग को पद विशेष समझ कर, सरल वाक्य क विश्लेषण की नाइ समूचे वाक्य का विश्लेषण करना पडता है। इसके बाद आनुषङ्गिक अग का भी विश्लेषण सरल वाक्य विश्लेषण विधि क अनुसार करना होता है।

उदाहरण—(१) मैं जानता हूँ कि वह यहाँ नहीं आयेगा। (२) जो सयम से रहता है वह कभी नहीं बीमार पडता है। (३) जब मैं आया तब वह चला गया।

विश्लेषण

वाक्य	वाक्य भेद	समुच्चायक	उद्देश्य अंश: मुख्य उद्देश्य	उद्देश्य अंश: उद्देश्य का विस्तार	विधेय अंश: विधेय	विधेय अंश: विधेय पूरक	विधेय अंश: कर्म: कर्म	विधेय अंश: कर्म: विस्तार	विधेय अंश: विधेय का विस्तार
(१) मैं जानता हूँ	प्रधान	कि	मैं	×	जानता हूँ	×	वह यहाँ नहीं आयगा	×	×
कि वह यहाँ नहीं आयेगा	आनुषगिक (कर्म रूप में)		वह	×	आयेगा	नहीं	×	×	यहाँ
(२) वह कभी बीमार नहीं पड़ता है	प्रधान	×	वह	जो संयम से रहता है	पड़ता है	नहीं	×	×	कभी बीमार
जो संयम से रहता है	आनुषगिक विशेषण रूप में		जो	×	रहता है	×	×	×	संयम से
(३) तब वह चला गया	प्रधान	×	वह	×	चला गया	×	×	×	तब, जब, मैं यहाँ आया
जब मैं यहाँ आया	आनुषगिक क्रिया विशेषण रूप में		मैं	×	आया	×	×	×	यहाँ, जब

ऊपर किये गये वाक्य-विश्लेषण मे पहले जटिल वाक्य मे आनुषंगिक वाक्य कर्म-रूप मे आया है, इसलिए समूचे वाक्य का विश्लेषण करते समय वह कर्म के रूप मे बताया गया है, दूसरे वाक्य में विशेषण के रूप मे आया इसलिए उद्देश्य का रूप लिखा गया और तीसरे वाक्य मे क्रियाविशेषण रूप में व्यवहृत हुआ है इसलिए विधेय का विस्तार समझा गया है।

यौगिक या संयुक्त वाक्य का विश्लेषण

यौगिक या संयुक्त वाक्य के विश्लेषण करने मे जिन सब वाक्यो से मिलकर यौगिक वाक्य बना है उनका पृथक्-पृथक् विश्लेषण करना चाहिये फिर जिन योजकों वा अव्ययों द्वारा वे मिले हैं उनको दरसाना चाहिये। यदि यौगिक वाक्य सरल वाक्यों के मेल से बना हो तो सरल वाक्य-विश्लेषण विधि के अनुसार और यदि जटिल वाक्यो के मेल से बना हो तो जटिल वाक्य विश्लेषण विधि के अनुसार विश्लेषण करना चाहिये।

अभ्यास

(१)—नीचे लिखे वाक्यो का वाक्य विग्रह करो।

(१) राम ने गोविन्द को कल किताब दी। (२) परिश्रमी लड़कों ने नाम के साथ कठिन परीक्षा पास कर ली। (३) सोहन का भाई मेरी गीता पढ़ता है। (४) बिना स्वास्थ्य सुधारे जीना कठिन है। (५) राम की बुद्धि मारी गयी है। (६) जिसे किसी ने नहीं किया उसे मोहन ने कर दिखाया। (७) एक दिन मैंने देखा कि गंगा में एक विचित्र फूल बह

विश्लेषण

वाक्य	वाक्य भेद	समुच्चायक	उद्देश्य अंश		विधेय अंश					
			मुख्य उद्देश्य	उद्देश्य का विस्तार	विधेय	विधेय पूरक	कर्म		विधेय का विस्तार
							कर्म	विस्तार	
(१) मैं जानता हूँ कि	प्रधान	कि	मैं	×	जानता हूँ	×	वह यहाँ नहीं आयगा	×	×
वह यहाँ नहीं आयेगा	आनुषगिक (कर्मरूप में)		वह	×	आयेगा	नहीं	×	×	यहाँ
(२) वह कभी बीमार नहीं पड़ता है	प्रधान	×	वह	जो संयम से रहता है	पड़ता है	नहीं	×	×	कभी बीमार
जो संयम स रहता है	आनुषगिक विशेषण रूप में		जो	×	रहता है	×	×	×	संयम से
(३) तब वह चला गया	प्रधान	×	वह	×	चला गया	×	×	×	तब, जब, मैं यहाँ आया
जब मैं यहाँ आया	आनुषंगिक क्रिया विशेषण रूप में		मैं	×	आया	×	×	×	यहाँ, जब

ऊपर किये गये वाक्य-विश्लेषण में पहले जटिल वाक्य में आनुषंगिक वाक्य कर्म-रूप में आया है, इसलिए समूचे वाक्य का विश्लेषण करते समय वह कर्म के रूप में बताया गया है, दूसरे वाक्य में विशेषण के रूप में आया है इसलिए उद्देश्य का रूप लिया गया और तीसरे वाक्य में क्रियाविशेषण रूप में व्यवहृत हुआ है इसलिए विधेय का विस्तार समझा गया है।

यौगिक या संयुक्त वाक्य का विश्लेषण

यौगिक या संयुक्त वाक्य के विश्लेषण करने में जिन सब वाक्यों से मिलकर यौगिक वाक्य बना है उनका पृथक्-पृथक् विश्लेषण करना चाहिये, फिर जिन योजकों या अव्ययों द्वारा वे मिले हैं उनको दरसाना चाहिये। यदि यौगिक वाक्य सरल वाक्यों के मेल से बना हो तो सरल वाक्य-विश्लेषण विधि के अनुसार और यदि जटिल वाक्यों के मेल से बना हो तो जटिल-वाक्य विश्लेषण विधि के अनुसार विश्लेषण करना चाहिये।

अभ्यास

(१)—नीचे लिखे वाक्यों का वाक्य विग्रह करो।

(१) राम ने गोविन्द को कल किताब दी। (२) परिश्रमी लड़कों ने नाम के साथ कठिन परीक्षा पास कर ली। (३) [illegible] का भाई मेरे [illegible] पढ़ता है। (४) बिना स्वास्थ्य सुधारे जीना कठिन है। (५) राम की [illegible] मारी गयी है। (६) जिसे किसी ने नहीं [illegible] [illegible] [illegible] दिखाया। (७) एक दिन मैंने देखा कि गंगा में एक [illegible] रहा है।

वाक्य-रचना के नियम

व्याकरण क नियमों द्वारा या भाषा की रीति क अनुमार सिद्ध पदों की स्थापन विधि को ही वाक्य-रचना कहते हैं। यहाँ सिद्ध पदों की स्थापना करते समय यह देखना पड़ता है कि पदो के साथ पदो का सम्बन्ध रहे और साथ ही स्थापन प्रणाली का क्रम भी भग न हो। तात्पर्य यह है कि वाक्य-रचना में पदो के सम्बन्ध और क्रम पर विशेष ध्यान देना होता है जिन्हें पदमेल और पदक्रम कहते हैं।

१—पदक्रम (Order)

ऊपर बतलाया जा चुका है कि वाक्य-रचना म पद-स्थापन-प्रणाली को पदक्रम कहते हैं। यह पदक्रम दो प्रकार के होते हैं—एक अलङ्कृत पदक्रम (Ornamental) दूसरा साधारण।

विशेष प्रसग पर वक्ता और लेखक की इच्छा क अनुमार पदक्रम मे जो अन्तर पड़ता है उसे अलङ्कारिक पदक्रम कहते हैं और इसक विपरीत व्याकरणीय या साधारण पदक्रम कहलाता है।

अलङ्कारिक पदक्रम का विषय व्याकरण से भिन्न है अतएव उसका नियम बनाना कठिन है। हाँ, साधारण पदक्रम के कुछ नियम यहाँ दिये जाते हैं।

(१) वाक्य के पदक्रम का सबसे पहला और स्थूल नियम यह है कि वाक्य में पहले कर्त्ता या उद्देश्य और अन्त में क्रिया या विधेय-पद का क्रम रहता है। जैसे—तारे चमक रहे हैं हवा बहती है, इत्यादि।

(२) यदि क्रिया सकर्मक हो तो उसके कर्म को क्रिया के पूर्व और द्विकर्मक हो तो पहले गौणकर्म और उसके बाद मुख्य कर्म रखते हैं। जैसे—राम रोटी खाता है। वह मोहन को हिन्दी पढ़ाता है।

(३) शेष कारकों में आनेवाले पद उन पदों के पूर्व आते हैं जिनसे उनका सम्बन्ध रहता है। जैसे—श्याम ने आलमारी से राम की पुस्तक निकाली। राम का भाई कल पटने से कलकत्ते जायगा।

(४) सम्बोधन-पद वाक्य के प्रारम्भ में रहता है और उसके चिन्ह—हो, हे, अरे रे आदि—ठीक सम्बोधन-पद के पूर्व रहते हैं। जैसे—अरे मोहन! अब तक तू यहीं बैठा है। प्रभो! रक्षा करो हमारी!! इत्यादि।

(५) सम्बन्ध-पद के बाद उसका सम्बन्धी-पद आता है। यदि सम्बन्धी पद का कोई विशेषण हो तो वह सम्बन्धी-पद के ठीक पहले रहता है। जैसे—यह श्याम की धोती है। उसका लाल घोड़ा चर रहा है।

जब सम्बन्धी-पद उद्देश्य-विधेय रूप में आवे तो विधेय-पद वाक्य के पहले आता है। जैसे—लोगों की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के समान है।

(६) कर्म कारक में आनेवाले शब्द प्रायः कर्म के पहले आते हैं और उनके विशेषण उनके पूर्व रहते हैं। जैसे—उसने लाठी से साँप मारा। उसने अपने सुकुमार हाथों से फूल तोड़े।

(७) अपादान कारक अपने अर्थ बोधक-पद से पहले आता है। जैसे—वह फल पटने से घर चला गया।

(८) बहुधा अधिकरण पद अपने आधेय के पूर्व रहा करता है। जैसे—गुलाब में काँटे होते हैं।

(क) कालवाचक अधिकरण-पद वाक्य के पहले आता है। जैसे—रात्रि में ही चन्द्रदेव उदय होते हैं।

(ख) जिस वाक्य में कालवाचक और स्थानवाचक दोनों ही अधिकरण पद हों वहाँ पहले कालवाचक पीछे स्थानवाचक रहता है। जैसे—वह दिन में कार्यालय में रहता है।

नोट—ऊपर बताये गये पदक्रम के नियमों में बहुत कुछ अंतर भी पड़ जाता है। अर्थात् वाक्य में जिस पद को प्रधानता दिखानी हो उसे उपर्युक्त नियमों के विरुद्ध पहले रखते हैं जिससे वाक्य के अन्य अंशों में भी उलट फेर हो जाता है। जैसे—

(क) कर्त्ता का स्थानान्तर—सिरतोड़ मेहनत कर कमाए 'राम' और खाय 'मोहन'।

(ख) कर्म का स्थानान्तर—मिठाई छोड़ कोई 'चीज़' मैं खाऊँगा ही नहीं।

(ग) करण का स्थानान्तर—'तलवार से' उसने चोर का सिर काट लिया।

(घ) सम्प्रदान का स्थानान्तर—'आप के ही लिए' तो यह सब कुछ किया गया है।

(ङ) अपादान का स्थानान्तर—'वृक्ष से' जितने फल गिरे सब के सब बरबाद हो गये।

(च) सम्बन्ध का स्थानान्तर—'मेरी' घडी तो राम ले गया है।

कभी कभी पद क सिलसिले मे सम्बन्धपद अपने सम्बन्धी क पीछे व्यवहृत होता है। जैसे—यह घडी किसकी है ?

(छ) अधिकरण का स्थानान्तर—इसी पर सब कुछ निर्भर करता है।

(ज) क्रिया का स्थानान्तर—वाह साहब ! मैने पुकारा किस और 'टपक पड़े' आप !

(९) प्राय विशेषण अपन विशेष्य क पहले आता है। यदि एक स अधिक विशेषण-पद एक साथ आवें तो उनक बीच मे संयोजक अव्यय कोई लाते हैं और कोई नहीं भी लाते हैं। क्योंकि लाना और नहीं लाना वाक्य का बनावट और लालित्य पर निर्भर करता है। जहाँ न हीं देने से वाक्य का लालित्य भ्रष्ट होने लगे वहाँ देना चाहिये और जहाँ लालित्य म कोई बाधा नहीं पडे वहाँ नहीं देना चाहिये। हाँ, स्थानान्तर हो जाने से अगर एक से अधिक विशेषण प्रयुक्त हो तो संयोजक अव्यय जोडना आवश्यक हो जाता है। जैसे—

(क) 'बली' भीम न दु शासन को गदा के प्रहार से मार डाला।

(ख) भक्तवत्सल दीनपालक, नरश्रेष्ठ (और) बली राम ने रावण को मारा।

(ग) गुलाब का फूल बडा ही सुन्दर 'और' मनमोहक होता है।

(१०) क्रियाविशेषण या क्रियाविशेषण क रूप मे व्यवहृत वाक्यांश बहुधा क्रिया क पहले आता है। जैसे—राम चुपचाप

(११) पूर्वकालिक क्रिया बहुधा समापिका क्रिया के पहले आती है जब कि दोनों का कर्त्ता एक ही रहे। और जिस क्रिया के जो कर्म करण आदि पद होते हैं वे उससे पहले आते हैं। जैसे—वह कुछ फल खाकर सिनेमा देखने के लिए चला गया।

(१२) सर्वनाम पदों में विशेषण प्राय पीछे ही आते हैं। जैसे—वह बड़ा चतुर है।

नोट-शब्द पर ज़ोर देने के लिए उपर्युक्त नियमों में फेरफार हो जाया करता है। जैसे—

(क) क्रियाविशेषण कर्त्ता से भी पहले—एक एक कर वह सब आम खा गया।

(ख) विशेषण का स्थानान्तर—राम बड़ा सुशील है।

(ग) पूर्वकालिक क्रिया का स्थानान्तर—देखकर भी उसने बात टाल दी।

(१३) प्रश्नवाचक सर्वनाम या अव्यय उस पद के पहले आता है जिस पद के विषय में प्रश्न किया जाता है। जैसे—यह किसकी टोपी है?

स्थानान्तर—(क) यदि पूरा वाक्य ही प्रश्न हो तो प्रश्नवाचक सर्वनाम या अव्यय वाक्य में पहले ही आता है। जैसे—क्या आप कल कलकत्ते जानेवाले हैं?

(ख) वाक्य में ज़ोर देने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम या अव्यय मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में भी आ सकता है। जैसे—वह पढ़ने से आ कैसे सकेगा?

(ग) कभी-कभी वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम या अव्यय नहीं होता, केवल प्रश्नवाचक का चिन्ह ही अन्त में रहता है। जैसे—सचमुच वह पढेगा ? (सचमुच क्या वह पढेगा ?)

(घ) प्रश्नवाचक अव्यय 'क्या' प्राय वाक्य के आरम्भ में ही आता है। कभी-कभी बीच या अन्त में भी आ जाता है। जैसे—क्या वह पुस्तक खो गयी ? वह पुस्तक खो गयी क्या ? वह पुस्तक क्या खो गया ?

(ङ) जब 'न' प्रश्नवाचक अव्यय के समान प्रयुक्त होता है तो वह वाक्य के अंत में आता है। जैसे – आप स्कूल जायेंगे न ? मोहन कलकत्ते जायगा न ? इत्यादि।

(१४) तो, भी, ही, भर, तक और मात्र—ये शब्द किसी शब्द में जोर पैदा करने के लिए ही वाक्य में व्यवहृत होते हैं और उन्हीं शब्दों के पीछे आते हैं जिन पर ज़ोर देने के लिए ये व्यवहृत होते हैं। इनके स्थान परिवतन से वाक्य के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे—मैं भी वहाँ जाने को तैयार हूँ। मैं वहाँ भी जाने को तैयार हूँ। मैं तो ज़रूर सिनेमा देखूँगा। मैं सिनेमा तो ज़रूर देखूँगा।

स्थानान्तर—उपर्युक्त शब्दों में 'मात्र' को छोड़कर शेष शब्द मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में भी आते हैं। 'भी' तथा 'तो' को छोडकर शेष शब्द संज्ञा और विभक्ति के बीच में भी आ सकते हैं। 'ही' शब्द कर्तृवाचक कृदन्त तथा सामान्य भविष्यत् काल प्रत्यय के बीच भी आ सकता है। जैसे—अब तो वह

खाता भी है। पटन से कलकत्ते तक की दूरी ३७५ मील है। मोहन ही ने तो ऐसा अफ़वाह उड़ायी थी। चाहे जो कुछ हो जाय वह विलायत जायहीगा। अब उसे देखने ही वाला कौन है ? इत्यादि।

(१५) सम्बन्धवाचक क्रियाविशेषण जहाँ-तहाँ, जब-तब, जैसे-तैसे आदि प्राय वाक्य के आरम्भ मे आते हैं। जैसे—जहाँ दिल चाहे तहाँ जाकर रहो। जब जी आवे तब यहाँ आ जाया करो। जैसे बन तैसे समझौता कर लेना उचित है।

लोग 'तहाँ' क बदले 'वहाँ' या 'वहाँ' और 'तब' के बदले 'तो' का भी व्यवहार करने लगे हैं। जैसे—जहाँ राम पढेगा वहाँ (जहाँ) मैं भी पढ़ूँगा। जब वह जायगा तो तुम भी जाना।

नोट— तब' क बदले 'तो' का प्रयोग खटकना है।

(१६) निषेधवाचक अव्यय (न, नहीं, मत) प्राय क्रिया के पहले आते हैं। जैसे—वह कभी न आवेगा। मैंने 'रंगभूमि' अब तक नहीं पढ़ी है। तुम मत जाओ ('मत' का प्रयोग विधि क्रिया रहने पर ही होता है)।

स्थानान्तर—(क) 'नहीं' और 'मत' क्रिया के पीछे भी आते हैं। जैसे—तुम वहाँ जाना मत। तुम तो वहाँ गये ही नहीं, वहाँ की बात क्या खाक जानोगे ?

(ख) यदि क्रिया संयुक्त हो तो ये निषेध-वाचक अव्यय मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया क बीच मे भी आते हैं। जैसे—मैं इस बात का समर्थन कर नहीं सकता। तुम शीघ्र चले मत जाना, इत्यादि।

(१७) समुच्चय-बोधक अव्यय जिन शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उनके बीच में आते हैं जैसे—राम और श्याम सहोदर भाई हैं। मैं काशी गया और वहाँ विश्वनाथ के दर्शन किये

नोट—(क) यदि संयोजक समुच्चयबोधक अव्यय कई शब्दों या वाक्यों को जोड़ता हो तो वह अन्तिम शब्द या वाक्य के पूर्व आता है। जैसे—मैं फुलवारी गया, वहाँ जाकर सुगन्धित फूलों को चुना और उनकी एक सुन्दर माला बनायी। इस पौधे के पत्ते, पुष्प और फल सभी सुहावने हैं।

(ख) संकेतवाचक समुच्चय बोधक यदि, तो, यद्यपि, तथापि, प्राय. वाक्य के प्रारम्भ में ही आते हैं। जैसे—यदि तुम यह पुस्तक आद्योपान्त पढ़ जाओ तो बहुत से नये-नये शब्द जान जाओगे। यद्यपि बात ठीक थी तथापि उस समय बोलना उचित नहीं था।

(१८) वाक्य में जब कोई शब्द दो बार आता है तब 'वीप्सा' कहलाता है जो सम्पूर्णता, एक कालीनता, निरन्तरता, केवलता आदि अर्थ का द्योतक है। जैसे—

घर घर डोलत दीन ह्वै, जन जन जाँचत जाय।

'बिहारी

नोट—जहाँ एक ही शब्द दो बार लिखना होता है वहाँ लोग एक शब्द लिखकर उसके आगे '२' लिख देते हैं पर यह प्रयोग अच्छा नहीं है। कभी कभी यह भ्रम में डालनेवाला हो जाता है।

मेल Concord

प्राय देखा जाता है कि हिन्दी के वाक्यों में कर्त्ता या कर्म पद

के साथ क्रिया पद का, संज्ञा पद के साथ सर्वनाम-पद का, सम्बन्ध के साथ सम्बन्धी-पद का और विशेष्य के साथ विशेषण का सम्बन्ध वा मेल रहता है। कुछ और शब्द भी आपस में सम्बन्ध रखते हैं जिन्हें 'नित्य सम्बन्धी' कहते हैं।

१—कर्त्ता, कर्म और क्रिया

(१) यदि वाक्य में कर्त्ता का कोई चिह्न प्रगट न रहे तो उसकी क्रिया के लिङ्ग, वचन और पुरुष कर्त्ता के लिङ्ग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं चाहे कर्म किसी भी रूप में क्यों न रहे। जैसे—मोहन टहलता है। स्त्रियाँ स्नान करती हैं। मैं रोटी खाता हूँ, इत्यादि।

(२) यदि वाक्य में एक ही लिंग, वचन और पुरुष के अनेक चिह्न-रहित कर्त्ता 'और' या इसी अर्थ में प्रयुक्त किसी अन्य योजक शब्द से मिले रहें तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी। मगर यदि उनके समूह से एकवचन का बोध हो तो क्रिया भी एकवचन में होगी। जैसे—शकुन्तला, प्रियम्वदा और अनसूया पुष्पवाटिका में पौधों को सींच रही थीं। राम, मोहन और हरगोविन्द आ रहे हैं। यह बात सुनकर उन्हें दुःख और क्षोभ हुआ।

(३) यदि वाक्य में दोनों लिंगों और वचनों के अनेक चिन्ह-रहित कर्त्ता 'और' या इसी अर्थ में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द से संयुक्त हों तो क्रिया बहुवचन होगी और उसका लिंग अन्तिम कर्त्ता के अनुसार होगा। जैसे—एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं।

नोट—(क) यदि वाक्य मे दोनो लिंगो के एकवचन क चिह्न-रहित अनेक कर्त्ता 'और' या इसी अर्थ में व्यवहृत किसी अन्य शब्द से सयुक्त हो तो क्रिया प्राय बहुवचन और पुलिंग होगी। जैसे—बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं।

(ख) तीसर नियम के अनुसार बने वाक्य में यदि अन्तिम कर्त्ता एकवचन मे आवे तो क्रिया भी प्राय एकवचन में व्यवहृत हुआ करती है। जैसे—ईसा की जीवनी म उनक हिसाब का खाता तथा डायरी नहीं मिलेगी।

परन्तु लोग प्राय इस प्रकार क वाक्य लिखने में अन्तिम कर्त्ता अक्सर बहुवचन मे लिखत हैं।

(४) यदि वाक्य मे कई चिह्न-रहित कर्त्ता हो और उनके बीच में विभाजक शब्द आवे तो उसकी क्रिया क लिङ्ग और वचन अन्तिम कर्त्ता क लिङ्ग और वचन क अनुसार होगे। जैस—मेरी गाय या उमक बैल तालाब मे पानी पीतेहैं। निर्मलकुमार या उसकी बहन जा रही है, इत्यादि।

(५) यदि वाक्य मे अनेक चिह्न-रहित कर्त्ताओ और उनकी क्रिया के बीच कोई समूहवाचक शब्द रहे तो क्रिया क लिङ्ग और वचन समूहवाचक शब्द क अनुकूल होंगे। जैसे—युवक वृद्ध स्त्री पुरुष, लडका लडकी सब क सब आनन्द से उन्मत्त हो उठे।

(६) यदि वाक्य मे अनेक चिह्न-रहित कर्त्ता हो और उनस यदि एकवचन का बोध हो तो क्रिया एकवचन मे और बहुवचन का बोध हो तो बहुवचन मे होगी—चाहे कर्त्ताओं और क्रिया क

बीच समूह-सूचक कोई शब्द रहे या न रहे। परन्तु यह याद रखना चाहिये कि यह नियम केवल अप्राणिवाचक कर्त्ताओं के लिए है, प्राणिवाचक के लिए नहीं। जैसे—आज उसे चार रुपये तेरह आने तीन पैसे मिले। इस काम को करने में कुल दो महीना और एक बरस लगा। विद्यालय के लिए दो हजार रुपया दान-स्वरूप मिला, इत्यादि।

(७) जब अनेक सञ्ज्ञाएँ चिह्न रहित कर्त्ता कारक में आकर किसी एक ही प्राणी वा पदार्थ को सूचित करती हैं तब क्रिया एकवचन में आती है। जैसे—वह राजनीतिज्ञ और योद्धा सन् १८९८ ई० में मर गया।

नोट—उपर्युक्त नियम पुस्तकों के संयुक्त नामों में भी लागू होता है। जैसे—'धर्म और राजनीति' किसका लिखा हुआ है।

(८) प्रायः वाक्य में पहले मध्यम पुरुष उसके बाद अन्य पुरुष और अन्त में उत्तम पुरुष रहता है। जैसे—तुम, वह और मैं जाऊँगा।

(९) यदि वाक्य में चिह्न रहित कर्त्ता तीनों पुरुष में आवें तो क्रिया के लिंग और वचन उत्तम पुरुष के लिङ्ग और वचन के अनुसार होंगे, यदि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष आवें तो भी उत्तम पुरुष के ही अनुसार होंगे और यदि केवल अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष में आवें तो मध्यम पुरुष के अनुसार होंगे। जैसे—तुम वह और मैं जाऊँगा।

तुम और मैं जाऊँगा। वह और हम जायँगे। तुम और वह जाओगे।

(१०) आदर का भाव प्रदर्शित करने के लिए चिह्न-रहित कर्त्ता अगर एकवचन में भी हो तो उसकी क्रिया बहुवचन में होगी। जैसे—वह चले गये। मालूम नहीं, रामेश्वर बाबू अब तक क्यों नहीं आये हैं ?

(११) ईश्वर के लिए एकवचन की क्रिया का प्रयोग ही अच्छा मालूम पड़ता है। जैसे—मैं अपनी निर्दोषता कैसे सिद्ध करूँ—ईश्वर ही इसका साक्षी है। ईश्वर, तू है पिता हमारा !

(१२) जहाँ-जहाँ वाक्य में क्रिया कर्त्ता के अनुसार होती है वहाँ वहाँ मुख्य कर्त्ता के ही अनुसार होती है—विधेय रूप में आये हुए अप्रधान कर्त्ता के अनुसार नहीं। जैसे—'राम' सूख कर 'लाठी' हो गया। 'स्वर्णलता' डर से 'पानी' हो गयी।

(१३) यदि वाक्य में एक ही कर्त्ता की दो या अधिक समापिका क्रियाएँ भिन्न भिन्न कालों में हों या कोई अकर्मक और कोई सकर्मक हो तो कर्त्ता का चिह्न केवल पहली क्रिया के अनुसार आता है। जैसे—हरि ने दोपहर का खाना खाया और सो रहा।

(१४) किसी वाक्य में प्रयुक्त दो या दो से अधिक क्रियाओं के समान कर्त्ता को कई बार नहीं लिखकर केवल एक बार लिखना चाहिये। जैसे—वह बराबर यहाँ आता जाता है।

(१५) कर्त्ता का चिन्ह पूर्वकालिक क्रिया के अनुसार नहीं

आता। किसी वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का वही कर्त्ता होगा जो समापिका क्रिया का होगा। जैसे—वह खाकर सो रहा।

(१६) यदि एक वा अधिक चिन्हरहित कर्त्ताओं का कोई समानाधिकरण शब्द हो तो क्रिया उसी के अनुसार होती है। जैसे—स्त्री और पुत्र कोई साथ नहीं जाता। कंचन और कामिनी दोनों ही लोगों को पागल बनाकर छोड़ती हैं।

(१७) यदि वाक्य में कर्त्ता का 'ने' चिह्न और कर्म का 'को' चिह्न प्रगट रहे तो क्रिया सदा एकवचन, पुलिंग और अन्य पुरुष में होगी। जैसे—कृष्ण ने बंशी को बजाया। मोहन ने अपनी बहन को बुलाया।

(१८) यदि वाक्य में कर्त्ता का 'ने' चिह्न प्रगट रहे और कर्म रहे पर उसका 'को' चिह्न प्रगट न रहे तो क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिङ्ग, वचन और पुरुष के अनुसार होंगे। जैसे—सीता ने राम के गले में जयमाल डाल दी। मैंने रोटी खायी। उसने बड़ी अच्छी चीज़ देखी, इत्यादि।

(१९) यदि वाक्य में कर्त्ता का 'ने' चिह्न रहे और कर्म न रहे या लुप्तावस्था में रहे तो क्रिया सदा एकवचन, पुलिंग और अन्य पुरुष में आती है। जैसे—सीता ने कहा। लोगों ने देखा, इत्यादि।

(२०) क्रियार्थक संज्ञा की क्रिया भी सदा एकवचन पुलिंग और अन्य पुरुष में आती है। जैसे—उसका आना सफल हुआ। सुबह को टहलना लाभदायक है।

(२१) वाक्य में कर्त्ता वा कर्म के, जिसके अनुसार क्रिया में

लिंग, वचन आदि का प्रयोग किया जाता है, लिंग में सन्देह हो तो क्रिया पुलिंग में व्यवहृत होती है। जैसे—शास्त्रों में लिखा है। तुम्हारा सुनता कौन है ? इत्यादि।

(२२) कुछ संज्ञाएँ केवल बहुवचन में प्रयुक्त हुआ करती हैं। जैसे—उसके होश उड़ गये। मुफ्त में प्राण छूट गये। आँखों से आँसू निकल पड़े। तुम्हारे दर्शन भी दुर्लभ हो रहे हैं। शत्रुओं के दाँत खट्टे हो गये। क्रोध से उसके ओठ फड़कने लगे। होश, प्राण, दर्शन, आँसू, ओठ, दाँत आदि शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं।

(२३) कर्म के अनुसार होनेवाली क्रियावाले वाक्य में यदि एक ही लिङ्ग और एकवचन के अनेक प्राणिवाचक चिह्न रहित कर्म कारक आवें तो क्रिया उसी लिङ्ग के बहुवचन में आती है। जैसे—उसने बकरी और गाय मोल ली। मोहन ने अपना भतीजा और बेटा भेजे।

नोट—चिह्न-रहित कर्म कारक में उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष नहीं आते।

(२४) उपर्युक्त नियम के अनुसार आये हुए कर्मों में यदि पृथकता का बोध हो तो क्रिया एकवचन में आवेगी। जैसे—मोहनने एक भतीजा और एक बेटा भेजा। उसने एक गाय और एक बकरी मोल ली।

(२५) यदि वाक्य में एक ही लिंग और वचन के अनेक चिह्न-रहित अप्राणिवाचक कर्म आवें तो क्रिया एकवचन में

आवेगी। जैसे—उसने सुई और कघी खरीदी। राम ने फूल और फलतोड़ा।

(२६) यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग के अनेक चिह्न रहित कर्म एकवचन में रहें तो क्रिया पुलिंग और बहुवचन में आवेगी। जैसे—मैंने बैल और गाय मोल लिये। मोहन ने सर्कस मे बन्दर और बाघ देखे

(२७) यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंगों और वचनो के एक से अधिक चिह्न-रहित कर्म रहें तो क्रिया के लिंग और वचन अन्तिम कर्म के अनुसार होगे। जैसे—मैंने सुई, कघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लीं।

नोट—अंतिम कर्म प्राय बहुवचन में आता है।

(२८) यदि वाक्य मे कई चिह्न-रहित कर्म आवें और वे विभाजक अव्यय द्वारा जुटे रहें तो क्रिया अन्तिम कर्म के अनुसार होगी। जैसे—तुमने मेरी टोपी या डंडा जरूर लिया है।

(२९) यदि वाक्य में अनेक चिह्न रहित कर्म से किसी एक वस्तु का बोध हो तो क्रिया एकवचन में आवेगी। जैसे—मोहन ने एक अच्छा मित्र और बन्धु पाया।

(३०) यदि वाक्य में व्यवहृत कई चिह्न रहित कर्म का कोई समानाधिकरण शब्द रहे तो क्रिया समानाधिकरण शब्द के अनुसार होगी। जैसे—उसने धन, जन, कुल, परिवार आदि सब कुछ त्याग दिया।

(३१) चिह्न रहित दो कर्म में क्रिया मुख्य कर्म के अनुसार होती है। जैसे—मीरकासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर बनायी

संज्ञा और सर्वनाम का मेल

(१) वाक्य मे किसी सर्वनाम के लिंग और वचन उसी संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं जिसके बदले मे वह आता है, पर हाँ, कारको मे भेद हो जाता है। जैसे—स्त्रियाँ कहती हैं कि हम गङ्गा स्नान करने जायँगी। हरिगोपाल कहता है कि मैं पत्र-सम्पादनकला सीखूगा, क्योकि मेरा झुकाव उस ओर अधिक है।

(२) यदि वाक्य मे कई संज्ञाओ के बदले एक ही सर्वनामपद हो तो उसके लिंग और वचन संज्ञा-पद समूह के लिंग और वचन के अनुसार होगे। जैसे—शीतल और भागवत खेल रहे हैं परन्तु वे शीघ्र ही खाने को आवेंगे।

(३) 'तूँ' का प्रयोग अनादर और प्यार के अर्थ में किसी संज्ञा के बदले होता है। देवताओ के लिए भी लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे—मोहन, तूँ आज पढने नहीं गया? मन्थरे! तूँ ही मेरी हितकारिणी हो! हा विधाता, तूँ ने यह क्या किया! (तूँ की जगह तुम का भी प्रयोग होता है)

(४) किसी संस्था या सभा के प्रतिनिधि, सम्पादक, ग्रन्थकार और बड़े बड़े अधिकारी 'मैं' के बदले 'हम' का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे—हम पिछले प्रकरणो में यह बात लिख चुके हैं। हम हिन्दू सभा के प्रतिनिधि की हैसियत से इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं।

(५) अधिक आदर का भाव प्रदर्शित करने के लिए 'आप' शब्द का

आवेगी। जैसे—उसने सूई और कंघी खरीदी। राम ने फूल और फलतोड़ा।

(२६) यदि वाक्य मे भिन्न भिन्न लिंग के अनेक चिह्न रहित कर्म एकवचन मे रहें तो क्रिया पुलिंग और बहुवचन मे आवेगी। जैसे—मैंने बैल और गाय मोल लिये। मोहन ने सर्कस में बन्दर और बाघ देखे

(२७) यदि वाक्य मे भिन्न भिन्न लिंगो और वचनो वे एक से अधिक चिह्न रहित कर्म रहें तो क्रिया क लिंग और वचन अन्तिम कर्म क अनुसार होगे। जैस—मैंने सूई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लीं।

नोट—अतिम कर्म प्राय बहुवचन में आता है।

(२८) यदि वाक्य मे कई चिह्न-रहित कर्म आवें और वे विभाजक अव्यय द्वारा जुटे रहें तो क्रिया अन्तिम कर्म के अनुसार होगी। जैसे—तुमने मेरी टोपी या डंडा जरूर लिया है।

(२९) यदि वाक्य मे अनेक चिह्न रहित कर्म से किसी एक वस्तु का बोध हो तो क्रिया एकवचन में आवेगी। जैसे—मोहन ने एक अच्छा मित्र और बन्धु पाया।

(३०) यदि वाक्य में व्यवहृत कई चिह्न-रहित कर्म का कोई समानाधिकरण शब्द रहे तो क्रिया समानाधिकरण शब्द क अनुसार होगी। जैसे—उसने धन, जन, कुल, परिवार आदि सब कुछ त्याग दिया।

(३१) चिह्न रहित दो कर्म में क्रिया मुख्य कर्म क अनुसार होती है। जैसे—मीरकासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर बनायी

संज्ञा और सर्वनाम का मेल

(१) वाक्य में किसी सर्वनाम के लिंग और वचन उसी संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं जिसके बदले में वह आता है, पर हाँ, कारकों में भेद हो जाता है। जैसे—स्त्रियाँ कहती हैं कि हम गङ्गा स्नान करने जायँगी। हरिगोपाल कहता है कि मैं पत्र सम्पादनकला सीखूंगा, क्योंकि मेरा झुकाव उस ओर अधिक है।

(२) यदि वाक्य में कई संज्ञाओं के बदले एक ही सर्वनामपद हो तो उसके लिंग और वचन संज्ञा-पद समूह के लिंग और वचन के अनुसार होंगे। जैसे—शीतल और भागवत खेल रहे हैं परन्तु वे शीघ्र ही खाने को आवेंगे।

(३) 'तूँ' का प्रयोग अनादर और प्यार के अर्थ में किसी संज्ञा के बदले होता है। देवताओं के लिए भी लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे—मोहन, तूँ आज पढ़ने नहीं गया? मन्थरे! तूँ ही मेरी हितकारिणी हो! हा विधाता, तूँ ने यह क्या किया! (तूँ की जगह तुम का भी प्रयोग होता है)

(४) किसी संस्था या सभा के प्रतिनिधि, सम्पादक, ग्रन्थकार और बड़े बड़े अधिकारी 'मैं' के बदले 'हम' का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे—हम पिछले प्रकरणों में यह बात लिख चुके हैं। हम हिन्दू सभा के प्रतिनिधि की हैसियत से इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं।

(५) अधिक आदर का भाव प्रदर्शित करने के लिए 'आप' क

जैसे—सुन्दर बालक—सुन्दरी (सुन्दर) बालिका। सुशील बालक—सुशीला (सुशील) बालिका।

(ख) प्राय ऐसा भी होता है कि सुन्दर को सुन्दरी और सुशील को सुशीला कर देने से ये विशेषण से विशेष्य हो जाते हैं। जैसे—सुन्दरी स्नान कर रही है। सुशीला धीरे धीरे जा रही है। यहाँ सुन्दरी और सुशीला का अर्थ हुआ—सुन्दर स्त्री और सुशील स्त्री।

(ग) प्रत्यय से बने बहुत से अकारान्त विशेषणो मे भी विशेष्य के कारण विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे—मनोहर-मनोहारिणी, भाग्यवान् भाग्यवती, इत्यादि।

(२) चिह्न-रहित कर्मकारक का विकारी विशेषण अगर विधेय के रूप मे व्यवहृत हो तो उसके लिंग और वचन कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होंगे पर यदि कर्म का चिन्ह प्रगट रहे तो विशेषण ज्यों का त्यों भी रह जाता है अर्थात् विकल्प से बदलता है। जैसे—उसने अपने सिर की टोपी सीधा की। उसने अपने सिर की टोपी को सीधा (सीधी) किया इत्यादि।

(३) यदि एक ही विकारी विशेषण के अनेक विशेष्य हों तो वह पहले विशेष्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलता है। जैसे—सडक पर छोटी छोटी लडकियाँ और लडके खेलते हैं।

(४) यदि अनेक विकारी विशेषणो का एक ही विशेष्य हो तो वे सभी विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार बदलते हैं। जैसे—चमकीले और सुहावने दाँत।

(५) समय, दूरी, परिमाण, धन दिशा आदि का बोध करनेवाली सज्ञाओ क पहले जब सख्यावाचक विशेषण रहे और सज्ञाओं से समुदाय का बोध न हो तो वे विकृत कारकों में भी प्राय एकवचन के रूप मे आती हैं। जैसे—चार मील की दूरी। पाँच हज़ार रुपये मे, इत्यादि।

नोट—चार महीने मे, चार महीनो मे, चारो महीने में और चारों महीनो मे—इन चारो वाक्याशो क अर्थ मे थोड़ा भेद है। पहले में साधारण गिनती है, दूसर में जोर दिया गया है और तीसर तथा चौथे में समुदाय का अर्थ है।

(६) यदि क्रिया का साधारण रूप किसी सज्ञा के आगे विधेय-विशेषण होकर आवे और उससे सम्प्रदान या क्रिया की पूर्ति का अर्थ प्रदर्शित हो तो उसके लिंग और वचन उसी सज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार होगे जिसके साथ वह आया है, परन्तु यदि उससे उस सज्ञा के सम्बन्धी का बोध हो तो उसका रूप ज्यों का त्यों रह जायगा। जैसे—घटी बजानी होगी। रोटी खानी पड़ेगी। परीक्षा देनी होगी। व्यर्थ का कसम खाना छोड दो।

यहाँ पर 'रोटी खानी पड़ेगी' आदि वाक्यों में क्रिया सम्प्रदान या क्रिया की पूर्त्ति का अर्थ प्रदर्शित करती है परन्तु 'कसम खाना' में 'कसम' सम्बन्ध कारक के ऐसा व्यवहृत हुआ है जिसका सम्बन्धी 'खाना' है अर्थात् 'कसम का खाना'। इसलिए पहले तीनों वाक्यों में विधेय विशेषण क्रिया का रूप सज्ञा क रूप के अनुसार बदल गया है और अन्तिम वाक्य में ज्यों का त्यो रह गया है।

सम्बन्ध और सम्बन्धी

(१) सम्बन्ध के चिन्ह में वही लिंग और वचन होंगे जो सम्बन्धी के होंगे। जैसे—राम की गाय। मोहन की लड़की। उसके घोड़े इत्यादि।

(२) जिस प्रकार आकारान्त विशेषण में विशेष्य के अनुसार विकार उत्पन्न होता है उसी प्रकार सम्बन्ध कारक के चिन्ह में सम्बन्धी के अनुसार विकार उत्पन्न होता है। जैसे—काली गाय, राम की गाय, अच्छी लड़की, मोहन की लड़की, इत्यादि।

(३) यदि एक ही सम्बन्ध के कई एक सम्बन्धी हों तो सम्बन्ध के चिह्न में पहले सम्बन्धी के अनुसार विकार उत्पन्न होगा। जैसे—राम की गाय, घोड़े और बकरियाँ चरती हैं।

नित्य सम्बन्धी शब्द

बहुत से अव्यय, थोड़े से सर्वनाम और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें बराबर एक सा सम्बन्ध रहता है। ऐसे शब्दों को नित्य सम्बन्धी शब्द कहते हैं। जैसे—जब-तब, इसमें जब के साथ तब का बराबर सम्बन्ध रहता है अर्थात् जब वाक्य में 'जब' का प्रयोग किया जायगा तब वहाँ 'तब' का भी प्रयोग होगा। जैसे—जब मैं वहाँ गया तब वह खा रहा था।

कुछ नित्य सम्बन्धी शब्द

(१) जब—तब। 'तब' के स्थान पर लोग 'तो' भी लिखते हैं पर [illegible] । खटकना है।

[illegible]—तथापि। 'तथापि' की जगह 'किन्तु' 'परन्तु' [illegible]

आदि लिखना ठीक नहीं है। 'तो भी' लिखा जा सकता है। पद्य में 'यद्यपि' को 'यदपि' और तथापि को तदपि लिखते हैं। जैसे—यद्यपि वहाँ हैज़े की बीमारी है तथापि (तो भी) मेरा वहाँ जाना अनिवार्य्य है।

(३) यदि—तो। 'तो' की जगह 'तब' लिखना ठीक नहीं है। 'यदि' की जगह 'जो' लिखा जा सकता है। जैसे—यदि आज मोहन रहता तो यह बात होने ही नहीं पाती। जो मैं यह जान पाता कि तुम नहीं आ सकोगे तो मैं स्वयं वहाँ पहुँच जाता।

(४) जो—सो। लोग 'सो' की जगह 'वह' 'वही' आदि लिखने लगे हैं जैसे—जो खोजेगा वह पायेगा जो देखेगा सो हँसेगा, इत्यादि।

(५) जहाँ—तहाँ। 'तहाँ' के बदले मे 'वहाँ' का भी प्रयोग होता है। जैसे—जहाँ छमा तहँ आप—जहाँ छमा है वहाँ ईश्वर है।

नोट—कभी कभी नित्य सम्बन्धी शब्द गुप्त भी रहते हैं। जैसे—आप आइयेगा तो देखा जायगा। इस वाक्य में 'यदि' शब्द छिपा हुआ है। उसी प्रकार से—(जब) आप आ गये तब क्या होना है, इत्यादि।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो।

हम, तुम और वह जायगा। छोटे लडके लडकियाँ खेलते हैं। उसने नयी रीतिया को चलायाँ। उसकी बात पर मोहन हँस दिया। वहाँ मे बालक, युवा, नर, नारी, सब पकडी गयीं।

(Matriculation 1920)

२—नीचे के शब्दों को इस प्रकार बैठाओ कि एक पूर्ण वाक्य बन जाय।

(क) राज्य किया, ने, सम्राट अशोक, तक, वर्ष, चालीस।

(ख) महाकवि, ने, रामायण, किया, संसार का, तुलसीदास, की, रचनाकर, उपकार, बड़ा।

(ग) कहते हैं, टापू, जिसके, पानी, चारों ओर, रहे, उसे।

(घ) है, लन्दन, इङ्गलैण्ड, राजधानी, की।

(ङ) पहाड़, से, हिमालय, नदी, गङ्गा, निकलकर, बङ्गाल की, गिरती है, में, खाड़ी।

(३) नीचे लिखे वाक्य-समूह में परस्पर क्या भेद है ?

(क) मैं भी वहाँ जाने को तैयार हूँ। (ख) मैं वहाँ भी जाने को तैयार हूँ। (ग) मैं वहाँ जाने को भी तैयार हूँ।

वाक्य रचना का अभ्यास

परिवर्तन (Conversion)

वाक्य को मधुर और आकर्षक बनाने के लिए पद, वाक्यांश और खण्ड वाक्य के प्रयोग में पूरा अभ्यास रहने की आवश्यकता है। इसके लिए पद, वाक्यांश और खण्ड वाक्य में परस्पर परिवर्तन करना पड़ता है एवं वाक्य को कभी विस्तृत, कभी संकुचित, कभी पृथक् और कभी संयुक्त करना पड़ता है।

पद, वाक्यांश और खण्डवाक्य

(Words Phrases and Clauses

पद, वाक्यांश और खण्ड वाक्य को आपस में परिवर्तन करना

समास, कृदन्त और तद्धितान्त पर अवलम्बित रहता है। परिवर्तन करते समय इस बात पर बराबर ध्यान रहे कि अर्थ में किसी तरह की बाधा न पड़े।

(क) पद का वाक्यांश और वाक्यांश का पद

सामासिक पद, कृदन्त और तद्धितान्त पद को वाक्यांश में और वाक्यांश को सामासिक पद, कृदन्त और तद्धितान्त में परिवर्तित कर सकते हैं।

पद का वाक्यांश

वैष्णव=विष्णु के उपासक।
लब्धप्रतिष्ठ=प्रतिष्ठा प्राप्त किये हुए।
आपादमस्तक=पैर से सिर तक।
राजनीतिज्ञ=राजनीति जाननेवाले।
दार्शनिक=दर्शनशास्त्र जाननेवाले।

वाक्यांश का पद

निन्दा करने योग्य=निन्द्य।
विज्ञान जाननेवाले=वैज्ञानिक।
तेज चलनेवाला=द्रुतगामी।

(ख) पद का खंडवाक्य और खंडवाक्य का पद

पद का खंडवाक्य

शैव—जो शिव का उपासक है।
आजानुबाहु—घुटने तक जिसकी भुजा फैली है।
धनवान—जिसके पास धन है।

विधवा—जिस स्त्री की पति नहीं है।
दयालु—जो दया से द्रवित होता है।
महाशय—जिसका आशय महान है।

खंडवाक्य का पद

जो दुःख देता है—दुःखद।
जो विदेश का है—विदेशी।
जिसके पास विद्या है—विद्वान।
जो दूसरे का उपकार नहीं मानता—कृतघ्न

(ग) वाक्यांश का खंडवाक्य और खंडवाक्य का वाक्यांश

वाक्यांश का खंडवाक्य

मेरे वहाँ जाते ही—जब मैं वहाँ जाता हूँ।
उसके आने पर—जब वह आयगा या आया।
शक्ति से पर—जो शक्ति से बाहर है।
लक्ष्मी के लाडिले—जो लक्ष्मी के लाडिले हैं।

खंडवाक्य का वाक्यांश

जब वर्षाऋतु समाप्त होगी—वर्षाऋतु के समाप्त हो जाने पर।
जो अभिमान करता है—अभिमान करनेवाला।
जिसे बुद्धि और बल है—बुद्धि-बलवाला।

अभ्यास

(१) नीचे लिखे पदों को वाक्यांश और खंडवाक्य दोनों में परिणत करो।

कृतज्ञ, अनिर्वचनीय, नास्तिक, जितेन्द्रिय, शास्त्रीय, वैयाकरण, स्वदेशी।

(२) नीचे लिखे वाक्यांशों या खंडवाक्यों का एक-एक पद बनाओ।

जो न्याय अच्छा जानता है। लोक के बाहर। जो स्वभाव से विरुद्ध हो। गृहकर्म से विमुख। जिसकी प्रशंसा सभी करते हैं। जिसका शत्रु ही उत्पन्न नहीं हुआ हो। जब तक जीवन रहेगा। आदर के सहित। पैर से सिर तक

वाक्य-सकोचन और सम्प्रसारण

(The contraction and expansion of sentences)

अर्थ में बिना किसी प्रकार का भेद उत्पन्न किये अनेक पदों से बने वाक्य के भाव को थोड़े ही पदों के द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को वाक्य-सकोचन-विधि कहते हैं। ठीक इसके विपरीत थोड़े से पदों के बने वाक्य के भाव को और भी स्पष्ट करने के लिए उसे अनेक पदों में प्रकाशित करने की विधि को वाक्य सम्प्रसारण- विधि कहते हैं।

(क) वाक्य सकोचन विधि

यों तो अर्थ में बिना बाधा डाले किसी वाक्य के सकुचित करने के भिन्न-भिन्न तरीके अख्तियार किये जा सकते हैं पर यहाँ पर मुख्य दो तरीके दरसाये जाते हैं।

(१) वाक्य में व्यवहृत कई समापिका क्रियाओं को असमापिका या पूर्वकालिक क्रिया मे बदलकर वाक्य सकुचित किया जा सकता है। जसे—मास्टर साहब आये और फिर चले गये—मास्टर साहब आकर फिर चले गये।

मैं फुलवाड़ा गया और गुलाब के फूल तोड़े—मैंने फुलवाड़ी जाकर गुलाब के फूल तोड़े।

(२) आनुषंगिक वाक्य वाक्यांश या कई पदों के बदले एक सामासिक, प्रत्ययान्त या अल्प-पद का प्रयोग करने से वाक्य संकुचित किया जाता है। जैसे—

जैसा मैं हूँ वैसा वह है—मेरे जैसा वह भी है।

जैसा काम किया वैसा फल मिला—जैसी करनी वैसा फल।

जिसे भूख लगी है उसे भोजन दो—भूखे को भोजन दो।

विष्णु भगवान् के चार भुजा हैं—विष्णु भगवान् चतुर्भुजी हैं।

उसने इन्द्रियों को वश में कर लिया है—वह जितेन्द्रिय है।

उस (स्त्री) के नयन मृगा के नयनों के समान हैं—वह मृगनयनी है।

(ख) वाक्य सम्प्रसारण विधि

वाक्य संकोचन विधि के विपरीत नियमों के द्वारा ही वाक्य का सम्प्रसारण कर सकते हैं। यहाँ पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि वाक्य का विस्तार करते समय अनावश्यक पदों का प्रयोग नहीं होना चाहिये। विशेषकर यह देखना चाहिये कि किसी एक वाक्य में दो पूर्वकालिक क्रियाओं का व्यवहार भरसक नहीं हो।

वाक्य सम्प्रसारण के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

(१) चैतन्य वैष्णव थे—चैतन्य विष्णु के उपासक थे।

(२) पढ़ना लाभप्रद है—पढ़ने से लाभ होता है।

(३) गरीब को धन दो—जो गरीब है उसे धन दो।

कृतज्ञ, अनिर्वचनीय, नास्तिक, जितेन्द्रिय, शास्त्रीय, वैयाकरण, स्वदेशी।

(२) नीचे लिखे वाक्यांश या खंडवाक्यों का एक-एक पद बनाओ। जो न्याय अच्छा जानता है। लोक के बाहर। जो स्वभाव से विरुद्ध हो। गृहकर्म से विमुख। जिसको प्रशंसा सभी करते हैं। जिसका शत्रु ही उत्पन्न नहीं हुआ हो। जब तक जीवन रहेगा। आदर के सहित। पैर से सिर तक

वाक्य-संकोचन और सम्प्रसारण

(The contraction and expansion of sentences)

अर्थ में बिना किसी प्रकार का भेद उत्पन्न किये अनेक पदों से बने वाक्य के भाव को थोड़े ही पदों के द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को वाक्य-सकोचन-विधि कहते हैं। ठीक इसके विपरीत थोड़े से पदों से बने वाक्य के भाव को और भी स्पष्ट करने के लिए उसे अनेक पदों में प्रकाशित करने की विधि को वाक्य सम्प्रसारण- विधि कहते हैं।

(क) वाक्य सकोचन विधि

यों तो अर्थ में बिना बाधा डाले किसी वाक्य को सकुचित करने के भिन्न-भिन्न तरीके अख्तियार किये जा सकते हैं पर यहाँ पर मुख्य दो तरीके दरसाये जाते हैं।

(१) वाक्य में व्यवहृत कई समापिका क्रियाओं को असमापिका या पूर्वकालिक क्रिया मे बदलकर वाक्य सकुचित किया जा सकता है। जैसे—मास्टर साहब आये और फिर चले गये—मास्टर साहब आकर फिर चले गये।

मैं फुलवाडी गया और गुलाब के फूल तोड़े—मैंने फुलवाडी जाकर गुलाब के फूल तोड़े।

(२) आनुषगिक वाक्य वाक्याश या कई पदो के बदले एक सामासिक, प्रत्ययान्त या अल्प-पद का प्रयोग करने से वाक्य सकुचित किया जाता है। जैसे—

जैसा मैं हूँ वैसा वह है—मेरे जैसा वह भी है।

जैसा काम किया वैसा फल मिला—जैसी करनी वैसा फल।

जिसे भूख लगी है उसे भोजन दो—भूखे को भोजन दो।

विष्णु भगवान् के चार भुजा हैं—विष्णु भगवान् चतुर्भुजी हैं।

उसने इन्द्रियो को वश में कर लिया है—वह जितेन्द्रिय है।

उस (स्त्री) के नयन मृगा के नयनो के समान हैं—वह मृगनयनी है।

(ख) वाक्य सम्प्रसारण विधि

वाक्य सकोचन विधि के विपरीत नियमो के द्वारा ही वाक्य का सम्प्रसारण कर सकते हैं। यहाँ पर यह ध्यान मे रखना चाहिये कि वाक्य का विस्तार करते समय अनावश्यक पदो का प्रयोग नहीं होना चाहिये। विशेषकर यह देखना चाहिये कि किसी एक वाक्य में दो पूर्वकालिक क्रियाओ का व्यवहार भरसक नहीं हो।

वाक्य सम्प्रसारण के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

(१) चैतन्य वैष्णव थे—चैतन्य विष्णु के उपासक थे।

(२) पढना लाभप्रद है—पढने से लाभ होता है।

(३) गरीब को धन दो—जो गरीब है उसे धन दो।

(४) वहाँ का दृश्य बडा हृदय विदारक था—वहाँ का दृश्य हृदय को विदीर्ण करनेवाला था।

अभ्यास

(१) नीचे लिखे वाक्यों का विस्तार करो।

आकाश अनन्त है। रामचन्द्र शैव थे। यह कार्य अनिवार्य है। यह बात सुनकर मुझे अनिर्वचनीय आनन्द मिला। यह शरीर क्षण भंगुर है। ससार परिवर्तनशील है। नास्तिक पाप पुण्य नहीं मानता।

(२) नीचे लिखे वाक्यों को संकुचित करो।

पृथ्वी पर मिलनेवाला सुख कुछ ही देर ठहरता है। दसों दिशाओं को जीतनेवाला रावण शिव का उपासक था। यह विष्णु के उपासकों का सहार करनेवाला था। जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा है वह आदर के योग्य है।

वाक्यो का सयोजन और विभाजन

(The Combination and Resolution of sentences)

नियम—अर्थ में बिना किसी प्रकार की विभिन्नता उत्पन्न किये ही समापिका क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया में बदल देने से, वाक्यों के उभयनिष्ठ या मिलते-जुलते शब्दो को एक ही बार प्रयुक्त कर देने से, अव्यय क प्रयोग स, वाक्यों के शब्दों को आवश्यकता अनुसार उलट-फेर करने से तथा वाक्यो को पद, वाक्यांश या आनुषंगिक वाक्य बना देने से वाक्यसमूह को मिलाया जाता है। उदाहरण—

(क) समापिका क्रिया को असमापिका बनाने स तथा मिलते-जुलत को एक ही बार प्रयुक्त करने से—

राम ने रावण को मारा। राम ने सीता को रावण के पाश से मुक्त किया।

सयोजित वाक्य—राम ने रावण को मारकर सीता को उसके पाश से मुक्त किया।

(ख) अव्यय के प्रयोग से

मैं स्टेशन पर गया। गाडी आ गयी।

स० वा०—ज्यों ही मैं स्टेशन पर गया गाडी आ गयी।

वह धनी है। वह अभिमानी नहीं है। उसका स्वभाव बडा सरल है।

स० वा०—यद्यपि वह धनी है तथापि अभिमानी नहीं वरन् सरल स्वभाव का है।

(ग) उलट फेर से—वाक्यों को पद, वाक्यांश आदि बनाकर

सम्राट् अशोक मगध के राजा थे। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र गङ्गा और सोन के सगम पर बसा हुआ था। अब भी उस प्राचीन नगरी का भग्नावशेष कुम्हरार नामक स्थान में पाया जाता है। कुम्हरार गुलजारबाग स्टेशन के निकट है।

स० वा०—गङ्गा और सोन के सगम पर बसी हुई पाटलिपुत्र नगरी मगध देश के राजा सम्राट् अशोक की राजधानी थी, जिसका भग्नावशेष गुलजारबाग स्टेशन के निकट कुम्हरार नामक स्थान मे पाया जाता है।

वाक्य विभाजन

वाक्य सयोजन के विपरीत नियमो के अनुसार मिलित वाक्यो को अनेक वाक्यों में बदला जा सकता है—

मिलित वाक्य	विभक्त वाक्य
आकाश में बादल के छा जाते ही मोर उन्मत्त होकर नाच उठे।	आकाश में बादल छा गया। मोर उन्मत्त होकर नाच उठे।
वधिक की वीणा का शब्द सुनते ही मृगा सुध बुध खोकर चारों ओर उस स्वर लहरी की खोज में दौड़ने लगा।	मृगा ने वधिक की वीणा का स्वर सुना। सुध बुध खो दिया। चारों ओर उसी स्वर-लहरी की खोज में दौड़ने लगा।
रात्रि हो जाने पर आकाश में तारे टिमटिमाने लगे।	रात्रि हुई, आकाश में तारे टिमटिमाने लगे।

अभ्यास

(१) नीचे लिखे प्रत्येक वाक्य को टुकड़े टुकड़े कर कई सरल वाक्यों में परिणत करो।

साहसी गगनदेव एक तीन हाथ लम्बे और चार हाथ ऊँचे हिंस्र और बलवान बाघ को मार कर नगर में लाया। उनके चारों लड़कों में से किसी का ब्याह नहीं हुआ है। सूर्य डूबने पर मैं घर लौट आया।

(२) निम्नलिखित वाक्यों को मिलाकर एक-एक वाक्य बनाओ।

(१) सूर्योदय हुआ। तालाब में कमल खिल गये। (२) धर्म रहता है। जय होती है। (३) वह गरीब है। वह सुखी है। वह सन्तोषी है। (४) सूर्य अस्त हुए। अन्धकार फैल गया।

वाक्यों का परिवर्तन

(Interchanges of sentences)

वाक्य, स्वरूप की दृष्टि से तीन प्रकार के होते हैं—सरल, जटिल

और यौगिक। इन तीनो तरह क वाक्य एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं।

(क) सरल से जटिल

सरल वाक्य में प्रयुक्त विधेय पूरक, विधेय विशेषण, विधेय क विस्तार तथा उद्देश्य वर्द्धक विशेषण क रूप मे व्यवहृत हुए पद या पद समूह को वाक्य क रूप मे बदलकर जो वह यदि तो, जब-तब आदि अव्ययों द्वारा मिला देन से जटिल या मिश्र वाक्य बन जाता है। पद वि्यास के नियमनुसार कभी कभी नित्य सम्बन्धी शब्द लुप्त भी रहा करत हैं।

सरल—फ्रास का राजा नेपोलियन बडा वीर था।

जटिल—नपोलियन, जो फ्राम का राजा था बडा वीर था।

सरल—गर्मी मे म प्रतिदिन गङ्गा स्नान करता हूँ।

जटिल—जब गर्मी आती है तब मैं प्रतिदिन गङ्गा स्नान करता हूँ।

(ख) जटिल से सरल

जटिल वाक्य मे आये हुए आनुषगिक या सहायक वाक्य को वाक्याश या पदसमूह के रूप मे परिवर्तित कर नित्य सम्बन्धी या अन्य योजक शब्दा को हटा देने स सरल वाक्य होता है। ऐसा करत समय यह स्मरण रखना चाहिये कि काल और अर्थ मे बाधा न पड़े।

जटिल—जो कवल दैव का भरोसा करता है वह कायर है।

सरल—केवल दैव पर भरोसा करनेवाला कायर है।

जटिल—जिन्हें विद्या है वे सब जगह आदर पाते हैं।

सरल—विद्वान् सब जगह आदर पाते हैं।

जटिल—अगर आप चाहते हैं कि सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें तो विद्याध्ययन कीजिये।

सरल—सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की इच्छा से विद्याध्ययन कीजिये।

(ग) सरल से यौगिक

सरल वाक्य के किसी वाक्यांश को एक सरल वाक्य में अथवा असमापिका या पूर्वकालिक क्रिया को समापिका क्रिया में बदलकर और, एवं, किन्तु, परन्तु, इसलिए आदि योजकों के प्रयोग से यौगिक वाक्य बनाया जाता है।

सरल—वह भूख से छटपटा रहा है।

यौगिक—वह भूखा है, इसलिये छटपटा रहा है।

सरल—सुशील होने के कारण मोहन को सभी प्यार करते हैं।

यौगिक—मोहन सुशील है, इसलिए उसे सभी प्यार करते हैं।

(घ) यौगिक से सरल

यौगिक वाक्य में किसी स्वतन्त्र वाक्य को वाक्यांश में अथवा किसी समापिका क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया में परिवर्तित कर यौगिक वाक्य से सरल वाक्य बनाया जाता है। यौगिक वाक्य के अव्यय या योजकपदों को सरल वाक्य में लुप्त कर दिया जाता है।

यौगिक—उसने मुझे दूर ही से देख लिया और चुपचाप गायब हो गया।

सरल—वह मुझे दूर ही से देखकर चुपचाप गायब हो गया।

यौगिक—वह गङ्गा स्नान कर आया और रामायण का पाठ करने लगा।

सरल—गङ्गा स्नान कर आने पर वह रामायण का पाठ करने लगा।

यौगिक—संध्या हुई और तारे आकाश में टिमटिमाने लगे।

सरल—संध्या होने पर तारे आकाश में टिमटिमाने लगे।

(ङ) जटिल से यौगिक

जटिल वाक्य के अङ्गवाक्य (आनुषंगिक वाक्य) को एक स्वतन्त्र वाक्य बना देने और उनके नित्य सम्बन्धी दोनों शब्दों का लोपकर नहीं, तो, किन्तु अन्यथा आदि संयोजक विभाजक अव्ययों का प्रयोग करने से यौगिक वाक्य होता है।

जटिल—अगर भला चाहते हो तो इस काम में हाथ मत डालो।

यौगिक—तुम अपना भला चाहते हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो।

जटिल—राम जो कुछ कहता है वह कर दिखाता है।

सरल—राम कहता है और कर दिखाता है।

(च) यौगिक से जटिल

यौगिक वाक्य में स्वतन्त्र वाक्यों में से एक को छोड़कर शेष

को आनुषंगिक वाक्य बना देने से जटिल वाक्य बन जाता है। ऐसी दशा में यौगिक वाक्य में व्यवहृत संयोजक या विभाजक अव्ययों को नित्य सम्बन्धी अव्ययों में बदल देना पड़ता है।

यौगिक—वह पढ़ा लिखा तो उतना नहीं पर उसे दुनिया की हवा लग चुकी है।

जटिल—यद्यपि वह इतना पढ़ा लिखा नहीं है तथापि उसे दुनिया की हवा लग चुकी है।

यौगिक—चन्द्रोदय हुआ और सारा संसार प्रकाशमय हो गया।

जटिल—ज्यों ही चन्द्रोदय हुआ सारा संसार प्रकाशमय हो गया।

अभ्यास

(१) निम्नलिखित सरल वाक्यों को जटिल वाक्यों में परिणत करो—

(क) उद्योगी पुरुष सफलमनोरथ होते हैं। (ख) उसने अपराध स्वीकार किया। (ग) चंचल बालक प्रायः पढ़ने में बड़े तेज होते हैं। (घ) मेहनती लड़के इम्तिहान में पास कर जाते हैं।

(२) नीचे के जटिल वाक्यों का सरल वाक्य बनाओ—

(क) जब विपद आ पड़ती है तब धीरज धरना चाहिये। (ख) जो बालक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते वे बराबर रोगग्रस्त रहते हैं। (ग) जो समझदार है, वह ऐसा घृणित काम नहीं करेगा।

(३) नीचे के सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में बदलो—

(क) वह मेरी पुस्तक लेकर चुपचाप चल दिया। (ख) मोहन ने घर आकर पिता को प्रणाम किया। (ग) सूर्योदय होते ही लोग अपने-अपने कामों में लगे

(४) नीचे के संयुक्त वाक्यों का सरल वाक्य बनाओ—

(क) गङ्गा नदी हिमालय पहाड़ से निकलती है और बङ्गाल की खाड़ी में गिरती है। (ख) मेरी बात नहीं मानोगे तो काम नहीं चलेगा।

(५) नीचे लिखे जटिल वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में परिणत करो—

(क) जो पुस्तक मैंने खरीदी वह लाभप्रद है। (ख) यह सब कोई जानते हैं कि वह बड़ा चालाक है। (ग) मैंने जो पेड़ लगाये थे वे अब फलने लगे।

(६) नीचे लिखे संयुक्त वाक्यों का जटिल वाक्य बनाओ—

(क) वह बड़ा अभिमानी है इसलिए किसी से बोलना अपनी इज्जत के खिलाफ समझता है। (ख) वह बहुत दुर्बल है इसलिए एक पग भी नहीं चल सकता है। (ग) वह पढ़ने में तेज है इसीलिए शिक्षक उसे बड़ा मानते हैं।

वाच्य परिवर्तन

सकर्मक धातु से बने हुए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और अकर्मक धातु से बने हुए कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाये जाते हैं। फिर कर्मवाच्य और भाववाच्य को कर्तृवाच्य मे रूपान्तर कर सकते हैं।

कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य

सकर्मक कर्तृवाच्य में कर्त्ता को करण के रूप में बदलकर क्रिया के मुख्य धातु को सामान्य भूत बनाकर उसके आगे 'जाना' धातु के रूप को कर्म के लिंग, वचन, और पुरुष के अनुसार उसी काल में, जोड देने से कर्मवाच्य होता है। जैसे—

कर्त्तृवाच्य	कर्मवाच्य
राम ने पुस्तक पढी।	राम से पुस्तक पढी गयी।
मोहन ने रोटी खाई।	मोहन से रोटी खायी गयी।
सम्राट् अशोक ने चालीस वर्ष तक राज्य किया।	सम्राट् अशोक से चालीस वर्ष तक राज्य किया गया।
उसने मिठाई चुराई।	उससे मिठाई चुराई गयी।
मैंने उसे पकडा।	वह मुझ से पकडा गया।

कर्त्तृवाच्य स भाववाच्य

कर्त्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने मे भी कर्त्ता को करण में रूपान्तर कर क्रिया के मुख्य धातु के सामान्यभूत रूप के आगे 'जाना' धातु काल के अनुसार एक वचन और पुलिंग में जोड दिया जाता है। केवल 'जाना' धातु को सामान्य भूत में रूपान्तर न कर उसका 'जाया' कर देते हैं। जैसे—

कर्त्तृवाच्य	भाववाच्य
मैं जाता हूँ।	मुझसे जाया जाता है।
मैं पटने में रहता हूँ।	मुझसे पटने मे रहा जाता है।
मोहन बाग में टहलता है।	मोहन से बाग में टहला जाता है।
तेजनारायण गगा नहाया।	तेजनारायण से गगा नहाया गया।

अभ्यास

नीचे लिखे वाक्यों में वाच्य-परिवर्तन करो।

राम फुटबाल खेलता है। गाय घास खाती है। स्त्री से कपड़ा सीया जाता है। कल मुझ से मर जाया जायगा। उससे आम खाया गया था। बच्चू ने चोरी की थी।

चतुर्थ खण्ड

विराम-विचार (Punctuation)

पद, वाक्यांश अथवा वाक्य बोलते समय बीच बीच में कुछ देर के लिए ठहरना आवश्यक हो जाता है। इस ठहराव को विराम कहते हैं। पद वाक्यांश अथवा वाक्य लिखते समय जहाँ ठहराव की आवश्यकता देखी जाती है वहाँ कुछ चिह्न लगाया जाता है। ऐसे चिन्ह विराम-चिह्न कहलाते हैं। विराम-चिह्नो को बिना लगाये वाक्य के अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आते। कभी कभी तो बिना विराम-चिह्नों को लगाये हुए वाक्यो को समझने मे ऐसा गड़बड़झाला उपस्थित हो जाता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए वाक्य रचना के अभ्यास के साथ-साथ विराम-चिह्नो को उपयुक्त स्थानों पर लगाने का भी अभ्यास करना ज़रूरी है। आजकल साधारणत हिन्दी में नीचे लिखे विराम चिह्नों का प्रयोग होता है।

अल्पविराम या कॉमा=(,)

अर्द्ध विराम या सेमीकोलन=(;)

पूर्णविराम या पाई=(।)

प्रश्नबोधक चिह्न=(?)

विस्मयादिबोधक=(!)

उद्धरण=(' '), (" ")

कोलन और डैस=(:—)

विभाजन=(-)

नोट—सम्बोधन के चिह्न के लिए कहीं-कहीं अल्पविराम (,) और कहीं कहीं विस्मयादिबोधक (!) का प्रयोग करते हैं। अँगरेज़ी में ठहराव का एक चिह्न कोलन (:) कहा जाता है। हिन्दी में अकेले कोलन का प्रयोग नहीं होता क्योंकि एक तो इसकी बहुत आवश्यकता नहीं होती दूसरे इससे विसर्ग का भी भ्रम हो सकता है। कोलन के साथ डैस (:—) का प्रयोग होता है।

अल्पविराम (Comma)

वाक्य पढ़ते समय जहाँ-जहाँ थोडी थोडी देर ठहरने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ-वहाँ अल्पविराम (Comma) लगाते हैं। प्राय निम्नलिखित अवसरों पर अल्पविराम लगाने की आवश्यकता देखी जाती है—

(१) जब किसी वाक्य में कई पद, वाक्यांश या खंड वाक्य एक ही रूप में व्यवहृत हों तो अन्तिम पद आदि को छोड़कर शेष के आगे अल्पविराम लगाते हैं और अन्तिम पद, वाक्यांश आदि के पहले 'और', 'या' आदि समुच्चय रखते हैं। मगर जब अन्तिम पद आदि के आगे 'इत्यादि', 'आदि' शब्द रहे तो उसके पहले समुच्चय की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे—पृथ्वी, बुध, शनि आदि उपग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। विद्या पढ़ने से अज्ञान दूर होता है, धन मिलता है और सभा जगह आदर होता है।

(२) वाक्य के अन्तर्गत जब कोई पद, वाक्यांश या खंड

वाक्य आकर वाक्य के अन्वय को अलग कर दे तो ऐसे पद, वाक्यांश या खंड वाक्य के दोनों ओर अल्पविराम लगता है। ऐसी जगहों में कभी कभी डैस (—) का भी प्रयोग होता है। जैसे — मेरे एक मित्र ने, स्वप्न में भी मुझे ऐसी आशा नहीं थी, मेरे साथ बड़ा विश्वासघात किया है। आज मैंने गङ्गा तट पर—जब मैं टहल रहा था—एक अजीब चीज देखी।

(३) अर्थ में बाधा उपस्थित करने के अभिप्राय से भी अल्प विराम लगाते हैं। जैसे - राम चाहे कैसा ही विश्वासघाती क्यों न हो, आखिर मेरा मित्र ही है।

(४) सम्बोधन-पद के आगे भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है पर जब पद में विशेष दृढ़ता लानी हो तो अल्पविराम के बदले विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाते हैं। जैसे—मोहन, आज टहलने चलोगे या नहीं ? अरे दुष्ट ! तेरा मैंने क्या बिगाड़ा था ?

(५) वाक्य में जब नित्य सम्बन्धी के जोड़े का अन्तिम शब्द लुप्त रहे तो वहाँ भी अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे—अगर यह बात मुझे पहले मालूम रहती, मैं कभी यहाँ नहीं आता।

(६) कोई-कोई समुच्चयसूचक शब्द 'कि' के आगे अल्पविराम लगाते हैं। जैसे—उसने देखा कि, बाग में गुलाब के फूल खिल रहे थे। परन्तु यह प्रयोग ठीक नहीं है। हाँ, जब 'कि' के बाद किसी की उक्ति अवतरण-चिन्हों के बीच रहे या 'कि' लुप्त रहे तो कॉमा हो जाता है। जैसे—मैं जानता हूँ, वह बड़ा

शैतान है। मोहन ने कहा कि, "मैं किसी भी हालत में उस पर विश्वास नहीं कर सकता।"

(७) अगर वाक्य के आरम्भ में आनेवाले पद, वाक्यांश या वाक्य-खण्ड पूर्व वर्णित विषय के साथ सम्बन्ध रखता हो तो उसके आगे अल्पविराम लगाते हैं। जैसे—अहो, यह प्रयोग उत्तम है। हाँ, इसका समर्थन मैं भी कर सकता हूँ।

(८) क्योंकि, परन्तु, किन्तु, इसलिए आदि के पहले भी अल्पविराम लाते हैं। जैसे—मैं वहाँ नहीं गया, इसलिए सब काम मिट्टी हो गया।

अर्द्धविराम (Semi-colon)

जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा कुछ अधिक काल तक ठहरने की ज़रूरत पड़े और जहाँ एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ दूर का सम्बन्ध दरसाना हो वहाँ अर्द्धविराम (;) का प्रयोग किया जाता है। बहुत से लेखक अर्द्धविराम का प्रयोग नहीं करते हैं और इसकी जगह अल्पविराम और पूर्णविराम से ही काम चला लेते हैं। इसलिए हिन्दी के विराम-विचार में इसको विशेष महत्त्व नहीं दिया गया है।

अर्द्धविराम का प्रयोग—प्रतिदिन पाठशाला जाया करो, पाठ याद किया करो, संयम से रहो, इसी में भलाई है।

पूर्णविराम (Full stop)

जहाँ एक वाक्य समाप्त हो वहाँ पूर्णविराम या पाई (।) का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण वाक्य के अन्तर्गत अल्पविराम अर्द्ध विराम आदि चिन्ह भी आते हैं। जैसे—महारानी विक्टोरिया ने,

अपने पचास वर्ष के राजत्वकाल में, अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने की भरपूर कोशिश की। प्रजा को दुःख न हो, राज्य में कहीं शान्ति-भंग न हो, इसका बराबर ध्यान रक्खा।

प्रश्नबोधक चिन्ह (Note of Interrogation)

प्रश्नसूचक वाक्य के अन्त में पूर्णविराम की जगह प्रश्नबोधक चिन्ह (?) का प्रयोग किया जाता है। जैसे—क्या सचमुच तुम नहीं आओगे ?

विस्मयादिबोधक (Note of Admiration)

विस्मय, हर्ष, विषाद, करुणा, आश्चर्य, भय आदि मनो-वृत्तियों को प्रगट करने के लिए पद, वाक्यांश या वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक (!) चिन्ह लगाया जाता है। जैसे—ओह ! कैसी दर्दनाक हालत है ! देखो तो, किस बहादुरी से वह गङ्गा पार हो गया ! इत्यादि।

उद्धरण-चिन्ह (Inverted Commas)

जहाँ किसी दूसरे वाक्य या उक्ति को ज्यों का त्यों उद्धृत करना होता है वहाँ उद्धरण (" ") चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब किसी की उक्ति के अन्तर्गत किसी और दूसरे की उक्ति को उद्धृत करने की आवश्यकता पड जाय तो (' ') इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। जैसे—इतिहास में लिखा है, "नेपोलियन बडा वीर था। जब वह अपनी सेना से एक बार कडककर कहता था, 'तैयार हो जाओ' तो वायुमंडल गूँज उठता था।"

कोलन डैश (Colon-dash)

(निर्देशक)

जहाँ पर किसी विषय पर विशेष प्रकाश डालने के लिए उदाहरण या व्याख्या करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ कोलन डैश (—) का प्रयोग किया जाता है। वार्तालाप सम्बन्धी लेख मे भी कहनेवाले के आगे इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे—राजा दशरथ के चार पुत्र थे —राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न।

शशि —कहाँ तक जाना होगा ?

तारा —मोहन के डेरे तक।

नोट—कोलन डैस के बदले केवल डैश (—) का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई कोई केवल कोलन ( ) का भी प्रयोग करते हैं, पर हिन्दी में ऐसा प्रयोग कम देखा जाता है।

विभाजन (Hyphen)

जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों को संयुक्त कर एक पद के रूप मे लिखना हो वहाँ विभाजन (-) चिन्ह लाते हैं जैसे—धन-जन सभी का हास हो रहा है। मैं उसे भलि भाँति पहचानता हूँ।

इन चिन्हों के अतिरिक्त हिन्दी में कोष्ठक [( )] आदि चिन्ह भी प्रयुक्त होते हैं।

अभ्यास

नीचे लिखे गद्य में यथास्थान विरामादि चिह्नों को लगाओ—

वियोगी क्या हुआ आह स्मृति मात्र से हृदय में आग जल उठी उसकी

जीवित ज्वालाएँ अपने पञ्जों को विकराल रूप से बढ़ाये आ रही हैं ग्लानि धिक्कार और क्रोध की मिली हुई इन दारुण चोटों से इतना निर्बल हो रहा हूँ कि तड़पने की हविस रखकर भी एक बार तड़प नहीं सकता क्या बताऊँ इसको कहते नहीं बनता मगर चाहे जिस तरह हो कहना ही पड़ेगा दूसरा कोई उपाय नहीं है।

('चाँद' से चिन्ह-रहितकर उद्धृत)

पञ्चम खण्ड

छन्द-विचार

पहले कह आये हैं कि वाक्य दो तरह के होते हैं—(१) गद्य (२) पद्य। गद्यमय वाक्य क सम्बन्ध में पहले के प्रकरणों मे लिखा जा चुका है अब इस प्रकरण मे सक्षेप में पद्यमय वाक्यों के विषय में थोड़ा-बहुत प्रकाश डालने का यत्न किया जाता है। पद्यमय वाक्यो का 'छन्द' कहते हैं और इसके लिए अलग व्याकरण है जिसमे इस विषय में पूर्णरूप से विवेचन किया रहता है। वह व्याकरण पिंगल कहलाता है। जिस प्रकार व्याकरण मे गद्यमय वाक्य को शुद्ध शुद्ध लिखने की विधियो पर प्रकाश डाला जाता है उसी प्रकार पिंगल में भी यह दिखाया जाता है कि छन्द या पद्य लिखने की कौन सी विधियाँ हैं।

छन्द वा पद्य—जिस वाक्य मे मात्रा, वर्ण, रचना, विराम, गति और चरणान्त सम्बन्धी नियमों का समावेश हो उसे छन्द कहते हैं। प्रत्येक छन्द के प्राय ४ भाग होते हैं जिनमें से प्रत्येक पद अथवा चरण कहलाता है। अत प्रत्येक छन्द में प्राय चार पद रहते हैं।

नोट—आजकल हिन्दी में छन्द लिखने की एक नयी चाल निकल पडी है। कुछ नये कवियों का कहना है कि कविताओं में मात्रा, विराम, गति आदि की कैद रखने से भाव नष्ट हो जाता

है। विषयान्तर के कारण इस पर विशद् विवेचन यहाँ नहीं किया जा सकता।

भेद—छन्द दो प्रकार के होते हैं - (१) मात्रिक या जाति छन्द और (२) वर्णिक या वर्ण-वृत्त। जिन छन्दों में पदों की गणना मात्राओं के हिसाब से की जाय वे मात्रिक और जिनकी गणना अक्षरों के हिसाब से की जाय वे वर्णिक छन्द कहलाते हैं। दोनो प्रकार के छन्द के फिर तीन तीन भेद हैं—(१) सम, (२) अर्धसम और (३) विषम। गणना की दृष्टि से जिन छन्दो के चारो चरण एक से हों वे सम, जिनके पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे पद एक से हो वे अर्धसम और जिनके चारों पद भिन्न-भिन्न हो उन्हे विषम कहते हैं।

फिर सम छन्दो के भी दो भेद हैं—(१) साधारण और (२) दडक। जिन मात्रिक सम छन्दो मे प्रत्येक चरण मे ३२ या इससे कम मात्राएँ होती हैं उन्हे साधारण और जिनमें ३२ से अधिक मात्राएँ होती हैं उन्हें दडक कहते हैं। उसी प्रकार जिन वर्णिक छन्दो का प्रत्येक चरण २६ या इससे कम अक्षरवाला होता है वे साधारण और २६ से अधिक अक्षरवाले दडक कहलाते हैं।

मात्रा—पहले कह आये हैं कि एक ह्रस्व स्वर के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसके मान या परिमाण को मात्रा कहते हैं। मात्रा का अर्थ काल का मान है। अतएव जिस स्वर के उच्चारण मे एक मात्रा लगती है (अर्थात् ह्रस्व स्वर) उसे एकमात्रिक वा लघु कहते हैं और जिस स्वर के उच्चारण में

दो मात्राएँ लगती हैं (अर्थात् सधिस्वर) उसे गुरु कहते हैं। सीधे तौर स यह कहा जा सकता है कि अ, इ उ ऋ और ल, या सभी ह्रस्व स्वर लघु तथा आ ई ऊ, ऋ, ए, ऐ ओ और औ या सभी दीर्घ स्वर गुरु कहलाते हैं। व्यञ्जनों का लघु तथा गुरु होना उनक साथ मिले हुए स्वर पर निर्भर है। अनुस्वार और विसर्गयुत वर्ण गुरु हैं परन्तु चन्द्रविन्दु या चन्द्रविन्दु की जगह पर आये हुए अनुस्वारयुत वर्ण लघु हैं। यथा—र लघु है—रा, ं, र गुरु हैं। सयुक्त व्यञ्जन के पहले का वर्ण बहुधा गुरु होता है।

यदि पढ़ने में सयुक्त वर्ण से पहले लघु वर्ण पर जोर पड़े तो वह गुरु अन्यथा लघु माना जाता है। जैसे—'कर्म' शब्द के उच्चारण में 'क' पर जोर पडता है अत क गुरु है पर 'उन्हें' क उच्चारण में 'उ' पर जोर नहीं पडने से उ लघु है।

चिह्न—गुरु क लिए एक हलदार रेखा (ऽ) और लघु के लिए एक सीधी रेखा (।) लिखी जाती है। जैसे—एक गुरु और लघु को इस भाँति लिखेंगे—(ऽ।)। गुरु के लिए 'ग' और लघु के लिए 'ल' भी लिखते हैं। लघु अक्षर की एक और गुरु की दो मात्राएँ होती हैं।

रम—	राम—	रमा—	रामा
।।	ऽ।	।ऽ	ऽऽ
लल	गल	लग	गग

फिर लघु गुरु क हिसाब से रम में (१+१) २, राम में (२+१) ३, रमा में (१+२) ३, और रामा में (२+२) ४ मात्राएँ हैं। दबा हुआ उच्चारण होने स गुरु भी लघु ही माना जाता है।

गण—तीन अक्षरों के समूह को गण कहते हैं। आदि, मध्य और अंत अक्षरों के गुरु-लघु के विचार से गणों के आठ भेद हैं, जो नीचे लिखे सूत्र से सहज ही में याद हो जायँगे—

'यमाताराजभानसलगम्'

नाम—य (यगण), मा (मगण), ता (तगण), रा (रगण), ज (जगण), भा (भगण), न (नगण), और स (सगण)—ये आठ गण हैं। 'ल' लघु के लिए और 'ग' गुरु के लिए हैं।

पहचान—जिस गण का जानना हो ऊपर के सूत्र में उसी अक्षर के साथ आगे के दो अक्षर मिला कर देखने से वह गण मालूम हो जायगा। जैसे—मगण को पहचानने के लिए ऊपर के सूत्र मे 'मा' के साथ क्रमशः आगे के दो अक्षरों को मिलाने से 'मातारा' हुआ। इसमें तीनों अक्षर गुरु (SSS) होने से मगण में तीन गुरुओं अर्थात् छः मात्राओं का होना समझना चाहिये। उसी प्रकार अन्य गणों के भी लक्षण निकाले जा सकते हैं।

प्रत्येक गण के भिन्न भिन्न देवता और फल होते हैं जिनके अनुसार गण का शुभाशुभ विचार किया जाता है। नीचे की तालिका मे गण सम्बन्धी सब बातें स्पष्ट की गयी हैं—

	गण	रूप		
१	यगण	ISS	[illegible]	देवता
२	मगण	SSS	[illegible]	जल
३	भगण	SII	[illegible]	पृथ्वी
४	नगण	III	[illegible]	चन्द्रमा

	गण	रूप	उदाहरण	देवता	शुभाशुभ
५	जगण	ISI	जमात	सूर्य	अशुभ
६	रगण	SIS	जामता	अग्नि	"
७	सगण	IIS	जमता	वायु	"
८	तगण	SSI	जामात	शून्य	"

शुभाशुभ विचार– सभी स्वर शुभ हैं और व्यञ्जनों में क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ड, द ध, न, य, थ, स और क्ष शुभ तथा शेष व्यञ्जन अशुभ हैं। अशुभ अक्षरों में भी झ, ह, र, भ और ष–ये पाँच बहुत ही दूषित हैं और ये दग्धाक्षर कहलाते हैं। छन्द के आदि में दग्धाक्षरों का रहना महान् दोष समझा जाता है

दोष-निवारण–छन्द के आदि में अशुभगण अथवा अक्षर रहने से छन्द दूषित समझा जाता है, लेकिन यदि छन्द का पहला शब्द देवता सम्बन्धी या मंगल सूचक हो तो दोष मिट जाता है। दग्धाक्षरों या दूषित अक्षरों को दीर्घ कर देने से भी दोष जाता रहता है। जैसे– छन्द में पहला अक्षर म हुआ तो दोष है पर 'मा' होने से दोष नहीं है।

यति–प्राय छन्दों का प्रत्येक पद एक या अधिक स्थानों में टूटता है। जैसे–'जय जय सुरनायक–जन सुख दायक–प्रणत पाल भगवता'। यह पद 'नायक' और 'दायक' पर टूटता है। इसी टूटने के स्थान को यति विश्राम या विराम कहते हैं। ऊपर के छन्द में १० और ८ मात्राओं पर य ।

छन्दो के लक्षण

यहाँ कुछ मुख्य मुख्य छन्दो के लक्षण दिये जाते हैं—

मात्रिक सम

(१) चौपई—१५ मात्राएँ

लक्षण—प्रत्येक चरण में १५ मात्राएँ हो तथा अंत में गुरु और लघु हो। जैसे—

हम चौधरी डोम सरदार। अमल हमारा दोनों पार॥
सब मसान पर हमरा राज। कफन माँगने का है काम॥

(२) चौपाई—१६ मात्राएँ

लक्षण—प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ हों और अंत में जगण वा तगण न पड़े। जैसे—

सुनि मृदु वचन मनोहर पिय के। लोचन ललित [illegible] सिय के॥
शीतल सिख दाहक भइ कैसे। चकइहि [illegible]॥

(३) रोला—२४ मात्राएँ

लक्षण—प्रत्येक चरण में ११ और १३ के विश्राम से २४ मात्राएँ होती हैं। जैसे—

राम कृष्ण गोविन्द [illegible] धनेगे।
इहाँ प्रमोद [illegible]
मृग तृष्णा मो [illegible]
ताते छाँड़ि [illegible] हरि [illegible]

(४) उल्लाला—१३ मात्राएँ

लक्षण—इसके प्रत्येक चरण में १३ मात्राएँ होती हैं। जैसे—

हिन्दी के उद्धार हित, कष्ट अनेकन जिन सहे।
भारतेन्दु हरिचंद की, उज्जल कीर्ति सदा रहे॥

(५) गीतिका—२६ मात्राएँ

लक्षण—प्रत्येक चरण में १४ और १२ के विश्राम से २६ मात्राएँ हों और अंत में लघु गुरु हों। जैसे—

योग यज्ञ अनेक कर्मण, करि तुम्हें सब ध्यावहीं।
होय जायो भाव तैसो, तुमहिं ते फल पावहीं॥
अति अगाध अपार तुव गति, पार काहू नहिं लह्यो।
शंभु शेष गणेश विधना, नेति निगमन हू कह्यो॥

(६) सरसी—२७ मात्राएँ

लक्षण—१६, ११ के विश्राम से २७ मात्राएँ हों और अंत में गुरु, लघु हों। जैसे—

नीरव आधी रात अंधेरी शांत दिशा आकाश।
गुपचुप तारेगण करते थे, झिलमिल अल्प प्रकाश॥
प्रकृति मौन सचराचर निद्रित, अति निस्तब्ध समीर।
जागृत वन में लता विनिर्मित, केवल एक कुटीर॥

(७) हरिगीतिका और ललितपद—२८ मात्राएँ

लक्षण—१६, १२ के विश्राम से २८ मात्राएँ और अंत में लघु गुरु होने से हरिगीतिका और अंत में दो गुरु रहने से सार या ललितपद बनते हैं। जैसे—

(क) हरिगीतिका

वाचक प्रथम सर्वत्र हो जय जानकी जीवन कहो ।
फिर पूर्वजो के चरित की शिक्षा-तरंगा में बहो ॥
दुख शोक जब जो आपड़े वह धैर्य्य पूर्वक सब सहो ।
होगी सफलता क्यों नहीं कर्त्तव्य पथ पर दृढ रहो ॥

(ख) ललित पद

राग रथी, रविराग पथी, अविराग—विनोद—बसेरा ।
प्रकृति भवन क सब विभवों से सुन्दर सरस सवेरा ॥
एक दिवस अति मुदित उदधि के बीचि विचुम्बित तीरे ।
सुख की भाँति मिला प्राची से आकर धीरे धीरे ॥

(८) चवपैया —३० मात्राएँ

लक्षण—प्रत्येक चरण में १०, ८ व १२ के विश्राम से कुल ३० मात्राएँ हों । अंत में एक सगण और एक गुरु हो । जैसे—

माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा ।
कीजै शिशु लीला, अति प्रिय-शीला यह सुख परम अनूपा ॥
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुर भूपा ।
यह चरित जो गावहिं हरिपद पावहिं ते न परहिं भवकूपा ॥

(९) त्रिभङ्गी—३२ मात्राएँ

लक्षण—प्रत्येक चरण मे १०, ८, ८ और ६ के विश्राम से ३२ मात्राएँ हो, आदि मे जगण न हो, और अन्त में गुरु रहे जैसे—

सुरकाज सँवारन, अधम उधारन, दैत्य विदारन, टेक धरे ।
प्रगटे गोकुल मे, हरि छिन छिन में, नन्द हिये में, मोद भरे ॥

धिन ताक धिनाधिन, ताक धिनाधिन, ताक धिनाधिन ताक धिना ।
नाचत जसुदा को छवि मन छाको, तजत न ताको एक छिना ॥

मात्रिक अर्धसम

(१०) बरवै—१२ ७ मात्राएँ

लक्षण जिसके पहले और तीसरे चरणों में १२-१२ तथा दूसरे और चौथे चरणो मे ७ ७ मात्राएँ हों और अन्त में जगण हो जैसे—

वाम अग शिव शोभित, शिवा उदार ।
सरद सुवारिद में जनु, तडित बिहार ॥

(११) दोहा—१३-११ मात्राएँ

लक्षण—पहले और तीसर चरणो मे १३ १३ तथा दूसरे और चौथे चरणों मे ११ ११ मात्राएँ हों—अन्त में लघु हो। जैसे—

भरित नेह नव नीर नित, बरसत सुरस अथोर ।
जयति अपूरब घन कोऊ, लखि नाचत मन मोर ॥

(१२) सोरठा—११-१३ मात्राएँ

लक्षण—दोहा का उल्टा अर्थात् पहले और तीसरे चरणों मे ११-११ तथा दूसरे और चौथे मे १३ १३ मात्राएँ हो। जैसे—

जेहि सुमिरत सिधि होय, गणनायक करिवर वदन ।
करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन ॥

मात्रिक विषम

(१३) कुण्डलिया—(दोहा+रोला)

लक्षण—दोहा के आगे रोला छन्द जोड़ देने से कुण्डलिया

बनती है। यह छन्द ६ चरणों का होता है। इसमें द्वितीय पद का उत्तरार्द्ध तृतीय पद का पूर्वार्द्ध होता है। जैसे—

नैया मोरी तनिक सी, बोझी पाथर भार।
चहुँदिशि अति भौंरें उठत, केवट है मतवार॥
केवट है मतवार, नाव मझधारै आनी।
आँधी चलत प्रचंड, तासु पर बरसत पानी॥
कह गिरधर कविराय नाथ हौ तुमहिं खेवैया।
उठै दया को डाँड घाट पर आवै नैया॥

(१४) छप्पय (रोला + उल्लाला)

लक्षण—रोला और उल्लाला को मिलाने से छप्पय छन्द बन जाता है। इसमें भी ६ चरण होते हैं। जैसे—

प्रभो! पाप का पुञ्ज कलह का कुञ्ज दूर हो।
अवनी तल उत्साह और सद्धर्म पूर हो॥
रहे न निर्धन दीन, न भारत विपथ चूर हो।
रहे सदा निर्भीक, यशी रणवीर शूर हो॥
हे विश्वम्भर घर घर यहाँ श्रुतियों का उच्चार हो।
उद्धार धर्म का हम करें, सच्चे आर्य्यकुमार हों॥

वर्णिक छन्द

अब कुछ वर्णिक छन्दों के लक्षण उदाहरण सहित नीचे दिये जाते हैं।

(१) इन्द्रवज्रा—(११ अक्षर)

लक्षण—इस छन्द के प्रत्येक चरण में दो तगण, एक जगण और दो गुरु रहते हैं। जैसे—

धिन ताक धिनाधिन, ताक धिनाधिन, ताक धिनाधिन ताक धिना।
नाचत जसुदा को छखि मन छाको, तजत न ताको एक छिना॥

मात्रिक अर्धसम

(१०) बरवै—१२ ७ मात्राएँ

लक्षण जिसके पहले और तीसरे चरणों में १२ १२ तथा दूसरे और चौथे चरणों मे ७ ७ मात्राएँ हों और अन्त में जगण हो जैसे—

वाम अग शिव शोभित, शिवा उदार।
सरद सुवारिद में जनु, तडित विहार॥

(११) दोहा—१३-११ मात्राएँ

लक्षण—पहले और तीसरे चरणों में १३ १३ तथा दूसरे और चौथे चरणों में ११ ११ मात्राएँ हों—अन्त मे लघु हो। जैसे—

भरित नेह नव नीर नित, बरसत सुरस अथोर।
जयति अपूरब घन कोऊ, लखि नाचत मन मोर॥

(१२) सोरठा—११-१३ मात्राएँ

लक्षण—दोहा का उल्टा अर्थात् पहले और तीसरे चरणों में ११-११ तथा दूसरे और चौथे में १३-१३ मात्राएँ हों। जैसे—

जेहि सुमिरत सिधि होय, गणनायक करिवर वदन।
करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन॥

मात्रिक विषम

(१३) कुण्डलिया—(दोहा+रोला)

लक्षण—दोहा के आगे रोला छन्द जोड़ देने से कुण्डलिया

बनती है। यह छन्द ६ चरणों का होता है। इसमें द्वितीय पद का उत्तरार्द्ध तृतीय पद का पूर्वार्द्ध होता है। जैसे—

नैया मोरी तनिक सी बोझी पाथर भार।
चहुँदिशि अति भौंरें उठत, केवट है मतवार॥
केवट है मतवार, नाव मझधारै आनी।
आँधी चलत प्रचण्ड, ताहु पर बरसत पानी॥
कह गिरधर कविराय नाथ हो तुमहिं खेवैया।
उठै दया को डाँड घाट पर आवै नैया॥

(१४) छप्पय (रोला + उल्लाला)

लक्षण—रोला और उल्लाला को मिलाने से [illegible] जाता है। इसमे भी ६ चरण होते हैं। जैसे—

प्रभो! पाप का पुञ्ज कलह का [illegible]।
अवनी तल उत्साह और [illegible]॥
रहे न निर्धन दीन, न मानव [illegible]।
रहे सदा निर्भीक, यशी [illegible]॥
हे विश्वम्भर घर घर यहाँ [illegible]।
उद्धार धर्म का हम करें, [illegible]॥

वर्णिक छन्द

अब कुछ वर्णिक छन्दों के [illegible] जाते हैं।

(१) [illegible]

लक्षण—इस छन्द के [illegible] और दो [illegible] हैं। जैसे—

क्या कौमुदी यया मणि मञ्जु माला ।
है काँपती दीप शिखा विशाला ।।
जो सामने हो वह दिव्य बाला ।
तो अन्ध भी देख उठे उजाला ।।

(२) द्रुतविलम्बित—(१२ अक्षर)

लक्षण—इसके प्रत्येक चरण में एक नगण, दो भगण और एक रगण रहते हैं। जैसे—

दिवस का अवसान समीप था ।
गगन था कुछ लोहित हो चला ।।
तरु शिखा पर थी अब राजती ।
कमलिनी-कुल वल्लभ की प्रभा ।।

(३) भुजङ्गप्रयात—(१२ अक्षर)

लक्षण—इसके प्रत्येक चरण में चार यगण होते हैं। जैसे—

नमामीशमीशान निर्वाण रूप ।
विभुं व्यापक ब्रह्म वेदस्वरूप ।।
अज निर्गुणं निर्विकल्प निरीह ।
चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं ।।

(४) वसन्ततिलका—(१४ अक्षर)

लक्षण—इसके प्रत्येक चरण में एक तगण, एक भगण, दो जगण और दो गुरु रहते हैं। जैसे—

यों ही प्रबोध करते पुरवासियों का ।
नाना कथा परम शान्तिकरी सुनाते ।।

आये प्रजाधिप निकेतन पास ऊधो।
पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी॥

—प्रिय प्रवास

(५) मालिनी—(१५ अक्षर)

लक्षण—प्रत्येक चरण में दो नगण, एक मगण और दो यगण होते हैं। जैसे—

सहृदय जन का जो कंठ का हार होता।
मुदित मधुकरी का जीवनाधार होता॥
दलित कर उसे तू काल क्या पा गया रे!
तिल भर तुझ में भी है नहीं हा, दया रे!!

(६) मन्दाक्रान्ता—(१७ अक्षर)

लक्षण—प्रत्येक चरण में एक एक मगण, भगण और नगण, दो तगण और दो गुरु रहते हैं। जैसे—

हा! वृद्धा के अतुल धन हा! वृद्धता के सहारे।
हा! प्राणों क परम प्रिय हा! एक मेरे दुलारे॥
हा! शोभा के सदन सम हा! रूप लावण्य वारे।
हा! बेटा हा! हृदय धन हा! नैन तारे हमारे॥

(७) शिखरणी—(१७ अक्षर)

लक्षण—प्रत्येक चरण में एक-एक यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु रहते हैं। जैसे—

अनूठी-आभा से सरस सुषमा से सुरस से।
बना जो देती थी बहु-गुणमयी भू विपिन को॥

निगले फूलों की विविध-दल-वाली अनुपमा।
जड़ी बूटी नाना बहु फलवती थीं विलसती॥

(८) शार्दूलविक्रीडित (१९ अक्षर)

लक्षण—प्रत्येक चरण में एक-एक मगण, सगण, जगण सगण दो तगण और एक गुरु रहते हैं। जैसे—

ज्यों ज्यों थी रजनी व्यतीत करती औ देखती व्योम को।
त्यों ही त्यों उनका प्रगाढ़ दुख भी दुर्दान्त था हो रहा॥
आँखों से अविराम अश्रु बह के था शान्ति देता नहीं।
बारम्बार असक्त-कृष्ण जननी थीं मूर्छिता हो रही॥

(९) सवैया

सवैया के कई भेद होते हैं। सभी २२ से २६ अक्षर तक रहते हैं। प्रत्येक छन्द के बीच के प्रायः सब गण एक से रहते हैं। यहाँ हम कुछ भेदों के लक्षण और उदाहरण नीचे दिये देते हैं—

(क) मालिनी सवैया (२२ अक्षर)

लक्षण—इसके प्रत्येक चरण में सात भगण और एक गुरु रहते हैं। जैसे—

भासन गौरि गुसाँइन को वर राम धनु दुइ खण्ड कियो।
मालिनि को जयमाल गुहो हरि के हिय जानकि मेलि दियो॥
रावन की उतरी मदिरा चुपचाप पयान जु छक कियो।
राम वरी सिय मोद भरी नभ में सुर जय जयकार कियो॥

(ख) मत्तगयन्द सवैया—(२३ अक्षर)

लक्षण—प्रत्येक चरण में ७ भगण और दो गुरु होते हैं।
जैसे—

भासत गंग न तो सम आन, कहूँ जग में मम पाप हरैया।
बैठे रहे मनु देव सबै, तजि तो पर तारन भारहिं मैया॥
या कलि में इक तूहि सदा, जन की भव पार लगावत नैया।
है तु इकै हरि अम्ब अरी, अघ मत्त गयंदहिं नास करैया॥

(ग) दुर्मिल सवैया—(२४ अक्षर)

लक्षण—प्रत्येक चरण में आठ सगण रहते हैं। जैसे—
सबसों करि नेह भजौ रघुनंदन राजत हीरन माल हिये।
नव नील वपू कल पीत झँगा झलकैं, अलकैं घुँघुरारि लिये॥
अरविंद सों आनन रूप अनन्द अनन्दित लोचन भृङ्ग पिये।
हिय में न बस्यो अस दुर्मिल बालक तो जग में फल कौन जिये॥

कवित्त

कवित्त के प्रत्येक चरण में ३१, ३२ या ३३ अक्षर होते हैं।
३१ अक्षरों के कवित्त में अन्ताक्षर गुरु और शेष में लघु रहते
हैं। इस छद के भी कई भेद हैं जैसे मनहरण, रूपघनाक्षरी
आदि।

(क) मनहरण—(३१ अक्षर)

लक्षण—प्रत्येक चरण में ३१ अक्षर और अन्त का अक्षर
गुरु हो। जैसे—

आनन्द के कन्द जग ज्यावन जगत बन्द ,
दशरथ नन्द के निबाहई निबहिये।
कहै 'पद्माकर' पवित्र पन पालिबे को ,
चोर चक्रपाणि के चरित्रन को चहिये।
अवध बिहारी के विनोदन में बीधि बीधि ,
गाध गुँह गीधे के गुणानुवाद गहिये।
रैन दिन आठो याम राम राम राम राम ,
सीताराम सीताराम सीताराम कहिये॥

नोट—छन्दविचार में प्रसार, उद्दिष्ट, नष्ट, मेरु, मर्कटी आ
कई बातों पर विवेचन किया जाता है। हम यहाँ पुस्तक
जटिल हो जाने के भय से उनका विवेचन करना जान-बूझ
छोड़ देते हैं।

॥ इति ॥